(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ८] तृतीय विधान सभा के अष्टम सत्र, १९६५ का २०वां दिवस [संख्या १३

शनिवार, दिनांक ९ अक्टूबर, १९६५

विधान सभा की बैठक म.पू. ११ बज कर ७ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सहकारिता, कृषि, राजस्व, चिकित्सा, यातायात, सार्वजनिक निर्माण, आबकारी, विकास, स्वास्थ्य, उद्योग, पंचायत, विद्युत एवं अकाल सहायता--विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री जोधसिंह ।

गिरवा तहसील की सहकारी समितियों में गबन के मामले

३१९. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

गिरवा तहसील में कितनी सहकारी समितियां हैं और उनमें कितनी सहकारी समितियों में गबन पाये गये हैं और उनके लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उप-मंत्री, सहकारिता (श्री भीमसिंह) : गिरवा तहसील में २९४ सहकारी समितियां हैं, उनमें से ३ सहकारी समितियों गबन पाये गये हैं । इनके बारे में निम्नलिखित कायवाही की गई है :--

(१) जावर घाणी तेल उत्पादक सहकारी समिति लि० में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध रकम वसूली हेतु सहकारी अधिनियम, १९५३ की धारा ५७ के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है एवं मामला पुलिस को सौंपा गया ।

(२) बारापाल बहुधन्धी सहकारी समिति लि० में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध वसूली हेतु सहकारी अधिनियम, १९५३ की धारा ५७ के अनुसार कार्यवाही की गई ।

(३) भादडी बहुधन्धी सहकारी समिति लि० में गबन के मामले की विभागीय जांच की गई व मामला पुलिस को सौंपा गया । पुलिस से कोर्ट में गया व वहां से मंत्री को सजा हुई । मामला अपील कोर्ट में चल रहा है ।

श्री जोधसिंह चौहान : अब कितनी सहकारी समितियां बन्द पडी हैं ?

श्री भीमसिंह : आपने प्रश्न तो गबन के बारे में पूछा था उसका उत्तर दिया ह । अगर आपने अपने प्रश्न में यह पूछा होता कि कितनी बन्द पडी हैं और कितनी काम कर रही हैं तो उसकी सूचना देता ।

श्री जोधसिंह चौहान : बुझडा ग्राम सहकारी समिति में बहुत गबन है । उसका नाम आपने नहीं बताया है । आप उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं इसका कारण यह है कि वहां का सरपंच कांग्रेसी है ।

श्री भीमसिंह : मैंने निवेदन किया कि जो हमारे पास रिपोर्ट है उसमें से तीनों के केसेज पुलिस में गये हैं । बाकी आपको अगर कोई जानकारी हो और आप कोई जानकारी देते हैं तो उसकी जानकारी कर ली जावेगी और दोषी व्यक्ति को जरूर सजा दी जावेगी ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ये केसेज पुलिस में कब गये ?

श्री भीमसिंह : अभी दो साल में ।

श्री भैरोंसिंह : क्या आपको मालूम है कि ये केसेज पुलिस द्वारा कोर्ट में भेज दिये गये हैं ?

श्री भीमसिंह : जैसा मैंने निवेदन किया कि एक केस में सजा हुई है ।

श्री भैरोंसिंह : एक केस में तो सजा हुई, मगर दूसरे में क्या हुआ ?

श्री भीमसिंह : दूसरे में सजा नहीं हुई है । पुलिस के पास है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह पुलिस के पास मामला है या कोर्ट में चला गया है ?

श्री भीमसिंह : इसकी अभी मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : जो सहकारी विभाग की तरफ से केसेज पुलिस में जाते हैं उसकी प्रोग्रेस को सहकारी विभाग की तरफ से कौन परस्यू करते हैं ?

श्री भीमसिंह : समय समय पर उसको रजिस्ट्रार देखता रहता है और पुलिस को समय समय पर पूछता रहता है और रिपोर्ट देते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जावे कि इन केसेज की रिपोर्ट रजिस्ट्रार के ऑफिस में आती है ?

श्री भीमसिंह : जब रिपोर्ट आती है तो आती है ।

श्री भैरोंसिंह : लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है ?

श्री भीमसिंह : अभी मेरे पास नहीं है इसलिये मैं कुछ नहीं कह सकता ।

श्री भैरोंसिंह : इनमें कितना एमाउन्ट इन्वॉल्ड है ।

श्री भीमसिंह : जावर घाणी तेल उत्पादक सहकारी समिति में रु० २५०७.३६, बारापाल बहुधन्धी सहकारी समिति में १०००० रुपये, भादडी बहुधन्धी सहकारी समिति में ८१५० रु० ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री गंगासिंह ।

नागौर जिले में पतरों की पेटियें भेजने की व्यवस्था

३२०. **श्री गंगासिंह** (जायल) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि सन् १९६४ के सितम्बर माह से आज तक नागौर जिले में जिला परिषद् या पंचायत समितियों में

(श्री गंगासिंह)
कहीं भी पतरों की एक भी पेटी नहीं दी गई है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण है ?

(२) क्या यह सत्य है कि पतरों की पेटियां न आने के कारण काश्तकारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है ?

(३) क्या सरकार नागौर जिले में पतरों की पेटियें भिजवाने की व्यवस्था करेगी ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री भीमसिंह): (१) जी हां। भारत सरकार द्वारा इस राज्य के कृषि कार्यों के लिये सन् १९६२ से अब तक नालीदार चद्दरों का कोई कोटा अलॉट नहीं किया गया है।

(२) सरकार को इस बात की जानकारी है।

(३) भारत सरकार से कोटा प्राप्त होने पर।

श्री गंगासिंह : १९६२ से अब तक अलॉटमेंट नहीं हुआ, इसके लिये आपने भारत सरकार को लिखा तो भारत सरकार से क्या जवाब आया ?

श्री भीमसिंह : भारत सरकार को लिखा गया उस पर पाली के लिये स्पेशल कोटा दिया है, नागौर में भी ६३-६४ में स्पेशल कोटा में २६० टन दिया, बाकी ५० टन के लिये और कोशिश की जा रही है।

श्री गंगासिंह : क्या यह सही है कि भारत सरकार से कोई पत्र आया है कि कुछ कोटा अलॉट किया जा रहा ह ?

श्री भीमसिंह : इसका तो पता नहीं, पर चद्दरें बहुत कम बनती हैं; इसलिये चद्दरों की ज्यादा उम्मीद तो नहीं करते, पर प्रयास जारी है कि जितनी मिल सकें लें।

श्री अध्यक्ष : श्री हरलाल मीणा।

ग्राम पंचायत जाजली के अधीन तालाब का कब्जा

३२१. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला चित्तौडगढ, तहसील प्रतापगढ, ग्राम पंचायत जाजली, जाजली ग्राम का तालाब कितने एकड पर है और यह तालाब किसके कब्जे में कब से है ? इसका लगान कौन अदा करता है और कितना ?

(२) उक्त तालाब में पेटा काश्त कौन करता है और कब से ?

(३) क्या यह सही है कि इस तालाब पर ईरिगेशन विभाग एवं पंचायत समिति द्वारा इसे ठीक कराने हेतु रकम लगाई गई है ? यदि हां, तो कितनी ?

(४) क्या यह सत्य है कि यह तालाब ग्राम पंचायत जाजली के अधीन है ? यदि हां, तो अन्य व्यक्ति ने किस आधार पर कब्जा किया और इस तालाब का पानी कौन काम में लेता है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लडढा) : (१) तहसील प्रतापगढ के ग्राम जाजली में जाजली का तालाब ४० एकड पर स्थित है। इस पर कब्जा श्री राजेन्द्रसिंह पिता श्री रुगनाथसिंह राजपूत, साकिन जाजली का है। सैटलमेंट सम्वत् २००८ में

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

हुआ था, उसमें यह तालाब श्री राजेन्द्रसिंह के खाते में बिला लगानी अंकित हुआ है। पेटा काश्त होने पर लगान गैर मुस्तकिल ३।।) रु० प्रति बीघा से वसूल होता है। कब्जा उस पर पैमाइश (सैटलमेंट) से पहले से ही बताया गया है।

(२) जाजली का तालाब में पेटा काश्त श्री राजेन्द्रसिंह द्वारा होती है और यह सदैव से काश्त करते हैं।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं।

श्री हरलाल मीणा : इस तालाब पर ईरिगेशन विभाग ने रकम लगाई थी क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हरलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, इस तालाब पर ईरिगेशन विभाग ने पैसा लगाया था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि यह श्री राजेन्द्रसिंह के नाम पर है, सैटलमेंट में तालाब श्री राजेन्द्रसिंह के खाते बिला लगानी अंकित हुआ है। इसलिये ईरिगेशन डिपार्टमेन्ट या पंचायत डिपार्टमेन्ट से पैसा देने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री मोहनराज जैन(बाली) : तालाब गैर मुमकिन भूमि है तो इसे गिरदावरी में किसी के कब्जे में मान लिया, इससे सरकार ने एग्री क्यों कर लिया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गिरदावरी का सवाल नहीं: वह जागीरदार है और सैटलमेंट में उसके नाम पर दर्ज है इसलिये यह इसकी पर्सनल प्रोपर्टी है।

श्री हरलाल मीणा : फिर इस पर इरिगेशन डिपार्टमेंट और पंचायत समिति द्वारा पैसा खर्च क्यों किया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ईरिगेशन डिपार्टमेंट ने इस पर पैसा खर्च किया हो या पैसा वसूल किया हो ऐसी मेरे पास जानकारी नहीं है। मुझे इस संबंध में जानकारी दी जाय तो मैं वस्तुस्थिति को जानने की कोशिश करूंगा।

श्री मोहनराज जैन : सार्वजनिक सम्पत्ति को व्यक्तिगत सम्पत्ति के तौर पर किसी व्यक्ति विशेष को देने की सेटलमेंट ने कार्यवाही की उसको सरकार ने क्यों मान्य किया; गौचरभूमि, तालाब आदि तो सार्वजनिक सम्पत्ति है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो जागीर रिजम्प्शन के पहले का मामला है।

श्री मोहनराज जैन : जागीर रिजम्प्शन के पहले का मामला होते हुए भी आपकी इन्स्ट्रक्शन्स का सेटलमेंट के इन्सपेक्टर ने पालन नहीं किया, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इन्स्ट्रक्शन्स के पालन का सवाल पैदा नहीं होता। जागीर रिजम्प्शन के पहले सेटलमेंट हुआ है। सेटलमेंट में जो तालाब खुदकाश्त में दर्ज हैं उन्हें जागीर रिजम्प्शन एक्ट के तहत सेटलमेंट के आधार पर खुदकाश्त में माना है।

श्री मोहनराज जैन : तालाब खुदकाश्त की भूमि बन नहीं सकता, काश्त योग्य भूमि ही-खुदकाश्त में दर्ज हो सकती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तालाब का पेटा खुदकाश्त में काश्त होता है। यह कोई एक ही उदाहरण ऐसा हो ऐसी बात नहीं है, सैकडों तालाब हैं जो जागीरदारों की पर्सनल प्रोपर्टी डिक्लेअर किये गये हैं, क्योंकि सेटलमेंट रेकार्ड में वह उनकी पर्सनल प्रोपर्टी रहे हैं।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : टीनेन्सी एक्ट की धारा १६ के अनुसार जो जमीन पानी में होती है वह किसी की खातेदारी में नहीं आ सकती।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : टेनेन्सी एक्ट १९५५ में बना, १९५८ में उसकी धारा १६ में तरमीम हुई और यह २००८ से पूर्व का मामला है इसलिए जी धारा १६, ५८ की जनवरी में तरमीम हुई, उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पडता।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह !

डॉक्टरों के स्थानान्तरण

३२२. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) १ अप्रेल, १९६२ से लेकर १० फरवरी, १९६५ तक किस-किस डॉक्टर के एक से अधिक बार स्थानान्तरण के आदेश हुए हैं ? किन-किन के कितनी-कितनी बार और कहां से कहां के लिये ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) उक्त अवधि में किन-किन डॉक्टरों का स्थानान्तरण की तिथि से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व, कहां से कहां स्थानान्तरण किया गया और क्यों ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) किन किन डॉक्टर्स के एक बार स्थानान्तरण के आदेश जारी होने के पश्चात् कितनी कितनी बार कैंसिल किये गये और क्यों ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) तालिका सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) तालिका सदन की मेज पर रखदी गई है।

(३) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची अत्यधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : नम्बर (३) की तालिका नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास: नहीं है ?

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): है, है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं देख लूं।

(विराम)

यह नम्बर (१) की जो तालिका है उसका कॉलम नम्बर ५ देखिये। उसमें लिखा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन डॉक्टर्स का एक ही पोस्ट पर

(श्री भैरोंसिंह)
४ बार ट्रांस्फर के ऑर्डर हुए और फिर भी कैरी आउट नहीं हुए इसका क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग अलग डॉक्टर्स की बडी लम्बी चोडी लिस्ट है . . .

श्री भैरोंसिंह : जिनका चार बार ट्रांस्फर का ऑर्डर हुआ केवल उनके लिये पूछ रहा हूं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हर ट्रांस्फर के साथ अलग अलग होते हैं । मेरे लिये मुमकिन नहीं कि हरेक के रीजन्स बता सकूं । बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं । किसी डॉक्टर को खुद को कोई दिक्कत होती है, कहीं जनता से उनके खिलाफ शिकायतें आती हैं, ऐसी कई बातें हो सकती हैं, तो हरेक डॉक्टर के लिये मैं कैसे बता सकता हूं कि क्यों रोका और क्यों कैन्सिल हुआ । यह मुमकिन नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : एक डॉक्टर के बारे में बता दीजिये, । डाक्टर जी. डी. गोयल नम्बर ४. पर हैं । उनका चार बार ट्रांस्फर हुआ है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर्स के फ्रीक्वेन्टली ट्रांस्फर के ऑर्डर्स होते हैं और फिर चेन्ज होते रहते हैं, इससे डॉक्टर्स के अन्दर यह फीलिंग होती है कि जिनकी सिफारिश होती है उनका ट्रांस्फर रोक लिया जाता है । इसको रोकने के लिये सवाल पूछा गया था, इसलिय मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में १७६ डॉक्टर्स के २, ३, ४ बार ट्रांस्फर होकर कैन्सिल हुए हैं तो बाकी के डॉक्टर्स में जैलेसी पैदा होती है । इसको रोकने के लिये कुछ करें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप बिल्कुल ठीक फर्मा रहे हैं, और जहां तक हो सकेगा इस बात को रोकने की कोशिश की जा रही है । मैं भी यह चाहता हूं कि डॉक्टर्स के अन्दर ऐसी फीलिंग पैदा नहीं होनी चाहिये कि जिनके गॉड फादर्स हैं उनको अच्छी जगह दी जाती है । लेकिन मैं अर्ज करूं कि डॉक्टर एक केवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ही नहीं है, वह जनता की सेवा करने के लिये जाता है । कोई जगह डॉक्टर पॉपूलर हो जाता है और जब उसका ट्रांस्फर होता है तो जनता मना करती है, और कहीं कहीं डॉक्टर अनपॉपूलर होता है तो जनता से शिकायतें आती हैं उनको ट्रांस्फर करने के लिये, तो जल्दी ट्रांस्फर करना पडता है । कई दफा और एडमिनिस्ट्रेटिव कारण हो जाते है । बाकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी को फेवर करने के लिये ट्रांस्फर नहीं किया जायेगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : भूतकाल में यह निर्णय लिया गया था कि अच्छी जगह हो वहां पर डॉक्टर को दो-दो साल बाद बाई रोटेशन चेन्ज कर लिया जाये, लेकिन उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस प्रकार का निर्णय लिया गया, इसकी मुझे जानकारी नहीं । लेकिन एक ही जगह जहां अच्छी 'ए' क्लास डिस्पेन्सरी हो वहां एक ही डॉक्टर लम्बे समय तक न रखा जाये और दूसरों को बाइ रोटेशन मौका मिलना चाहिये, यह सही है ।

श्री भैरोंसिंह: क्या यह सही है कि इन ट्रांस्फर से परेशान होकर कई डॉक्टरों ने त्यागपत्र दिए हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी जा की नहीं है ।

प्रश्न संख्या ३२३

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।
(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्रीमती गौरी पूनिया ।

डेगाना प्राईमरी हैल्थ सेन्टर

३२४. **श्रीमती गौरी पूनिया** (डेगाना) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) क्या डेगाना प्राइमरी हैल्थ सेंटर में इण्डोर पेशेन्ट रखने की भी व्यवस्था है ? यदि हां, तो इस समय वहां कितने पलंग हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि डेगाना प्राइमरी हैल्थ सेंटर में स्टाफ के क्वार्टर तथा मरीजों के लिए रसोई व शौचालय का प्रबंध नहीं है ? अगर हां, तो क्यों ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां । इस समय वहां ६ रोगी–शैयायें हैं ।

(ख) जी हां । धनराशि के अभाव के कारण ।

श्रीमती गौरी पूनिया : जो वहां इंडोर पेशेन्ट्स रहते हैं उनके लिए रसोई, बाथरूम और लैट्रिन नहीं हैं तो मंत्री महोदय अर्थाभाव के कारण टालने का प्रयत्न न करें और ये सुविधाएं उनको उपलब्ध कराएं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कोशिश करूंगा ।

प्रश्न संख्या ३२५

श्री अध्यक्ष : वैद्य श्री गोविंदसहाय ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्रीमती नगेन्द्रबाला ।

कवाई-छबडा सडक

३२६. **श्रीमती नगेन्द्रबाला** (छबडा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कवाई से पंचायत समिति छबडा तक जाने वाली सडक की कैसी हालत है ?

(२) क्या यह सही है कि बारां से छबडा जाने वाला बस-मार्ग अवरोध के कारण बन्द है ?

(३) क्या यह भी सही है कि इस सडक पर बीच में दो जगह नदी पार करनी पडती है ?

(४) सडक की स्थिति सुधारने के लिये क्या प्रयत्न किये गये ? कब तक सुधार कार्य-संपन्न होने की संभावना है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) कवाई से लासी तक डेढ तथा कवाई से छबडा तक ४ मील पक्की सडक है, बाकी ५ मील का भाग कच्चा है ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां ।

(४) ठेका ५ मील का दे दिया है । आशा है चतुर्थ योजना काल तक ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : मैंने पहले प्रश्न में ही पूछा है कि उस सडक की हालत क्या है ? कच्ची-पक्की का सवाल नहीं है ।

Page No 8

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास ऐसी खबर तो नहीं है कि हालत खराब है। आप किसके लिए कह रही हैं ?

श्रीमती नगेन्द्रबाला : मैंने पूछा कि कवाई से छबडा जाने वाली सडक की हालत क्या ह; उस सडक के खराब होने की वजह से जगह जगह इतने बडे नाले हो गए हैं कि गाडी नहीं निकल सकती।

श्री हरिश्चन्द्र : नालें होंगे तो मानसून के बाद रिपेयर्स करवाए जायेंगे।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : कब तक करवाया जायगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : मानसून खतम होने के बाद कराया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाचन्द सोन।

बारां तहसील में शराब के ठेके

३२७. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां-सु.): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बारां तहसील में कुल कितने ठके शराब के हैं व कहां कहां हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सच है कि पूरी तहसील की गारंटी का ठेका कुल दो व्यक्तियों को दिया गया है ?

(३) यदि हां, तो क्यों ?

(४) इस तहसील में राज्य सरकार को पहले ठेकों से ज्यादा आमदनी होती थी या गारंटी सिस्टम से हुई है ? गत वर्ष व इस वर्ष जो शराब की गारंटी से आमदनी हुई उसकी अलग अलग ठेकों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

आबकारी मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): १. बारां तहसील में निम्न १० शराब के ठेके हैं:—

(१) तलाव पाडा।
(२) कलमंडा।
(३) बेगनी।
(४) चोकी बोरदा।
(५) थामली।
(६) मंडोला वार्ड
(७) कोयला।
(८) बामला।
(९) फतहपुर।
(१०) बटावदा।

२. जी नहीं।

३. प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

४. गारंटी सिस्टम से अधिक आय हुई-वांछित सूचना संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री दयाचन्द सोन : आपने जो गारंटी सिस्टम कायम किया है वह आपने इसलिये किया है कि आमदनी ज्यादा हो ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं। गारंटी सिस्टम के लिये सदन में कई बार एक्सप्लेन किया गया है। सरकार की यह मन्शा नहीं है कि आमदनी ज्यादा हो, मन्शा यह है कि ....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : शराब ज्यादा बिक सके।

श्री दामोदरलाल व्यास—बगैर मिलावट के शराब मिले ।

श्री भैरोंसिंह क्या गारंटी सिस्टम की यह मन्शा नहीं है कि शराब ज्यादा बिके ?

श्री दामोदरलाल व्यास--पहले पानी मिलाकर बेचा जाता था, अब प्योर बिकता है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) क्या गारंटी सिस्टम से शराब की खपत बढी नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास हो सकता है । इस समय मेरे पास आंकडे नहीं हैं । अगर माननीय सदस्य यह जानकारी चाहते हैं तो नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि मंत्री महोदय ने गारण्टी सिस्टम खत्म करने के लिए राज्य सरकार से सिफारिश की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं ।

श्री दयाचन्द सोन : मेरा प्रश्न बिल्कुल साफ है । आपने बारां तहसील में जो ठेके बताए उसके अलावा और जगह भी शराब खुले रूप से बिकता है । आपने लाइसेंस दो आदमियों को दिया है या १० को ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने पूछा था कि बारां तहसील में कुल कितने ठेके शराब के हैं ? मैंने १० बताए और उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी । आपने फिर पूछा है कि क्या यह सच है कि पूरी तहसील की गारंटी का ठेका कुल दो व्यक्तियों को ही दिया गया है ? मैंने कहा, "जी नहीं" ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सरकार के पास इस प्रकार की शिकायत आई है कि दिखाने में तो आपने ठेके १० व्यक्तियों को दिए हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि केवल दो ठेकेदारों ने ही झूठे नाम देकर सारी तहसील का ठेका लिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह शिकायत मेरे पास नहीं है ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : जिस मकसद से यह ठेका आपने दिया उसकी पूर्ति हुई है ? शराब मिक्स्ड नहीं होता है ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा ।

श्री दयाचन्द सोन : एक ही कस्बे में ४-४ जगह शराब बिकती है । बस स्टेशन पर खुले आम शराब बिकती है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : Shall I come to anoter question ?

श्री भैरोंसिंह : लाइसेंस के अनुसार शराब प्रेस्क्राइब्ड स्थान पर बेचनी है । मंत्री महोदय के पास कोई शिकायत आई है कि उसके अलावा और भी जगह बिकती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यदि माननीय सदस्य मेरे ध्यान में लायेंगे तो मैं जरूर एक्शन लूंगा । बाकी मेरी जानकारी में ऐसी बात नहीं है । जहां का ठेका है वहां ही बिकनी चाहिए ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : क्या गारण्टी सिस्टम से नाजायज शराब बन्द हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा !

जिला परिषद् झुन्झुन द्वारा अध्यापकों का चयन

३२८. **श्रीमती सुमित्रा** (झुंझुनू) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या तारीख १२-७-६४ को जिला परिषद् झुंझुनू ने नये अध्यापकों के चयन हेतु एक सूचना प्रसारित करके प्रार्थियों को जिला परिषद् कार्यालय में साक्षात्कार हेतु बुलाया था ?

(२) यदि हां, तो उस दिन जिला परिषद् कार्यालय में कुल कितने प्रार्थी इण्टरव्यू हेतु आए और क्या यह सही है कि वे रात्रि के १० बजे तक इन्तजार करके लौट गये ?

(३) सिलेक्शन कमेटी के कितने सदस्य उस नियत तिथि, नियत स्थान तथा नियत समय पर साक्षात्कार लेने हेतु जिला परिषद् कार्यालय में पहुंचे ?

(४) जिला परिषद् के प्रमुख तथा जिलाधीश झुन्झुनू के साक्षात्कार लेने हेतु न पहुंचने के क्या विशेष कारण थे ?

सामुदायिक विकास मंत्री (**श्री दामोदरलाल व्यास**) : (१) राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सर्विस सिलेक्शन कमीशन द्वारा जिला परिषद्, झुन्झुनू में अध्यापक पद के लिये प्रार्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था ।

(२) कुल कितने प्रार्थी साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुए, यह सूचना उपलब्ध नहीं है । यह सही नहीं है कि प्रार्थियों को रात के १० बजे तक इन्तजार करना पड़ा ।

(३) अध्यक्ष, राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सर्विस सिलेक्शन कमीशन नियत तिथि व समय पर उपस्थित हुए थे ।

(४) प्रमुख, जिला परिषद्, झुन्झुनू मौसम की खराबी के कारण नियत तिथि को उपस्थित नहीं हो सके । जिलाधीश सिलेक्शन कमेटी के सदस्य नहीं हैं ।

श्रीमती सुमित्रा : साक्षात्कार हेतु आए प्रार्थियों को कितने बजे सूचित कर दिया गया कि आज उनका इण्टरव्यू नहीं लिया जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : क्योंकि जिला-प्रमुख इस कमीशन के अनिवार्य सदस्य हैं, वे नियत तिथि पर उपस्थित नहीं हो सके तो साक्षात्कार मुल्तवी करने की सूचना नोटिस बोर्ड पर लगा दी गई ।

श्रीमती सुमित्रा : आपने प्रश्न (२) के जवाब में कहा है कि यह सही नहीं है कि प्रार्थियों को रात के १० बजे तक इन्तजार करना पड़ा । तो मैं पूछती हूं कि कितने बजे यह सूचना प्रार्थियों को दी गई कि आज उनका इण्टरव्यू नहीं होगा ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास टाइम नहीं है । आफिस आवर्स में सूचना नोटिस बोर्ड पर लगाई गई और अगर माननीय सदस्या की जानकारी में उनको रात को १० बजे तक इन्तजार करना पड़ा तो उनकी सूचना का आधार सही नहीं है ।

श्रीमती सुमित्रा : जब आपके पास सूचना नहीं है तो आप मेरी बात को गलत कैसे कहते हैं कि १० बजे तक इन्तजार नहीं किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया है कि ऑफिस के समय में जो १० से ५ होता है, यह नोटिस लगाया गया। बाकी किस समय लगाया गया, यह सूचना मेरे पास नहीं है और १० बजे रात वाली बात भी सही नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा : मैं फिर निवेदन करना चाहती हूं कि जब मंत्री महोदय के पास सूचना ही नहीं है तो बार बार इस बात को गलत क्यों बता रहे हैं कि वे १० बजे तक इन्तजार नहीं करते रहे ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि ऐसे सिलेक्शन बोर्ड के अन्दर केवल कोरम से सिलेक्शन होता है और किसी आदमी की प्रेजेन्स है या नहीं, इस कारण से सिलेक्शन बोर्ड की मीटिंग पोस्टपोन नहीं होती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नियमों में क्या प्रावधान है, इस समय मेरी जानकारी में नहीं है, मगर चूंकि सर्विस कमीशन के चेयरमैन और जिला प्रमुख दो सदस्य होते हैं; तीसरा कोई होता नहीं, इसलिए दोनों में से एक भी नहीं होता है तो सिलेक्शन नहीं करते।

श्री भैरोंसिंह : क्या नियमों में इस प्रकार मनाही है कि नियत तिथि पर यदि केवल एक सदस्य आता है तो सिलेक्शन बोर्ड कॉन्स्टीट्यूट नहीं होता और सिलेक्शन नहीं किया जाता ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कानून में क्या प्रावधान है मेरे ख्याल से माननीय सदस्य अगर तकलीफ करें......

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कानून में इस प्रकार की व्यवस्था है कि दो में से यदि एक भी सदस्य उपस्थित है तो चयन होता है और बाकी जिलों में हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कानून की मेरे पास जानकारी नहीं है, मैं उसको एसर्ट नहीं करता इसलिए कि मेरी जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जब कानून में इस प्रकार की व्यवस्था है तो सिलेक्शन बोर्ड ने, जब चेयरमैन उपस्थित था, तो क्यों नहीं सिलेक्शन किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी जानकारी में नहीं है कि कानून में ऐसी व्यवस्था है। मैं हाइपोथेटिकल जवाब तो नहीं दे सकता, जब तक जांच न कर लूं।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस प्रकार का जवाब देने से पहले इस बात की जांच की है कि एक व्यक्ति के अनुपस्थित रहने से बैठक क्या स्थगित की जा सकती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं ऐसा मानता हूं कि दो व्यक्ति ही हैं तो दोनों वहां उपस्थित होने चाहिए। कानून में क्या व्यवस्था है; मैंने शुरू में ही कह दिया था कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल।

राजकीय कालज, करोली के भवन निमाण की स्वीकृति

३२९. **महाराज कुमार श्री बृजेन्द्रपाल** (करौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(१) क्या यह सही है कि राजकीय कालेज करौली के भवन निर्माण के अन्तर्गत १५,०००) रु० की धन-राशि की (१२,००० रुपया साइन्स ब्लाक्स के लिये तथा ३,००० रुपया शौच गृह के लिये) स्वीकृति दी गई थी परन्तु चीफ इंजीनियर (भवन निर्माण) ने अभी तक कार्य चालू करने का आदेश नहीं दिया है ?

(२) उपरोक्त कार्यों के लिये कब मन्जूरी दी गई तथा अब तक काम आरंभ नहीं करने का क्या कारण है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) प्रशासनिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता ने १६-७-१९६५ को अधिशासी अभियन्ता, भरतपुर को भेज दी है ।

(२) दिनांक २४-६-१९६५ । एस्टीमेट की तकनीकी स्वीकृति दे दी गई है और कार्य आरंभ के लिये विभागीय कार्यवाही चल रही है ।

महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल : कितना टाइम और लगेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : किस बात का ?

महाराज कुमार श्री बृजेन्द्रपाल : काम चालू करने का ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने जैसा आपसे अर्ज किया है टेक्नकल स्वीकृति दे दी गई है । काय आरंभ करने के लिये विभागीय कार्यवाही चल रही है । एस्टीमेट मांग लिये हैं और एस्टीमेट सेंक्शन होते ही काम शुरू हो जावेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत !

डाक्टरों की सीनियोरिटी लिस्ट

३३०. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(१) क्या यह सही है कि मेडिकल विभाग के डॉक्टरों की अभी तक सीनियोरिटी लिस्ट नहीं बनी है ?

(२) यदि हां, तो इस कार्य को कब हाथ में लिया गया तथा किन किन कारणों से यह लिस्ट अभी तक नहीं बन पायी ?

(३) क्या सरकार को इस बात का ख्याल है कि सिनियोरिटी कायम न होने के कारण सभी डाक्टरों में असंतोष और रोष है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी नहीं । डाक्टरों की प्रोविजनल सीनियोरिटी लिस्ट राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है । उसके आधार पर जो रिप्रेजेण्टेशन्स प्राप्त हुए हैं, उनकी जांच के पश्चात् सीनियर स्पेश्यलिस्ट, डिप्टी डाइरेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मेडीकल एण्ड हैल्थ ऑफिसर की अन्तिम सीनियोरिटी लिस्ट्स २० मार्च, सन् १९६४ को प्रकाशित की जा चुकी हैं । इनके अतिरिक्त जूनियर स्पेशियलिस्ट, असिस्टेंट डाइरेक्टर, मेडीकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज के जो रिप्रेजे-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं, वे सरकार के विचाराधीन हैं, क्योंकि केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार पहिले सिविल असिस्टेंट सर्जन की प्रोविजनल यूनिट सीनियोरिटी लिस्ट प्रकाशित की जानी अनिवार्य है। अतः यह लिस्ट शीघ्र ही प्रकाशित की जा रही है।

(२) उत्तर ऊपर दिया जा चुका है।

(३) जी हां। ज्यों २ कार्यवाही हुई है असंतोष भी कम होता जा रहा है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना और उत्पादन का लक्ष्य

३३१. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तृतीय पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष में अन्न उत्पादन का कितना लक्ष्य रखा गया था और वास्तविक कितना उत्पादन हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि प्रति एकड़ उत्पादन में गिरावट आई है ?

(३) तृतीय पंचवर्षीय योजना के आखिरी वर्ष में कितना उत्पादन का लक्ष्य है और कितना पूरा होने की संभावना है ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री भीमसिंह) : (१) तृतीय पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष में अतिरिक्त अन्न-उत्पादन का लक्ष्य ५.०२ लाख टन रखा गया था और ३.०३ लाख टन अतिरिक्त अन्न उत्पादन किया गया।

(२) नहीं, यह सही नहीं है।

(३) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में उत्पादन लक्ष्य ५.२१ लाख टन का रखा गया है और इसके पूरा होने की संभावना कम है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान में प्रति वर्ष प्रति एकड़ उत्पादन कितना है ?

श्री भीमसिंह : यह अलग अलग कॉप पर अलग अलग अनाज पर वेराइ करता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर भी गवर्नमेंट ने इस बात का सर्वे कराया होगा जिसके आधार पर उत्तर दिया है कि किसी प्रकार की गिरावट नहीं आयी है ? व्हीट के बारे में ही बता दीजिये। जो राजस्थान का इकोनोमिक सर्वे हुआ है क्या उसमें यह संकेत है कि राजस्थान में पर एकड़ ईल्ड में गिरावट आयी है ?

श्री भीमसिंह : कुछ गिरावट आई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर आपने भाग (२) में यह कैसे उत्तर दिया कि गिरावट नहीं आई है ?

श्री भीमसिंह : टोटल फूडग्रेन्स को लेते हैं तो उसमें गिरावट नहीं आई है। व्हीट के लिये पूछा तो उसमें गिरावट आई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आपने इसकी कोई जांच कराई है कि इतनी गिरावट क्यों आई है ?

श्री भीमसिंह : जितने इन्सेक्टिसाइड्स बाहर से आने चाहिये थे वे नहीं आये। इन्सेक्टिसाइड्स के नहीं आने से उनके द्वारा जो फसलों पर छिड़काव वगैरह से काम होना चाहिये था वह नहीं हुआ, इस कारण गिरावट आई थी।

Page No 14

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तृतीय पंच वर्षीय योजना में अन्नोत्पादन का कुल लक्ष्य कितना था और कितना हुआ ? फोर्थ ईयर ऑफ दी थर्ड फाइव ईयर प्लान ?

श्री भीमसिंह : वह तो निवेदन किया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो एडीशनल टार्गेट के बारे में था। थर्ड फाइव ईयर प्लान के फोर्थ ईयर में कितना अन्नोत्पादन का लक्ष्य था और कितना हुआ ? कितनी वृद्धि हुई या कमी हुई ?

श्री भीमसिंह : 7.63 Lacs more against 21.37 lacs tonnes during 1963-64.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपने किस किस फसल का सर्वे कराया है ? उसकी प्रति एकड़ उपज कितनी गिरी है ?

श्री भीमसिंह : सर्वे तो सभी फसलों का होता रहता है।

श्री भैरोंसिंह : जिन फसलों की प्रति एकड़ उपज गिरी है उसके फीगर्स क्या हैं ?

श्री भीमसिंह : डिटेल्स मेरे पास इस समय नहीं है। आप चाहें तो बाद में बता सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : यही बात दीजिये कि किन किन फसलों की प्रति एकड़ उपज गिरी है ?

श्री भीमसिंह : इस समय मेरे पास फसलों के नाम नहीं हैं। जितने फूड ग्रेन्स होते हैं उनका डेटा कलेक्ट किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : गेहूं का बताया उसी प्रकार दूसरे फूड ग्रेन्स का भी बता दीजिये कि इतनी २ पर एकड़ उपज गिरी है ? यह फीगर्स अभी मेरे पास नहीं है।

श्री भीमसिंह : ये फीगर्स अभी मेरे पास नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : योजना मंत्री जी बता सकते हैं कि प्रति एकड़ किस किस फसल की गिरी है ?

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : जबानी बताना ठीक नहीं है। वरना आप मुझे और पिन डाउन कर लेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि इन्सेक्टिसाइड्स के अलावा राजस्थान का जितना इरिगेशन पोटेन्शियल है उसका प्रोपर युटिलाइजेशन नहीं होने से भी फसल में गिरावट आई है ?

श्री भीमसिंह : माइनर इरिगेशन में बरसात की कमी के कारण पानी अवेलेबल नहीं हुआ, इस कारण से भी संभव है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिये जितनी मात्रा में बिजली उपलब्ध होनी चाहिये थी उतनी नहीं होने से उत्पादन में गिरावट आई है ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : बिजली में कोई कटौती नहीं की गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं माधोपुर का केस अपने साथ लेकर आया हूं। दस पम्पिंग सेट लगाये थे। लाईन दी नहीं और इसलिए कूए नहीं चल रहे हैं ?

Page No 15

श्री हरिश्चन्द्र : लाइन की बात अलग फर्माना । बिजली की बात कहो । पावर देने का जहां तक सवाल है उसमें कोई कटौती नहीं की गई और जैसा कि आप सबको मालूम है कि राजस्थान में पहले बिजली का कोई एग्रीकल्चर यूज नहीं था । यह मैं नहीं कहता कि राजस्थान मद्रास का दावा करे । लेकिन जो स्थिति पहले थी उसमें बढ़ोतरी हुई है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : गेहूं की फसल कम हुई इन्सेक्टिसाइड्स नहीं आ सके इस लिये लेकिन दूसरों में क्यों कमी हुई ?

श्री भैरोंसिंह : फसलों में प्रति एकड़ गिरावट आई है, इस संबंध में जो रिपोर्ट आई है क्या सरकार उसको प्रकाशित करायेगी जिससे कि माननीय सदस्यों को और किसानों को मालूम हो जावेगा कि प्रति एकड़ इसलिये गिरावट आयी है, आगे के लिये वे इस ओर सचेत रहेंगे ?

श्री भोमसिंह : यह रिपोर्ट यदि सदन चाहे तो प्रस्तुत की जा सकती है ।

श्री भैरोंसिंह : सदन तो चाहता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री जीवराजसिंह !

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप फरमायेंगे जब ही प्रस्तुत होगी । आप इसके लिये फरमावें ।

श्री अध्यक्ष : आपने कहा वह एक ही बात है ।

श्री भैरोंसिंह : तब तो ठीक है ।

प्रश्न संख्या ३३२

श्री अध्यक्ष : श्री जीवराजसिंह !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

पशु मेला, सांचोर में कार्य करने के निमित्त विशेष भत्ते

३३३. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : क्या मंत्री, विकास यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सच है कि पंचायत समिति, सांचोर ने अपने कर्मचारियों को पशु मेला सांचोर सन् १९६४ में कार्य करने के निमित्त विशेष भत्ते के रूप में करीब ११००) रु. वितरित किये ? अगर हां, तो इतनी बड़ी धन-राशि किस मद में से खर्च की गई और किस आधार पर ?

(२) क्या यह सच है कि उपरोक्त विशेष भत्ते की रकम की पूर्व स्वीकृति पंचायत समिति, सांचोर से लिये बिना ही रकम वितरित कर दी गई ? अगर हां, तो क्या ऐसा करना नियम विरुद्ध नहीं है और इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही अमल में लावेगी ? अगर नहीं, तो पंचायत समिति की कौन सी बैठक में उक्त रकम की मंजूरी ली गई और रकम कौनसी तारीख को कर्मचारियों को वितरित की गई ?

(३) क्या यह सच है कि पशु मेला सांचोर में पंचायत समिति, सांचोर के कर्मचारियों को पिछले साल के पहले कभी विशेष भत्ता नहीं दिया गया था ? अगर हां, तो सिर्फ पिछले साल ही ऐसा भत्ता देने के क्या कारण थे ?

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

(४) क्या यह सच है कि पंचायत समिति के करीब २ तमाम कर्मचारी सिर्फ पशु-मेला के कार्य में ही लगाये गये थे और इसके अलावा मेले के दिनों में दूसरों आफिस कार्य उन्होंने कुछ नहीं किया था? अगर हां, तो फिर विशेष भत्ता देने के क्या कारण थे जब कि समिति के खुद के मेले में ही उन्होंने कार्य किया था ?

(५) क्या यह सच है कि मेला लगाने के पूर्व मेला कमेटी ने समिति के कर्मचारियों को कोई विशेष भत्ता देने का कोई निर्णय नहीं लिया था? अगर हां, तो इतनी बड़ी धनराशि समिति के कोष में से खर्च करने की स्वीकृति किसने कब दी थी ?

अगर उपरोक्त रकम नियम विरुद्ध वितरण की गई है तो क्या सरकार वापस वसूल कर समिति कोष में जमा करवाने की व्यवस्था करेगी ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ?

विकास मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां। रकम मेला फंड से उनकी सेवाओं के आधार पर दी गई।

(२) विशेष भत्ते की रकम पंचायत समिति द्वारा दिये गये अधिकारों के अनुसार बांटी गई थी। भत्ता स्वीकृत करने का स्थायी समिति, उत्पादन, द्वारा दिनांक ६-८-६४ को अनुमोदन किया गया व पंचायत समिति को साधारण सभा दिनांक १६-६-६४ में इस निणय की पुष्टि की गई। भत्ते की रकम का भुगतान दिनांक ५-५-६४ से २६-१२-६४ तक विभिन्न तारीखों में किया गया।

(३) जी हां, इस प्रकार विशेष भत्ता देना आवश्यक समझा गया।

(४) जी नहीं। जिन कर्मचारियों ने अपने काम के अतिरिक्त मेले का काम किया उन्हें विशेष भत्ता दिया गया।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या यह सही है कि इस तरह का प्रोवीजन मेला बजट में नहीं था ? मेला बजट में ११०० रुपये की राशि मेले में काम करने वालों के लिये मन्जूर नहीं की गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बजट में प्रोवीजन से आपका क्या मतलब है ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मेले के लिये जो बजट होता है उसकी अलग से मन्जूरी होती है। इस तरह के बजट की मन्जूरी मेला फण्ड के नाम से, ऐसा कोई प्रोवीजन था या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है, यह जो खर्च किया गया है वह नियम विरुद्ध नहीं है। इस संबन्ध में आपको और कुछ पूछना हो तो यह सवाल पंचायत समिति में उठाइये।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इसमें विकास अधिकारी ने अपने पावर को यूज करके यह रकम मन्जूर की है।

श्री अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य ने यह सवाल पंचायत समिति में उठाया है, वहां यह सवाल उनको उठाना चाहिये। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि पंचायत समितियों से संबन्धित व म्युनिसिपल बोर्ड से संबन्धित जो भी सवाल होते हैं उन पर हम यहां ज्यादा बहस नहीं कर सकते क्योंकि माननीय सदस्य जिला परिषद् व पंचायत

Page No 17

(श्री अध्यक्ष)
समिति के सदस्य होते हैं। माननीय सदस्य वहां पर यह सवाल उठा सकते हैं कि किसको लोन दिया, किसको नहीं दिया, क्या चीज नियम के विरुद्ध है। वहां पर भी क्वेश्चन अवर होता है, सारे प्रावधान वहां भी हैं, ऐसे सवालों को पहले वहां हल करने की कोशिश करें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वहां एतराजात किये गये लेकिन पंचायत समिति ने मन्जूर नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : यह कोई इन्क्वायरी का प्रश्न नहीं है।

श्री मोहनराज।

बोर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व

३३४. **श्री मोहनराज जैन** (बाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या केन्द्रीय सरकार ने बोर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्थान का निर्माण किया है? यदि हां, तो इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या कोई राजस्थान का प्रतिनिधि है?

(२) राजस्थान में इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कौन कौन सी सड़कें कितनी मील लम्बी बनाई जा चुकी हैं अथवा बनाई जा रही हैं?

(३) क्या राज्य सरकार ने इस संस्थान के समक्ष विचारार्थ सरहद पर सडकों के निर्माण संबन्धी कोई प्रस्ताव भेजे हैं? यदि हां, तो कब? उनकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र):

(१) प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) जी नहीं।

श्री मोहनराज जैन : भारत सरकार की ऐसी विज्ञप्ति निकली है जिसके अनुसार इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है तो क्या यह सूचना सही है?

श्री हरिश्चन्द्र : आप पूछ रहे हैं, बोर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। मेरा ख्याल यह है कि आप इसका संबन्ध सडकों से जोडना चाहते हैं उसके लिये मैंने कहा है यह प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

श्री मोहनराज जैन : इसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व है या नहीं, जैसा कि मैंने प्रश्न में पूछा है?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने इसका जवाब दिया है यह प्रश्न नहीं उठता। विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : यह कोई बोर्ड या कमेटी थोडे ही है जिसमें प्रतिनिधित्व का सवाल हो। यह तो कन्स्ट्रक्शन करने का ऑर्गेनाइजेशन है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : बोर्डर रोड्स बन रही हैं उसके लिये जो नियुक्तियां करनी थीं; एडीशनल चीफ इन्जीनियर······

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न दूसरा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसमें काम नहीं हो रहा है।

Page No 18

लाखेरी क्षेत्र की आबादी को सीमेंट कम्पनी के खाते बांधने के आदेश

३३५. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि लाखेरी स्टेशन क्षेत्र की आबादी गरमपुरा पंचायत के क्षेत्र में आती है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र को, जिस पर आबादी बसी हुई है, कलेक्टर बूंदी ने सीमेंट कम्पनी के खाते बांधने के आदेश तहसीलदार पाटन को दिए हैं ?

(३) यदि हां, तो उक्त आबादी को सीमेंट कम्पनी के खाते बांधने की आवश्यकता क्यों हुई ?

पंचायत मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) पंचायत एवं नगरपालिका दोनों क्षेत्रों में आती है।

(२) जी हां। आदेश दिए थे परन्तु वे स्थगित रखे गये।

(३) कम्पनी के साथ हुए मुहायदे तथा मौके पर हकबन्दी के अनुसार इस क्षेत्र के कम्पनी के पट्टे की जमीन में आने से।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह आदेश क्यों दिये गये और फिर क्यों स्थगित हो गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सीमेंट फैक्टरी लाखेरी ने १४-२-६५ को कलेक्टर को आवेदन-पत्र दिया था कि सरकार और कम्पनी के बीच हुए मुहायदे के अनुसार वह रिजर्व क्षेत्र है उसको राजस्व रेकॉर्ड में अमल-दरामद कर दिया जाय, इस पर कलेक्टर ने खाते बांधने के आदेश तहसीलदार को दिये। फिर नगरपालिका की ओर से आपत्ति करने पर ४ मार्च तहसीलदार को फौरन उन आदेश को स्थगित करने का आदेश दिया गया। अब यह मामला कलेक्टर के विचाराधीन है। संबंधित पक्षों को सुन कर राज्य सरकार के समक्ष वे अपना प्रतिवेदन देंगे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : तो यह मान कर चला जाय कि जिस भूमि पर आम के पेड और सार्वजनिक स्थान हैं उस सारे रकबे को सीमेंट फैक्टरी के खाते-बन्दी से अलग कर दिया जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो मेरी जानकारी नहीं है कि व आम के पेड हैं। यदि आपको इसीकी जानकारी लेनी थी तो इसी प्रकार का सवाल करते। सीमेंट कम्पनी के खाते बांधने का अन्तिम निर्णय इसलिये नहीं हुआ कि इसके बारे में कलेक्टर के सामने मामला विचाराधीन है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : लाखेरी स्टेशन से गरमपुरा पंचायत क्षेत्र की जो आबादी है तो क्या इसके अनुसार सब हटा दी जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें आबादी के हटाने का सवाल कहां आता है ?

कु० श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : इसमें मकान जो बने हुए हैं और वह आबादी सीमेंट कम्पनी के खाते बांधने के आदेश हुए हैं तो आज नहीं तो चार-पांच महीने बाद उनको हटाने का आदेश कम्पनी देगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी तक खातेबन्दी देने का आदेश नहीं हुआ। यह मामला कलेक्टर के विचाराधीन है वैसी

(श्री दामोदरलाल व्यास)
हालत में किस प्रकार से इस आबादी को फैक्टरी के खाते बांधने का सवाल आता है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : कलेक्टर के जो आदेश हुए हैं उसके अनुसार सीमेंट फैक्टरी के खाते बांधने के तो क्या उनको कैंसिल समझा जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऑर्डर्स स्टे हो गये हैं, उसका इम्पलीमेण्टेशन हो नहीं सकता। अन्तिम फैसला करेंगे तभी होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह !

झोटवाडा इन्डस्ट्रियल एरिया में कनोडिया ऑइल एक्स्ट्रेक्शन प्लांट लगाने की इजाजत

३३६. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि झोटवाडा इण्डस्ट्रियल एरिया में कनोडिया ऑइल एक्स्ट्रेक्शन प्लांट लगाने की इजाजत दी गई है ? यदि हां, तो किसको और कब से ?

(२) इस ऑइल एक्स्ट्रेक्शन प्लांट को चलाने में कौन से रॉ-मेटीरियल की जरूरत पडेगी और उसकी सालाना खपत कितनी हो जाने की संभावना है ?

(३) क्या यह सही है कि खादी बोर्ड की तरफ से इस प्रकार का प्रस्ताव पास किया गया है कि खल का उपयोग सॉलवेण्ट प्लांट के मुकाबले में फोडर की तरह ज्यादा उपयोगी है और प्लांट लगा देने से मवेशियों के लिये फोडर की कमी आ जावेगी ? यदि हां, तो उक्त खादी बोर्ड द्वारा व्यक्त उक्त आशंका में कितनी सत्यता है ?

(४) क्या सॉलवेण्ट प्लांट की इजाजत देने से पूर्व वहां की परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए पूरे सुरक्षात्मक उपाय किये जा चुके हैं ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) जी हां, झोटवाडा इण्डस्ट्रियल एरिया में ऑइल एक्स्ट्रेक्शन प्लांट लगाने के लिये मेसर्स ज्योतिप्रसाद जगन्नाथ द्वारा प्रस्तुत की गई स्कीम उद्योग विभाग द्वारा दिनांक १६-१०-६४ को स्वीकृत की गई है।

(२) निम्नलिखित कच्चा माल खपत होने की संभावना है:—

१. मूंगफली ७०० टन प्रति वर्ष।

२. मूंगफली की खल ४५०० टन प्रति वर्ष।

(३) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव खादी बोर्ड ने नहीं किया है। आम तौर पर मूंगफली की खल जानवरों के फोडर के काम में राजस्थान में नहीं लाई जाती है इसलिए सॉलवेण्ट प्लांट लगाने से फोडर की कमी आ जावेगी, यह सही प्रतीत नहीं होता।

(४) जी हां।

श्री जुझारसिंह : क्या सॉलवेण्ट प्लांट इण्डस्ट्रियल एरिया में लगाना डेन्जरस नहीं है ?

श्री चन्दनमल वैद : फेक्टरी एक्ट के तहत जो भी नियम हैं उनका पालन करना होगा, इसलिए ऐसी कोई आशंका नहीं है।

श्री जुझारसिंह : आपने जब इजाजत दे दी वे लगा लेंगे; उसकेबाद यदि कार्यवाही

(श्री जुझारसिंह)
करनी पडेगी तो पहले ही आप इजाजत क्यों देते हैं ? ऐसी बात गुजरात में भी हुई है। वहां उन लोगों ने इस प्रकार के प्री-कॉशन्स लिये हैं जिससे सॉलवेण्ट प्लांट इण्डस्ट्रियल एरिया से दूर रहें ।

श्री चन्दनमल वैद : गुजरात में क्या हुआ है, यह मुझे जानकारी नहीं है; लेकिन जब हमने इजाजत दे दी है वैसी हालत में इसके लिये स्टेट्स में जो दूसरे नियम हैं यदि उन नियमों की अवहेलना करेंगे तो उनको सजा दी जायगी। दूसरे जो भी इस संबंधी नियम और कानून हैं उनका पालन उनको करना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष: इसमें केवल मूंगफली और मूंगफली की खल ही इस्तेमाल होगी । तिल वगरह इस्तमाल नहीं होंगे।

श्री चन्दनमल वैद : इनकी स्कीम मूंगफली के आधार पर ही होगी।

श्री अध्यक्ष: दूसरी चीज यूज करने की मनाही है ?

श्री चन्दनमल वैद : यह स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ में आता है इसके लिये हमारी परमिशन और गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया स लाइसेन्स लेने की आवश्यकता नहीं है । हमारे से स्वीकृत स्कीम के लिये चाही है कि वह स्कीम यहां पर फिजीबल हो सकेगी या नहीं, टेक्निकली वह यहां पोसीबल है या नहीं । स्कीम जो सबमिट की है उसके अन्दर मूंगफली ही इसमें काम में ली जायगी। सॉलवेन्ट प्लान्ट लगा रहे हैं तो उसके जो नियम और कानून हैं उनका पालन करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री उदयलाल वर्दिया ।

गिरवा पंचायत समिति के ओवरसियर के विरुद्ध शिकायतें तथा उनकी जांच

३३७. **श्री उदयलाल वर्दिया** (लसाडिया) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या गिरवां पंचायत समिति, जिला उदयपुर में श्री कुन्नणसिंह, ओवरसियर पहले सन् १९५८ में नियुक्त थे ?

(२) क्या उन्होंने बगैर निर्माण कार्यों को पूरा कराये हुए कुछ ठेकेदारों से भ्रष्टाचार करके पूरी रकमों का पेमेण्ट करवा दिया है ? जैसे भटुण मूत्रालय के १४०) रु०, अवलीगढ ग्राम सेवक क्वार्टर के २७००) रु० व जगत ग्राम सेवक क्वार्टर के २७००) रु० चुका दिये और मौके पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ?

(३) इसी प्रकार गोज्यू का कुआ, कुमारिया खेडा सडक एवं बाजार के बोराव का खेडा सडक पर काम नहीं हुआ और ओवरसियर ने मेजरमेंट बुक कुछ गलत भर दी है ? क्या जिलाधीश, उदयपुर द्वारा इसमें कोई जांच हुई है ?

(४) यदि ये सब कार्य नहीं हुए, तो जांच के परिणामस्वरूप अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि कोई कार्यवाही नहीं हुई तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :
(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(४) जांच की जा रही है ।

श्री उदयलाल वर्दिया : कितना अर्सा हुआ है इसकी जांच शुरु किये हुए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इनका केस एण्टीकरप्शन डिपार्टमेंट को दे दिया गया है, वे इन्वेस्टीगेशन कर रहे हैं ?

श्री उदयलाल वर्दिया : इसको सस्पेण्ड क्यों नहीं किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : विकास विभाग को चीफ इंजीनियर ने लिखा है कि चूंकि इसका ट्रांसफर दूसरी जगह हो गया है अत: इसको सस्पेण्ड करने की जरूरत नहीं है । मैंने पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर से दरख्वास्त की है कि वे इसे तुरन्त सेस्पेण्ड कर दवें ।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा !

सिविल सप्लाइज विभाग के कर्मचारियों का एब्जॉर्प्शन तथा उनके फिक्सेशन के मामले

३३८. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(१) सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट बीकानेर डिवीजन, राजस्थान में कार्य करने वाले कितने क्लर्कों का एब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रिकल व मेकेनिकल डिपार्टमेंट, बीकानेर में सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट के तोडे जाने के फलस्वरूप एल. डी. सी. व यू. डी. सी. के वेकेण्ट पदों पर किया गया ?

(२) सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट के उक्त कर्मचारियों को जिनको बिजली विभाग में एब्जोर्ब कर लिया गया, उनमें से कितने व्यक्तियों का फिक्सेशन किया जा चुका है व कितने व्यक्तियों का फिक्सेशन अभी तक बाकी है ?

(३) क्या यह सही है कि आर. एस. ई. बी. बीकानेर कार्यालय ने मार्च, १९६३ में ही अपने कर्मचारियों के फिक्सेशन का केस समस्त फोर्मलटीज पूरी करके चीफ इंजीनियर आर. एस. ई. बी. के एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर के पास भेज दिया ? यदि हां, तो उक्त फिक्सेशन केसेज के अब तक निर्णय न होने के क्या कारण हैं ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) ३ क्लर्कों का ।

(२) एक क्लर्क का यू. पी. एस. में में फिक्सेशन हो चुका है व आर. पी. एस. में फिक्सेशन का कार्य चल रहा है; बाकी क्लर्कों का फिक्सेशन का कार्य भी चालू है ।

(३) जी नहीं, पूरा केस फरवरी, १९६४ में प्राप्त हुआ ।

श्री चन्दनमल वैद : एक का फिक्सेशन तो हम कर चुके हैं । दूसरे के फिक्सेशन का काम चालू है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सिविल सप्लाईज, बीकानेर का सारा विभाग एबोलिश हो गया, इसे १७–१८ साल हो गये । इनमें से ३ एब्जोर्ब हो गये । बाकी ६४ में आये उनका अभी तक आपने कुछ नहीं किया । क्यों इन केसेज के फिक्सेशन में देरी हो रही है अनावश्यक तौर से और सरकार को कठिनाई क्या है इसमें कि जिससे फिक्सेशन नहीं हो पा रहा है ?

Page No 22

श्री चन्दनमल बैद : ६४ में आया है केस, अनावश्यक देर तो नहीं हो रही है। जल्दी ही हम कर देंगे।

प्रश्न संख्या ३३९

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल। (अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों व अध्यापिकाओं की स्थायी और अस्थायी नियुक्ति

३४०. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों व अध्यापिकाओं की स्थायी व अस्थायी नियुक्ति उन स्कूलों में जो पंचायत समितियों के अन्तर्गत दे दिये गये हैं, कौन अधिकारी किन आधारों पर कर सकता है ?

पंचायत मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : पंचायत समिति द्वारा नियुक्ति की जाती है। स्थायी नियुक्ति पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा चयन आयोग द्वारा चयन किये हुए अध्यापकों में से ही की जा सकती है। ऐसे चयन किये हुए अध्यापकों के अभाव में पंचायत समिति छः मास के लिये अस्थायी नियुक्ति कर सकती है और इस अस्थायी नियुक्ति की अवधि छः माह के लिये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी द्वारा बढाई जा सकती है। इससे अधिक अवधि की अस्थायी नियुक्ति के लिये चयन आयोग की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य है।

श्री रामकिशन : आपने फरमाया पंचायत समिति छः महीने के लिये कर सकती है, पर पंचायत समिति में कौन अधिकारी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रशासनिक समिति से यहां मतलब है।

श्री रामकिशन : क्या यह नियमों में स्पष्ट है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नियमों के लिये अर्ज करना चाहता हूं कि कानून और नियमों में क्या लिखा है, मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये कानून और नियम मेरे पास नहीं हैं। यह माननीय सदस्य खुद देख सकते हैं कि नियमों में क्या लिखा है। यह मेरे लिये मुमकिन नहीं है कि मैं बता सकूं कि कानून और नियमों में क्या लिखा है।

श्री रामकिशन : प्रश्न मेरा साफ है कि कौन अधिकारी यह कर सकता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर किसी ने कानून की अवहेलना की हो तो उसका मैं नोटिस ले सकता हूं। पर नियमों और कानून की पूछें तो यह बहुत से रूल और कानून हैं, इतना किसी को याद नहीं रह सकता। फिर यह विभाग मेरे लिये नया है। आपको ज्यादा जानकारी है इसकी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): स्पष्टीकरण होना आवश्यक है, आप अपने मंत्रालय से पूछ कर स्पष्टीकरण इसका जरूर करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया न इसके लिये तो कि प्रशासनिक समिति उसको कर सकता है। इससे आपको संतोष क्यों नहीं होता ?

श्री रामकिशन : यह कोई उलझा हुआ प्रश्न नहीं है। मंत्रीजी के इस जबाब के बाद क्या होता है कि दूसरे फैक्ट्स आवेंगे।

Page No 23

श्री दामोदरलाल व्यास : तो वे लाइये न येरे ध्यान में ।

श्री रामकिशन : विकास अधिकारी और प्रधान करते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं, विकास अधिकारी और प्रधान नहीं करते हैं, प्रशासनिक समिति करती है ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : कानून पढना पडेगा ।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह तो मैं अनजान हूं अभी । इसमें क्या बात है ।

प्रश्न संख्या ३४१

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३४२

श्री मुक्तिलाल मोदी ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३४३

श्री मोहरसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री दिग्विजय सिंह ।

सड़क निर्माण कार्य

३४४. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) (श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) द्वारा पूछा गया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) वर्ष १९६५-६६ में सरकार द्वारा कुल कितनी मील लम्बी सड़कें बनाई जानी हैं ?

(२) जिलेवार कौनसी कौनसी सड़कें इस वर्ष बनाई जानी हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) प्रत्येक जिले में कितनी कितनी लम्बी सड़कों पर कोलतार वर्ष १९६५-६६ में किया जाना है ?

(४) क्या यह सही है कि टोंक-सवाई-माधोपुर सड़क राल डालने आदि के कार्य के नहीं किये जाने के कारण अधूरी है ? यदि हां, तो यह सड़क कब तक पूरी की जावेगी ?

(५) क्या सरकार को ज्ञात है कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स को जोड़ने वाली यही एक सड़क है और बरसात के मौसम में जयपुर से सवाई-माधोपुर का सारा ट्रैफिक इसी सड़क पर रहता है ?

(६) क्या सरकार इस सड़क को शीघ्र पूरा करने के लिये आवश्यक कदम उठावेगी ?

योजना मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री की ओर से) : (१) ५४८ मील ६ फर्लांग में सड़कों का सुधार तथा नवीन-निर्माण कराया जावेगा।

(२) बजट की एक प्रति प्रस्तुत है।

(३) जिलेवार सूची प्रस्तुत है।

(४) जी हां, चतुर्थ योजना तक।

(५) जी हां।

(६) चतुर्थ योजना-काल में पूरी कर दी जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(बजट की प्रति विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सरकारी सहायता देने की शर्तें

३४५. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) इण्डियन रैड क्रोस सोसाइटी (राजस्थान शाखा) को कुल कितनी कितनी गवर्नमेन्ट एड पिछले तीन वर्ष में दी गई ?

(२) गवर्नमेण्ट एड देने के लिये सरकार की क्या क्या शर्तें हैं और वे शर्तें कहां तक पूरी हुई हैं ?

(३) गवर्नमेन्ट एड देने के पूर्व ऑडिटेड एकाउन्ट्स पेश हुए या नहीं ? अगर हुए हैं तो क्या उसमें कोई अनियमितताएं बताई गई थीं ? अगर हां, तो उनकी कहां तक पूर्ति हुई ?

पंचायत मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) इण्डियन रैड क्रोस सोसाइटी, राजस्थान शाखा को मेडिकल विभाग की ओर से कोई एड नहीं दी जाती है।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(३) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : गवर्नमेन्ट की ओर से कितनी एड दी गई है ? गवर्नमेन्ट से मतलब है आपके विभाग से नहीं ?

श्री दामोदर लाल व्यास : मैं तो अपने विभाग की बात बताता हूं। बाकी के दूसरे विभाग कितनी देते हैं इसकी जानकारी मांगकर दे सकता हूं।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : जितने आप अगला प्रश्न पूछ लें। आप फिर बता दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : बता देता हूं। एज्यूकेशन विभाग से एडहॉक ग्रान्ट सितम्बर ६३ में ९ हजार की मिली है इन्टर स्टेट स्टडी-कम-ट्रेनिंग सेन्टर के लिये जो अभी माउन्ट आबू में अक्टूबर ६३ में था। इस कैम्प का उद्घाटन डाक्टर जाकिर हुसैन ने किया था।

श्री भैरोंसिंह : यह अमाउन्ट की बात छोड़दें, आप तो प्रश्न के भाग (२) और (३) का जवाब दे दें।

श्री दामोदर लाल व्यास : have only information from the Education Department because I have asked from the Secretary of Red Cross Society and he has informed that they have taken grant from Education Department. If the Hon. Member informs me that they have received grant from any other source also, I will find out.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जावे कि सिवाय शिक्षा विभाग के और किसी विभाग से या सरकार के किसी फण्ड से कोई सहायता इसे नहीं दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास जो सूचना रैड क्रोस सोसाइटी से प्राप्त हुई वह मैंने दे दी है। इसके अलावा मेरे पास और जानकारी नहीं है कि किस विभाग से क्या एडहॉक सहायता दी गई ?

श्री भैरोंसिंह : क्या सहायता देने से पहले देख लिया था कि फाइनेन्शियल रूल्स जो बने हुए हैं ऐसी सहायता देने के लिये उसके अनुसार सारी देखभाल कर ली गई है और इन रूल्स के अनुसार पूर्व वर्ष के उनके

(श्री भैरोंसिंह)
एकाउण्ट्स के ऑडिट की रिपोर्ट देख ली है, ऑडिट हो चुका है और रिपोर्ट सरकार को सब्मिट करदी गई है।

श्री दामोदरलाल व्यास : छः कन्डीशन्स लगाई गई थीं और उनका पूरा पालन होने पर ही सहायता दी गई थी।

श्री भैरोंसिंह : यह तो आगे की बात है, सैक्शन दी उस समय की बात है। मैं पूछ रहा हूं पहले वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट आपके सामने आ गई थी या नहीं?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सहायता देने से पहले ऑडिट रिपोर्ट का पेश किया जाना नियमों के अनुसार जरूरी नहीं है?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसका हिसाब ऑडिट होता है या नहीं और वह ऑडिट रिपोर्ट मुझे मिली या नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, पर डिपार्टमेन्ट ने जिसने सहायता दी है उस के पास जरूर आई होगी। मेरी जानकारी में नहीं है इस समय।

श्री भैरोंसिंह : मेरा मतलब सरकार से है। आप सरकार को यहां रिप्रेजेन्ट करते हैं, डिपार्टमेन्ट में आई होगी या नहीं आई होगी, यह जवाब नहीं चाहिये हमें। डेफिनिटली कहिये कि आई है या नहीं आई है?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऑडिट होता है तो जरूर आई होगी। अच्छा होता यही बात आप चाहते हैं तो सवाल में ही पूछ लेते। मैं ऑडिट रिपोर्ट सदन में रख देता।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न साफ़ है। मैंने स्पष्ट जानकारी चाही है कि एड देने से पूर्व ऑडिटेड एकाउन्ट्स पेश हुए या नहीं?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कहना चाहते हैं कि ऑडिट होता है या नहीं?

श्री भैरोंसिंह : जी हां, मेरा प्रश्न साफ है ऑडिट एकाउन्ट्स पेश हुए या नहीं, इसका डेफ़ीनिट रिप्लाई चाहता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा निवेदन स्पष्ट है कि असल में मेडिकल विभाग से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था। यह तो मैंने रैडक्रोस सोसाइटी से जो कुछ जानकारी मिली, वह दे दी। अब शिक्षा विभाग ने ऑडिट रिपोर्ट देखी या नहीं, उसकी कन्डीशन पूरी हुई या नहीं, इसकी जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं है। अगर माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं तो मैं जानकारी करके उनको इसकी सूचना दे दूंगा कि शिक्षा विभाग ने क्या किया?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : क्या यह सच है कि धौलपुर पंचायत समिति के पास रैड क्रोस सोसाइटी की अच्छी खासी रकम जमा है और वह अभी तक वापिस हैण्ड ओवर नहीं हुई है, मन्त्री महोदय की जानकारी में वह जमा कराई गई है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल :XXXXX

XXXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार रेकॉर्ड नहीं किये गये।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बिल्कुल ग़लत है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो कुछ भी कहा है वह रिकॉर्ड नहीं किया जावे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री चन्दनमल बंद : रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, भाई।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : जानकारी लेने का समय है, देने का नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, धौलपुर....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह यहां विषय से सम्बन्ध नहीं रखता।

(१२ मध्यान्ह)

ग्राम तिलांजू में चिकित्सा की व्यवस्था

३४६. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम तिलांजू, तहसील मालपुरा, जिला टोंक की जन-संख्या क़रीब १५०० है लेकिन वहां पर न तो आयुर्वेदिक औषधालय है और न ही सरकारी डिस्पेन्सरी ही, जिससे जनता काफी परेशान है। क्या सरकार इस बड़े गांव में चिकित्सा की व्यवस्था करने का विचार रखती है?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : ग्राम तिलांजू की जन-संख्या जनगणना १९६१ के अनुसार ११०५ है। सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार नई डिस्पेन्सरी उसी ग्राम में खोलने का प्रावधान होता है वहां की आबादी सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार ३००० या इससे अधिक हो। आयुर्वेदिक औषधालय भी नहीं है क्यों कि ऐसे औषधालय जिला परिषद् की सिफ़ारिश पर खोले जाते हैं अभी तक जिला परिषद् टोंक से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : सरकार ने क्या जिला परिषद् से यह पूछा है कि हम टोंक डिस्ट्रिक्ट में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की परिस्थिति में हैं इसलिये आप सिफारिश कीजिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो हर साल औषधालय खोलते हैं तो जिला परिषदों से सिफारिशें मांगी जाती हैं और सिफारिशें आती हैं और उसके आधार पर सरकार कोशिश करती है कि उनकी सिफ़ारिश से जहां तक हो सके उस पर अमल किया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

जयपुर से रामगढ़ तक बिजली की नई लाइन

३४७. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर से रामगढ़ तक बिजली की नई लाइन डालने हेतु जल-प्रदाय विभाग ने कब विद्युत् विभाग को लिखा और उस पर कितने दिनों तक कार्यवाही नहीं हुई?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(२) क्या यह सही है कि लाइन के अभाव में रामगढ़ बन्धे पर जयपुर शहर के पीने के पानी को सप्लाई पर असर पड़ा और जयपुर शहर में जो पेय जल संकट हर वर्ष गर्मियों में पैदा होता है उसका मुख्य कारण बिजली की कमी है ? यदि नहीं, तो जल प्रदाय विभाग द्वारा जो इस प्रकार का आरोप इस विभाग पर लगाया गया उसका खंडन क्यों नहीं किया गया और यदि यह सही है तो विद्युत् मंडल ने बिजली की लाइन डालने में इतनी ढिलाई क्यों की ? यह लाइन डालने का काम कब तक पूरा हो जावेगा ?

(३) लाइन डालने के अलावा ट्रान्सफोर्मर्स की क्या व्यवस्था की गई है ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल वैद) : (१) तारीख ३-५-६५ को मांग आने पर जुलाई के आखिर में लाइन डाल दी गई है, सब-स्टेशन के स्थान नियत हो रहे हैं ।

(२) बिजली पूर्ण प्रकार से वाटर वर्क्स को दी जाती है; इस साल १५ जून से २० जून तक भाखरा की बिजली की वोल्टेज कम आने के कारण कुछ बिजली की चाप में कमी रही । वह २० जून को ठीक कर दी गई; इस समय से कोई शिकायत नहीं है ।

(३) ट्रान्सफॉर्मर्स की व्यवस्था हो गई है, लगाने का कार्य चालू है, आशा है तीन-चार माह में कार्य हो जायेगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने प्रश्न पूछा है कि रामगढ़ से जयपुर तक बिजली की लाइन डालने में जल प्रदाय विभाग ने विद्युत् विभाग को कब लिखा ?

श्री चन्दनमल वैद : मैंने अर्ज किया है ३-५-६५ को ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या इससे पूर्व जल प्रदाय विभाग ने इलेक्ट्रिक पॉवर हाउस को और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इसकी मांग की थी कि रामगढ़ से जयपुर तक बिजली की लाइन डाली जाये और क्योंकि शहर को पानी देने में कठिनाई होती है बिना बिजली के इसलिए यह आवश्यक है ।

श्री चन्दनमल वैद : आपने तो जयपुर से रामगढ के बारे में पूछा है, माननीय सदस्य मुझे माफ करें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रामगढ से जयपुर या जयपुर से रामगढ क्या फर्क पडता है ? जयपुर से रामगढ तक बिजली की नई लाइन डालने के लिये वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कब लिखा था कि यह लाइन डाल दी जाये ?

श्री चन्दनमल वैद : ३-५-६५ को डी. ओ. लैटर आया और जुलाई के आखिर में हमने लाइन डाल दी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने एक विज्ञप्ति के बारे में आपसे सवाल पूछा उसके बारे में क्या जवाब है ? इस विज्ञप्ति में वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट ने लिखा है कि जो पानी की कमी है उसका कारण यह है कि हमको बिजली पर्याप्ति मात्रा में नहीं मिल रही है इसलिये जयपुर शहर में हम पानी पर्याप्ति मात्रा में सप्लाई नहीं कर सकते । जयपुर का जल-संकट विद्युत् विभाग द्वारा बिजली की सप्लाई नहीं करना है । क्या आपको जानकारी है कि इस प्रकार की विज्ञप्ति अखबारों में निकली और उसके ऊपर आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्दनमल बैद : कोई अखबार में बात निकली हो उसका क्या उत्तर और प्रत्युत्तर हुआ उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन जो स्थिति है वह मैंने बता दी कि बिजली पूर्ण प्रकार से वाटर वर्क्स को दी जाती है। इस साल १५ जून से २० जून तक भाखरा की बिजली की वॉल्टेज कम आने के कारण कुछ बिजली की चाप में कमी रही। वह २० जून को ठीक कर दी गई और इस समय से कोई शिकायत नहीं है। फिर मैंने यह भी कहा है कि ट्रॉन्सफोर्मर्स की भी व्यवस्था हो गई और उनको लगाने का काम चालू है, आशा है तीन-चार माह में काम हो जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने प्रश्न संख्या २ में पूछा है कि जयपुर शहर में जो पानी का संकट पैदा होता है उसका मुख्य कारण बिजली की कमी है और वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट ने इस प्रकार की विज्ञप्ति अखबारों में निकाली है। अगर यह बात सही नहीं थी तो आपको कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहिए था।

श्री चन्दनमल बैद : किस अखबार में क्या खबर निकलती है और क्या नहीं, कौन क्या कर रहा है इसके बारे में मैं कैसे कह सकता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर अखबारों के लिये आपका इतना कन्टेम्प्चुअस एटीट्यूड है तो मुझे बहुत दुख है। जो आपका एटीट्यूड है वह गलत है। मैंने तो अखबार का हवाला देकर इसलिये पूछा है कि पब्लिकली वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट ने विज्ञप्ति निकाली है और जयपुर की जनता को जानकारी दी है कि जो संकट जल का है उसका कारण पॉवर के नहीं मिलने का है और पॉवर हाउस ने कभी कोशिश नहीं की कि हम बिजली की सप्लाई पूरी कर सकें। आखिर पब्लिकली कोई चीज आती है और वाटर वर्क्स विभाग की विज्ञप्ति निकली है आप उसका कॉन्ट्राडिक्शन करते नहीं, बिजली की सप्लाई पूरी करते नहीं और आप कहते हैं कि अखबारों में क्या निकलता है, कौन निकालता है इससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको उसकी जानकारी नहीं।

श्री चन्दनमल बैद : उसमें कुछ सही है कुछ गलत है। बिजली विभाग से कॉन्ट्राडिक्शन निकला है; यह सही है कि कुछ अखबारों में इस तरह की खबरें निकली हों और जहां तक मुझे मालूम है राजस्थान पत्रिका में इस प्रकार का समाचार छपा। माननीय सदस्य चाहें कि अखबारों में कोई चीज छपे और इस विधान सभा में कोई वाद-विवाद किया जाये, मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा। लेकिन जो भी तथ्य हैं उसके बारे में मैंने माननीय सदस्य को जवाब दे दिया है कि इस साल १५ जून से २० जून तक भाखरा की बिजली की वॉल्टेज कम आने के कारण कुछ बिजली की कमी रही और वह उसी दिन याने २० तारीख को ठीक कर दी गई और अब कोई शिकायत नहीं है। इसमें हम क्या करते इसमें हमारी मजबूरी थी। ट्रान्सफॉर्मर भी आ चुका है और उनको लगाने का काम चालू है और तीन-चार माह में कार्य हो जायेगा। यह सारी बात मैं अर्ज कर चुका हूं, लेकिन अखबारों में कोई चर्चा हुई हो उसके लिए मैं यहां पर वाद-विवाद करूं या एक आदमी ने क्या कहा दूसरे ने क्या जवाब दिया, यहां सारी बातों को लाऊं, यह उचित नहीं है।

Page No 29

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपने स्वीकार किया है कि इलक्ट्रिसिटी विभाग की तरफ से कॉन्ट्राडिक्शन निकला और कॉन्ट्राडिक्शन भी जो वाटर वर्क्स विभाग की तरफ से कोई विज्ञप्ति निकली उसका निकला था; तो क्या सरकार ने जांच की थी कि इन दोनों स्टेटमेन्ट्स में से किस डिपार्टमेन्ट का स्टेटमेन्ट सही है ?

श्री चन्दनमल बैद : मैंने राजस्थान पत्रिका में देखा था। आप कह रहे हैं कि अखबारों में विज्ञप्ति निकली पर यह कोई चीज नहीं हुई कि अखबारों की बात को लेकर हम उसको इतना तूल दें और यहां उस पर विवाद करने लग जायें। जो मामले की सही स्थिति है वह मैं बता चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह : आपने खुद ने स्वीकार किया है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से भी कॉन्ट्राडिक्शन निकला अब वह अखबार में छपा या नहीं, यह इम्मेटीरियल है। आप बतायें कि आपने जो कॉन्ट्राडिक्शन छापा और वाटर वर्क्स ने जो अपनी पोजीशन बताई उसमें दोनों के स्टेटमेन्ट में से कौन सा सही था ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं कह रहा हूं वह सही है।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह है कि वाटर वर्क्स विभाग ने गलत स्टेटमेन्ट दिया था ?

श्री चन्दनमल बैद : इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हमने उसका कॉन्ट्राडिक्शन किया। बिना जानकारी के कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हो गया ?

श्री चन्दनमल बैद : कॉन्ट्राडिक्शन इस बात का किया गया कि बिजली विभाग मदद नहीं कर रहा है तो आप जिस प्रकार का फिजां शहर में पैदा कर रहे थे उसका कॉन्ट्राडिक्शन भी था।

श्री भैरोंसिंह : क्या किसी विभाग को किसी पोलीटिकल पार्टी के कॉन्ट्रेडिक्शन को दूर करने का अधिकार है ?

श्री चन्दनमल बैद : भ्रम दूर करने का पूरा अधिकार है।

श्री भैरोंसिंह : क्या उस विज्ञप्ति में यही कहा गया था कि वाटर वर्क्स ने जो स्टेटमेन्ट दिया था वह गलत था ?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह, नेक्स्ट।

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ

३४८. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ द्वारा अब तक किस किस वर्ष में कितना कितना लाभ वितरित किया गया और इसमें से किस किस हिस्सेदार को कितना कितना मिला ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) लाभांश में से कितना रुपया किस किस वर्ष में स्टेट कोऑपरेटिव डवलपमेन्ट फंड में जमा कराया गया है ?

(३) संघ के कर्मचारियों को कब कब कितना कितना बोनस दिया गया ?

उप-मंत्री, सहकारिता (श्री भीमसिंह) : (१) राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय

(श्री भीमसिंह)
संघ ने अब तक केवल १९५८-५९ में ४०,६८६ रु० का लाभ वितरित किया। हिस्सेदारों को वितरित राशि का भुगतान नहीं किया अतः तालिका प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता।

(२) लाभांश में से किसी भी वर्ष में लाभ कोआॅपरेटिव डेवलपमेन्ट फण्ड में जमा नहीं कराया गया।

(३) वर्ष १९५८-५९ के लाभांश में से दिनांक २७-४-६१ को संघ के निम्न कर्मचारियों को निम्न प्रकार राशि बोनस के रूप में दी गई :

१. श्री सुन्दरलाल, यू० डी० सी० ४०) रु०
२. श्री कपूरचन्द, केशियर ६०) रु०

श्री भैरोंसिह : जब आपने लाभांश डिक्लेयर कर दिया तो उसके हिस्सेदारों को लाभांश क्यों नहीं दिया ?

श्री भीमसिह : इसलिए नहीं दिया गया कि यह दो साल की आॅडिट इकट्ठी हुई थी और सन् १९६०-६१ और १९६१-६२ में घाटा था तो पहले घाटे की पूर्ति किये जाने का सवाल था इसलिए यह लाभांश वितरित नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि आपके नियम और उप-नियमों के अनुसार एक बार लाभांश डिक्लेयर कर देने के बाद में उस पूंजी को किसी काम में उपयोग नहीं कर सकते और आपको लाभांश डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा ?

श्री भीमसिह : जहां तक मेरी जानकारी है ऐसा मेन्डेटरी प्रोवीजन नहीं है।

श्री भैरोंसिह : तो फिर जानकारी कर लेते तो अच्छा रहता। क्या यह सही है कि लाभांश डिक्लेयर करने के बाद में उस लाभांश की रकम को किसी भी काम में नहीं लिया जा सकता सिवाय डिस्ट्रिब्यूट करने के ? इस प्रकार के नियम हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : लाभांश डिक्लेयर करने का प्रोवीजन है लेकिन क्योंकि यह दो साल का आॅडिट एक साथ हुआ था। लाभांश डिक्लेयर कर सकते हैं लेकिन डिस्ट्रिब्यूट करना कम्पलसरी नहीं है। दूसरे साल में लोस है तो वह रुपया डिपोजिट हो सकता है अगेन्स्ट लोसेज और उसको एडजस्ट कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिह : मेरे ख्याल से आप नियम देख लें तो अच्छा हो।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने देख कर ही इत्तला दी है। आप कहेंगे तो और देख लूंगा।

श्री भैरोंसिह : आपने जो रूल्स और बाइ-रूल्स बनाये उसके अन्दर भी मैंने देखा है। रजिस्ट्रार की हिदायतें भी देखी हैं। लाभांश डिक्लेयर करन के बाद में आप उसको किसी और खाते में नहीं डाल सकते।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : किसी भी सोसाइटी के लाभांश को डिस्ट्रिब्यूट करने का काम जनरल बॉडी का है और जनरल बॉडी शेयर होल्डर है, वह चाहे तो बांटे और चाहे तो नहीं भी बांटे। इसलिए जो नुकसान हुआ उसके लिए जनरल बॉडी एडजस्ट कर सकती है।

श्री भैरोंसिह : अच्छा, चलिये आप ही जवाब दे दें। डेवलपमेन्ट फण्ड में जो हर साल रकम जमा कराई जानी चाहिए वह क्यों नहीं कराई ?

Page No 31

श्री मोतीलाल चौधरी : वह भी मेन्डेटरी नहीं है ।

श्री रामकिशन (वैर) : या तो मंत्री महोदय को हटा दिया गया है, ऐसा लगता है या फिर इनको सहकारी मंत्री बना दिया गया है; क्या स्थिति है ? जवाब तो मंत्री ही दे सकते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : आपको जानकारी देनी थी वह आपको मिल गई ।

श्री अध्यक्ष : उप-मंत्री जी जवाब दे रहे हैं ।

श्री भीमसिंह : यह सुरक्षित कोष में जमा कराना मेंडेटरी है और कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फण्ड में जमा कराना मेंडेटरी नहीं है । इसलिए सुरक्षित कोष में १२,६१६) रु० जमा करा दिए और चूंकि डेवलपमेंट फण्ड में जमा कराना मेंडेटरी नहीं है इसलिए जमा नहीं कराया गया है ।

श्री अध्यक्ष : यह लाभांश मेंडेटरी जमा कराने के पश्चात् निकाला है ।

श्री भीमसिंह : यह जो ४०,६८६) रु० का लाभांश वितरित किया है तो उसके पहले जो १२६१६) रु० सुरक्षित कोष में जमा कराना मेंडेटरी था वह जमा करा दिया गया, उसके बाद कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फण्ड में जमा कराना मेंडेटरी नहीं था, उसके अन्दर जमा कराने का मेंडेटरी प्रोविजन नहीं था इसलिए जमा कराना आवश्यक नहीं समझा गया ।

श्री भैरोंसिंह : आपने लाभांश के अन्दर यह जो सुरक्षा कोष में ...

श्री भीमसिंह : सुरक्षा कोष नहीं, सुरक्षित कोष में ।

श्री भैरोंसिंह : हां, इस सुरक्षित कोष में लाभांश में रकम जमा कराई तो क्या उसके बाद यह चालीस हजार रुपये का लाभांश हुआ है ?

श्री मथुरादास माथुर : कुल प्रॉफिट चालीस हजार रुपये का हुआ । अब इसको डिस्ट्रिब्यूट किस तरह से किया जाय यह बाईलॉज के हिसाब से होता है । उसके अन्दर जो कम्पल्सरी और मेंडेटरी डिपोजिट्स हैं उनको जमा कराने के बाद जो नेट सेविंग होती है वह बाईलाज के अनुसार डिस्ट्रिब्यूट की जाती है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : यह जो प्रॉफिट हुआ चालीस हजार का तो इसके लिए क्या क्रय-विक्रय-संघ की जनरल बॉडी ने यह निर्णय लिया कि जो प्रॉफिट हुआ है उसको लास्ट ईयर के लोस के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया जाय और डिविडेंड डिक्लेअर नहीं किया जाय ?

श्री मथुरादास माथुर: यह जो ४०६८६) रु० का प्रॉफिट हुआ तो इसमें से मेंडेटरी प्रोविजन्स का जमा कराने के बाद जो बाकी रकम बची, इसके लिए जनरल बॉडी ने यह तय किया कि चूंकि संघ पिछले दो साल से घाटे में रहा है अतः इस रकम को उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया जाय ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसके बावजूद कि कोई डिविडेंड डिक्लेअर नहीं किया और पुराने लॉसेज के अगेंस्ट नया प्रॉफिट जमा कर लिया गया, यह जो दो व्यक्तियों को बोन्स दिया गया है तो क्या इसके लिए जनरल बॉडी ने प्रस्ताव किया था कि इन दो व्यक्तियों को बोनस दिया जाय । इसके [illegible] हो साथ आप

Page No 32

(श्री माणकचन्द सुराणा)
यह भी बता दीजिए कि कितने कर्मचारी क्रय-विक्रय-संघ में काम करते हैं और उनको बोनस क्यों नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह ।

श्री रामकिशन (वैर) : प्रश्न तो रिलेवेन्ट ही है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : नहीं अध्यक्ष महोदय, बोनस देने का कोई प्रिंसिपल तो होना चाहिए । जब दो कर्मचारियों को दिया तो और कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस बात को समझें कि यह संघ की व्यवस्था के अन्दर उनका आंतरिक मामला है । जो कुल ४० और ६०) रु० का बोनस दिया गया है तो इस मामले में भी हम उनसे पूछें कि किस को कितना दिया और क्यों दिया ? कोई सीमा होनी चाहिए इन संस्थाओं के बारे में ।

श्री जोधसिंह ।

गिरवा क्षेत्र में झामरी नदी पर खुर्रा निर्माण कार्य

३४६. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार गिरवा क्षेत्र झामरी नदी में कोई खुर्रा बनाने का प्रबंध करेगी जिससे कि वहां मोटरें रेती में फंसें नहीं और आसानी से निकल सकें ?

(२) अगर हां, तो कब और इसको बनाने में कितना खर्च आवेगा ? और कब तक पूरा हो सकेगा ?

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) अर्थाभाव के कारण खुर्रा बनाना अभी सम्भव नहीं है ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री जोधसिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत महत्वपूर्ण खुर्रा है जहां से सरकार को काफी आमदनी है, मोटरें चलती हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने आपको अर्ज किया कि अर्थाभाव के कारण सम्भव नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपने क्या इसके एस्टीमेट्स बनाए हैं जिनसे मालूम हो कि इतना अर्थ चाहिए ?

श्री मथुरादास माथुर : न तो यह रोड प्लान में शामिल है और बिना प्लान में शामिल हुए इसका एस्टीमेट बनाने की आवश्यकता नहीं होती । दूसरी बात यह है कि ऐसा अन्दाजा है कि यह कोई १६,५०,०००) रु० की रोड बनेगी । अगर पचास हजार रुपये पर माइल के हिसाब से टोटल एमाउण्ट और उसके बीच में जो तीन-चार खुर्रे आते हैं तो कुल मिला कर जो ३३ माइल की सड़क होती है जिस पर १६,५०,०००) रु० खर्च हो सकता है यह रफ एस्टीमेट है । अब क्योंकि यह प्लान में सैंक्शण्ड नहीं है इसलिए एस्टीमेट्स बनवाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न । श्री रघुनाथ बिश्नोई ।

स्थगित प्रश्न
३०-६-६५

फलौदी के अभावग्रस्त क्षेत्र में पशुओं के लिए अमरीकी ज्वार

२०४. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचौर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि फलौदी तहसील में अकाल अभावग्रस्त क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के मार्फत अमरीकी ज्वार पशुओं के खाने के लिये बांटी गई थी ? अगर हां, तो इस आवंटन के क्या-क्या आधार थे ?

(२) क्या निर्धारित आधारों के अनुसार सब पंचायतों में ज्वार बांट दी गई ?

(३) क्या इस बंटवारे के बारे में जनता की ओर से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? अगर हां, तो उन शिकायतों के बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(४) क्या यह सच है कि किन्हीं-किन्हीं ग्राम पंचायतों में पिछले सालों की मालशुमारी गलत दर्ज होने से या बिल्कुल दर्ज न होने से बहुत से काश्तकारों को अपनी मवेशियों के लिए ज्वार अभावग्रस्त क्षेत्रों में नहीं मिल सकी ? अगर हां, तो सरकार की गलती के कारण लोगों को इस सुविधा से क्यों वंचित रखा गया ?

(५) क्या सरकार ज्वार आवंटन के सिलसिले में जहां जहां मालशुमारी गलत हुई पाई गई, उनसे संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(६) क्या उपरोक्त आवंटन के बारे में सरकार द्वारा चैकिंग की भी कोई व्यवस्था थी ? अगर हां, तो क्या उस चैकिंग में कोई अनियमितता पाई गई ? अगर हां, तो उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, अकाल सहायता (श्रीमती कमला बेनीवाल) : अध्यक्ष महोदय, इसकी विस्तृत सूचना तो अब भी प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन इतना में बता देना चाहती हूं कि इसके बारे में कुछ शिकायतें विभाग में आई हैं और उनकी विस्तृत जानकारी विभाग द्वारा कराई जा रही है और क्योंकि पंचायतों की मालशुमारी की पूरी जांच कराई जाने में टाइम लगेगा, अभी तक पूरी जानकारी नहीं प्राप्त हुई है, जांच हो रही है। कुछ अधिकारियों के द्वारा गड़बड़ी किया जाना इसमें सम्भावित है। इसलिए ज्यों हीं पूरी जानकारी प्राप्त हुई में जवाब दे दूंगी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न डेढ़ साल पहले दिया गया था और अभी तक भी उसकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। मैं इसके बारे में कुछ तथ्य सदन में रखना चाहता हूं। मालशुमारी और गिरदावरी तो पहले से ही दर्ज है, मवेशी भी दर्ज थे उसके अनुसार अमेरिका से जो ज्वार आई थी वह नहीं दी गई है। कुछ पंचायतों को तीन-तीन बार दे दी गई और सैंकड़ों मन ज्वार गोदामों में पड़ी २ सड़ती रही। जो ज्वार अमेरिका से डोनेशन में आई वह तो पड़ी २ सड़ती रही और सैंकड़ों की संख्या में मवेशी मर गए। यह सब डिप्टी मिनिस्टर की खुद की जानकारी में है। उन्होंने खुद ने डी० ओ० लेटर भेजे हैं। सारी रिपोर्ट आपके पास है। यह इतना सीरियस मामला है कि सैंकड़ों मवेशी

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)
अधिकारियों की गलती की वजह से मर गए हैं जब कि अभी तक भी तीन हजार बोरी ज्वार गोदामों में पड़ी हुई सड़ रही है। क्या माननीय मंत्री को उसका पता नहीं है? यह जो तीन-तीन हजार बोरी ज्वार पड़ी २ सड़ रही है और किसी काम में नहीं आने वाली है तो इसकी किसकी जिम्मेदारी है, क्या आपने इसकी इन्क्वायरी कराई है?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, जो भावना माननीय सदस्य ने प्रदर्शित की है उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जब तक यह मालूम न हो तो पंचायत में पशु-धन कितना था, कितने सही दर्ज हैं, कितने गलत दर्ज हैं, इस हाउस में जवाब देने के लिए सही जानकारी प्राप्त होना आवश्यक है और पूरी जानकारी प्राप्त होने पर ही सही जवाब दिया जा सकता है। कितनी ज्वार डिस्ट्रिब्यूट हुई है और कितनी खराब हो गई है इन सब की जांच हो रही है। नोटिसेज दिए गए हैं, लेकिन हाउस में जवाब देने के लिए प्रत्येक मामले में पूरी जांच होना जरूरी है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या मालशुमारी की जांच यह करेंगे? यह तो पहले से ही गिरदावरी में दर्ज है। जो वितरण हुआ है वह भी रेकॉर्ड में दर्ज है, सारी रिपोर्ट आपके पास मौजूद है।

(व्यवधान)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : शिकायत किस बात की आई थी?

(व्यवधान)

किस बात की शिकायत आई थी?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : लोग-बाग पैसा खा गए। दो-दो रुपये की जगह पांच-पांच रुपये लिए हैं। पंचायत समितियों को ट्रांसपोर्टेशन का पैसा नहीं दिया गया है जो उन्होंने इसमें से निकाल लिया है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं बता रही हूं कि जो शिकायतें आई हैं उनके बारे में विभाग को जानकारी है और इस पर सख्ती से कार्यवाही जारी है। लेकिन आप कह रहे हैं कि इतने पशु थे और इतनों को तो दिया और इतनों को नहीं दिया गया; तो इन सबका वेरीफिकेशन करना पड़ेगा। आप जवाब चाहते हैं एक एक प्रश्न का और उसके साथ आप यह भी चाहते हैं कि जवाब जल्दी आना चाहिए।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : डेढ़ साल तक क्या करते रहे?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): कार्यवाही जारी है या जारी की जाएगी।

(व्यवधान)

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, अभी तक भी तीन हजार बोरी ज्वार गोदामों में पड़ी हुई सड़ती रहे और उसका दुरुपयोग हो तो यह तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : यही तो बिश्नोईजी ने कहा है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, अभी भी तीन हजार बोरी पड़ी हुई है गोदाम में।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): माननीय मंत्री महोदया बतायें कि गोदाम

Page No 35

(श्री भैरोंसिंह)
में पड़ी हुई ज्वार अभी भी सड़ रही है, क्या यह तथ्य सही है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): It is a crime against the nation

श्री रघुनाथ बिश्नोई : हां, यही बता दीजिए।

श्रीमती कमला बेनीवाल : इस समय में इस बारे में कहने में असमर्थ हूं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह भी नहीं बता सकती हैं कि तीन हजार बोरी पड़ी हुई हैं ?

स्थगित प्रश्न

(१-१०-६५ व ८-१०-६५)

भूतपूर्व राजाओं से प्राप्त राज्य सरकार की आगरा में सम्पत्ति

२४१. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य सरकार की आगरा में कितनी संपत्ति थी जो भूतपूर्व राजाओं द्वारा सरकार को प्राप्त हुई थी ? इस सम्पत्ति की अनुमानित लागत सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि इस संपत्ति में से कुछ सम्पत्ति को राज्य सरकार ने बेचा? यदि हां, तो कौनसी संपत्ति कितने में ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या सरकार और भी सम्पत्ति को बेचना चाहती है ?

भूतपूर्व राजाओं से प्राप्त सरकार की इलाहाबाद में सम्पत्ति

२५८. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य सरकार की इलाहाबाद में कौन सी संपत्ति थी जो सरकार को भूतपूर्व राजाओं से प्राप्त हुई थी ? इन संपत्तियों की अनुमानित लागत सहित सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) राज्य सरकार को किस किस वर्ष इन संपत्तियों से कितनी कितनी आमदनी हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि इन संपत्तियों में से कुछ को बेच दिया गया है ? यदि हां, तो कौन कौन सी संपत्ति कितने कितने रुपयों में बेची गई ? इनको बेचने का क्या कारण था ?

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न पूछे गए हैं वे बहुत लेंग्दी क्वेश्चन्स हैं। इनमें काफी इन्फॉर्मेशन गेदर करनी पड़ेगी कि इलाहाबाद में प्रोपर्टी कितनी है और आगरा में प्रॉपर्टी कितनी है; इस सब में महीने दो महीने का टाइम लग सकता है और पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ही पूरा जवाब दिया जाएगा। और फिर ढाबरिया साहब का जवाब तो पूरा ही देना पड़ेगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : नेक्स्ट सेशन में आ जायेगा, साहब!

श्री मथुरादास माथुर : पोजिटिवली।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

Page No 36

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सहकारी विभाग में सहायक निरीक्षक

३२३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या सहकारिता मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सहकारी विभाग ने १९६४ में कुछ सहायक निरीक्षक उद्योग एवं रसद् विभाग से अपने विभाग में लिये थे ? यदि हां, तो कितने और कब ?

(२) उक्त सहायक निरीक्षकों को विभाग के स्थानान्तरण के समय किस ग्रेड व किस वेतन पर सहकारी विभाग ने फिक्स किया था ?

(३) क्या उक्त सहायक निरीक्षकों की सीनियोरिटी सहकारी विभाग में उस तिथि से मान्य की जायेगी जिस तिथि से वे उद्योग एवं रसद् विभाग में नियुक्त किये गये थे ?

(४) क्या सहकारी विभाग ने पंचायत प्रसार अधिकारियों को भी अपने विभाग में स्थानान्तरित किया है ? यदि हां, तो उनकी सीनियोरिटी, ग्रेड व वेतन, पदोन्नति किस तिथि से मान्य की गई है ?

उत्तर

(१) रसद् एवं उद्योग विभाग से दिनांक १०, १५-१-६४, २४-२-६४ तथा १८-५-६४ को क्रमशः ४८, १ एवं १ (कुल ५०) सहकारी विभाग में सहायक निरीक्षक के पद पर समावेश किये हैं ।

(२) इन का वेतन सहायक निरीक्षक की वेतन शृंखला ९०-४-११०-ई.बी.-५-१५५-७।।-१७० में फिक्स किया गया है ।

(३) समावेश किये गये कर्मचारियों की वरिष्ठता इण्टर-सी सीनियोरिटी (Inter-se senioity) उनकी समान पद पर स्थाई नियुक्ति की तिथि से किये जाने का संशोधन राजस्थान सबआॅर्डीनेट कोआपरेटिव सर्विस रूल्स में आदेश क्र० फा० १ (११) नियुक्त ए (११) ६३, दिनांक ४-१०-६२ द्वारा किया गया । इस संबंध में फिर कुछ स्पष्टीकरण की कार्यवाही चल रही है जिसके होने पर वरिष्ठता नियत करने की कार्यवाही कर दी जावेगी ।

(४) सरप्लस पंचायत प्रसार अधिकारियों को इस विभाग में समावेश किया गया है । उनकी सर्विस बुक एवं पर्सनल फाइल भेजने के लिये सहायक रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार एवं संबंधित विभागों को व उनको स्वयं को लिखा गया है कि अभी पूर्ण रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है जिसके लिय स्मरण पत्र, संबंधित व्यक्तियों को भेजे जा रहे हैं जिसके प्राप्त होने पर जन सेवा आयोग की सहमति प्राप्त हो जाने पर वरिष्ठता आदि तय की जावेगी । इनको द्वितीय ग्रेड निरीक्षक की वेतन शृंखला में वेतन दिया जा रहा है । पदोन्नति का मामला वरिष्ठता निर्धारित हो जाने पर तय कि या जायगा ।

जयपुर-पिलानी मार्ग की बसें

३२५. **वैद्य श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर-पिलानी रूट "ए" क्लास रूट है ? यदि हां, तो उस रूट पर किस मॉडल की बसें चल रही हैं तथा कितनी ?

(वैद श्री गोबिन्दसहाय)

(२) क्या यह सही है कि तारीख २३-७-६५ को जयपुर-पिलानी रूट पर नये परमिट दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को नये परमिट दिये हैं तथा उन पर चलने वाली बसें कौन से मॉडल की हैं ?

उत्तर

(१) जी हां, इस मार्ग पर निम्न बसों को परमिट मिले हुए हैं, उनके मॉडल उनके सामने अंकित हैं:—

	गाड़ी नं०	मॉडल
१.	आर० जे० एल० ८७५६	१९६१
२.	आर० जे० एल० १२३१	१९५८
३.	आर० जे० जी० ३६६	१९६१
४.	आर० जे० एल० ५५६१	१९५७
५.	आर० जे० एल० ६१००	१९६१
६.	आर० एस० एल० २८६१	१९६५
७.	आर० एल० एल० १००१	१९६४
८.	आर० जे० जेड १२३१	१९५८
९.	आर० जे० एल० ६१३७	१९५८
१०.	आर० एस० एल० १७४३	१९५६
११.	आर० जे० एक्स० २५५,	१९५७

(२) निम्नलिखित ३ परमिट तारीख २३-७-६५ को नहीं बल्कि २२-७-६५ को दिये गये थे, जिनके मॉडल उनके सामने अंकित हैं:—

१.	आर० जे० एल० ६१३७	१९५८
२.	आर० एस० एल० १७४३	१९५९
३.	आर० जे० एक्स० २५५	१९५७

गुढा-नीमका थाना वाया गुढा पोंख सड़क निर्माण कार्य

३३२. **श्री जीवराजसिंह (गुढा)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या जिला झुंझुनूं में गुढ़ा से नीम-का-थाना वाया गुढ़ा- पोंख सड़क की स्कीम बनाने की स्कीम सरकार के विचाराधीन है ?

(२) यदि हां, तो इस सड़क का कार्य कब शुरू होगा ?

उत्तर

(१) जी नहीं, यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर के श्रमिकों की मांग

३३९. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि अलवर में जौलाई-अगस्त, १९६४ में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कुछ श्रमिकों ने अपनी मांगें विभाग द्वारा न माने जाने पर भूख हड़ताल की थी ?

(२) इन मजदूरों ने भूख हड़ताल किन मांगों के लिये की थी ? कृपया मजदूरों का मांग-पत्र सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(३) क्या यह सही है कि यह भूख हड़ताल अलवर कलेक्टर के हस्तक्षेप से समाप्त हुई और मजदूरों की सब मांगों को मंजूर करना सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से मान लिया गया था ?

(४) इन मांगों में कौन कौन सी मांग की पूर्ति कर दी गई है ? जिस मांग की पूर्ति नहीं की गई है उसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) मांग-पत्र की एक प्रति प्रस्तुत है।

(३) जी नहीं। कुछ मांगें स्वीकार की गई थीं।

(४) सभी मांगों की पूर्ति स्वीकृत कर दी गई है केवल मांग संख्या ५ में श्री रामसिंह का वतन संबंधित मामला विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जैतारण–चंडावल सडक निमाण कार्य

३४१. **श्री तेजाराम गहलोत (सोजत)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि वर्ष १९६३-६४ में अकाल राहत कार्यों में पाली जिले में से जैतारण से चंगवल व राजोला कलां से रूपावास व सोजत से रेपड़ावास की सड़कों का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया गया ?

(२) यदि हां, तो उक्त सड़कों की लम्बाई क्या है ? कितना अर्थ वर्क हो चुका है, कितना मुड़ पड़ चुका है व कितना मुड़ पड़ना बकाया है ?

(३) उक्त हिस्से पर जहां मुड़ पड़ना बाकी है क्या उसके लिये मुड़ खुदवाया हुआ पड़ा है ? यदि हां, तो उसमें कितना रुपया खर्च हुआ ?

(४) क्या यह भी सही है कि जैतारण से चंडावल की सड़क पूरी होने से जैतारण से जो एस. डी. ओ. एच. वयू. तहसील व पी. एस. व पंचायत समिति का मुख्यालय है, जिला के मुख्यालय का मार्ग करीब १५ मील कम हो जायेगा ?

(५) क्या यह भी सच है कि उक्त सड़कों को पूर्ण करवाना, प्रशासनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है ? यदि हां, तो इस हेतु सरकार क्या कर रही है ?

उत्तर

(१) जी हां।

जैतारण से चंडावल रोड २१ मील लम्बी है, १०।। मील में मुड़ का कार्य हुआ है और १०।। मील में मिट्टी का कार्य पूरा कराया गया है।

(२) राजोला कलां से रूपवास १७ मील लम्बी है, १६ मील में मुड़ का कार्य पूरा हुआ है और १ मील में मिट्टी का कार्य हुआ है।

सोजत से रेपड़ावास ११।। मील लम्बी है आधा मील को छोड़ कर कार्य पूरा हो चुका है।

(३) जी हां, प्रथम दो सड़कों पर क्रमशः पौने दो मील व १ मील को पूरा

Page No 39

(श्री सार्वजनिक निर्माण मंत्री)
कराने के लिये मुड़ स्थान पर पड़ा है जिस पर क्रमशः ५,०००) रु० व ३,०००) रु० व्यय हुआ है।

(४) जी हां, १२ मील की दूरी कम हो जावेगी।

(५) जैतारण से चंडावल तथा राजोला कलां से रूपवास सड़क निर्माण के लिए क्रमशः १२,५००) रु० व १७५०) रु० स्वीकृत कर दिया है।

सवाई मानसिंह अस्पताल में बीमारों के लिए बेड

३४२. **श्री मुक्तिलाल मोदी** (कोटपुतली) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) सवाई मानसिंह अस्पताल में बीमारों के लिए कितने बेड की स्वीकृति हैं, और साधारणतया कितने मरीज भर्ती किये जाते हैं ?

(२) क्या मरीजों के लिये बेडों की कमी रहती है ?

(३) अगर कमी रहती है तो सरकार इस बारे में क्या व्यवस्था करने की सोच रही है ?

उत्तर

(१) स्वीकृत रोगी-शय्या ७५० हैं, तथा औसतन ५१ रोगी प्रतिदिन भर्ती किये जाते हैं ?

(२) इस चिकित्सालय में औसतन ७९३ रोगी इलाज के लिये रहते हैं। इस प्रकार ४३ शैयाओं की कमी रहती है।

(३) सरकार ने इस वर्ष २०० रोगी शय्या बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की है, जिसके अनुसार ६७ शय्या तो बढ़ादी गई हैं, बाकी और बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है।

सेरूणा-सूडसर सड़क निर्माण कार्य में आई भूमि का मुआवजा

३४३. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सेरूणा से सूडसर सड़क निर्माण कार्य कब शुरू किया गया और उस पर अब तक क्या क्या काय हुआ है ?

(२) इसकी कुल लम्बाई क्या है और इसके निर्माण का कुल अनुमानित खर्चा क्या होगा ?

(३) इसके निर्माण पर अब तक कितना खर्चा किया गया है ? शेष कार्य कब तक पूरा करवाया जावेगा ?

(४) क्या इस सड़क के लिये ली गई भूमि का मुआवजा सरकार द्वारा किसानों को दिया गया है ? यदि हां, तो कब और कितना ? यदि नहीं दिया गया है, तो अब कब तक दिया जावेगा और ऐसी धनराशि कितनी होगी ?

उत्तर

(१) अकाल सहायता कार्य १९६४ में आरम्भ कराया गया था। १॥ मील में मिट्टी का कार्य हुआ है।

(२) ६ मील। इसे पूर्ण करने में लगभग ७,२०,०००) रु० की आवश्यकता है।

श्री सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(३) ३२,७८७) रु० व्यय हुआ है । बाकी कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है ।

(४) जी नहीं । अवार्ड राजस्व विभाग से प्राप्त करने के लिये विभागीय कार्यवाही चल रही है; मुआवजा क्या होगा, अवार्ड पर निर्भर है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गिरवा तहसील में बड़गांव ब्लॉक से दिया गया तकावी ऋण

१३८. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा): क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गिरवा तहसील में बड़गांव ब्लॉक से अभी तक कितने ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट बनी है, जिनको तकावी लोन दिया गया बताया है, लेकिन उनके पास रकम नहीं पहुंची है ?

(२) क्या यह बात सही है कि बेदला गांव (गिरवा तहसील) में रहने वाले श्री नाथ कुम्हार को कोई भी रकम नहीं मिली, फिर भी बड़गांव ब्लॉक के कर्मचारियों ने उसको रकम देने की सारी कार्यवाही पूरी करके उसके नाम कुछ हजार की रकम निकाली है ?

(३) सरकार ऐसे फर्जी कार्यवाही करने वालों के प्रति अभी तक क्या कार्यवाही कर चुकी है ? ऐसे केसेज एन्टी-करप्शन के पास कितने हैं ? उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(४) क्या सरकार श्री नाथ कुम्हार निवासी बेदला को जिसने रकम नहीं ली है, उसकी छानबीन करके शीघ्र उसको राहत पहुंचाना चाहती है ?

(५) क्या यह सही है कि बड़गांव ब्लॉक में इसी प्रकार तकावी लोन के फॉर्म गलत भरवा कर कई मीलों की गलत भरपाई कराई गई है और रकम उनको नहीं मिली है ?

उत्तर

(१) प्रारम्भिक जांच से ऐसे सात व्यक्तियों की सूची बनी है इसके अतिरिक्त तीन मामलों में प्रारम्भिक जांच चल रही है।

(२) प्रारम्भिक जांच में श्री नाथू ने रकम प्राप्ति से इनकारी की है । इस तथ्य की विभागीय जांच आयुक्त, विभागीय जांच द्वारा की जा रही है ।

(३) सम्बन्धित व्यक्तियों का आरोप-पत्र दिये जा चुके हैं । आयुक्त, विभागीय जांच द्वारा जांच जारी है । भ्रष्टाचार विभाग के पास कोई मामला नहीं है ।

(४) जांच-परिणाम के पश्चात् कार्यवाही की जावेगी ।

(५) इस प्रकार के १० मामले सामने आये हैं सात मामलों में प्रारम्भिक जांच हो चुकी है और शेष तीन मामलों में कार्यवाही चल रही है ।

पाली में भूमि बन्धन बैंक

१३६. **श्री मोहनराज** (पाली): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पाली में भूमि बन्धक बैंक सन् १९५९-६० में स्थापित किया गया था ? उसके कुल कितने शेयर होल्डर्स हैं और कुल हिस्सा पूंजी कितनी है ?

(२) इस बैंक के स्थापित होने के बाद आज तक ऋण हेतु कितने आवेदन-पत्र किस वर्ष में प्राप्त हुए और कितनों को ऋण दिया गया था ? आज तक कुल ऋण कितना दिया गया और कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ?

(३) इस बैंक को किस वर्ष कितना अनुदान किस प्रयोजनार्थ दिया गया ?

(४) इस बैंक के स्थापित होने के बाद सदस्यों व कर्मचारियों के टी. ए. व डी. ए. में कुल कितना खर्च हुआ है ?

उत्तर

(१) जी हां, पाली भूमि बन्धक बैंक के ५६४ शेयर होल्डर्स हैं और कुल हिस्सा पूंजी ६३२०) रु० है ।

(२) पाली भूमि बन्धक बैंक के स्थापित होने के बाद आज तक २४६ ऋण आवेदन-

(श्री सहकारी मंत्री)

पत्र प्राप्त हुए जिसका वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	प्राप्त आवेदन-पत्र की संख्या
१९५९-६०	६१
१९६०-६१	११५
१९६१-६२	३
१९६२-६३	३
१९६३-६४	३४

इन ऋण आवेदन-पत्रों में से १२ आवेदन-पत्रों पर ऋण दिया गया-कुल ऋण ३०,३५०) रु० का दिया गया अब १९६ ऋण आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं एवं ३८ ऋण आवेदन-पत्र खारिज किये गये ।

(३) भूमि बन्धक बैंक, पाली को जो अनुदान वर्ष वार एवं जिस प्रयोजन हेतु दिया गया है का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	रकम	जिस कार्य को दिया
१९५९-६०	३००.००	फर्नीचर
	.	पब्लिसिटी
	२५००.००	स्टॉफ. के वेतन हेतु
१९६०-६१	१६००.००	,,
१९६१-६२	६००.००	,,

(४) इस बक के स्थापित होने के बाद सदस्यों व कर्मचारियों के टी, ए. डी. ए. पर १९२३.६२ पैसे खर्च हुए ।

पंचायतों को चरागाह की भूमि

१४०. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि चरागाहों की भूमि पंचायतों को दी जावे ? यदि हां, तो टोंक जिले की किन किन पंचायतों को चरागाह भूमि दी गई व कितनी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

पंचायत समिति, भीण्डर की स्थाई कमेटी

१४१. श्री **उदयलाल वर्दिया** (लसाडिया) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति भीण्डर की स्थाई कमेटी के चेयरमैन एवं प्रधान श्री भंवरलाल कोठारी ने खेडी पंचायत, जिला उदयपुर में स्थित श्री जीतमलजी की दो दूकानें गिरवा दी हैं ?

(२) क्या इस अनियमितता के कारण श्री जीतमलजी ने न्यायालय से स्थाई समिति के प्रधान श्री भंवरलाल के विरुद्ध डिक्री प्राप्त की ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त डिक्री का भुगतान पंचायत समिति कोष भीण्डर से कर दिया है ?

(श्री उदयलाल वर्दिया)

(४) क्या लोकल ऑडिट फण्ड ने उक्त डिक्री की रकम पंचायत समिति के कोष से चुकाना गलत बताते हुए रकम मय ब्याज वसूल करने का नोट लगाया है ?

(५) क्या ऑडिट नोट के आधार पर इस अनियमितता के लिये प्रधान के विरुद्ध कोई कार्यवाही हुई है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई और यदि नहीं, तो क्यों ?

(६) क्या उक्त रकम वापस पंचायत समिति के कोष में जमा हो चुकी है ?

उत्तर

(१) स्थाई समिति के आदेश से दुकानें गिरवाई गई ।

(२) स्थाई समिति भीण्डर के सदस्य जिन्होंने दुकानें गिरवाने का निर्णय लिया उनके विरुद्ध न्यायालय द्वारा डिक्री दी है ।

(३) जी हां ।

(४) जी हां ।

(५) प्रधान एवं सदस्यों के विरुद्ध रकम वसूली की कार्यवाही विकास अधिकारी द्वारा जारी की गई है ।

(६) जी नहीं ।

परिवार नियोजन योजना

१४२. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य में परिवार नियोजन योजना के अधीन गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा मुख्य रूप से क्या क्या कार्य किये गये हैं और राज्य की जनसंख्या में वृद्धि को रोकने में कितनी सफलता मिली है ?

(२) भविष्य में सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) राजस्थान राज्य में परिवार नियोजन के अन्तर्गत इन तीन वर्षों में १५ शहरों व १०५ ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्रों व १६ परिवार नियोजन शल्य इकाइयों की बढोतरी की है । इस तरह कुल २१० ग्रामीण, ५० शहरी व १८ परिवार नियोजन शल्य इकाइयां राज्य में परिवार नियोजन का कार्य कर रही हैं । इसके अतिरिक्त बन्ध्याकरण ऑपरेशन अन्य सरकारी अस्पतालों में भी किये जाते हैं । परिवार नियोजन का कार्य १९५६ से सालवार संलग्न सूची में दिया गया है । राज्य में परिवार नियोजन योजना के अन्तर्गत प्राप्त सफलता का सही अनुमान इतना जल्दी लगाना संभव नहीं है, इस तरह का अनुमान अब से १० साल बाद लगाया जा सकेगा ।

(२) परिवार नियोजन की प्रगति को भविष्य में बढावा देने के लिये राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं । बन्ध्याकरण स्कीम इसी साल से लागू करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं जिसके अन्तर्गत डाक्टरों को बन्ध्याकरण ऑपरेशन का प्रशिक्षण देने का जयपुर, बीकानेर और उदयपुर के प्रशिक्षण अस्पतालों में आयोजन किया गया है । इसके अतिरिक्त ६१ अस्पतालों में बन्ध्याकरण ऑपरेशन के यूनिट खोलने के लिये नया स्टाफ मंजूर किया गया है और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों के

Page No 43

(श्री चिकित्सा मंत्री)
लिये भत्ता व मरीजों के लिये इन्सेन्टिव्स मंजूर किये गये हैं जिस से परिवार नियोजन की प्रगति में अवश्य वृद्धि होगी। इस स्कीम के लिये राज्य सरकार ने २०,८१,००० रुपया परिवार नियोजन योजना के अन्तर्गत मंजूर किया है।

इसी तरह सात जिलों में परिवार नियोजन के मुख्यालय एवं जिला स्तर व पंचायत स्तर पर हो रिआॅर्गेनाइज्ड स्टाफ पेटर्न के अनुसार अतिरिक्त स्टाफ के लिये इस साल में ११,११,००० रुपया अतिरिक्त धन मंजूर किया गया है।

उक्त दोनों स्कीमों के लागू हो जाने के कारण परिवार नियोजन की प्रगति में अवश्य वृद्धि होगी।

"लूप" नये गर्भ निरोधन उपाय का प्रचार राज्य में जून, १९६५ से चालू कर दिया गया है। इस के अन्तर्गत ११-९-६५ तक ४२ डाक्टरों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और ४१३० लूप महिलाओं के लगाये जा चुके हैं।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक **५५** शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त पंचायत समिति (२३२) स्तर पर परिवार नियोजन केन्द्र स्थापित हो जायेंगे व समस्त जिला स्तर पर परिवार नियोजन शल्य इकाइयां स्थापित हो जावेंगी।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

१४३. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) राज्य में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब से आरम्भ हुआ है और अब तक कितना रुपया खर्च हो चुका है ?

(२) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के खर्च में राज्य सरकार कितना और केन्द्रीय सरकार का कितना रुपया है ?

(३) क्या यह सही है कि टी. सी. एम. तथा इसी प्रकार के अन्य संगठनों से एन. एम. ई. पी. विभाग में मोटर गाडियां, मोटर पार्ट्स, टायरट्यूब तथा अन्य सामान आया है ?

(४) क्या उक्त संगठन से प्राप्त सामान की कभी किसी मोटर मैकेनिक से जांच कराई गई है ?

(५) क्या एन. एम. ई. पी. विभाग के स्टोर का कभी ऑडिट हुआ है ? यदि हां, तो कब २ ऑडिट एण्ड फिजिकल वैरिफिकेशन हुआ है ? रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) राज्य में मलेरिया उन्मूलन कार्य सन् १९५८-५९ से चालू हुआ था। इस प्रोग्राम पर अब तक (सन् १९६४-६५ तक) कुल ३६५.६७ लाख रुपये खर्च हुए हैं। इस वर्ष (१९६५-६६) इस कार्यक्रम के लिये ८०.०० लाख रुपये का प्रावधान है।

(२) राज्य सरकार द्वारा एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कार्यक्रम पर व्यय की गई राशि का सालाना विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

Page No 44

(श्री चिकित्सा मंत्री)

(५) जी हां। सन् १९६४-६५ तक समस्त यूनिट एवं संचालनालय के स्टोर सहित सम्पूर्ण हिसाब की जांच हो चुकी है, जिसका ब्योरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्रथम ग्रेड कम्पाउण्डर तथा पुरुष सिस्टर ट्यूटर्स का कन्फर्मेशन

१४४. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

क्या यह सही है कि सन् १९५९, ६० व ६१ में नियुक्त कम्पाउण्डर प्रथम ग्रेड व पुरुष सिस्टर ट्यूटर्स का अभी तक कन्फर्मेशन नहीं किया गया है? यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनका कन्फर्मेशन नहीं किया गया है?

उत्तर

जी हां।

कम्पाउण्डर प्रथम श्रेणी जो कि सन् १९५९-६० व १९६१ में नियुक्त किये गये हैं, उन का कन्फर्मेशन नहीं हुआ है, क्योंकि ड्राफ्ट्स सर्विस रूल्स पास नहीं हुए हैं। ऐसे १६१ व्यक्ति हैं, जो कि ऊपर अंकित वर्षों में नियुक्त किये गये हैं। उनका कन्फर्मेशन, ड्राफ्ट सर्विस रूल्स पास हो जाने पर किया जावेगा।

पुरुष सिस्टर ट्यूटर्स एवं महिला सिस्टर ट्यूटर्स व सिस्टर्स का कन्फर्मेशन भी ड्राफ्ट सर्विस रूल्स पास होने पर किया जा सकेगा, उन की संख्या निम्न प्रकार है:—

(१) सिस्टर ट्यूटर्स २१

(२) सिस्टर्स ३६

इनमें १२ पुरुष सिस्टर्स भी हैं।

राजस्थान में भूमिहीन किसान

१४५. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बूंदी जिले में कुल कितने किसान भूमिहीन हैं?

(२) क्या सरकार के द्वारा राज्य में भूमिहीन किसानों के आंकड़े तहसीलों की मार्फत तैयार करवाये गये थे? यदि हां, तो राजस्थान में भूमिहीन किसानों की संख्या कितनी है?

उत्तर

(१) बूंदी जिले में ५८९६ किसान भूमिहीन हैं।

(२) जी हां।

भूमिहीन किसानों की संख्या १७५६१८ है।

काठोडिया लोगों की ईंधन की लकड़ी की गाड़ियां

१४६. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां-पु): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सन् ६२ में किशनगंज के तहसीलदार ने फतेहपुर के ३५ अनुसूचित जाति के (जाटव) काठोडियां लोगों की जंगल में जो ३५ गाडी बलीता की पकड़ी थी वह किस कानून के अधीन पकड़ी थी और उस लकड़ी का क्या हुआ?

(श्री राजस्व मंत्री)

उत्तर

(१) किशनगंज के तहसीलदार ने पटेल ग्राम की रिपोर्ट पेश होने पर कि राजस्व के जंगल से चोरी से लकड़ी काट कर जा रही है चैक की थी जो बहैसियत निगराकार जंगल राजस्व विभाग चैक की गई थी और श्री परगनाधिकारी बारां से, इजाजत लेकर पुलिस थाना किशनगंज के सुपुर्द कर दी। थाने से फाइनल रिपोर्ट चैक होने पर बमंजूरी मजिस्ट्रेटी बारां सम्बन्धित व्यक्तियों को लकड़ी वापस देने हेतु फतहपुर के श्री गणपतलाल यादव को दिनांक २६-८-६२ को सम्भला दी गई थी।

गंगानगर में भूमिहीन परिवार

१४७. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) गंगानगर जिले में कुल कितने भूमिहीन परिवार हैं ?

(२) इस जिले में कुल कितने खेतिहर (खेत) मजदूर हैं ?

उत्तर

(१) गंगानगर जिले में ५४३१ भूमिहीन परिवार हैं।

(२) २७४०२ खेतिहर मजदूर हैं।

गोचर की सीमाबन्दी के लिए प्रार्थना-पत्र

१४८. **श्री अमरसिंह** (दूदू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि पंचायत समिति, दूदू की पंचायत नानण के ग्राम बीजोलाव के लोगों ने पंचायत को तारीख १-४-६४ को कलेक्टर जयपुर को गोचर की सीमाबन्दी कराने के लिये प्रार्थना-पत्र पेश किया था ?

(२) अगर हां, तो तहसीलदार दूदू ने आज तक इस मामले में क्या किया है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न पैदा नहीं होता।

पटवारियों की निर्धारित वेतन श्रृंखला अनुसार वेतन-वृद्धि

१४९. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पटवारियों की निर्धारित वेतन श्रृंखला के अनुसार कित किस जिले में कितने कितने पटवारियों की नियमित रूप से वेतन वृद्धि हुई है और कितने कितने पटवारियों की नहीं ? कृपया जिलेवार तालिका सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। यह सूचना आर. पी. एस. १९६१ के सम्बन्ध में है। पटवार संघ की मांग पर हाल ही में जो वेतन श्रृंखला पटवारियों के लिये रिवाइज की है उसमें फिक्सेशन की कार्यवाही चालू है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

(१२.२० म. प.)

शासकीय वक्तव्यों विषयक व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि सरकार की ओर से कुछ

(श्री अध्यक्ष)
वक्तव्य आज होने को थे। एक तो सिंचाई के पानी के सम्बन्ध में कि गंगानगर जिले को पानी नहीं मिल रहा है, अतः इस पानी को पाकिस्तान को नहीं देकर यहां दिया जाय। इसके सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्रीजी अपने भाषण में कल स्पष्ट कर चुके हैं। इसलिए आवश्यक नहीं समझता कि इस पर आज कुछ विचार किया जाय।

एक दूसरा वक्तव्य और था बिजली की कमी के बारे में। उसके सम्बन्ध में मन्त्री महोदय आज ही कुछ समय पश्चात् इस विषय पर अपना वक्तव्य देंगे।

श्री मानसिंह म्हार (आमेर) : समय तो निश्चित् हो जाय कि कितनी बजे?

श्री अध्यक्ष : आज ही स्थगित होने से पहले। तीन बजे के पश्चात् किसी भी समय देने को वे तैयार हैं अपना वक्तव्य।

एक माननीय सदस्य : श्रीबृजेन्द्रपाल ने करौली में अभी हाल में डकैतों के द्वारा बस लूट ली गई है उसके बारे में सूचना दी है। मन्त्री महोदय अगर कुछ सूचना इकट्ठी कर पाये हों तो अभी, नहीं तो आज इस सदन के दौरान में उस पर कृपया वक्तव्य दे दें।

अब एक प्रश्न हिन्डौन की नगरपालिका के वेतन के सम्बन्ध में जो मन्त्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया था उसके स्पष्टीकरण हेतु एक वक्तव्य देना चाहेंगे तो कृपया दें।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर.....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : बीकानेर म्युनिसिपेलिटी के कर्मचारियों को तीन महीने से वेतन नहीं मिला है......

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में कल बता दिया था। जो उपयुक्त समझा गया उसका उल्लेख किया गया। कृपया दूसरे मामले नहीं उठाये जावे।

(१२.२२ म.प.)

हिन्डौन नगरपालिका के कर्मचारियों के वेतन सम्बन्धी दिये गये शासकीय वक्तव्य विषयक स्पष्टीकरण

श्री भैरोंसिह : हिन्डौन से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उपस्थित किया था वह भी है और जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था वह भी है। दोनों बातों से स्पष्ट है कि मन्त्री महोदय ने स्टेटमेन्ट दिया है पर वास्तविक स्थिति यह है कि जो मन्त्री महोदय ने स्टेटमेन्ट दिया है वह तथ्यपूर्ण नहीं है और उसमें यह भी है कि जो बातें उन्होंने बताई हैं वे गलत हैं।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वायत्त शासन मन्त्री) : वह गलत नहीं है। मैं इसके बारे में अर्ज करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिह : यह तो विवाद खडा हुआ है। वह कह रहे हैं कि गलत नहीं है और हम कह रहे हैं कि गलत है।

श्री अध्यक्ष : आप सुनें तो सही कि वे क्या कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिह : क्योंकि यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का प्रश्न है इसलिये स्पष्टीकरण से सॉल्व नहीं किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : वह सॉल्व समय पर नियमानुसार होगा। वे जो स्पष्टीकरण देना चाहते हैं उसको सुन लें। उसके पश्चात् आवश्यकता होगी तो विचार किया जायेगा।

Page No 47

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, एक मेरा प्रस्ताव था पानी के सम्बन्ध में ।

श्री अध्यक्ष : उस पर मैंने व्यवस्था दे दी है कि कल इसको ले लिया गया है। अब इस पर बहस नहीं होगी। माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करलें।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहली तारीख को हिन्डौन म्युनिसिपैलिटी के बारे में बयान दिया था और बयान के दौरान मैंने यह कहा था कि तनख्वाह दे दी गई है। इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि यह क्यों कहा गया ? इसके पहले मैं एडजॉर्नमेन्ट मोशन को पढ़ना चाहता हूं, और इसमें यह लिखा है, "हिंडौन नगरपालिका के समस्त कर्मचारियों को पिछले तीन माह से तनख्वाह नहीं मिली है।" "समस्त" का मतलब जो मैं समझा हूं और जो मैंने डिक्शनरी में देखा है तो उसका मतलब होता है कि सब कर्मचारियों को नहीं मिली । जब मैंने कहा कि तनख्वाह मिली तो आज भी मैं उसको कन्टेन्ड करता हूं कि तनख्वाह ऑफर की गई है, म्युनिसिपैलिटी के द्वारा अपनी तरफ से तनख्वाह ऑफर की गई है। तनख्वाह की ऑफर की जाय और तनख्वाह न लें तो उसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि तनख्वाह नहीं मिली है।

मैं आज यह कहना चाहता हूं कि यह तो है एडजार्नमेंट मोशन की लेंग्वेज जिसके अन्दर यह कहा गया है कि सारे कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली और मैंने यह कहा कि तनख्वाह मिली । उसके बाद मैंने यह कहा कि तनख्वाह दिलाई जा रही है । उसके अन्दर में यह अर्ज करना चाहता हूं कि म्युनिसिपैलिटी ने २६ तारीख को गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को यह खत लिखा कि वह एज ए स्पेशल केस ५० पर्सेन्ट स्ट्राइक सेलेरी देने को तैयार है । गवर्नमेंट ने उसी रोज उसके ऊपर यह एक्शन लिया है कि वे ५० पर्सेंट देना चाहते स्ट्राइक पीरियड की तनख्वाह तो उसको गवर्नमेंट ने माना और मानकर उसी रोज़ ऑर्डर इश्यू किया है । जब म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन की दरख्वास्त आई तो यह ऑर्डर इश्यू किया गया है । उनका पहले यह एटीट्यूड था कि वह चाहते थे कि स्ट्राइक को इललीगल माना जाय । गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर डाला गया और समझाया गया और इस बात पर एग्री किया गया कि ५० पर्सेन्ट तनख्वाह वे स्ट्राइक पीरियड की दें । वे देने को तैयार हैं और उन्होंने २६ तारीख को लेटर दिया तो २६ को ही ऑर्डर दिया गया और उनको कॉम्युनीकेट किया गया । उन्होंने सेलेरी बिल्स बनाये । ५० पर्सेन्ट तनख्वाह देने के लिये स्ट्राइक पीरियड को सेलेरी बिल्स बनाये गये, लेकिन उसके बावजूद म्युनिसिपैलिटी के जो लोग स्ट्राइक पर थे उन लोगों ने इस ऑफर को लेने से इन्कार कर दिया । बाकी लोगों ने तनख्वाह ले ली । म्युनिसिपैलिटी के कुछ कर्मचारियों ने तनख्वाह ली और कुछ ने नहीं ली । तो यह कहना कि सब म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी गई, यह सही नहीं है । बल्कि इसके साथ मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि म्युनिसिपैलिटी की ओर से एक नोटिस दिया गया उस नोटिस की कापी मेरे पास है—जिसके अन्दर यह दिखा दिया कि जो लोग तनख्वाह नहीं ले रहे थे उनको नोटिस दिया है। नोटिस

Page No 48

(श्री बरकतुल्ला खां)

का नम्बर --लैटर आफ चेयरमैन, म्युनिसिपल बोर्ड, हिन्डौन, नं० एम० बी० एच० २५४० दिनांक १६-६-६५। इसलिये यह कहना कि तनख्वाह नहीं दी गई, यह मुनासिब नहीं है। बल्कि तनख्वाह ऑफर की गई और अगर वे तनख्वाह नहीं लें तो यह म्युनिसिपैलिटी की कोई गलती नहीं है।

मैंने अपनी तरफ से जो बयान दिया था वह इस एडजॉर्नमेंट मोशन की लेंग्वेज के जवाब में दिया गया था। जब यह कहा गया कि समस्त कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली तो मैंने कहा कि तनख्वाह दी गई और स्ट्राइक पीरियड की ५० पर्सेन्ट तनख्वाह सैन्क्शन कर दी तो नेचुरली बात यह मान कर चलना चाहिए कि म्युनिसिपैलिटी ने इतना ग्रेस दिखा दिया तो म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों को चाहिए था कि तनख्वाह ले लेते और बाकी के बारे में रिप्रेजेन्ट करते। इसके बारे में कोई गलतफहमी हुई हो तो मैं दूर करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट दिया है पहले उसको पढ़ूंगा, "अब कर्मचारियों के बीच में आपस में झगड़ा तय हो गया है और जैसी कि मेरे पास रिपोर्ट आई है उनको वहां तनख्वाह भी बांटी जा चुकी है।" अब आपने केवल एक शब्द का अर्थ निकाला "समस्त" का। जब आप कहते हैं कि तनख्वाह बांटी जा चुकी है तो उस शब्द के आधार पर यह कहना कैसे सही था कि समस्त कर्मचारियों को बांटी जा चुकी है। वहां आप "समस्त" का लाभ उठाना चाहते हैं। वह आपके लिये वहां लाभदायक है तो उस शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका सीधा अर्थ निकलता है कि समस्त कर्मचारियों को तनख्वाह बांटी जा चुकी है। यदि समस्त को नहीं बांटी जा चुकी है तो आपसे यह अपेक्षा की जाती है आप यह कहें कि कुछ कर्मचारियों को तनख्वाह बांट दी गई है और कुछ को बांटनी बाकी है।

अब यह फर्माया गया है कि चेयरमैन म्युनिसिपैलिटी से डी० एल० बी० के मार्फत इत्तिला आई है जिसके आधार पर यह सूचना आपने सदन को दी है। चाहे किसी ने आपको सूचना दी हो या आपने अपने मन से सूचना दी हो, लेकिन एक मिनिस्टर की हैसियत से, गवर्नमेंट की हैसियत से, आपने सदन को सूचना दी है और स्वयं आप अपनी बात को ऐसा मान कर चलते हैं कि जो सूचना आई है वह कुछ अंशों में गलत थी। पूर्णतया गलत नहीं मान कर चलें तो भी कुछ अंशों में उसको आपने गलत माना है और आप उनका एक्स्प्लेनेशन ले रहे हैं। सदन उनका एक्स्प्लेनेशन नहीं लेगा। सदन तो आपका एक्स्प्लेनेशन लेगा कि इस प्रकार की गलत सूचना सदन को क्यों दी? चूंकि स्वयं आप इसको एग्री कर चुके हैं इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है और यह मामला हाउस की कमेटी को रेफर किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: इस समय बहस इस बात पर नहीं हो रही है कि विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है। न यह इस बहस का समय है और न उस पर आज्ञा प्रदान की गई है। अब प्रश्न यह है कि जो मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया था उसका स्पष्टीकरण देना चाहते थे ताकि जिस किसी सदन के माननीय सदस्य के दिमाग में गलतफहमी हो तो वह दूर हो जाय। उसके बारे में उन्होंने समय चाहा था इसलिये समय दिया गया। कुछ और स्पष्टीकरण चाहते हों

(श्री अध्यक्ष)
तो मंत्री महोदय से मालूम कर लें। मैं समझता हूं कि इसके पश्चात् इस मामले को यहां पर ही समाप्त कर दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : हाउस में स्टेटमेंट दिया है उससे मामला खतम नहीं हो सकता है···

श्री अध्यक्ष : आगे तनख्वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बारे में आप अगर पूछना चाहें तो पूछ लें।

श्री भैरोंसिंह : आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह दूसरा टोपिक है। अभी तो प्रश्न यह है कि हाउस में सही स्टेटमेंट दिया जाय या न दिया जाय। तनख्वाह तो मिलेगी ही, गवर्नमेंट दिलायेगी। अगर नहीं दिलायगी तो जबरदस्ती आन्दोलन करके लेंगे, किन्तु क्वेश्चन यह है कि इस जगह पर कर्मचारियों का रिप्रेजेन्टेशन किया जाय तो उनके बारे में गलत सूचना हाउस को दी जाय यह कहां तक ठीक है ?

श्री श्रवण लाल (हिन्डौन) : जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट दिया था उसको पढ़कर सुनाता हूं "हिन्डौन म्युनिसिपैलिटी के अन्दर जो गड़बड़ हुई थी कर्मचारियों की उसका कारण यह था कि खजाने में पैसा नहीं है" अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, खजाने में पैसा नहीं है इसलिये तनख्वाह देने में गड़बड़ हुई है। वहां पर उनकी तनख्वाह के लिये जो यहां आदमी भेजे गये थे व स्ट्राइक चल रही थी और स्ट्राइक तनख्वाह को बढ़ाने के लिये चल रही थी···

अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का नहीं था कि म्युनिसिपैलिटी की इनकम क्या है; इस बात का सवाल नहीं था, तनख्वाह बांटने का जिक्र नहीं था।

श्री बरकतुल्लाखां : तनख्वाह बांटने का सवाल था···

श्री श्रवणलाल : इतनी इनकम होते हुए भी आप कहते है कि वहां की म्युनिसिपैलिटी इस लायक नहीं थी कि पैसा बांट सके। तो प्रश्न यह है कि जो सूचना मंत्री महोदय द्वारा दी गई है वह गलत है क्योंकि प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी मास्टर किशनलालजी दो बार हिन्डौन जा चुके हैं और उनके आश्वासन पर ही स्ट्राइक खतम की थी। उन्होंने कहा था कि किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जायगा। इस पर १४ अगस्त को हड़ताल खतम की गई थी। १४ अगस्त से आज तक पैसा मांगते चले आ रहे हैं लेकिन पैसा नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम गरीबों का भला कर रहे हैं पीने के पानी के लिये पैसा दे रहे हैं, मकान के लिये पैसा दे रहे हैं पर दूसरी ओर हरिजन कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है, उनके बच्चे भूख के मारे बिलबिला रहे हैं (शेम, शेम) आज इस समस्या को साढ़े तीन महीने हो गये हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि उनकी भावना को देखते हुए उनको दण्ड न देकर जल्दी से जल्दी वेतन दिलाया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : मंत्रीजी ने एक बात कही कि उन्होंने जो स्टेटमेन्ट हाउस में दिया उस पर आज भी कायम हैं। वहां के कर्मचारियों को तनख्वाह बांटी जा चुकी है; उसको आप आज भी मानते हैं या उसको रेक्टिफाइ करने को तैयार हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सवाल इस बात का नहीं है कि स्टेटमेन्ट कितना सही है और कितना गलत है, लेकिन कम से कम गवर्नमेन्ट ऐसे मामलों में जब कि देश पर इस तरह का संकट आया हुआ है उस समय मजदूरों की तरफ से भावना को प्रदर्शन करके ऐसे मौके पर आन्दोलन न हो, ऐसे आन्दोलनों को स्थगित किया जाय, ऐसा मानते हुए भी गवर्नमेन्ट की तरफ से और उसकी एजेन्सी म्युनिसिपल बोर्ड की तरफ से इस तरह का रुख अपनाया जाय कि इतने अर्से तक पेमेन्ट बकाया रहे, यह बहुत बड़ी अराष्ट्रीय बात है । यही नहीं इसमें दुर्लक्षता है । जब कि हमारा अटेन्शन दूसरी तरफ कन्सेन्ट्रेट होना चाहिये उस समय इससे इस प्रकार की नेग्लीजेन्स दिखा कर इस प्रोब्लम को कॉम्प्लीकेट करने की कोशिश की जा रही है । मैं समझता हूं गवर्नमेन्ट ने अपोजीशन से अपेक्षा की है सहयोग के लिये और अपोजीशन ने इसको अपना फर्ज समझ कर आगे बढ़ कर सहयोग दिया है इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये गवर्नमेन्ट से यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट को इस मसले को पुराने ढर्रे पर नहीं चलाना चाहिये । जो लोग इसके लिये उत्तरदायी हैं चाहे डी० एल० बी० हो, चाहे म्युनिसिपैलिटी हो जिसने पेमेन्ट करने में देरी लगाई है, जल्दी पेमेन्ट तो करवाइये ही, लेकिन जो देरी हुई जब कि हम इस समय औद्योगिक शान्ति रखना चाहते हैं उसको न रख कर उसको तुड़वाने की तरफ जो एम्फेसिस दी जा रही है मैं समझता हूं उसकी जिम्मेदारी म्युनिसिपल बोर्ड, डी० एल० बी० और म्युनिसिपल बोर्ड और गवर्नमेन्ट पर है इसलिये जो लोग इसके लिये जिम्मेदार हैं उनको दंड मिलना चाहिये । तभी मजदूरों को दिलासा हो सकेगी । उनको वेतन न देकर उनसे अनुचित फायदा नहीं उठाया जाय ।

श्री बरकतुल्लाखां (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह सिम्पल बात थी जैसा कि मैंने कहा, तनख्वाह बांटी जा चुकी है, इसमें अगर गलत फहमी है तो मैं उसके लिये शर्मिन्दा हूं और माफी चाहता हूं । न मेरा मतलब सदन को धोखा देने का था और न मैं कभी सदन को धोखा दे सकता हूं । आज हम जब कि तनख्वाह देना ऑफर करते हैं और राजस्थान में २५ आदमी तनख्वाह नहीं लें तो उसका मतलब यह नहीं निकलने वाला है कि तनख्वाह नहीं बांटी गई . . .

श्री हरिकिशन शर्मा (पाटन) : और जगह भी नहीं बांटी गई ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आप जैसा आज कह रहे हैं कि तनख्वाह ऑफर की गई, पेमेन्ट नहीं लिया गया, जिस रोज आपने स्टेटमेन्ट दिया था उस रोज भी आपको यह जानकारी थी क्या कि ऑफर किया गया ?

श्री बरकतुल्लाखां : मुझे यह बताया गया कि सेलेरी बिल बन गया और उन लोगों को कह दिया गया कि अपनी तनख्वाह लो उस पर उन्होंने जब नहीं ली तो चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड ने कर्मचारियों को लिखित नोटिस दिया कि तुम तनख्वाह ले लो इस पर कुछ लोगों ने फौरन तनख्वाह ले ली, कुछ ने बाद में ली, कुछ ने नहीं ली । इसका यह मतलब निकालना कि मैंने हाउस को मिसलीड किया है यह गलत बात है । मैं यदि गलती पर हूं तो मैं गलती को मानने को तैयार हूं दीदो दानिस्तां न हो तो भी मैं कभी यह नहीं चाहूंगा कि हाउस को मिसलीड करूं ।

(श्री बरकतुल्लाखां)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल बोलने के लिये खड़े हुए)

(१२.३६ म. प.)

गोपनीय पाक्षिक केबिनेट रिपोर्ट की प्रूफ कॉपी जयपुर प्रेस से गायब होने विषयक शासकीय वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : इस पर अब बहस की आवश्यकता नहीं है। प्रेस मंत्रीजी ने अधिकारियों के विरुद्ध जांच हो रही है उस पर वक्तव्य देने के लिये आश्वासन दिया था उस बारे में अपना वक्तव्य देंगे।

श्री मथुरादास माथुर (मुद्रण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गत २८ तारीख को प्रश्नों के दौरान जयपुर के माननीय सदस्य ने दस्तावेज सदन की मेज पर रखा था और वह दस्तावेज प्रेस में छपी फोर्टनाइटली केबिनेट रिपोर्ट का सीक्रेट डॉक्युमेन्ट था जिसकी प्रूफ कॉपी सदन की मेज पर रखी गई थी। उस वक्त मैंने आश्वासन दिया था कि मैं एक हफ्ते में जांच करवाऊंगा इन्टेलिजेन्स डिपार्टमेन्ट के द्वारा और जो नतीजा निकलेगा वह सदन को बतला दूंगा। २८ तारीख को इसकी जांच करने का आदेश दिया गया और ८ तारीख को कल इन्टेलिजेन्स डिपार्टमेन्ट क डी० आई० जी० की रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा है कि इस पिल्फिरेज और स्मगलिंग के लिये, जो कागज वहां से निकला है उसके लिये जुगलकिशोर, हैड प्रूफ रीडर, गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल प्रेस जिम्मेदार प्राइम फेसी मालूम पड़ता है। उसके बाद यह भी लिखा है कि उसके खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया है पुलिस में और आगे तफतीश कर रहे हैं जिससे कि और कोई कॉम्प्लीकेसी हो तो पूरी तरह से जानी जा सके। इसके साथ साथ जब उनकी रिपोर्ट आने पर कि फलां व्यक्ति जिम्मेदार है, कल उनकी रिपोर्ट आई और आज हमने उस आदमी को सस्पेन्ड कर दिया है और उसके बाद डिपार्टमेन्टल कार्यवाही होगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने स्वयं ने केस रजिस्टर करके शुरू कर दिया है।

जहां तक सुपरवाइजरी नेग्लीजेन्सी का सवाल है, बड़े अफसरों के बारे में रिपोर्ट में कहा है, किसी बड़े अफसर का नाम नहीं दिया है, जो सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं वे हो सकते हैं, असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट हो सकते हैं, जो सीक्रेट वर्क के इन्चार्ज हैं वे हो सकते हैं, उनकी क्या नेग्लीजेन्स है उनके बारे में कहां प्रिकॉशन रखने की जरूरत थी जो न रखने से नेग्लीजेन्स हुआ उसमें हमने विभागीय जांच करने, चार्ज शीट बना कर सुपरवाइजरी ऑफिसर के खिलाफ देने का फैसला किया है। यह रिपोर्ट कल ही हमारे पास आई थी। जो ऑफिसर सुपरवाइजरी डाइरेक्टली रेस्पोन्सिबल है उसके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव जांच होगी और उसके बाद जो नतीजा निकलेगा, उसके अनुसार संबंधित व्यक्ति को सजा दी जायगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है कि जिस प्रश्न को लेकर जांच चल रही है, मैनन कमेटो की रिपोर्ट म जिस अधिकारी पर आरोप लगाया था वह अधिकारी आज भी वहां पर मौजूद है। जिस अधिकारी के मातहत कर्मचारियों की जांच हो रही है और जिसके स्वयं के खिलाफ जांच हो रही है वह अधिकारी वहां पर मौजूद है तो जांच किस प्रकार हो सकती है, उसमें न्याय किस प्रकार हो सकता है ? यह सोचने की बात है।

(श्री भैरोंसिंह)

उस दिन मंत्रीजी कह रहे थे कि उनको जानकारी नहीं है लेकिन लेटेस्ट एस्टिमेट्स कमेटी की रिपोर्ट आई है उसमें मोतीलालजी चौधरी ने बड़ा कमेन्ट किया है। उस अधिकारी को जिसके खिलाफ आरोप है उसको क्यों नहीं निलंबित किया जाता है? आज भी मेरी समझ में नहीं आता, जिस अधिकारी के खिलाफ पर्चेजेज के आरोप हैं, जिसके बारे में राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन ने इन्क्वायरी की थी और मैनन की जांच रिपोर्ट में प्राइमा फेसी इस बात की एवीडेंस है कि इनके खिलाफ पर्चेजेज के मामले में घोटाले के आरोप हैं, इनके खिलाफ प्रेस की व्यवस्था को बिगाड़ने के सम्बन्ध में आरोप हैं, इनके खिलाफ बाकी के कई मामलों में आरोप हैं, तो उनको सस्पेन्ड क्यों नहीं किया जाता है? यदि इनको सस्पेन्ड करने के लिए माननीय मंत्रीजी तैयार नहीं हैं तो इन्हें किसी दूसरे विभाग में भेज कर इनकी इंडिपेंडेंट इन्क्वायरी क्यों नहीं कराना चाहते? मेरे पास ऐसी जानकारी है कि इस अधिकारी ने, इफ्तिखार अली ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बुला कर उनको डराया है, उनको धमकाया है और उनसे कहा है : तुम्हें यह गवाही देनी होगी और तुम्हें गवाही उन व्यक्तियों के खिलाफ देनी होगी जो भूतपूर्व डाइरेक्टर शिवहरे के साथ थे। वे चाहते हैं कि इस मौके पर उनको फंसाया जाय। जो उनके गले में फांसी आने वाली है उसको दूसरे व्यक्तियों के गले में डाल दें, इस प्रकार की पूरी कार्यवाही कर रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस प्रकार से असली कल्प्रिट को नहीं पकड़ा जायगा।

इस वक्त वहां पर दो स्पष्ट गुट बने हुए हैं, श्री शिवहरे और श्री इफ्तिखार अली। इसलिए इस मामले में न्याय नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में इंडिपेंडेंट इन्क्वायरी करानी चाहिए और जो कल्प्रिट है उसको वाजिब सजा देनी चाहिए। यदि आप एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट की इज्जत करना चाहते हैं, माथुर साहब, तो इसके अलावा आपके पास कोई इलाज नहीं है कि आप इस अधिकारी को सस्पेन्ड करें और फिर इस मामले में इंडिपेंडेंट इन्क्वायरी करायें तब इन्क्वायरी का सही नतीजा निकलेगा। आज तो वह दस आदमियों को बुला कर उनको डरायेगा, उनको धमकायेगा, तो इस कारण इन्क्वायरी से असलियत निश्चित रूप से नहीं निकलने वाली है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और उसको लोगों को डराने धमकाने का अवसर मिलता है तो मैं चाहूंगा कि आप एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट को फाड़ कर फेंक दीजिये, राजस्थान के रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन ने जो इन्क्वायरी की और उसकी जो इन्क्वायरी रिपोर्ट है उसको टुकड़े टुकड़े करके फेंक दीजिये और यह मान कर चलिये कि रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन ने जो रिपोर्ट दी थी वह गलत है और एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन, मोतीलालजी चौधरी ने जो रिपोर्ट में लिखा है वह गलत है और माथुर साहब, आपकी जो इन्टेन्शन है कि उसको आप सस्पेन्ड नहीं करेंगे वह इन्टेंशन सही है। आज राजस्थान के मुख्य मंत्री, सुखाड़िया साहब, जो राजस्थान के रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन जांच करते हैं, उसके लिए सदन को आश्वासन देते हैं कि जो रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन जांच करेगा और उसके बाद जब जांच पूरी हो जायगी तो जो रिपोर्ट देगा, उसको चीफ मिनिस्टर मानने के लिए तैयार हैं। एक मामले में चीफ मिनिस्टर के स्वयं के मामले में रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन की जो फेक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट

Page No 53

(श्री भैरोंसिंह)

हो उसको मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन राजस्थान के मंत्री महोदय रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन की रिपोर्ट को एक अधिकारी के मामले में मानने के लिए तैयार नहीं हैं। यह बात समझ में नहीं आती है। इससे साफ मतलब निकलता है कि न्याय नहीं देना चाहते हैं बल्कि अन्याय की कार्यवाही करने वाले अधिकारी को संरक्षण देना चाहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रश्न से संबंध था और जो स्टेटमेन्ट देन के लिए मैं खड़ा हुआ था वह सिर्फ उससे संबंधित था जो प्रेस से एक कम्प्रोज्ड डॉक्यूमेंट वहां से गायब किया गया। यह मामला जब नोटिस में लाया गया तो उसके संबंध में जांच करवाई गई और उस जांच का जो नतीजा निकला है उस नतीजे से इस सदन को सूचित किया; जैसा कि मैंने कहा था कि इन्क्वायरी कराके उसकी रिपोर्ट सदन में पेश कर दी जायगी। वह मैंने किया है। अब जो मैनन कमेटी की रिपोर्ट है, वह मैंने सदन की मेज पर रख दी है और उस पर कार्यवाही चालू है और उसके बारे में मैं उत्तर दे चुका हूं। उसके बाद में एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट के बारे में कहा, उसको मैं देख लूंगा कि एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट में उसके खिलाफ क्या चार्जेज हैं·······

श्री भैरोंसिंह : उसमें साफ लिखा है, एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट में।

श्री मथुरादास माथुर : एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर या मैनन कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर या किसी और कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर किसी ऑफिसर के खिलाफ कोई चार्जेज लगाये जाते हैं और उस पर कार्यवाही की जाती है तो सबसे पहले उस ऑफिसर का एक्स्प्लेनेशन मांगा जाता है। और वह जो एक्स्प्लेनेशन दे वह सेटिस्फेक्ट्री नहीं हो तो प्राइमा फेसी केस बनने पर कार्यवाही की जाती है······

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान में कई ऑफिशियल्स रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर की रिपोर्ट पर सस्पेन्ड किये गये हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य किसी आदमी को जबर्दस्ती सस्पेन्ड करवाना चाहें तो वह मैं नहीं कर सकूंगा। मैंने सदन में पहले भी कहा है और अब फिर दोहराता हूं कि मैनन कमेटी की फेक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सिर्फ इफ्तिखारअली के खिलाफ नहीं है, वह पांचों सुपरिन्टेन्डेन्ट्स के ऊपर है····

श्री भैरोंसिंह : पांचों के ऊपर है तो मुझे आपत्ति नहीं है

Government should take action against such officers.

(श्री भैरोंसिंह)

में किसी को प्रोटेक्ट करने के लिये नहीं कहता ।

I will be the last man to protect such corrupt officers.

श्री मथुरादास माथुर : मैंने आपको कहा कि उससे एक्स्प्लेनेशन मांगा है, अगर उसका एक्स्प्लेनेशन सेटिसफेक्ट्री नहीं होता है . . .

श्री भैरोंसिंह : एक्स्प्लेनेशन मांगने की कोई जरूरत नहीं है । मैं राजस्थान के ऐसे सौ केसेज की एग्जाम्पल दे सकता हूं जिनमें एक्स्प्लेनेशन नहीं मांगा गया और उनको सस्पेन्ड कर दिया है ।

श्री मथुरादास माथुर : मैनन कमेटी की रिपोर्ट, प्राइमा फेसी इन्क्वायरी रिपोर्ट नहीं है, वह एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है और उसको मैंने सदन की मेज पर रखा है । अब कानून के लिहाज से और रूल्स के लिहाज से जो कोई आरोप मैनन कमेटी की रिपोर्ट में लगाये गये हैं, उनके सम्बन्ध में चार्ज शीट बना कर, वह दे कर एक दफा एक्स्प्लेनेशन लेना आवश्यक है और एक्स्प्लेनेशन आने पर, यदि वह सेटिसफेक्ट्री नहीं हो, तो ही कोई कार्यवाही की जा सकती है । उसके पहले कार्यवाही नहीं की जा सकती । मुझे खेद है माननीय सदस्य का कितना ही उत्साह हो कि करप्शन रोका जाय, लेकिन वह कानून के मातहत ही रोका जा सकता है अगर करप्शन है तो । वर्ना मैनन कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, उसके ऊपर एक आदमी को सेवा-मुक्त नहीं किया जा सकता है । कानून के आधार पर, जैसा मैंने आपसे कहा, उस पर हम विचार कर रहे हैं, और मैंने आश्वासन दिया है कि यदि चार्जेज साबित हो जाते हैं यदि किसी का एक्स्प्लेनेशन सेटिस्फेक्ट्री नहीं है तो उसके खिलाफ वाजिब कार्यवाही की जा सकती है । इस मामले में हमने एक आदमी को सस्पेन्ड किया है ।

श्री भैरोंसिंह : जितने भी शिवहरे के आदमी हैं उनको आप हैंग कर दीजिये । जो कार्यवाही चल रही है, वह मैं समझ रहा हूं । मैं कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा यह स्वीकार किया गया है, मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि मैनन कमेटी की रिपोर्ट फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है और उसमें फैक्ट इफ्तिखार अली के खिलाफ आये हैं । फिर आपको क्या आवश्यकता पड़ गई कि प्राइमा फेसी केस बनाने के लिये आप एक्स-प्लेनेशन मांग रहे हैं । जब रिपोर्ट में यह स्पष्ट है और इफ्तिखार अली के खिलाफ चार्जेज हैं, तो फिर किस बात से यह आवश्यकता हुई कि आप दुबारा जांच करा रहे हैं और प्राइमा फेसी केस बनाने के लिये आप उसका एक्स्प्लेनेशन ले रहे हैं । आप चाहें तो मैं

(श्री भैरोंसिंह)
राजस्थान का एक नहीं, सौ केस ऐसे दे सकता हूं जिनमें फेक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के आते ही लोगों को सस्पेन्ड किया गया है। मैं आपको ऐसा केस दे सकता हूं जिसमें आपके पास एक दरख्वास्त आई और उस पर आपने राजस्थान के अधिकारी को सस्पेन्ड किया है। इस केस में रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन की फेक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में उसको इन्वोल्व किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसकी प्राइमा फेसी इन्क्वायरी करा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक नीचे के अधिकारी की जांच के द्वारा जो रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन ने जांच की है उसको गलत साबित कर सकते हैं। मेनन चला गया, शिवहरे चला गया, उनके जाने के बाद इस केस में कोई एविडेन्स नहीं मिलेगी और आप उसको आसानी से बचा सकते हैं। जब पर्चेजेज की जांच मंत्री महोदय करना चाहते हैं तो न्याय के लिये यह जरूरी है कि वह अधिकारी प्रेस में नहीं रहे। वह जब तक रहेगा तब तक एकाउन्ट्स के मामले में, पर्चेजेज के मामले में अनियमिततायें होंगी जो आपके नोटिस में नहीं आ सकती हैं। यदि आप न्याय करना चाहते हैं तो सस्पेन्शन के अलावा कोई और तरीका नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय········

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय······

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि इस पर बहस का सवाल था नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं···········

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो केबिनेट की सीक्रेट पीरियोडिकल रिपोर्ट गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया को जाती है················

श्री अध्यक्ष : उस पर पूछें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं उसी सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं, इतना इम्पॉर्टेन्ट डॉक्यूमेंट, जो भारत सरकार को राज्य सरकार के द्वारा भेजा जाता है, जिसके लिए माननीय मंत्रीजी ने पिछली बार कहा था कि जो डिपार्टमेंट की यह सीक्रेट रिपोर्ट छपती है, उसका ऑफिसर वहां मौजूद रहता है और उसकी उपस्थिति में वह रिपोर्ट छपती है। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में जानकारी की है और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि माननीय मंत्री जी का यह जवाब था वह सिर्फ बजट और बजट मेमोरेण्डम के लिये करेक्ट हो सकता है। इसके अलावा कोई ऑफिसर या सीनियर ऑफिसर, जो केबिनेट की यह रिपोर्ट छपती है, उस वक्त वहां हाजिर नहीं रहता है। और इसकी जिम्मदारी सुपरिन्टेन्डेन्ट की है। और अगर माननीय मंत्री जी चाहते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि डाइरेक्टर की जिम्मेदारी है कि वह इस बात को देखें कि सीक्रेट रिपोर्ट कम से कम ऐसी परिस्थिति में छपे कि उसका एक भी कागज लीक नहीं हो सके। अध्यक्ष महोदय, यह एडमिटेड फेक्ट हो गया है कि इस प्रकार की रिपोर्ट छपी और उसका कागज लीक हो

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

गया और वह भैरोंसिहजी के पास पहुंचा है, उन्होंने वह सदन की मेज पर रखा । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने जिस कम्पोजीटर या जिस प्रूफरीडर को पकडा है, और जिसके साथ आपने कहा है कि उसके सस्पेन्शन के ऑर्डर दे दिये गये हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में, जब कि केबिनेट रिपोर्ट की मुख्य जिम्मेदारी सुपरिन्टेन्डेन्ट पर आकर टिकती है, आपको क्यों ऐतराज है जिससे आप उस सुपरिन्टेन्डेन्ट को सस्पेन्ड न करें । यह केबिनेट रिपोर्ट पन्द्रह दिन में एक बार छपती है, तो कौनसी जिम्मेदारी है, कौनसी आपकी गारन्टी है, माथुर साहब, कि वह लीक नहीं हो और माननीय भैरोंसिह जी के पास नहीं पहुंचेगी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कन्ट्री की कम्प्लीट सिक्योरिटी का प्रश्न है, इसमें बोर्डर के ऊपर फोर्सेज के मूवमेंट का प्रश्न है, जहां इंगलैन्ड के अन्दर एक मंत्री का काम इस तरह का पाया गया था जिससे देश की सिक्योरिटी खतरे में हो सकती थी तो उससे त्याग-पत्र ले लिया गया । क्या यह खतरा यहां नहीं है, देश की सिक्योरिटी का खतरा नहीं है जब कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट लोगों के पास जा चुका है और प्रेस से लीक हो चुका है इसकी जिम्मेदारी जाती है मंत्री को, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं कि जो विभाग का अध्यक्ष है, उसका, जो सुपरिन्टेन्डेन्ट है······

श्री भैरोंसिंह ! उसको बचा रहे हैं ।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : जो विभागीय अध्यक्ष है, जो सुपरिन्टेन्डेन्ट है उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा कर जो गरीब प्रूफ रीडर है उसको मारना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, जो जांच आपने सुपरवाइजरी ऑफिसर्स के लिये कराई है, और जो आपने आश्वासन दिया है कि डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी कराई जायगी । हम उसका फेट जानते हैं । यह डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी तीन तीन साल तक चलती है । तीन साल तक चलाने की आपकी इन्टेन्शन है । आप चाहते हैं किसी तरह तीन साल का एक्स्टेंशन इफ्तिखार अली को दे दिया जाय । एक साल का एक्स्टेंशन तो आप दे चुके हैं, दो साल तक यह इन्क्वायरी, डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी चलती रहेगी -और इस स्थिति में जब तक इस इन्क्वायरी की रिपोर्ट नहीं आयेगी आप उसे एक्स्टेंशन देते रहेंगे । अध्यक्ष महोदय, इस तरह के छोटे छोटे स्वार्थों के लिये हमारी यह एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, जिससे माननीय मंत्री जी को संतोष हो लेकिन आम जनता को इससे संतोष नहीं है, इस सदन के माननीय सदस्यों को संतोष नहीं है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपका इस तरह का व्यवहार आज तो कम से कम इस संकट काल में नहीं हो । इसलिये मैं पुरजोर शब्दों में मांग करना चाहता हूं कि आप इमीजियेटली इस इफ्तिखार अली को सस्पेन्ड करें । जो आपने एकाउन्ट्स की जांच और दूसरे मामले में की जांच की बात कही–उसको मैं महत्वपूर्ण नहीं मानता हूं । यदि उसमें दस, पांच या बीस हजार का घपला किया है और उसको आप बरकरार रखते तो मुझे ऐतराज नहीं होता । लेकिन जो सीक्रेट डाकूमेंट छापने की जिम्मेदारी है, और वह सेफ नहीं रहे तो उसको हम सहन नहीं कर सकते हैं । यह प्रोब्लम ग्रेव प्रोब्लम है और गम्भीर स्थिति है, इसलिये उसको इमीजियेटली सस्पेन्ड किया जाना चाहिए, **उसका इमीजियेटली ट्रांस्फर इस पद से**

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
निश्चित रूप से किया जाना चाहिये, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो तथ्य सदन में प्रस्तुत किये कि इस प्रकार की प्रोसीडिंग्ज सीक्रेट प्रिन्टिग होती हैं । जब कोई प्रोसीडिंग्ज सीक्रेटली प्रिन्ट होती हैं तो उसकी सिक्रेसी के लिये सेक्रेटेरियेट का सिक्रेट ऑफिसर, पुलिस का ऑफिसर आदि मौजूद रहते हैं । इस पर भी यह लीक आउट हो गया । वे लोग वहां पर इसलिये रहते हैं कि उसका प्रूफ हो उसको डेस्ट्रोय कर दिया जावे और फरमो सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट करवा कर वहां से वे लोग जाएं । यह प्रेस की जिम्मेदारी होती है और प्रेस के इन्चार्ज की जिम्मेदारी होती है कि इन ऑफिसरों के वहां से जाने से पहले पहले सारे प्रूफ को जलाते जावें और फर्मे को डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया जावे । ऐसा नहीं होने के कारण ही तो माननीय सदस्य को यह प्रूफ हाथ लगा है और यहां पर प्राप्त हुआ है । वह इसीलिये कि वह डेस्ट्रोय नहीं किया गया या इसके लिये जो फर्मा बना हुआ था उसको डेस्ट्रोय नहीं किया गया । यह जिम्मेदारी उनको है........

श्री अध्यक्ष : आप बहस को बढ़ावें नहीं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगर वे डेस्ट्राय कर देते तो यह माननीय सदस्य के हाथ नहीं आता । जहां तक एस्टेब्लिशमेंट का प्रश्न है........

श्री अध्यक्ष : मैंने एक बात आपको कही कि सामान्य प्रश्न पर विचार नहीं हो रहा है केवल दस्तावेज पर आपको कहना हो तो कहें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दस्तावेज के लिये ही तो कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आपने कह दिया । आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी खड़े हो रहे हैं लेकिन मैं एक जानकारी मंत्री महोदय को और दे दूं कि यह जो कॉन्फीडेन्शीयल रिपोर्ट प्रिन्ट होती है उसका रजिस्टर मेन्टेन होता है कि कौनसी तारीख को कौनसी रिपोर्ट प्रिन्ट हुई । मेरे पास सही जानकारी है कि इस प्रकार का रजिस्टर मेन्टेन नहीं किया गया । इसकी इन्क्वायरी शुरू होने के बाद में यह रजिस्टर मेन्टेन किया गया और एक ही कलम से यह सारी एन्ट्रीज बाद में की गई हैं और आप देखेंगे कि उन्होंने अलग से कागज की चिप्पियें लगाई हैं । कागज जोड़े हैं। जहां इन्क्वायरी हो रही हो और जहां इस प्रकार से कागज जोड़े जावें और चिप्पियां लगाई जावें, इसके लिये भी यह आवश्यक हो जाता है कि वहां पर वह अधिकारी नहीं रहे। इसके बावजूद भी अगर आप रखते हैं तो यह आपकी मर्जी है । मैं तो यही कहूंगा कि यह आपकी इन्क्वायरी नहीं है यह आपका इन्क्वायरी के नाम पर एक ढकोसला है ।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस संबंध में जांच कराई तो जांच से मालूम हुआ कि कभी भी जब केबिनेट रिपोर्ट छपनी है तो कोई ऑफिसर वहां पर उसको छपवाने के लिये नहीं रहता है । वैसे अन्डर इन्स्ट्रक्शन्स रहना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : क्या इस सम्बन्ध में कोई लिखित आदेश हैं कि इस प्रकार के

Page No 58

(श्री अध्यक्ष)

कान्फीडन्शियल दस्तावेज किस तरह से छपेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : इसके लिए लिखित आदेश हैं, लेकिन अभी उनके अनुसार काम शुरू नहीं किया गया है। अब ऑर्डर दिये गये हैं कि उनके अनुसार काम किया जावे, इसके लिये सेपरेट रूम होता है और अलग से ऑफिसर होता है। जिससे पूरी सीक्रेसी मेन्टेन होती है। अब वे इन्सट्रक्शन्स फॉलो किये जा रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : आपने अभी तक इन इन्स्ट्रक्शन्स को फॉलो क्यों नहीं किया ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपको बता रहा हूं। आपको जो नुक्ता चीनी करने की उत्सुकता है उसकी मुझे खुशी है। वह फॉलो नहीं हुआ तभी तो यह लीकेज हुआ है नहीं तो लीकेज नहीं होता। लीकेज के बारे में मैंने निवेदन किया कि पहले पुलिस की रिपोर्ट आई उसमें पिन डाउन नहीं किया। बाद में पिन डाउन किया। केस दर्ज कर दिया है। इस स्टेज पर मैं यही कहूंगा कि इसका इन्वेस्टीगेशन हो रहा है, इन्वेस्टीगेशन से जो बातें मलूम पड़ेंगी मैं सदन के सामने रख दूंगा।

नेगलीजेन्स के बारे में जहां तक प्रश्न है, जैसा कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि नेगलीजेन्स के लिये सुपरिन्टेन्डेन्ट को ही क्यों सस्पेन्ड किया जावे, मिनिस्टर को भी इस्तीफा देना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि वे मेरे से हर सप्ताह इस्तीफा मांग लेते हैं....

श्री रामकिशन (वैर) : आप देते नहीं हैं।

श्री मथुरादास माथुर : हमारे यहां पर एसिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं वे इसके इन्चार्ज हैं। सभी लेटर्स उन पर जाते हैं। मैं इस समय इस विवाद में नहीं जाना चाहता कि सुपरवीज़न इन्चार्ज की किस हद तक गल्ती है, कौन लेटर खोलता है। इसकी अभी पुलिस ने जांच नहीं की है। इसके लिये जांच के ऑर्डर दिये गये हैं कि किसको पिन डाउन किया जावे। इस सम्बन्ध में जांच की रिपोर्ट आने पर एक्शन लिया जावेगा। अगर सुपरिन्टेन्डेन्ट की गल्ती होगी तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी और मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी हो, जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जावेगा। मिनिस्टर के नजदीक किसी को भी प्रोटेक्शन नहीं दिया जावेगा। इसलिये मैं आपसे यह सहयोग की प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे इसमें सहयोग दें ताकि मिनिस्टर की कलम चल सके। इन्वेस्टीगेशन हो जाय उसके बाद में जो दोषी होगा उसके खिलाफ जरूर कलम चलेगी। आपने पुरजोर शब्दों में कहा है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन्क्वायरी के बाद जो दोषी होगा उसके खिलाफ पुरजोर शब्दों के साथ साथ पुरजोर तरीके से कलम भी चलाई जावेगी। हम बराबर इस सम्बन्ध में कदम उठा रहे हैं। सेकन्ड इन्क्वायरी भी कारवाई है। पिन डाउन भी किया है। आप सस्पेन्ड की बात कहते हैं और वहां से हटाने की बात कहते हैं, मैं यह कहता हूं कि पुलिस अपनी इन्क्वायरी करके हमको भेज दे हम तो कहते हैं कि अदालत में केस चला कर जेल भेज देंगे अगर दोषी पाया गया। मैंने माननीय सदस्यों से सदन में सप्ताह भर में इन्क्वायरी कराने की बात कही थी मगर ५ छुट्टियां

(श्रीमथुरादास माथुर)
आजाने से देर हो गई। अब मैं विथ-इन वन मन्थ या २१ डेज में, आपको विश्वास दिलाता हूं, कि इन्क्वायरी पूरी हो जावेगी। रहा सवाल आदमी को रखा जावे या नहीं, यह आप हम पर छोड़िये। हम भी तो करप्शन को रोकना चाहते हैं। हम भी यह नहीं चाहते कि करप्शन बढे। अगर इन्क्वायरी के दौरान में यह जरूरी हुआ कि इनको नहीं रखा जाना चाहिये तो नहीं रखेंगे, अगर यह जरूरी हुआ कि इनको सस्पेन्ड किया जावे तो सस्पेन्ड करेंगे। आखिर आप हम पर भी यह छोड़िये। मैंने कहा था कि सप्ताह भर में रिपोर्ट दूंगा। मगर ८ तारीख को कल ही रिपोर्ट मिली है। मैं पुलिस के अधिकारियों की सराहना करता हूं कि उन्होंने छुट्टियां होते हुए भी इन्क्वायरी करा ली।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या माननीय मन्त्री इस बात का आश्वासन देंगे कि यदि भविष्य में ऐसी घटना होती है तो आप इसकी जिम्मेदारी अपने पर लेंगे या सुपरिन्टेन्डेन्ट की जिम्मेदारी होगी कि कोई डॉक्यूमेन्ट जैसा कि अभी प्राप्त हुआ है, फिर सदन के सामने न आये और अगर आये तो क्या आप इस्तीफा दे देंगे ?

श्री मथुरादास माथुर: इस्तीफा तो आप अभी ले लीजिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, यह मजाक में टाल रहे हैं। यह मजाक का विषय नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दो-तीन महीनें के बाद फिर जब सैशन होता है तो इस तरह के मैमोरन्डम जो गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को सीक्रेट जाते हैं, फिर इनके हाथ लग जाएं और सदन में आ जाएं तो क्या आप इस्तीफा दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष : फिर जांच करवा लेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लेंगे, सेन्ट परसेन्ट कोशिश करेंगे। डाक्टर किसी मरीज का इलाज करता है और अच्छी तरह से इलाज करते हुए भी अगर मरीज मर जाता है तो उसमें डाक्टर का क्या कसूर है। डाक्टर को कोई सजा थोड़ी होती है। मुझे इसमें आपका सहयोग चाहिये। आप अपना सहयोग मुझे दें।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : डाक्टर के चाहते हुए भी मरीज मर जाता है।

श्री भैरोंसिह : आपने, जो रेकर्ड टेम्पर किया गया है उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया।

श्री मथुरादास माथर : मुझे इस सम्बन्ध में कोई जाकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर सारी लेबर आपस में बंटी हुई है दो पार्टीज में। एक पार्टी दूसरे को फंसाने में लगी हुई है। रजिस्टर बाद में बनाया गया है और कागज जोड़े गये हैं और सारी एन्ट्रीज बाद में एक ही कलम से की गई हैं। आपने इन्क्वायरी की है तो आप इसको भी देखें।

(१.०० म. प.)

श्री मथुरादास माथुर : आपने जो कुछ बातें कही हैं, सदन से फुरसत मिलते ही उन काजगात को मंगा कर देखा जायगा। एक

(श्री मथुरादास माथुर)
एक माननीय सदस्य के लफ्ज हमारे लिये वकत रखते हैं लेकिन आप इसी वक्त यहां सूचना दें और जानना चाहें कि यह हुआ या नहीं तो यह हमारे लिये मुश्किल है। मुझे सहयोग दीजिये, मैं तो आपका हुक्म बजाऊंगा।

(१.०१ म. प.)

याचिका का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : याचिका का उपस्थापन !

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): अध्यक्ष महोदय, मैं टोंक जिले में बन्ध बनने से डूब में आई हुई जमीनों का मुआवजा पूरा न चुकाये जाने के सम्बन्ध में दो याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

(१.०२ म. प.)

राजस्थान मुद्रांक विधेयक, १९६५
(प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति हेतु निर्धारित समय में वृद्धि)

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मुद्रांक विधेयक, १९६५ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार हुआ, समय बढ़ा दिया गया।

(१.०३ म. प.)

उदयपुर जिंक स्मेल्टर कारखाना सम्बन्धी तारांकित प्रश्नोत्तर विषयक आधे घंटे की चर्चा

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, तारीख २८ को एक प्रश्न १४८ नम्बर का, उदयपुर में जो जिंक स्मेल्टर का कारखाना बन रहा है, उसके बारे में इस सदन के अन्दर पूछा गया था, उस प्रश्न का उत्तर देते हुए ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): जिंक स्मेल्टर के बारे में हाफ एन अवर डिस्कशन उठाया गया है, अभी इत्तला मिली है कि भारत सरकार जिंक स्मेल्टर को अपने अधिकार में ले रही है, तो उस दशा में यह सारा डिस्कशन कोई महत्व नहीं रखता ..

श्री हरिदेव जोशी (खनिज मन्त्री): यही मैं कह रहा था ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कहते नहीं हैं सदन में ऊंघते रहते हैं। जिस अन्डर टेकिंग के बारे में हाफ एन आवर डिस्कशन किया जा रहा है उसे भारत सरकार ले रही है ....

श्री हरिदेव जोशी : मैंने माननीय सदस्य से निवेदन कर दिया था और अध्यक्ष महोदय मैंने आपको निवेदन किया था कि स्थिति यह है, फिर आप जैसी आज्ञा देंगे वैसा करूंगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या भारत सरकार इस कारखाने को अपने अधीन लेने का विचार कर रही है, इस सम्बन्ध में मैंने

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

आज मन्त्री महोदय से टेलीफोन से बात की तो उन्होंने कहा कि I am not certain कि किन आधारों पर इसे भारत सरकार ले रही है । इस कारखाने के मालिक से बात की तो उसने भी कहा कि मेरी और गवर्नमेन्ट की कोई बात नहीं हुई है । तो ऐसी दशा में अखबार में छपी बात पर विश्वास कर लें, मैं इसे उचित नहीं समझता । मैं तो १० मिनिट में ही सारी बात रख देता हूं फिर मंत्री महोदय जैसा चाहें उत्तर दें ।

२८ तारीख को यह सवाल उठाया गया था, उस वक्त भी सरकार की ओर से कहा कि ६,७७,५०,००० रुपया जो इस कम्पनी के मालिक को सरकार की तरफ से, अपनी सिक्योरिटी के आधार पर या गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया के फाइनेन्स कोर्पोरेशन के द्वारा दिया गया है । तो मंत्री महोदय ने बताया कि इस पर ७॥ करोड रुपया खर्च होने वाला था । यह जुलाई ६४ में तैयार हो जाना चाहिये था । ६,७७,५०,००० रु० हमने दे दिया तो मैंने सदन में कहा था कि जो डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स यह सारी रकम देने के, उनको सदन की मेज पर रख दिया जाय, पर वे डॉक्यूमेंट्स आज तक सदन की मेज पर नहीं रखे गये, इसलिये मुझे मालूम नहीं कि क्या-क्या शर्तें इन रुपयों को देते वक्त की गई थीं । जैसी कि मुझे पर्सनल नॉलेज है, मैंने उस कारखाने को घूम घूम कर देखा है और मैं आज भी सदन में यह कहने को तैयार हूं कि कारखाने में जो कुछ लागत लगी है, वह कुल दो सवा दो करोड से ज्यादा नहीं है, जब कि इस कारखाने के मालिक को, ६,७७,५०,००० रुपया सरकार द्वारा दे दिया गया है ।

अब अगर यह मान भी लिया जाय कि भारत सरकार इस कारखाने को ले रही है तो इस कारखाने के मालिक के साथ क्या एग्रीमेंट होगा । १९६१ से हमने रुपया देना शुरू किया है । अब तक जितना रुपया ब्याज सहित वसूल हो जाना चाहिये था वह वसूल नहीं किया गया, यह कारखाना अब तक पूरा हो जाना चाहिये था और इसमें प्रोडक्शन शुरू हो जाना चाहिये था जिससे कि हमें फॉरेन एक्स्चेन्ज मिलता, सेल्स टैक्स मिलता, इन्कम टैक्स मिलता, पर यह कारखाना पूरा नहीं बनने के कारण यह सब कुछ हमें नहीं मिला, फॉरेन एक्स्चेन्ज, इन्कम टैक्स, सेल्स टैक्स आदि से हमें वंचित रहना पडा है । जो हमारा पैसा और उसका ब्याज मिलना चाहिये था वह नहीं मिला है । तो मैं बहुत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि किसी पूंजीपति को बचायें, इस सदन में उसके पक्ष में बात करना इसलिये उचित नहीं है कि सरकार की तरफ से करोडों रुपयों की रकम इस कारखाने के मालिक को दी है । एक फैक्ट मैंने उस समय भी सदन में रखा था और आज भी पूछना चाहता हूं कि क्या उस जिंक स्मेल्टर के कारखाने में जो मशीनें काम में ली जायेंगी वे विदेशों से मंगाई गई मशीनें, आज ६ महीनों से बम्बई के पोर्ट पर नहीं पडी हुई हैं? क्या, उन पर डेमरेज नहीं लग रहा है ? क्या उस सारी रकम पर व्यर्थ ही इन्ट्रेस्ट नहीं लग रहा ? यदि लग रहा है तो अन्डरटेकिंग का एग्रीमेंट करने जायेंगे तो उस समय यह सारा नुकसान कौन भुगतेगा ? राजस्थान सरकार भुगतेगी या भारत सरकार भुगतेगी ? ये सारी चीजें इस तरह की हैं जिनके आधार पर हमें मजबूर हो कर यह सब कहना पडता है । आपने उस दिन भी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेन्ट को पैसा देने के बारे में लिखा है ।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

इसी मामले के सम्बन्ध में पार्लियामेन्ट में भी एक प्रश्न सम्बन्धित मंत्री महोदय से पूछा गया था, वह प्रश्न अखबारों में छपा है। राजस्थान सरकार ने १९६४ में इस कारखाने को ३ करोड रुपया देने की हिन्दुस्तान सरकार को सिफारिश भेजी है। पहले ६,७७,५०,००० रु० दे दिया फिर ३ करोड रुपया इस कारखाने के मालिक को देने की भारत सरकार से सिफारिश कर दी तो इस तरह से आप इस कारखाने के मालिक को १० करोड रुपया देना चाहते हैं। आपने कहा था कि ७॥ करोड का कारखाना है, तो मैं नहीं समझता कि ६,७७,५०,००० रुपया तो पहले आपने दे दिया फिर ३ करोड की और सिफारिश कर दी। मैं कहता हूं कि ३ करोड से ज्यादा रुपया नहीं लगा है, छत तैयार नहीं हुई है, टिन शेड नहीं पडा है, साइड वाल्स तैयार नहीं हैं, छत तैयार नहीं तो फिर किस आधार पर कहते हैं कि मालिक ने बहुत सारा रुपया इन्वेस्ट किया है, यह कह कर आप भारत सरकार को भी धोखा देना चाहते हैं कि भारत सरकार ज्यादा से ज्यादा रुपया इस कारखाने के मालिक को दे।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, आपकी मनोवृत्ति बडे-बडे पूंजीपतियों को राज्य के खजाने से पैसा देने की रही है, आपकी इस दूषित और गलत नीति के कारण न तो हमारे यहां इन्डस्ट्रीज लग पाई हैं और न राजस्थान को किसी प्रकार का लाभ ही हुआ है। यह रुपया आपने उसे दिया, उसने इस रुपये को इन्वेस्ट नहीं किया, इस रुपये से उसने नाजायज फायदा उठाया, उसने अपने दूसरे कारखानों में यह रुपया लगा दिया, अपनी माइन्स में यह रुपया लगा दिया, इस बारे में आपने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? इस रुपये की कितनी किश्तें उस पर चढ गई हैं, न उसने इन्ट्रेस्ट दिया है और न चढी हुई रकम ही दी है, आपने उसके लिये क्या कार्यवाही की है ?

मुझे यह जान कर खुशी होगी, चाहे हिन्दुस्तान की सरकार इस कारखाने को ले या राजस्थान सरकार इस कारखाने को ले, अपनी तरफ से बनाये और चालू करे, तो यह हमारी सबसे बडी जीत होगी। इस सदन के माननीय सदस्यों ने सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में लिये गये समझौतों और घोटालों को जनता के सामने, भारत सरकार के सामने ला कर इतना बडा कार्य किया है कि भारत सरकार इस कारखाने को ले रही है। आपका भ्रष्ट एग्रीमेंट आज भारत सरकार और जन जन के सामने आ गया है। आप भविष्य में इस तरह के एग्रीमेंट कभी नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जल्दी से जल्दी इस प्रकार की घोषणा आपके श्रीमुख से कर दें तो मैं अपनी तरफ से और सदन के माननीय सदस्यों की तरफ से आपको धन्यवाद दूंगा। मैं यह अनुरोध करूंगा कि ६ महीने के अन्दर अन्दर इस कारखाने को भारत सरकार अपने अधिकार में लेकर इसे पूरा करें, तो यह देश के लिये लाभप्रद होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मैं एक बात का मंत्री महोदय से जवाब चाहूंगा कि यह जो जिंक स्मेल्टर के मामले में रकम दी गई और जिन शर्तों के आधार पर दी गई, उन शर्तों का उन्होंने पालन किया या नहीं ? मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जिस तरह से कम्पनी ने सरकार से धन प्राप्त करने की कोशिश की उसमें कोई षडयंत्र है। कहीं

(श्री मुरलीधर व्यास)

ऐसा न हो जाय कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को कोई सिफारिश कर दे जब हम जानते हैं कि हमारी शर्तों का उल्लंघन करने का षडयंत्र हुआ है। फिर राज्य सरकार केंद्र को सिफारिश करके उनको और रुपया दिला दें और फंस जाय और राज्य सरकार को नुकसान हो जाय। आखिर यह बडी जिम्मेवारी का सवाल है और मालूम पडने पर भी यदि देश को नुकसान होता है तो सरकार की जिम्मेवारी होगी। इसलिए इस मामले में पूरी जानकारी के साथ उसका जवाब दें ताकि केंद्र न फंसे हैं राज्य तो फंसा हुआ ही है। मैं समझता हूं कि सारी बातों का जवाब पूरा देंगे ताकि हमारे देश का पैसा इन पैसे वालों के जरिए षडयंत्र के रूप में न जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, जिंक स्मेल्टर प्लांट के संबध में बनेडा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक तस्वीर खींची। अब इसका दूसरा पहलू जो वास्तविक है, वह आपके सामने पेश करना चाहता हूं। जैसा कि सभी जानते हैं जिंक, लैड और सिल्वर की दृष्टि से सारे हिन्दुस्तान में यही एक ऐसा क्षेत्र है। यहां और माइन्स हैं। दो क्षेत्रों में, मोचिया और बनारिया में पच्चास हजार के डिपाजिट्स प्रूव हो चुके हैं और बाकी प्रूव करने की कार्यवाही चल रही है। वैसे इस संबंध में १६४४ में मैटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इस क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया उसके बाद १६६० के अन्दर उसको जिंक स्मेल्टर का लाइसेन्स मिला। जिस समय यह लाइसेन्स प्राप्त किया गया और फॉरेन कोलेब्रोरेटर्स की सलाह से योजना बनाई गई उस समय १४-१५ हजार टन प्रतिवर्ष इसकी याने जिंक स्मेल्टर की कैपेसिटी रखी गई थी और साथ ही साथ और उत्पादन क्षमता भी करीब १५०० टन और मिलिंग कैपेसिटी करीब १३०० टन उस योजना में रखी गई थी। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या प्रयत्न किए गए, उसकी डिटेल्स बाद में बताऊंगा लेकिन इसी बीच में फॉरेन कोलैबो-रेटर्स और दूसरे लोगों ने यह सलाह दी कि इसके अंदर कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। उदाहरण के लिए १५ हजार प्रति वर्ष कैपेसिटी थी उसको २० हजार तक ले जाने की बात आई और साथ ही साथ जो ओर (ore) का प्रतिदिन का उत्पादन है उसके भी बढाने की बात आई। मिलिंग कैपेसिटी १३०० टन प्रतिदिन की बात आई। पहले जो योजना बनी थी वह साढे सात करोड़ की थी उस समय जिंक कन्टेंट का पर्सेन्ट ४.८ से ५ प्रतिशत तक आंका गया था। उसको इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स ने छानबीन करने के बाद सलाह दी कि यह कन्टेंट जिंक का इसके अंदर ४.८८ से ५ प्रतिशत नहीं है बल्कि ३.७८ है। उसका मतलब यह हुआ कि हमें जिंक निकालने के लिए अधिक उत्पादन मिलिंग का करना पडेगा। इस तरह के माल को मिलाएंगे तब अधिक जिंक का कन्टेंट आएगा। इसलिए केवल एक्सपेन्शन स्कीम मिलिंग में नहीं रही बल्कि ५०० कैपेसिटी का अभी भी जो प्लांट है उसको १३०० बढ़ा सकते हैं लेकिन हमने इसको २२०० टन करना चाहा तो नया मिल लगाना पड़ेगा इसलिए एक्सपेन्शन के साथ साथ नया मिल लगाने के बात आई। साढे सात करोड़ से ११ करोड का कारण यही था कि साधारण कैपेसिटी बढाएं और साथ ही साथ मिलिंग के लिए और नया प्लांट लगाने की बात आई। इसके साथ साथ कस्टम्स

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

ड्यूटी जो पहले १० प्रतिशत थी आयात पर, जो बाहर से मशीनरी आती है, वह बढ़कर २२ प्रतिशत हो गई। इसलिए मशीनरी के अंदर कस्टम्स ड्यूटी ज्यादा देने का प्रश्न सामने आ गया और ज्यों ज्यों समय निकलता गया, प्लान बनाया जो जुलाई, १९६४ तक पूरा करना था।

कस्टम्स ड्यूटी के साथ साथ लेबर, सीमेंट, बिल्डिंग मेटीरियल और दूसरी चीजें महंगी हो गईं। इस वजह से कास्ट साढे ग्यारह करोड हो गया। जैसा मैंने पहले निवेदन किया यह यह उद्योग पहले ३५ लाख रुपए की कैपिटल से शुरू हुआ और उसके बाद इस कंपनी की पेड-अप शेयर कैपीटल २,४९,६४,२३५) और ५२,११,५०६ रिजर्व फंड है। इसके साथ-साथ कहीं से कितना उधार लिया, उसमें राज्य सरकार कितना इन्वोल्व्ड है उस पर भी मैं आता हूं। लेकिन माननीय सदस्य ने जो कहा कि वे घूमने गए, चारों तरफ आंख फैलाकर देखा तो उन्होंने सारी चीज दो करोड की नजर आई। मैं निवेदन करूं कि फॉरेन से जो मशीनरी आई वही साढे तीन करोड की है, तो उनका कहना कि सारी चीज उन्हें दो करोड की नजर आई, यह उनके अंदाजे की गलती हो सकती है; लेकिन यह वास्तविकता से परे है। उनकी ३१-३-६४ की बैलेंस शीट के अनुसार जो फिक्सड असेट्स हैं, एक्सपैन्शन-प्रोग्राम के असेट्स और दूसरे असेट्स हैं, कुल मिलाकर १०,११,७३,००० और कुछ रुपए के हैं।

इसके साथ साथ राज्य सरकार ने किस हद तक इन्वोल्व किया अपने आप को रिस्क लेने के लिए। इसके लिए मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूं कि डिफेंस रिक्वायर-मेन्ट्स को पूरा करने के लिए यह बडा महत्वपूर्ण उद्योग है तो इसके अन्दर अगर राजस्थान ने कुछ हिस्सा लिया और कुछ अपने आपको इससे संबंधित रखा तो बुरी बात नहीं है बाकी हमने अपने आपको फंसा लिया हो या लाएबिलिटीज ली जिनसे हो छुटकारा नहीं मिलता हो, ऐसी बात नहीं। हमने जो काउटंर गारंटी दी है वह ६० लाख की और ७५ लाख की है। काउन्टर गारंटी का मतलब यह है कि फॉरेन मशीनरी के जो सप्लायर्स हैं वे पैसा आई० एफ० सी० से ले लें और आई० एफ० सी० अगर कॉर्पोरेशन से वसूल नहीं कर सके और कॉर्पोरेशन फेल हो जाय या उसकी संम्पत्ति से वसूल न हो तब हमारी गारंटी स्टेंड करती है। इसके लिए हमें एक पैसा भी नहीं देना पडा। गारंटीड लोन्स जो हमने इनको दिलवाए हैं राज्य सरकार की गारंटी से वह ४० लाख एक बैंक से है और २५ लाख दूसरी बैंक से। इस तरह से गारंटीड लोन ६५ लाख रुपए है।

गारटी लेने का हमने ले लिया और बैंक्स को दे दिया तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन डेट्स की हमने गारन्टी दी है उनकी रिपेमेन्ट ड्यू नहीं हुई और जब रिपेमेन्ट ड्यू होगा तब ही तो यह बात आयेगी। लाखों रुपया किसी को दे दिया हो और वे डूब गये हों ऐसी बात नहीं है। केवल १२॥ लाख रुपये का लोन इस कम्पनी का रहता है वह इस बात का है कि १२॥ लाख के प्रिफरेन्शियल शेयर्स खरीदने थे, हमने मुनासिब नहीं समझा, नफा होगा या नुक्सान होगा, उनको १२॥ लाख रुपया ब्याज से दे दिया जिससे नुक्सान होने का अन्देशा न हो और एक लाख रुपया मकान

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
बनाने के लिये दिया। इस प्रकार १३ लाख ६६ हजार रुपया लोन्स हैं और ६५ लाख रुपया गारन्टीड लोन है और १३५ लाख रुपया काउन्टर गारन्टीड लोन है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आर. एफ. सी. की एक करोड़ की गारन्टी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक करोड़ की काउन्टर गारन्टी है। उसमें से ७५ लाख ही दिया है। आज तक ७५ लाख तक ही काउन्टर गारन्टी सीमित है। २५ लाख और देंगे तो वह एक्सटेन्ट हो सकती है। आज तक तो यही है।

आपको कोई शंका हो वह बाद में आप मुझ से पूछ लें। केस जिस तरीके से मैं रखना चाहता हूं उसको रखने देने की कृपा करें।

इसको रिस्क नहीं कह सकते और रिस्क भी कहा जाय तो वह नेशनल इन्ट्रेस्ट में कोई बुरी बात नहीं है। यह प्रोजेक्ट पूरा होने पर ५।। करोड़ की फॉरेन एक्स्चेन्ज की सेविंग होगी और पहले साल में ३।। करोड की बचत होगी और फॉरेन एक्स्चेन्ज को मीट करने के लिये काफी बडा सहयोग इस इन्डस्ट्री का होगा और हिन्दुस्तान में एक ही क्षेत्र इसका होने से मुनासिब समझा कि इसको हैल्प की जाय। हैल्प करने में न किसी के पक्षपात की बात थी न इन्ट्रेस्ट की बात थी। नेशनल इन्ट्रेस्ट में, स्टेट इन्ट्रेस्ट में, स्टेट इन्ट्रेस्ट भी इसलिये कि एक इन्डस्ट्री फ्लोरिश होती है। स्टेट को सैल्स टैक्स की आमदनी बढ़ती है, दूसरी आमदनी बढ़ती है, लोगों को एम्प्लॉयमेन्ट मिलता है, डिफेन्स की पोजीशन बढ़ती है। कल्पना की जा सकती है कि इसके स्टार्ट होने से नेशन को कितना फायदा होगा?

सात करोड से ११ करोड हुए चार करोड अधिक हुए। उनकी डिटेल्स भी मैं बताऊं तो गलतफहमी दूर हो जावेगी। चार करोड रुपया अधिक चाहते हैं उसमें से १ करोड १० लाख तो जो उनकी योजना है रिवाइज्ड ११।। करोड की उसको उसको अप टू दी मार्क लाने के लिये चाहिये बाकी २ करोड ६० लाख का खर्चा है वह तो प्रिवियस कमिटमेन्ट्स हैं यानी किश्तें हैं जो समय पर नहीं दी सकी, उनके रिपेमेन्ट का है न कि चार करोड की नयी मशीनरी लाकर उसमें और बढ़ाना है। पहले का अन्दाज गलत दे दिया और चार करोड की मशीनरी किसी तरह बढ़ गयी यह बात नहीं है। योजना को कम्प्लीशन तक पहुंचाने के लिये १ करोड १० लाख और बाकी २ करोड ६० लाख पहले के कमिटमेन्ट्स हैं उनको पूरा करने के लिये है।

सरकार ने यह मानकर कि जुलाई १९६४ में यह कारखाना काम करना शुरू कर देगा, गारन्टी की अपने ऊपर रिस्क ली थी। फर्स्ट इन्स्टालमेन्ट वाज लायेबल फ्रॉम दी रिसोर्सेज ऑफ दी इन्डस्ट्री। और सेकन्ड इन्स्टालमेन्ट के पेएबल होने का वक्त आवेगा तब यह कारखाना प्रोडक्शन में चला जावेगा और यह अपनी इनकम में से दे सकेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हालांकि योजना के मुताबिक जिन कन्डीशन्स में और केपेसिटी में होना चाहिये था वह नहीं हुआ फिर भी ३१, मार्च १९६५ तक २७ लाख का नेट प्रॉफिट दिया। डेप्रिसियेशन इन्ट्रेस्ट का प्रॉविजन होता है वह अलग है।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
इस तारीके से राजस्थान सरकार ने गारन्टी या काउन्टर गारन्टी देकर अपनी रकम या सरकार के इन्ट्रेस्ट को खतरे में डालने की कोशिश नहीं की है बल्कि नेशनल रिक्वायरमेन्ट को पूरा करने की कोशिश की गई है।

अभी यहां पर यह भी बात सोची गयी कि किन-किन मदों में रकमें दी गई हैं, मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर ने जब अपना जवाब दिया था तो उन्होंने इसके साथ शिड्यूल लगा दिया था गारन्टी और काउन्टर गारन्टी क्या है, रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट क्या है और कमीशन क्या होगा? यह सब बात उसमें लिखदी हैं। जब राजस्थान सरकार के सामने यह योजना प्रस्तुत हुई, इस बात का पता लगा कॉर्पोरेशन की ओर से यह मांग की गई थी कि रिवाइज्ड प्लान के मुताबिक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिये रुपयों की जरूरत है। राजस्थान सरकार ने अपने पास से नहीं दे दिया। उन्होंने इन्डस्ट्री के महत्व और सारे सरकमस्टान्सेज को समझते हुए चीफ मिनिस्टर महोदय ने गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को लिखा कि वह महत्वपूर्ण इन्डस्ट्री है इसके लिये चार विकल्प हो सकते हैं। एक विकल्प तो यह है कि भारत सरकार राजस्थान सरकार को रुपया दे और उस रुपये से इस इन्डस्ट्री को टेक ओवर करे। गारन्टी में जो कन्डीशन्स हैं उनमें कोई खिलाफवर्जी हो तो छः महीने बाद उस इन्डस्ट्री के मेनेजमेन्ट को टेक ओवर कर सकते हैं ऐसा अधिकार है। गारन्टी की किसी कन्डीशन के ब्रीच होने पर उसको टेक ओवर करके सरकार चलाये। गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया पांच-छः करोड़ की राशि दे जिससे यह स्टेट सेक्टर में चल सके। दूसरा सुझाव यह था कि इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एन्ड रेग्युलेशन एक्ट, १९५१ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार जिस इन्डस्ट्री को टेक ओवर करे उसके लिये कन्ट्रोलर मुकर्रर करे और जिस एक्ट के अन्तर्गत हिन्दुस्तान में दूसरी इन्डस्ट्रीज को लिया गया है और चलाया गया है उसी प्रकार इसको चलाये।

तीसरा सुझाव यह रखा था कि गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया इस कन्सर्न में जो उनके मेजर शेयर्स हैं उनको खरीद ले और उससे मेनेजमेन्ट उनके पास आ जाय और फिर उसको चलाये और फाइनेन्स की पूर्ति करे। चौथा सुझाव यह दिया था कि इस इन्डस्ट्री का नेशनेलाइजेशन किया जाय जिससे गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया इसको पब्लिक सेक्टर में चलाये।

ये चार सुझाव गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को दिये गये थे। वहां पर गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया में मि० कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई गई। उस कमेटी ने सारे मामले को देखा था। उस वक्त लोन देने से इन्कार कर दिया था। यह मामला चलता रहा। पी. टी. आई. ने जैसी कि सूचना कन्वे की है परसों रात को गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की एक हाई पॉवर कमेटी ने यह फैसला लिया है कि इस जिंक स्मेल्टर प्लान्ट को गवर्नमेन्ट मेनेजमेन्ट में टेक ओवर करलें और हम इसको चलायें क्योंकि नेशनल डिफेन्स रिक्वायरमेन्ट्स को मीट करने के लिये इस इन्डस्ट्री की बहुत आवश्यकता है। कर्जा उनको दिये जाने का जहां कहा जाता है उसके बजाय यह आल्टरनेटिव अच्छा है। जब कि यह कहा जाता था

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
कि उसके लिये इतना कर्जा नहीं देना चाहिये। यह पी. टी. आई . की रिपोर्ट के आधार पर मैंने आप से कहा है। हमने इसकी जानकारी करने की कोशिश की लेकिन हम अभी तक किसी कॉम्पिटेन्ट ऑथोरिटी से इसके बारे में जान नहीं पाये हैं। आज वहां छुट्टी है इसलिये एक तरह से इसकी विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है लेकिन इस खबर पर विश्वास किया जा सकता है। वहां से हम इसकी विशेष जानकारी करेंगे कि वास्तव में क्या डिसिजन्स लिये गये हैं, और उनकी क्या डिटेल्स हैं?

तो यह मैंने संक्षिप्त में जानकारी दी इस इन्डस्ट्री के बारे में। यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार ने अपनी गारन्टी और काउन्टर गारन्टी से जो भी रेस्पोन्सिबिलिटी ली है अपने में वह किसी तरीके से खतरे में नहीं है और हमारी मान्यता है कि हमको कोई दिक्कत नहीं होगी।

मैंने यहां इस कम्पनी के जो फिक्स्ड असेट्स हैं उनके सारे फीगर्स बता दिये हैं। ओवर एन्ड अबाउ लाइसेन्स वेल्युएशन आदि नहीं बताये। जो चीज हो चुकी है उसकी मार्केट वेल्यू भी बढ़ गई है वह भी इसमें कन्सीडर नहीं किया गया है। मैंने सिर्फ बुक वेल्युएशन के आधार पर यह बात बताने की कोशिश की है इससे माननीय सदस्यों को सन्तोष होना चाहिये।

जहां तक गवर्नमेन्ट के मेनेजमेन्ट में जाने की बात है गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के टेक ओवर करने के बारे में, इसके कॉर्पोरेशन के बारे में, और चीजों के बारे में विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं रहती है और न विस्तृत चर्चा करना जनहित की दृष्टि से भी ठीक रहेगा। जब यह गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के पास जा रहा है तो वहां भी हम हमारा इन्ट्रेस्ट सेफ गार्ड करेंगे। आगे चल कर क्या स्थिति होगी उसकी समय-समय पर जानकारी दी जायगी। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप यह तो बतलाइये कि जो ३ करोड ४५ लाख . . .

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !! माननीय सदस्य !

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : गलत बात क्यों कहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर! आर्डर!! आप इसको आगे न बढ़ाइये। इसके लिये जो निर्धारित समय था वह निकल चुका है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : पहले बजट के समय बताया था कि यह प्रोडक्शन करने लग जायेगा इस तरह की झूठी बात क्यों कहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !! आप बहस को न दोहराइये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : गलत बातें क्यों कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !! माननीय सदस्य !

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप जाकर देखिये, क्या ३ करोड ४५ लाख की वहां मशीनरी है क्या ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर ! ! माननीय सदस्य को मालूम है कि हमें आज ही सारे काम को खत्म करना है । फिर भी मैंने इसकी विशेषता को ध्यान में रखते हुए इसके लिये आधा पौन घंटे का समय दिया इससे भी आप सन्तुष्ट नहीं हैं, तो यह गलत बात है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : गारन्टीज, एग्रीमेन्ट्स आदि जो हैं उनकी कॉपीज तो सदन की मेज पर रखने के लिये आज्ञा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : इस समय इस बारे में कोई चर्चा नहीं होगी ।

(१.३३. म. प.)

अनुपस्थिति हेतु अनुमति

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम चौहान ने दिनांक २० सितम्बर से इस सत्र के चलने तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है ।

क्या माननीय सदस्यों की अनुमति है कि आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, इसमें व्यवस्था का प्रश्न है । जो माननीय सदस्य राज्य सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा किन्हीं आदेशों के अन्तर्गत जेलों में हैं उनको हाउस अटेन्ड करने के लिये कोई फ्री विल नहीं हो सकती इसलिये उनके द्वारा छुट्टी का चाहा जाना भी कोई मायने नहीं रखता । वे यदि सदन में आना भी चाहें तो वे नहीं आ सकते । इसका साफ मतलब यह है कि किसी भी सदस्य को यहां आने की फ्री विल नहीं हो सकती ।

इसी तरह से माननीय सदस्य श्री हरिराम को फ्री विल इस बात की नहीं है कि वे इस सदन में उपस्थित हो सकें । ऐसी स्थिति में जब कि उनकी कोई चॉइस नहीं, उनका छुट्टी के लिये आवेदन करना और सदन द्वारा उसकी स्वीकृति देना कोई मायने नहीं रखता । वे डिफेन्स ऑफ इन्डिया रूल्स के तहत नजरबन्द हैं । उनको छुट्टी देने या न देने से उनके अधिकारों में कोई फर्क नहीं पडता और इस तरह से हमारा उनको छुट्टी देना न शोभनीय ही है । इस वास्ते मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जो सदस्य डी० आई० आर० के तहत गिरफतार हैं और जो यहां सदन की बैठकों में शामिल होने के लिये नहीं आ सकते उनको छुट्टी की दरख्वास्त देने की आवश्यकता नहीं है और न उसको मन्जूर ही करने की आवश्यकता है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुराणा ने जो आपत्ति की है कि माननीय सदस्य श्री हरिराम चौहान ने विधान सभा की कार्यवाही से अनुपस्थित रहने की जो प्रार्थना की है उसके लिये आज्ञा प्रदान न की जाय, और न इसकी आवश्यकता है ।

इस संबंध में पहले तो मैं यही कहूंगा कि इस बारे में मतदान हो चुका है और उनको

(श्री अध्यक्ष)

अनुपस्थिति के लिये आज्ञा मिल चुकी है ।

जहां तक यह प्रश्न है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, यह एक कानूनी प्रश्न है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ऐसा कई अदालतों का और कई व्यक्तियों का मत है कि कोई सदस्य कितने ही समय के लिये डिटेन्शन में है या किसी तरह से कानून के अन्तर्गत बन्दी है उनका वह समय सदन में अनुपस्थित रहने के लिये नहीं गिना जा सकता यानी उनको उपस्थित मान लिया जाय । इस प्रकार अनुपस्थित होने से कई परिणाम निकलते हैं उनसे बचने के लिये जो उनका पत्र आया वह सदन के समक्ष रखा गया जो कि उचित है । इससे जो भी परिणाम निकल सकते हैं, कुछ पेचीदगियां निकल सकती हैं संभवतया उससे नुकसान भी हो सकता है उससे बचने के लिये कानूनी दृष्टि से यह उपयुक्त बात है और उसी लिये यह प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा है, और जिसको सदन ने स्वीकार भी कर दिया है । इस संबंध में जो माननीय सदस्य ने आपत्ति प्रस्तुत की है वह मैं स्वीकार नहीं करता ।

अब जो आगे सदन की कार्यवाही है उस संबंध में बहस की जायगी । समाज कल्याण मंत्री श्री अमृतलाल यादव अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

(१.३५ म. प.)

अनसूचित जातियों तथा अनसूचित जनजातियों के आयुक्त के ग्यारहवें तथा बारहवें प्रतिवेदनों पर विचार-विमर्श

श्री अमृतलाल यादव (समाज कल्याण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के आयुक्त की ११ वीं रिपोर्ट १९६१-६२ तथा १२ वीं रिपोर्ट १९६२-६३ जो दिनांक ८ अक्टूबर, १९६५ को सदन की मेज पर रखी गई थी, जहां तक उनका राज्य सरकार से संबंध है, विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । श्री जयनारायण सालोदिया !

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की जो रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत हुई उस पर बहस हो रही है। इस रिपोर्ट पर जो विचार करने के लिये आज का दिन नियत किया गया है वह उसके लिये बहुत थोडा समय है। हम जो लोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित आदिम जाति से आते हैं वे इस बात का अनुभव करते हैं और उनकी यह धारणा रही है कि जो रिपोर्ट हर साल प्रस्तुत होती है उस पर हर साल विचार हो और उसके लिये पर्याप्त मात्रा में उचित समय मिले। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मुझे यह ख्याल है कि इसी प्रकार की रिपोर्ट दो साल पहले इस हाउस में आयी थी। उसके बाद आज हम फिर इसी प्रकार की रिपोर्ट पर बहस कर रहे हैं। आज ही यह हाउस स्थगित होने वाला है इसलिये इस पर दो तीन घंटा ही विचार हो सकेगा। मैं अध्यक्ष महोदय, आपको सब की ओर से प्रार्थना··

Page No 70

(श्री जयनारायण सारोदिया)

करता हूं कि यह विषय एक जटिल विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, ठंडे दिल से पूर्ण स्वतन्त्रता से इस पर विचार करने के लिये पूरा समय हमें मिलना चाहिये। इसके साथ-साथ में आपसे यह भी प्रार्थना करूंगा कि इसके लिये जो आज का समय निर्धारित किया गया है उस समय में वृद्धि करेंगे ताकि इस रिपोर्ट पर इधर से आने वाले और उधर बैठने वाले सभी माननीय सदस्य अपने विचार प्रस्तुत कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने इन रिपोर्ट्स को पढ़ा है और जो सुझाव इन रिपोर्ट्स में दिये गये हैं पहले भी जिन रिपोर्ट्स द्वारा सुझाव दिये गये मुझे यह मालूम है कि उन पर सरकार ने विचार नहीं किया और जितना अमल होना चाहिये उतना उन पर अमल भी नहीं किया। जो जो भी सुझाव कमेटी ने दिये हैं उनको हमारी सरकार ने पूर्णतया नहीं माने हैं। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जिस परपज के लिये, जिस काम के लिये कमेटी नियुक्त हो, उसकी जो सिफारिशें हों उनका पूरी तरह से पालन होना चाहिये।

राजस्थान में अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के उत्थान के लिये एक अलग से विभाग है जिसका नाम समाज कल्याण विभाग है।

जब से यह विभाग स्थापित हुआ है इसके बजट में लाखों रुपयों का प्रावधान किया गया है, लेकिन मैं निश्चित तौर से अर्ज कर सकता हूं कि जितना रुपया बजट में इन जन-जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की भलाई के लिये रखा गया उसका अधिकांश हिस्सा इसी विभाग के काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाहों में, अफसरों के टी. ए. और डी. ए. में, गाडियों के पैट्रोल आदि में ही फूंक दिया जाता है। जहां तक मैं जानता हूं मैं पूर्ण जानकारी के साथ पूर्ण जिम्मेदारी के साथ यह कहने की स्थिति में हूं कि विभाग का जितने रुपये का बजट है उसका कुछ अंश मात्र ही आखिरी छोर तक, आखिरी स्तर तक, पंचायत स्तर तक अथवा गांव स्तर तक पहुंच पाता है। इस कुछ अंश में से भी राजनैतिक पार्टी बन्दी के आधार पर उसे कुछ ऊपर के लोग ही खा लेते हैं, जिन लोगों के पास वह हिस्सा पहुंचना चाहिये, जो इसके वास्तव में हकदार हैं, जिनको वास्तव में मदद यह मिलनी चाहिये और जिनके लिये यह मदद दी जानी चाहिये उनको वह नहीं मिलती है। जो राजनीति में चालाक लोग हैं, कुछ ज्यादा पढे-लिखे बन गये हैं, जिनको जानकारी होती है कि यह रुपया कैसे मिल सकता है, वे लोग ले जाते हैं। लेकिन आम लोग जो देहातों में रहते हैं, पढे-लिखे नहीं हैं, जिनको यह रुपया प्राप्त करने की प्रक्रिया भी मालूम नहीं है, उन तक यह पैसा नहीं पहुंच पाता।

इस विभाग के द्वारा जो-जो कार्य किये जाते हैं, मैं समझता हूं, वे कार्य भी सन्तोष-प्रद नहीं हैं। मैं यह भी कह सकता हूं कि विभाग सिर्फ कुछ लोगों को, कुछ अफसरों को काम देने की दृष्टि से कुछ भाई-भतीजों को खपाने की दृष्टि से राजस्थान में ऐसे लोगों की बेकारी और बेरोजगारी दूर करने की दृष्टि से भले ही उपयुक्त हो सकता है, पर यह कहना कि इस विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का भला

(श्री जयनारायण सालंदिया)

होने वाला है, मैं पूर्ण जिम्मेदारी से कह सकता हूं, यह विभाग सौ साल में भी उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता जिस स्तर तक उसे पहुंचना चाहिये, जिसकी आशा हम करते हैं और जो आशा सरकार बन्धाती है।

इस विभाग की जो कार्य-प्रणाली है, ढंग और तारीका है, वह हम इन नये दसों सालों से देखते आ रहे हैं। जिस तरह से रेंग-रेंग कर कछुए की चाल से यह विभाग चल रहा है, वहां वह घोडे और ऊंट की चाल से चलने वाले दूसरे विभागों से क्या कम्पीटीशन कर सकेगा?

जो पिछडा वर्ग पहले से ही है, उसको फिर यह पिछडा हुआ और रेंगता हुआ विभाग मिल गया तो इससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि हम उन लोगों की कम्पीटीशन में पहुंच कर समानता का स्तर प्राप्त कर सकते हैं।

मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि मन्त्रि-मण्डल के स्तर पर भी इस विभाग पर जहां तक मेरी जानकारी है, कोई ठोस विचारधारा, ठोस कार्यक्रम या ठोस नीति नहीं अपनाई जाती है। और जैसी हर समय यह भावना लोगों को आत्मा में रहती है कि चलो यह विभाग खोल कर हमने उन लोगों का मुंह बन्द कर दिया है, हम हमेशा बजट अधिवेशन या रिपोर्ट के अन्दर उसके आधार पर या अखबारों या उसके आधार पर तैयार किये गये लाखों-करोडों के आंकडों के भंवर-जाल प्रस्तुत करेंगे, जो भंवर जाल अनुसूचित जन-जाति और जाति के लोगों के पचासों वर्षों में भी समझ में नहीं आ सकता कि किस-किस तरह से कितना रुपया खर्च करती है यह सरकार और वह रुपया हमारे पास पहुंच पाता भी है या नहीं?

मैं राज्य सरकार की भावना को यहां तक भी महसूस करता हूं कि अच्छे-अच्छे लोगों की, मैं यह भी कहने में संकोच नहीं करता हूं कि कांग्रेस के लोग हमेशा यह कहते हैं, उनका हमेशा यह नारा रहा है कि हम हरिजनों के प्रतिनिधि हैं, हम गांधीजी के बताये रास्ते पर चलकर हरिजनों को ऊंचा उठाना चाहते हैं, उन संस्था के बडे-बडे आदमियों की जो संकुचित विचारधारा है उसका कुछ चित्र मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

समाज कल्याण विभाग जब से किसी मन्त्री के पास रहा वह मन्त्री इसी समाज का रहा या यदि किसी अन्य समाज के व्यक्ति के पास रहा तो वह भी नहीं के बराबर प्रभाव वाले के पास रहा। और जो मन्त्रि-मण्डल में अनुसूचित जाति के और जनजाति का प्रतिनिधि है उनको हमेशा उन लोगों ने इस स्तर का समझा है कि वे समाज कल्याण और इस तरह के विभाग और नाम मात्र के प्रतिनिधित्व वाला विभाग दे देते हैं। कोई असरदार विभाग नहीं देते उनको कि जिससे उनका दिमाग का विकास हो सके। अफसर भी इनको और इनके विभाग को सीरियसली नहीं लेते हैं और उनका असर इस तरह इस विभाग में भी नहीं है।

मैं इसका एक और सुबूत देना चाहता हूं। मुझे दुःख हुआ जब नये चार मन्त्री यहां हाउस में आकर बैठे और हमारे जो अनुसूचित जाति और जनजाति के मन्त्री यहां जहां पहले आगे की सीट पर बैठते थे, उनको पीछे की सीट पर बिठाया गया और वे नये मन्त्री जब कल आये हाउस में मन्त्री

(श्री जयनारायण सालोदिया)

के रूप में तो आगे आकर बैठे। हाउस इसको सीरियसली लेता हो या नहीं लेता हो, मगर मुझे तो यह जानकर बहुत दुःख हुआ कि आज भी उनकी यह भावना है, आज भी गांधीजी और नेहरू जी के चेलों की यह भावना है कि आया वे लोग ब्राह्मण हैं, बनिया हैं इसलिये आगे बैठने के अधिकारी हैं और शिड्यूल्ड ट्राइब के मन्त्री को पीछे बैठना चाहिये क्योंकि वे पिछड़ी जाति के हैं। वे उनको अपने समान स्तर के मन्त्री नहीं समझते। उनका समान स्तर मन्त्रि-मण्डल में नहीं मानते। मैं डिप्टी मिनिस्टर तक की भावना देखता हूं। हमारे यहां के एक डिप्टी मिनिस्टर हैं, उनका चौथी कुर्सी पर नम्बर आता है, चौथी कतार में नम्बर आता है।

श्री गोकुलचन्द जाटव (कठूमर) : आप तो आगे की कुर्सी पर बैठते हैं ?

श्री जयनारायण सालोदिया : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं यह भावना प्रदर्शित करना चाहता था कि इन लोगों की, जो हिन्दुस्तान को ऊंचा उठाना चाहते हैं, जो हरिजनों को और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को ऊंचा उठाना चाहते हैं, उनकी इस तरह की आन्तरिक भावना है जिसका प्रदर्शन वे इस तरह से करते हैं। वही सागडी प्रथा है। छुआछूत में विश्वास करते हैं। आज भी ऊंच-नीच की भावना में वे विश्वास करते हैं और विधान सभा जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर भी इस प्रकार की भावना रखते हैं। इसके पीछे उनकी क्या थ्योरी है ? वे इस भावना को खत्म करने का ढोंग मात्र रचते हैं। इसका मैंने एक यह उदाहरण प्रस्तुत किया है।

एक तो हमारे प्रतिनिधि को अच्छा विभाग नहीं दिया जाता, अच्छी जगह भी नहीं दी जाती। वे यह भी नहीं चाहते कि वे समान कुर्सी पर बैठ सकें। तो फिर उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि मन्त्रि-मण्डल की मीटिंग में उनकी बात सुनी भी जाती होगी ? उनके प्रोग्रामों पर विचार और निर्णय लिये जाते होंगे। समाज-कल्याण की बात करते होंगे तो और मन्त्री विचार करते होंगे ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ में अब इस विभाग के द्वारा जो काम किया जाता है उनका एक एक करके जिक्र करता हूं।

इस विभाग के द्वारा मकान सहायता के लिये रुपया दिया जाता है, रुपया दिये जाने का तरीका पंचायत समिति के द्वारा रखा गया है, जहां तक मुझे खयाल है और जहां म्युनिसिपैलिटीज हैं वहां उनके द्वारा दिया जाता है। । मुझे अच्छी तरह से मालूम पड़ता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले इस विभाग के द्वारा इसका जितना बजट था और पैसा था मकान सहायता का, कुए का, जमीनों का, बैल का, दवाइयों का, छात्रवृत्ति का या प्रशिक्षण के लिए सहायता का, यह सारा पैसा इस विभाग के द्वारा डाइरेक्ट खर्च किया जाता था लेकिन कुछ दिनों से इस विभाग में प्रगति हुई है और यह विभाग एक नाममात्र का विभाग रह गया है और इधर से उधर चिट्ठी देने वाला डाक विभाग सा रह गया है क्योंकि इस विभाग का जितना बजट है, हैल्थ का बजट आपने हैल्थ डिपार्टमेन्ट को दे दिया, छात्रवृत्ति का जितना बजट है वह आपने शिक्षा विभाग को दे दिया, मकान, कुए और बैलों आदि की सहायता

Page No 73

(श्री जयनारायण सालोदिया)

का काम पंचायत समितियों को दे दिया। इस तरह से यह पैसा जिन सही आदमियों को मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता है।

मैं जिस पंचायत समिति से आता हूं उस पंचायत समिति की मीटिंग में जब भी मैं जाता हूं और पूछता हूं कि समाज-कल्याण विभाग की क्या क्या योजनायें हैं—वहां पर आपके विभाग के समाज-कल्याण इन्सपेक्टर या अधिकारी हैं वे भी वहां पहुंचते हैं उनसे एक ही उत्तर मिलता है कि इन सब प्रवृत्तियों का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि सारा पैसा राज्य सरकार की आज्ञा से अलग-अलग विभाग को दे दिया है। वे कहते हैं कि हम तो इतना ही देख सकते हैं कि जितना रुपया जिस पंचायत समिति में या म्युनिसिपैलिटी में दिया है वह खर्च हुआ है या नहीं। इसके लिए भी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। जैसा कि निवाई पंचायत समिति के लिए जितना रुपया समाज-कल्याण विभाग से गया है पंचायत समिति में उतना रुपया लोगों में बंटा है उन्होंने वह काम करवाया या नहीं, इसका कोई सर्टीफिकेट उनके पास नहीं है, इसका कोई रेकॉर्ड उनके पास नहीं है। और जहां तक मैंने बताया कि आज इस युग में भी–१८ साल आजाद होने के बाद में भी एकमात्र यही भावना है कि यह शिड्यूल्ड कास्ट का मामला है, यह शिड्यूल्ड ट्राइब्स का मामला है, यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की रिपोर्ट है, यह उसका बजट है और बहुत ही निम्न स्तर का मामला है और जैसे चलता है वैसे ही चलने दो। जब तक यह भावना ठीक नहीं होगी हम करोड़ों रुपया खर्च करें, हम दो-दो विभाग इसके बना दें, हम गाडी और पैट्रोल में पैसा खर्च कर दें लेकिन जब तक हम हमारी भावनाओं को साफ नहीं करेंगे, जब तक हम यह महसूस नहीं करेंगे कि यह समाज का एक आवश्यक अंग है और इनके बिना देश और समाज आगे नहीं बढ सकता तब तक यह सब व्यर्थ है। कुछ अपने लोगों को काम दिलाऊं महकमा है। इसी तरह से इस विभाग के द्वारा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ मकानों की सहायता के लिए जैसा मैंने अर्ज किया कि इस विभाग के द्वारा कुछ पंचायत समितियों को और म्युनिसिपैलिटीज को रकम दे दी गई है........

श्री अमृतलाल यादव: भावना ऐसे होती है कि प्रेस गेलेरी में एक भी पत्रकार नजर नहीं आता।

श्री जयनारायण सालोदिया : शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का मामला है, इसलिए नजर नहीं आते हैं। यह पत्रकारों की ही बात नहीं है। मैं हाउस में भी नजर डालता हूं तो जितने शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के संबंधित सदस्य हैं वही विराजमान हैं, दूसरे नहीं हैं।

श्री अमृतलाल यादव : आपकी तरफ भी तो पहली रो (row) पर आप ही विराजमान हैं।

एक माननीय सदस्य : इस समय आपकी रिपोर्ट पर विचार हो रहा है।

श्री जयनारायण सालोदिया : अगर आप उचित समझेंगे तो मैं भी कल से पीछे ही बैठ जाऊंगा।

श्री अमृतलाल यादव : मैं यह कह रहा हूं कि आपकी तरफ भी पहली रो में आप ही अकेले हैं, दूसरे कोई नहीं हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का लक्ष्य आप नहीं हैं। मैं आपकी तरफ ही कहता हूं, लेकिन मैं इसलिए कहता हूं कि आपने ठेकेदारी ले रखी है कि हरिजनों का उत्थान तो कांग्रेस के सिवाय दूसरे नहीं कर सकते। मैं आपकी इस गारन्टी को चेलेन्ज करता हूं....

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सहाडा) : यह कोई कांग्रेस के लिए नहीं है, एक पार्टी के लिए नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपकी समझ में आने वाली बात नहीं है।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : आपकी समझ में नहीं आई इसीलिए कह रहा हूं।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कॉलोनीज बसाई जाती हैं उनमें भी यही भेदभाव होता है। मैं जयपुर के लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जयपुर के बरामदे के अन्दर, जयपुर की चारदीवारी के अन्दर जितनी बस्तियां हैं, जितने भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कच्चे मकान हैं, सरकार धीरे-धीरे उनका एक्स, वाई, जेड, स्कीम के नाम से कभी कहती है कि यहां से सडक निकलेगी, कभी सरकार कहती है कि सिनेमा हाल बनेगा कभी सरकार कहती है कि यहां पार्क बनेगा और कभी सरकार कहती है कि बडी बदबू आ रही है इसलिए वहां से उन लोगों को दूर भेजना चाहते हैं। इन सब भावनाओं से प्रेरित होकर जयपुर से दूर-दूर उन लोगों को फेंका जा रहा है। कहते तो यह हैं कि हम आपको गले लगाने वाले हैं और समानता का व्यवहार करने वाले हैं लेकिन धीरे-धीरे हमें १८ साल का अनुभव हुआ है कि हरिजन जाति की कॉलोनीज शहर से दो-दो और तीन-तीन मील दूर बसाई जा रही हैं। अलग-अलग नाम से बसाई जा रही हैं। हरिजन बस्ती उनका नाम रखा जाता है ताकि भूलेचूके हमारे लड्ढा साहब या नाथूराम जी वहां न आ सकें, इसलिए उनके ऊपर साइन बोर्ड लगा दिये जाते हैं "हरिजन कॉलोनी"।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने आपके द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित किया कि यह अलगाव की भावना, अलग रहने की भावना शनैः शनैः पहले के बजाय अब बढती जा रही है। मैं यहां तक कह सकता हूं कि दफ्तरों में जितने भी बाबू हैं शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के उनके गिलास दराजों में होते हैं और दूसरी जाति के जितने भी बाबू लोग होते हैं उनके गिलास अलग दराजों में होते हैं...

श्री अमृतलाल यादव: कौन से आफिसेज में?

श्री जयनारायण सालोदिया : हर आफिस में ऐसा हाल है। कोऑपरेटिव को ले लीजिए, समाज-कल्याण में भी यही हिसाब है। मैं यह पूछ सकता हूं मंत्री महोदय से कि समाज-कल्याण विभाग, जो कि हरिजनों के लिए बनाया गया है उसमें कितने प्रतिशत हरिजन हैं, कितने ऑफिसर्स हरिजन हैं, कितने बाबू हरिजन हैं, कितने एल. डी. सी. और यू. डी. सी. हरिजन हैं? मैं चाहता हूं कि उस विभाग में तो इस प्रकार की बात करके आप उत्तर देते तो अच्छा होता। इसी के

(श्री जयनारायण सालोदिया)

साथ-साथ छुआछूत के संबंध में भी एक बात कहना चाहता हूं। जब से यह कानून इस सदन में पास हुआ है आज तक वह कानून भी उसी तरह से बैकवर्ड कानून की लिस्ट में आता है। सबसे पीछे रखा होगा। मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि उसमें भी आज तक उस कानून के तहत में १० मामले भी राज्य सरकार नहीं बना पाई होगी, हमारी पुलिस ने भी १० मामलों में चालान नहीं किया होगा। क्या आप समझते हैं कि छुआछूत दूर हो गई है, मन्दिरों में हरिजनों का प्रवेश हो गया है, रेस्टोरेन्ट में प्रवेश हो गया है? आप समझते हैं कि हजामतें बनने लगी हैं, छुआछूत दूर हो गई? यह केवल आपकी भावना है......

श्री अब्दुलजब्बार खां (निम्बाहेडा): हजामत तो बनने लगी है।

श्री जयनारायण सालोदिया: हजामत तो आप हमारी बनाने लगे हैं।

(२.०० म.प.)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सिलसिले में मैं जमीनों के सम्बन्ध में भी एक बात अर्ज कर देना चाहता हूं। जितनी जमीनें अलॉटमेन्ट के द्वारा अलॉट की जाती हैं उसमें इसी तरह के आदेश गवर्नमेन्ट के हो सकते हैं, गवर्नमेन्ट के सर्क्युलर हो सकते हैं कि इतने प्रतिशत हरिजनों को दिया जाय। लेकिन जहां तक, मैं अलॉटमेन्ट कमेटी का सदस्य हूं, मेरी जानकारी है, जिस प्रतिशत तक लोगों को जमीन मिलनी चाहिये, वह नहीं दी जाती है। उनकी दरख्वास्तें खारिज कर दी जाती हैं, उनकी दरख्वास्तों पर पटवारी गलत रिमार्क लगा देता है, तहसीलदार गलत रिमार्क लगा देता है। इस तरह से इस कमजोरी के साथ अलॉटमेन्ट कमेटी के सामने उनकी दरख्वास्त पेश करते हैं कि जिसमें सिवाय खारिज करने के कोई रास्ता ही नहीं रह जाता है। इसी तरह से अगर कुछ प्रतिशत जमीन उनको अलाट भी हो जाती है तो उन पर लडाई झगडे खडे हो जाते हैं। उनको समय पर पट्टा नहीं मिलता है उनको समय पर कब्जा नहीं मिलता है और, अध्यक्ष महोदय, उनको लडाई का शिकार होना पडता है। इसी सिलसिले की एक वारदात, जो मेरे क्षेत्र के अन्दर ही ताजा हुई है, वह मिसाल आपको दे सकता हूं। यह कोई आठ रोज से भी कम हुए हैं, वहां पर जमीन का झगडा हुआ है और उस लडाई में एक व्यक्ति का तो कत्ल हो गया है और दूसरा व्यक्ति मरणावस्था में पडा हुआ है। यह जामडेल पंचायत के बारेठा गांव का मामला है। इसका कारण यही है कि सरकार खुद छुआछूत करती है, सरकार उनकी कोई मदद नहीं करना चाहती है। जो बैरवा जाति के लोग हैं उन अनुसूचित जाति के लोगों की सवर्ण लोगों ने हत्या कर दी, एक तो कत्ल कर दिया और दूसरा निवाई के अस्पताल में मरणावस्था में पडा हुआ है।

इसी तरह से नहरी जमीन के बारे में भी मैं अर्ज कर देना चाहता हूं। आप चाहते हैं कि हरिजनों का उत्थान हो लेकिन आप जानते हैं कि जब तक उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं कर देंगे तब तक उनका उत्थान नहीं होगा। इस लिये मैं सरकार से निवेदन कर देना चाहता हूं कि नहरी जमीन का कुछ हिस्सा, कुछ प्रतिशत हिस्सा हरिजनों के लिये सुरक्षित रखिए और उनको नहरी जमीन दीजिए। जहां तक मेरी जानकारी

(श्री जयनारायण सालोदिया)

है कुछ गांवों में मोटे तौर पर एक दो आदमियों को इसलिये जमीनें दी हैं कि विधान सभा में लड्ढाजी खडे होकर कह सकें कि इतने प्रतिशत को जमीनें दी गई हैं। इसलिये एक-दो आदमियों को खराब जमीनें, जहां और लोग जाना पसन्द नहीं करते होंगे, वहां पर हरिजनों को जमीनें दे दी जाती हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि जमीनों के अगर वास्तविक हकदार कोई हैं, अगर वास्तव में जमीनों की किसी की कमी है तो वह हरिजनों को है। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हो, उनका उत्थान हो तो वह तभी हो सकता है जब आप उनको जमीनें दें। उनको रहने के लिये अच्छी जमीनें दें, उनको खेती के लिये अच्छी जमीनें दें। केवल विधान सभा में नारे लगाने से या रिपोर्ट प्रकाशित करने से उनकी आर्थिक उन्नति या प्रगति नहीं होने वाली है।

मैं सरकारी नौकरियों के बारे में भी कुछ अर्ज कर देना चाहता हूं। कुछ प्रतिशत सरकार ने फोर्थ क्लास और बाबुओं या अन्यों में तय की हैं। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सब दफ्तरों में जितना प्रतिशत हमारा रिजर्व है वह सबका सब इस क्लास का पूरा हो गया है। जहां तक मुझे मालूम है, नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो इसका कारण क्या है? कारण एक मात्र यही है कि हमारा ठोस प्रतिनिधित्व नहीं है या हमारे प्रतिनिधियों को कोई नहीं लेते हैं। मैं जहां तक, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी है, सब दपतरों के लिए कह सकता हूं कि आज राजस्थान में एक भी दफ्तर ऐसा नहीं है, आप एक भी दफ्तर ऐसा नहीं बता सकते जिसमें जो प्रतिशत निश्चित् है, उस प्रतिशत तक गजटेड आफिसर्स में या बाबुओं में या चपरासियों में या इसी तरह की सब क्लासों में ये लोग हों। मैं सरकार से निवेदन कर देना चाहता हूं कि जब तक इनका सुरक्षित कोटा पूरा नहीं हो जाता है तब तक आप इस तरह का आदेश निकालदें, इस तरह का एक हुक्म निकालिए कि जिससे जब तक इनका कोटा पूरा नहीं होगा अन्य किसी आदमी को अन्य किसी पोस्ट पर नहीं लिया जायगा?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : आदमी मिलेंगे ही नहीं तो क्या करेंगे?

श्री जयनारायण सालोदिया : जब तक आप इस तरह की बात नहीं करेंगे तब तक यह कोटा पूरा होने वाला नहीं है। जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने कहा कि उपयुक्त आदमी नहीं मिलते हैं, मुझे मालूम है कि उपयुक्त आदमी हैं और मैं विधान सभा में खडा होकर कह सकता हूं कि हरिजनों में उपयुक्त आदमी हैं, लेकिन उनको जगह नहीं मिलती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने कहा कि उपयुक्त आदमी हैं, मैं मेरे जितने विभाग हैं उनके बारे में मैं आपको कह सकता हूं कि जितनी केटेगरीज टैक्नीकल आदमियों की हैं उनके अन्दर आपके पास जितने भी उपयुक्त आदमी हों, मैं आज सबको लेने के लिए तैयार हूं। इसके अलावा, जितनी दूसरी केटेगरीज हैं; बाबू, चपरासी वगैरह इसमें बराबर लिए जा रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : मैं भी कह सकता हूं कि अभी मेरे विभाग में पांच सौ पटवारी लिए गए थे

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
उसमें से २५० पटवारी इनमें से लिए गए हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं यह कह सकता हूं. . .

श्री गोपीलाल गोठवाल (फागी) : यह बिल्कुल झूठ है, कोई ढाई सौ पटवारी यहां नहीं लिए गए हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं सारे राजस्थान के बारे में कह रहा हूं।

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री गोपीलाल गोठवाल : यह बिल्कुल झूठ है, कोई ढाई सौ पटवारी नहीं लिए हैं और न किसी दफ्तर में पूरे आदमी शिड्यूल्ड कास्ट के हैं, यह मुझे मालूम है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर) : आपको संतोष हो गया होगा, लड्ढा साहब!

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय और उप-मन्त्री महोदय ने साहसपूर्वक कहने की हिम्मत की थी शायद, लेकिन उनको इसका उपयुक्त जवाब मिल गया है और अब इस बारे में मुझे अधिक कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो यह निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि मन्त्री महोदय अपने विभागों में नहीं जाते होंगे लेकिन हम लोग, विधान सभाई लोग, ऐसी मशीनरी हैं जिनका हर विभाग से सम्बन्ध रहता है, हर विभाग में हम स्वयं जाते हैं और स्वयं की जानकारी के आधार पर ही यहां कुछ कहते हैं। आप सरकारी आंकडों के आधार पर कहते हैं। हम स्वयं जानकारी करते हैं और स्वयं की जानकारी होने से वह फैक्ट है। मैं कह सकता हूं कि आज भी एक दफ्तर राजस्थान में ऐसा नहीं है जिसमें पूरा इस तरह का कोटा हो। आज भले ही जो आज भर्ती करते हैं तो उसमें ले लेते होंगे लेकिन मैं तो सबकी बात करता हूं कि जहां २०० बाबू हैं किसी दफ्तर में तो क्या आप ५० बाबू इनके रखते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : जब से रूल्स बने हैं तब से रखते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : मेरा तो कहना यह है कि जब तक उन लोगों का कोटा पूरा नहीं हो जाता दूसरों को क्यों लेते हैं? अगर आप. . . . . .

श्री नाथूराम मिर्धा : मिलें नहीं तब क्या हो?

श्री जयनारायण सालोदिया : मिलें क्यों नहीं, सब उपलब्ध हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं टैक्निकल आदमियों की बात कर रहा हूं।

श्री जयनारायण सालोदिया : ये टेक्निकल भी आपने कब होने दिए?

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह माननीय मन्त्री महोदय ने मुझे बहुत अच्छा याद दिला दिया। जब भी टेक्निकल आदमियों के प्रशिक्षण का काम आता है, कहीं पर भी किसी को विदेश में भेजने का सवाल आता है, स्पेशेलाईजेशन के लिए जाने का सवाल आता है तो वहां कौन जाता है? वहां वही लोग जाते हैं जिनका सिप्पा है। मैं कह सकता हूं कि आज तक भी किसी एक छात्र या एक छात्रा को जो शिड्यूल्ड कास्ट और

(श्री जयनारायण सालोदिया)

शिड्यूल्ड ट्राइब्स की हो, उसको दूसरे देशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा गया है? एक भी छात्र या छात्रा को राजस्थान सरकार ने बाहर भेजने का साहस नहीं किया है। फिर किस मुंह से सरकार कहती है कि सरकार जो टैक्निकल आदमी चाहिये। उनको टैक्निकल होने का मौका ही कब दिया है। टैक्निकल तो आप होना चाहते हैं, हमें तो वही म्युनिसिपैलिटी की सफाई का काम देते हैं या दफ्तरों के चपरासी बना कर रखना चाहते हैं। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुरजोर शब्दों में सरकार से निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस तरह की भावना जिस सरकार की हो उसके द्वारा हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वे हरिजनों की भलाई करने वाले हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विभाग के द्वारा कुछ स्वयं सेवी संस्थाएं चलाई जाती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जो भी मिनिस्टर इस विभाग के बने उन्होंने एक अपने नाम से नई संस्था कायम करली। पंड्याजी जो कुछ समय तक इस विभाग के मन्त्री रहे उन्होंने एक हरिजन सेवक संघ बना लिया और वह इन सारी बकरियों को खाकर बैठे हैं लेकिन काम-धाम कुछ नहीं करते। काम-धाम तो यह कुछ नहीं करता लेकिन इस विभाग का लाखों रुपया यह संघ खाता है और उसमें जितने आफिसर्स हैं, उसकी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उसकी प्रबन्ध-कारिणी के सदस्य हैं, जो मन्त्री हैं सब के सब सवर्ण हैं, वे सब शिड्यूल्ड कास्ट के और शिड्यूल्ट ट्राइब्स से सम्बन्धित नहीं हैं। इन लोगों से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इन लोगों के हाथों हमारा भविष्य उज्जवल है?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों में इतने योग्य आदमी नहीं समझे जाते हैं कि हमारे विभाग पर हमारी व्यवस्था पर वे सोच सकें। आप यह भी महसूस नहीं करते हैं कि हरिजनों में ऐसा आदमी नहीं है जो हमारी व्यवस्था, हमारी भलाई के लिए सोचे।

(२.१० म. प.)

(**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**, सभापति, पदासीन)

तो उस संघ के बारे में कई प्रश्न पूछे लेकिन उस संघ के बारे में कुछ नहीं जान सका।

दूसरा दलित वर्ग संघ है। जब यादव साहब मिनिस्टर बने तो उन्होंने यह संघ बनाया····

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ): आपने तो पत्रकार भी भगा दिये।

श्री जयनारायण सालोदिया: माननीय सभापति महोदय मैं नहीं चाहता कि एडवर्टाईजमेंट हो। मैं नहीं चाहता कि इस तरह की बात हो। मैं हमेशा काम में विश्वास रखने वाला आदमी हूं और इस तरह के एडवर्टाइजमेंट में वे लोग विश्वास रखते हैं जो काम नहीं करते हैं या गलत काम करते हैं और अखबारों में ही प्रदर्शित करना चाहते हैं।

इसलिये दलितवर्ग संघ के लिये, माननीय सभापति महोदय, मैंने कहा कि यादव साहब मिनिस्टर बने तब दलितवर्ग संघ कायम किया गया।

श्री अमृतलाल यादव (समाज-कल्याण मंत्री): वह पहले से ही कायम है।

[redacted]

श्री जयनारायण सालोदिया : यह डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेन्ट है कि इसका पूछने वाला इसकी सुनने वाला, इसको कहने वाला कोई नहीं है। इसका पैसा कोई भी दोनों हाथों से लूटे, खाये और मौज करे, इसमें पूछताछ करने वाला कोई नहीं है।

तीसरा, माननीय सभापति महोदय, एक अनुसूचित जाति सेवक संघ बना डांगीजी जब नये डिप्टी मिनिस्टर बने तब। एक समाज-कल्याण बोर्ड है वह मिसेज सुखाडियाजी के कब्जे में है। इस तरह से, माननीय सभापति महोदय, इस विभाग का सारा पैसा इस तरह की स्वयंसेवी संस्थायें जो कि हरिजनों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, उन लोगों को जो कि दलित हैं, पिछड़े हुए हैं उनका लाखों रुपयों का बजट ले जाकर ऐशो आराम करती हैं। उनके पैसों से मोटरें खरीद कर उनमें घूमते-फिरते हैं और हरिजनों को हित की बात नहीं करते। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा इस तरह की जो थोथी संस्थाएं हैं, इस तरह की जो झूठी संस्थाएं हैं उनको इस विभाग का पैसा कतई न दिया जाय।

माननीय सभापति महोदय, मैं छात्रवृत्ति के लिये भी अर्ज कर देना चाहता हूं। जैसा कि मैंने बतलाया कि पहले इस विभाग के द्वारा सीधी छात्रवृत्तियां दी जाती थीं। उस वक्त में मैं कुछ अंशों में महसूस करता था कि छात्रवृत्ति समय पर लोगों को मिल जाती हैं। अब छात्रवृत्ति का संबंध शिक्षा विभाग से हो गया है। जहां तक मेरी जानकारी है मैं यह सही और निश्चित सूचना सरकार को दे रहा हूं कि जब से शिक्षा विभाग से छात्रवृत्तियों का संबंध हुआ है न समय पर लड़कों को फार्म मिलते हैं और फार्म भी मिलते हैं तो कभी कहते हैं कि कि आठवीं क्लास के फार्म बीकानेर जायेंगे और कभी कहते हैं कि दसवीं क्लास के फार्म अजमेर जायेंगे। इस तरह का भंवरजाल उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है कि जिससे न तो समय पर फार्म मिलते हैं और अगर मिलते हैं तो अध्यापक सर्टिफाई नहीं करते हैं, और यदि अध्यापक सर्टिफाई कर देते हैं तो समय पर नहीं भेज सकते और यदि भेज देते हैं तो समय पर नहीं मिलती हैं छात्रवृत्तियां। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस तरह से छात्रवृत्तियों का जो प्रश्न है वह अहम प्रश्न है। वह समय पर नहीं मिलेगी तो कैसे इस तरह से काम चलेगा ?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित कर देना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी बजट नहीं सारे राजस्थान का कि जिसमें जितना उसका बजट निश्चित है उससे वह कम खर्चा करे। लाखों का बजट पास होता है और वह ६ महीने में ही खत्म हो जाता है, लेकिन समाज कल्याण विभाग ही एक ऐसा विभाग है कि जिसमें हर साल बजट जितना होता है उतना खर्च नहीं होता है, जितना खर्च होना चाहिए उतना भी नहीं होता है। मैं स्वयं कुछ न कहकर जो आपकी इस रिपोर्ट में प्रदर्शित किया गया है उसी से कहता हूं। अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूं कि कितना बजट मन्जूर किया गया और कितना कितना खर्च हुआ। तो, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार को यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर किसी को पैसे की जरूरत है, अगर किसी को हम उठाना चाहते हैं तो उनके ऊपर ज्यादा खर्चा किया जाना चाहिए, और वह खर्च का बजट लाखों क

(श्री जयनारायण सालोदिया)

मन्जूर हो और केवल हजारों में ही खर्च हो और उसको वापिस ले लें तो यह बडी शोचनीय और शर्म की बात है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं, माननीय सभापति महोदय, अब छात्रावासों के संबंध म कुछ बातें कहकर अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं। इस विभाग के द्वारा या स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा छात्रावास चलाये जाते हैं। मैं पहले स्वयंसेवी संस्थाओं की स्थिति से आपको अवगत करा देना चाहता हूं। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं छात्रावास चलाती हैं। उन छात्रावासों में मंहगाई के इस युग में २५ रुपये फी लडके के हिसाब से उनको दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, आप अन्दाजा लगा लीजिये कि २५ रुपये में होस्टल के मकान का किराया भी आ गया, होस्टल सुप्रिन्टेन्डेन्ट की तनख्वाह भी हो गई, होस्टल में रोटी करने वाले की तनख्वाह भी हो गई, उसमें से ही लडकों को कपडे दिये जायेंगे, तेल साबुन दिये जायेंगे, चारपाई या कॉट्स दी जायेंगी और दोनों टाइम तन्दरुस्त खाना मिलेगा। क्या आप यह महसूस करते हैं कि २५ रूपये में कोई संस्था लडकों को पढा सकेगी। लडके उसी नारकीय स्थिति में रखे जाते हैं और चाहिए उतना उनका विकास नहीं होता है। मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन कर देना चाहता हूं, और इस रिपोर्ट का पैरा पढ कर मैं आपको निवेदन कर देना चाहता हूं कि होस्टल के संबंध में उसने क्या सिफारिश की है, "स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा आदिम जाति...." पैरा नं० ४२ में यह है कि जितना सरकार प्रत्येक लडके पर अपने स्वयं के छात्रावासों में खर्च करती है उतने ही पर्सेन्टेज के हिसाब से स्वयंसेवी संस्थाओं के छात्रावास चलाने के लिये दिया जाना चाहिए। मैंने कई दफा इस तरह के प्रश्न भी पूछे हाउस में लेकिन उनका ओई नतीजा प्रस्तुत नहीं हुआ, और जो लडके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लडके स्वयंसेवी छात्रावासों में रहते हैं उनको उसी मजबूरी में अध्ययन करना पडता है। ऐसी ही उन्हें खाना खिलाया जाता है जो उनकी तन्दुरुस्ती, उनकी जिन्दगी के लिये पर्याप्त नहीं है।

अब, माननीय सभापति महोदय, यह तो मैंने स्वयंसेवी संस्थाओं के छात्रावासों का जिक्र किया। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उन संस्थाओं को पैसा उतना ही दिया जाय जितना कि आपके छात्रावासों पर खर्च होता है।

अब माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों का कुछ जिक्र कर देना चाहता हूं।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाडा): इस संबंध में आपके क्या सुझाव हैं? कितना दिलाना चाहते हैं?

श्री जयनारायण सालोदिया: इसमें मेरा सुझाव इतना ही है कि जितना पैसा सरकारी छात्रावासों में खर्च किया जा रहा है उसी हिसाब से स्वयंसेवी संस्थाओं के छात्रावासों को भी दिया जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य: माननीय सभापति महोदय, सबको समय नहीं मिलेगा, इसलिए समय निर्धारित कर देना चाहिए।

श्री जयनारायण सालोदिया: माननीय सभापति महोदय, उन होस्टलों के सम्बन्ध में जो कि समाज-कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं एक बात अर्ज करके मैं

(श्री जयनारायण सालोदिया)

अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं । कई जगह मैंने समाज-कल्याण विभाग के होस्टलों को देखा । माननीय सभापति महोदय, उनमें जो स्तर मैंने देखा है चाहे वह उनके कपडों का हो, चाहे मकान का हो, चाहे उनकी ड्रेस का हो, वह स्तर अभी भी उस तरह का स्तर नहीं है कि जिससे हम यह उम्मीद करें कि हमारे छात्र इन परिस्थितियों में रहकर कुछ तरक्की कर सकेंगे । मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करा देना चाहता हूं । माननीय सभापति महोदय, मैं नहीं कहता कि कोटा के होस्टल में कैसा चलता है, मैं नहीं कहता कि सवाई माधोपुर में होस्टल कैसा चल रहा है, मैं नहीं कहता कि बांसवाडा डूंगरपुर में होस्टल कैसा चल रहा है । ये सब के सब मैंने देखे हैं और वे सब दयनीय स्थिति में चल रहे हैं, लेकिन मैं यह कह देना चाहता हूं कि जयपुर का मैंने होस्टल देखा है ।

माननीय मन्त्री महोदय के आदेश से प्रोत्साहित होकर मैं आमेर रोड पर एक होस्टल चलता है उसको देखने के लिये चला गया । जैसा कि मन्त्रीजी ने फरमाया था कि आप लोग देख कर सुझाव दिया करें। मैं उनको सुझाव के तौर पर एक होस्टल की बात बताना चाहता हूं मन्त्री महोदय को इससे अन्दाज लग जायगा कि जयपुर में जहां पर समाज-कल्याण विभाग का दफ्तर है, जहां पर मन्त्रीजी, उप-मन्त्रीजी, डाइरेक्टर और डिप्टी डाइरेक्टर समाज-कल्याण रहते हैं और जो जयपुर राजस्थान की राजधानी है वहां पर किस प्रकार का होस्टल चलता है उसका नमूना हाउस के सामने पेश करना चाहता हूं। वहां मकान की हालत दयनीय अवस्था में है, वहां के लडकों को ड्रेस नहीं मिल रही है। जब मैंने उनको पुस्तकों के बारे में पूछा तो मुझे बताया गया कि आज की तारीख तक लडकों को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिली हैं। क्या आप अन्दाज लगा सकते हैं कि २-३ महीनों तक किताबें नहीं मिलने पर भी अपनी पढाई का काम पूरा कर सकेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि यदि सरकार इस स्थिति में नहीं है या वह नहीं चाहती है कि उन हरिजन बच्चों का जीवन-स्तर बढे, उनका चरित्र ऊंचा हो और समाज सुधार हो तो क्यों नहीं उनको समय पर कपडे, तेल, साबुन, पुस्तकें आदि जरूरत की चीजें देते? होस्टल भी समय पर नहीं खुलते हैं। १ जुलाई को स्कूलें और कॉलेज खुल जाते हैं लेकिन होस्टल कहीं पर १ अगस्त को खुलते हैं और कहीं पर कभी खुलते हैं। लडके कॉलेज या स्कूलों में एडमिट हो जाते हैं और होस्टल नहीं खुलने से इधर-उधर भटकते फिरते हैं उसका क्या कारण है? क्यों नहीं सरकार होस्टल पहले खोलती है? क्यों नहीं उनके लिये पुस्तकों, कपडों और दूसरी चीजों की व्यवस्था समय पर करती है?

एक माननीय सदस्य : जूते तो मिल गये।

श्री जयनारायण सालोदिया : बहुत अच्छा हुआ, यही मिलने थे।

एक अन्य माननीय सदस्य : आपको क्या मिल गया?

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने वहां पर उस होस्टल में जाकर देखा, जैसा कि मुझे लडकों ने दिखाया, सभापति महोदय, आपको देख कर ताज्जुब होगा, हाउस

(श्री जयनारायण सालोदिया)
का देख कर ताज्जुब होगा, मन्त्री महोदय को भी देख कर ताज्जुब होगा, मैं यह बात मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूं, वहां के लडकों ने माननीय मन्त्रीजी को रात को १२ बजे उनके यहां जाकर वहां का आटा और रोटियें दिखाई हैं। मैं हाउस में प्रदर्शन के लिये, समाज-कल्याण विभाग का जीता-जागता नमूना प्रस्तुत करने के लिये उन रोटियों और आटे का नमूना दिखाने वाला हूं

(हीयर, हीयर)

इससे आपको पता चलेगा कि आप समाज-कल्याण विभाग के जरिये पिछडे वर्गों का किस तरह से जीवन सुधार रहे हैं,. उनका जीवन सुधार रहे हैं या बिगाड रहे हैं। (रोटियें दिखाते हुए) ये कुछ रोटयां हैं, जो मैं परसों-तरसों होस्टल से लाया हूं। ये रोटियां हैं समाज-कल्याण विभाग द्वारा स्वचालित होस्टल में लडकों के लिये बनी हुई जिनको आपके बच्चे तो क्या आपके कुत्ते भी नहीं खा सकते।

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाडा) : जब कि उनके खुद के पास खाने को रोटियें नहीं हैं, जैसा आप कहते हैं तो आपको वे कैसे उपलब्ध हुईं? कहीं आपके घर की बनी हुई तो नहीं हैं?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर) : यह दस्तरख्वान की हैं मन्त्री महोदय के।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह कोई पाकिस्तान का सीक्रेट डॉक्यूमेन्ट नहीं है जो उपलब्ध नहीं हो, ये रोटियां आप भी वहां से ला सकते हैं। ये रोटियां होस्टल सुपरिन्टेन्डेन्ट के सामने लडकों ने लाकर दिखाई हैं। आप यह नहीं कह सकते कि ये मेरे घर की रोटियां हैं। आप इनको नहीं खा सकते, आपके कुत्ते नहीं खा सकते। आपको शर्म आनी चाहिये।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : सदन के सामने समाज-कल्याण मन्त्री खाकर बतावें।

श्री जयनारायण सालोदिया : मेरे पास छात्रावास की और भी चीजें हैं जिनको बता रहा हूं। (आटे की ढेली दिखाते हुए) यह आटा है जो गुड की तरह भेली बना हुआ है। इसमें बहुत बुरी बदबू आती है। इस तरह का आटा आप उन छात्रों को खाने के लिये देते हैं, आपको शर्म के मारे डूब मरना चाहिये।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : यह आटा है या मकन, जरा चाट कर तो बताइये?

श्री जयनारायण सालोदिया : यह आटा है जो होस्टल में दिया जाता है। इसमें बहुत बुरी बदबू आती है। इस तरह का २२ बोरी आटा इस छात्रावास को दिया गया है। वे हरिजनों के लडके हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ये आपके लडके नहीं हैं, आपको शर्म आनी चाहिये बीच में उठ कर बात करते हो। आपके लडके इसको नहीं खा सकते, आपके कुत्ते भी नहीं खा सकते। लाखों रुपये समाज-कल्याण विभाग के बजट के इस तरह से खर्च करते हैं। मैं इन शब्दों के साथ सरकार से पुर जोर शब्दों में कहता हूं कि यदि सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वह छात्रावास चला सके तो नहीं चलावे। हम वहां पर लडकों को बिगाडने के लिये नहीं भेजते हैं बल्कि उनको सुधारने के लिये, योग्य बनाने के लिये भेजते हैं। यह आटा मन्त्री महोदय को दिखाया गया है वे इससे इन्कार नहीं कर सकते। मन्त्रीजी ने

(श्री जयनारायण सालोदिया)

आश्वासन दिया था वे इससे इन्कार नहीं कर सकते और वे यह नहीं कह सकते कि यह मेरे घर का आटा है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री भैरवलाल "काला-बादल"।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज! मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि इस सारे वाद-विवाद के लिये लगभग ३ घंटे का समय है, उसमें से डेढ घंटा का समय कांग्रेस पार्टी के लिये और डेढ घंटे का समय विरोधी दलों के लिये है। इस अनुपात से जो माननीय सदस्य अभी बोले हैं उनके अनुसार स्वतन्त्र पार्टी का समय समाप्त हो गया है, बल्कि उन्होंने कुछ अधिक ही समय लिया है। स्वयं उनकी पार्टी के एक माननीय सदय ने शिकायत की थी कि हमको भी समय मिलना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि अपने अपने दल में नियन्त्रण करें कि कितना कितना समय किसको लेना है एक ही माननीय सदस्य अधिक समय ले लेंगे तो दूसरों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। माननीय सदस्य स्वयं थोडा थोडा समय लेंगे तो अधिक सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो सज्जन बोलें वे कम से कम समय लें और जो विचार रख दिये हैं उनको न दोहराते हुए नये सुझाव रखें। इस तरह से प्रतिपादित करेंगे तो सबको लाभ होगा और अधिक से अधिक लोग इस महत्वपूर्ण वादविवाद में भाग ले सकेंगे। ऐसा मालूम होता है कि काफी सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिये मैं सबसे अपील करूंगा कि समय पर पाबन्दी रखें।

श्री जयनारायण सालोदिया : समय बढा दिया जाय।

श्री सभापति : समय बढाने का प्रसंग आयगा तब देखा जायगा। समय बिना बढाये ही कार्यवाही पूरी की जा सकती है तो समय बढाने की आवश्यकता नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य : यह बहुत महत्व-पूर्ण विषय है, समय बढाना चाहिये।

श्री सभापति : जिस वक्त समय बढाने का प्रसंग आयेगा या समय बढाने पर विचार किया जायगा उस समय देखा जायगा। इस समय आप यह मान कर न चलें कि समय बढाया जायगा। साधारणतः ५ बजे तक हाउस का समय होता है और ४.३० बजे मन्त्रीजी उत्तर देंगे। उस बीच में ३ घंटे का समय है।

(कुछ माननीय सदस्यों के परस्पर वार्तालाप पर)

ऑर्डर प्लीज! श्री विट्ठल भाई! मैं कुछ बोल रहा हूं। स्वतन्त्र पार्टी का समय जैसा कि मैंने निवेदन किया, अब तक जो विभाजन है उसके अनुसार ३५ मिनट का समय था लेकिन लगभग ५० मिनट माननीय सदस्य बोल चुके हैं। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के लिये २० मिनट हैं जन संघ के लिये २० मिनट हैं और कॉम्युनिस्ट पार्टी के लिये २० मिनट का समय है, बाकी डेढ़ घंटा कांग्रेस पार्टी के लिये है। इस समय के अनुसार जो वक्ता बोलने वाले हैं उनके दल के सचेतक या अन्य व्यक्ति जो जिम्मेदार हैं वे समय को निर्धारित कर लें।

[redacted]

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : सभापति महोदय, आज हमारे सदन में आयुक्त की बारहवीं रिपोर्ट पर वाद-विवाद करने का हमें जो अवसर दिया गया है इसके लिए मैं आयोग के संचालक को धन्यवाद देता हूं। साथही भारत सरकार ने जिस प्रकार से आदिवासियों की समस्याओं पर गौर किया है और आदिवासियों को ऊंचा उठाने का प्रयास किया है यदि उनकी भावनाओं के अनुसार हमारी राज्य सरकार भी करती तो हम आज काफी आगे होते।

पूज्य महात्मा गांधी जिस समय अफ्रीका में गये थे और वहां पर काले और गोरे का भेद उन्होंने देखा, इससे उनकी आत्मा पर एक गहरा अटैक हुआ। उन्होंने सोचा कि इस प्रकार मानव-मानव में भेद होना अच्छा नहीं है। वहां से आने के बाद जब उन्होंने यहां पर भी मानव-मानव में भेद देखा तो उन्हें फिर अटैक हुआ और उन्होंने फिर सोचा यह मानव-मानव में भेद अच्छा नहीं है। हिन्दुस्तान में महात्मा गांधी ने देखा कि गूजर, मीणे और भील, आदि कभी हिन्दुस्तान में राज्य करते थे गूजर, मीणे और भीलों का हिन्दुस्तान के कई हिस्सों पर राज्य था, जिनको दबा कर सामन्तशाही तत्वों ने इस प्रकार कुचल दिया है कि वह पतित अवस्था में पहुंच गये हैं तो पूज्य महात्मा गांधी ने इस सिद्धान्त को अपनाया कि इन पिछड़े हुए लोगों को उठाना चाहिये। पूज्य महात्मा गांधी ने अपने अनुयायियों को, अपने भक्तों को और अपनी जमात के अनेक शिष्यों को यह आदेश दिया कि हरिजन उत्थान और आदिवासियों का उत्थान हमारी कांग्रेस पार्टी का सिद्धान्त होना चाहिये। उसी सिद्धान्त के अनुसार महात्मा गांधी योजना बना कर हमें दे गये। उस योजना के अनुसार ठक्कर बापा को यह काम सौंपा गया।

ठक्कर बापा ने १९४६ के अन्दर हमारी परिषद् का सम्मेलन किया। उस समय तक यहां राजस्थान में हमारे आदिवासियों पर जरायम पेशा कानून लागू था। उस जरायम पेशा कानून को रद्द करने के लिये १९४६ में ठक्कर परिषद् का सम्मेलन हुआ, उसमें उस समय हमारे पूज्य पन्डित नेहरू जी ने हमारे डेपुटेशन की बात को मान कर कि राजस्थान में जरायम पेशा का कानून एक काला कानून था, उसके सम्बन्ध में कई बात करन के बाद यहां के राजा को लिखा था कि जयपुर में इस प्रकार राज्य करने वाली कौम पर यह जरायम पेशा कानून नहीं रहना चाहिय। उस समय यहां पर अमरसिंहजी होम मिनिस्टर थे। उन्होंने पंडित नेहरू की बात को मान कर कुछ रियायतें उस वक्त हमें दे दीं। बाद को हमारे सौभाग्य से, अट्ठारह वर्ष पहले भारतवर्ष स्वतन्त्र हुआ और स्वतन्त्र होने के बाद उन लोगों के हाथ में शासन आया जो गांधी जी के सिद्धान्तों पर चलने वाले थे। हमें उस वक्त प्रसन्नता हुई थी कि हमारा उत्थान अब जल्दी हो जायगा, हम यह शुरू से जानते हैं कि जिस पार्टी ने भी राज्य किया है उस पार्टी ने एक नीति अपनाई है फूट डालो और राज्य करो....

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : बहुत अच्छे।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : यह सिद्धान्त है राज्य करने वाली पार्टी का। पहले राजा-महाराजा राज्य करते थे तो उन्होंने यह पॉलिसी बना रखी थी, राजा की सलाह के लिए एक राजगुरू होता था।

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

राजगुरू को राज-सिंहासन से दूर बिठा कर वह समाज को कन्ट्रोल कराता था। समाज को राजगुरू यह पाठ पढाता था कि नरेश नरों का मालिक होता है और उसके खिलाफ बगावत करना ठीक नहीं है। वह हमें पाठ पढाते रहते थे कि राजा नरों का ईश्वर होता है, वह जो कुछ करे उसकी बात को सही मान कर बर्दाश्त करो। उसने समाज के व्यक्तियों को राजा की खिलाफत करने से रोक रखा था क्योंकि राजगुरू को खाना राजा पहुंचाता था। इसी तरह राज्य करने वाले लोगों ने राज्य करने के लिए अपने कुछ एजेन्ट बना रखे हैं जिनका काम है फूट डालो और राज्य करो, ताकि कोई भी व्यक्ति सही बात को नहीं कह सके। यह पालिसी हमेशा से रही है ।

भारत सरकार की नीति के अनुसार इस रिपोर्ट में कई मुद्दे दिये हैं, इन मुद्दों को मैंने रात भर पढ़ा । ये इतनी बडी बडी रिपोर्ट्स आई हैं, इनमें सारी गवर्नमेन्ट्स की बातें, सारे हिन्दुस्तान की बातें उन्होंने रख कर यह रिपोर्ट दी है। मैं उनको इसके लिये हार्दिक धन्यवाद देता हूं। इसमें तमाम प्रान्तों की झांकी आई है कि उन लोगों ने क्या क्या कार्यवाही की उसको मैं रात भर देखता रहा और हैरान होता रहा। जिस प्रकार शीशे की माला में एक मणि चमकता है, उसी प्रकार से सारे हिन्दुस्तान के जो प्रान्त हैं उसमें राजस्थान एक मणि के समान है, यह कई पृष्ठों में कई जगह पर मिला। इन पृष्ठों में राजस्थान के बारे में कई जगह पर, कई पृष्ठों में देखने को मिला। मेरा निवेदन करना है कि इसमें पंजाब है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र और गुजरात है और इनके बीच में राजस्थान आता है। मैंने समझा कि राजस्थान ने इतना प्रकाश किया है जैसे शीशों की माला में मणि करता है।

तो मैंने इसको देखा और इस को देखने के बाद, सभापति महोदय, यह देखा कि भारत सरकार ने इन आइटम्स में जोरों के साथ में सुझाव दिया है कि राज्य सरकार को इन बातों का पालन करना चाहिये। और उनका पालन करने के लिए उसने अपनी सम्मतियां भी इसमें दी हैं । उन्होंने यह भी कहा है कि इन आदिवासियों का उत्थान करने के लिये हर तीसरे माह मीटिंग बुलानी चाहिये । लेकिन हमारे यहां मीटिंग नहीं होती, यह हमारा दुर्भाग्य है। मैं पहले कह चुका हूं कि आदिवासियों का और शिड्यूल्ड कास्ट्स का दुर्भाग्य है कि यह विभाग ऐसा अनाथ है जिसका कोई जिम्मेदार मालिक नहीं । किसलिए नहीं है कि इस विभाग के हर साल डाइरेक्टर बदलते हैं, हर साल इसके मिनिस्टर भी बदलते हैं। और कोई अपनी जिम्मेदारी समझता ही नहीं है। यह विभाग कभी किसी के पास है, तो कभी किसी के पास है। कभी डाइरेक्टर बदल जायगा, तो कभी मिनिस्टर । अजीब बात यह है कि भीलों और मीणों का यह विभाग पहले तो पांड्या साहब के पास रहा। उनके जमाने में कुछ काम हुआ था। मैं नहीं कहता कि उनके जमाने में काम नहीं हुआ। पांड्या साहब ने कुछ काम किया, इसमें कोई शक नहीं। फिर धारीवाल साहब के पास चला गया. .

एक माननीय सदस्य : फिर गांधीवादी के पास !

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : तो फिर धारीवाल साहब के पास पहुंचा। उनको अपनी बीमारी से ही फुर्सत नहीं मिली।

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

इसमें उनका दोष नहीं था। उसके बाद में भीखाभाई के पास पहुंचा, जो हमारे समाज के हैं।

श्री रावतराम (सादुलपुर) : फिर 'दा' साहब!

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : फिर बाद में यादव साहब के पास आ गया। अब यादव साहब आ गये हैं। जब यादव साहिब विधान सभा के मेम्बर थे और मिनिस्ट्री में नहीं थे तो उन्हें ज्यादा दर्द होता था आदिवासियों और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए और वे बडे परेशान होकर कहते थे, हमारा यह नहीं हुआ, हमारा वह नहीं हुआ, हमारा यह नहीं हुआ। लेकिन आज जब बीच में क्वेश्चन चला, विमुक्त जाति का प्रसंग चला तो उन्होंने जवाब दे दिया कि यह हमसे सम्बन्धित नहीं है। यह उनसे सम्बन्ध नहीं रखता लेकिन वहां जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठाया है, क्या नाम है उनका शान्तिलालजी। लेकिन जो विमुक्त जाति का एक दफ्तर चलता है, विमुक्त जाति संघ का, वहां ताला लगा हुआ है। उन्होंने एक ऑफिसर नियुक्त किया। लेकिन यह नहीं बता सकते कि उसका ऑडिट कब हुआ। उसका ऑडिट तक नहीं कर पा रहे हैं। यानी उसका ऑडिट हो जाना चाहिये, लेकिन ऑडिट नहीं हुआ है।

दूसरी तरफ विरोधी दल के लोग भी पहले कितनी ही बातें करते थे और कहते थे कि ये लोग चुप रहते हैं। क्योंकि हम लोग चुप रहते थे तो इनको प्रचार करने का मौका मिल जाता था और हमको लोगों की नजर में गिराने की बात करते थे हमारे क्षेत्रों में। वे कहते थे कि हमने विधान सभा में इतनी बातें रखीं, लेकिन तुम्हारे जो आदिवासी हैं वे कुछ भी नहीं बोलते हैं, ये लोग सरकार से दबे हुए हैं। मैं यह कहता हूं कि भैरोंसिंह जी ने शाहबाद के क्षेत्र में जाकर इतनी बात कही कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि जांच करवा रहे हैं, ऑडिट करवा रहे हैं। लेकिन अभी तक वह रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन अब भैरोंसिह जी भी चुप हैं। उनका मुंह क्यों बन्द हो गया, यह सोच कर मैं ताज्जुब में पड गया हूं! वे हमारे इलाके में जाकर कहते थे कि तुम्हारे प्रतिनिधि चुप रहते हैं, लेकिन अब भैरोंसिहजी भी चुप क्यों हैं? उन पर क्या जादू फिर गया है? पहले वे यहां डींग मारते थे कि इतना घोटाला हो गया, फलां मकान की योजना में इतना घोटाला हो गया, जो बंगाली बस्ती बनाई उसमें इतना घोटाला किया, कुएं नहीं बने, मकान नहीं बने। लेकिन वे भी अब चुप हैं।

श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु.) : आप जैसे निकम्मे लोगों की सरकार है। फिर भैरोंसिह जी क्या करें?

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : सभापति महोदय, ये आदिवासियों को गिराने के लिए प्रचार कर रहे हैं। इधर हमारी जबान बन्द रही तो आदिवासी किस तरह तरक्की कर पायेंगे। बडे अफसोस की बात है, दूसरी तरफ लोक सेवा आयोग बैठता है, इसमें हमारे लोग इन्टरव्यू में जायें लेकिन वहां पर उनका कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं। दूसरी तरफ से लोगों की सिफारिशें चलती हैं। मैं तो यह कहता हूं कि आज आप लोकतन्त्र की दुहाई दे रहे हैं, यह कहना उचित नहीं होगा, मैं यह कहूंगा कि यह लोकतन्त्र नहीं कहा जा सकता है

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

यह तो एक पार्टी का शासन कहा जा सकता है। क्योंकि यहां पर हर काम होता है वह पार्टी बेसिस पर होता है। जिस आदिवासी के पास सिफारिश नहीं होती उसका नम्बर नहीं आ सकता। उसको नौकरी नहीं मिल सकती। सिफारिश किसकी होनी चाहिये ? किसी एम. एल. ए. की सिफारिश की जरूरत नहीं है। एम. एल. ए. की सिफारिश नहीं चलती है। सिफारिश चाहिये मिनिस्टर की। हम किसी की सिफारिश ले कर जावें तो इन्कार कर देते हैं और उन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। मगर मिनिस्टर जिसकी सिफारिश करेगा उनको नौकरी मिल जावेगी। जिस समय हम उनको कहने के लिए जावेंगे तो वे फौरन कहते हैं कि चार आदमी आपके ही तो लिये हैं। आपने हमारे कहने से उनको नहीं लिया है आपने अपनी स्वेच्छा से उनको नौकर करवाया है। आपने किसी एम. एल. ए. की इज्जत रखने के लिये ऐसा नहीं किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मुझे कुछ समय और बोलने दिया जाए, कुछ बातें रखनी हैं।

उधर छात्रावृत्ति के मामले आये तो उसमें भी पक्षपात। मैं उदयपुर की बात करता हूं जहां के हमारे मिनिस्टर हैं। भोपाल कॉलेज जहां के मिनिस्टर हैं वहां से एक चिट्ठी आई है। उसमें कहते हैं कि एक हरिजन का लडका जो फर्स्ट क्लास पास हुआ उसको छात्रवृत्ति नहीं दी गई और दूसरों को दी गई। सन् ६४ में किसी को छात्रवृत्ति नहीं दी गई। ३०० दरख्वास्तें छात्रवृत्ति की मन्जूर हुई मगर हमारे लडकों को छात्रवृत्ति नहीं दी गई। कभी कहते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है कभी कहते हैं कि बीकानेर से मन्जूरी आवेगी तब होगा। बीकानेर से जवाब आ गया कि पैसा नहीं है। भोपाल हाई स्कूल का मामला है। इसको माननीय यादव साहब भी जानते हैं। यह एक ऑडिट रिपोर्ट है सभापति महोदय, १९६४ की। इसमें ६४.१८ लाख रुपया मकानों के लिये अनुदान के लिये रखा गया। इसी ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है कि सन् ५५ से ६१ तक इस योजना के लिये ६१.१२ लाख रुपया खर्चा किया गया। इसमें कहा गया है कि समाज कल्याण विभाग ने गृह निर्माण योजनाओं को पूरा करने में नियमों का उल्लंघन किया है। आगे रिपोर्ट में कहा गया है कि ३१ मार्च १९६१ को समाप्त होने वाले पांच सालों में राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और पिछडे वर्गों को ६८१३ मकान बनवाने के लिये कुल ६४.१८ लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी। केन्द्रीय सरकार का हिस्सा ५२.३५ लाख था। इस धन राशि से जो कच्चे और पक्के मकान बने उनका कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। मगर जब आडिट वालों ने पूछा कि कितने पक्के और कितने कच्चे मकान बनाये तो इसका कोई जवाब नहीं है।

६१९. मकान जो सितम्बर १९६१ तक पूरे हो जाने चाहिये थे अक्टूबर, १९६३ में भी अधूरे पडे थे। अभी ६३ तक पूरे नहीं हुए और वे अभी तक पूरे नहीं हुए होंगे। और उधर सभापति महोदय, हमारे लिये एक कोलोनी बनी मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि आज कितने आदिवासी वहां पर रहते हैं। आज वहां पर सभी मकान बेकार पडे

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

हुए हैं। सिर्फ मिनिस्टर ने अपने लोगों को खुश करने के लिये मकान बना दिये।

(समय-समाप्ति–सूचक–घंटी)

सभापति महोदय, एक दूसरी बात और कह रहा हूं और वह यह है कि सरकार यह कहती है कि हम आदिवासियों को संरक्षण देते हैं मगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि सरकार कितना हमें संरक्षण दे रही है। सरकार ने हमको जमीन दी। मगर जब हम उस जमीन पर जाते हैं तो दूसरे लोग हमसे नाराज हो जाते हैं और उसका कब्जा पहले तो हमें नहीं देते। अगर देते हैं तो हमारी खडी फसलों को दूसरे लोग काट लेते हैं और जब हम पुलिस में शिकायत करने जाते हैं तो पुलिस हमारी शिकायत को सुनती नहीं। वे लोग हमारे साथ मारपीट भी करते रहते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि अभी भाटखेडी में उसी गांव के सवर्ण लोगों ने अभी एक महीना पहले हरिजनों पर हमला बोल दिया।

श्री अमृतलाल यादव (समाज कल्याण मंत्री) : कौनसी जगह ?

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : भाटखेडी में। वहां पर हमला बोल दिया और १४ हरिजनों को मारा और इस बुरी तरह से मारा कि ६ के हाथ, ४ के पैर तोड दिये, एक हरिजन जान से मार दिया गया और ४ की लाशें हॉस्पिटल में हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वहां का जो थानेदार था वह मौके पर नहीं गया। वहां का जिला प्रमुख वहां घटना-स्थल पर पहुंचा और उनकी लाशों को शफाखाने में ले गया और उनकी मरहम पट्टी करवाई। उस गम्भीर केस को भी पुलिस के अधिकारियों ने रिश्वत खाकर दबाया। पुलिस वालों ने हरिजनों, उनकी गवाह देने वालों को ही अरेस्ट कर लिया और लोगों को गवाही नहीं देने दी। यह वहां पर हुआ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ग्राम नेवरी शेखावाटी में १७ हरिजन परिवार के लोग खेतों में काम कर रहे थे जिनमें तीन सुनार भी थे। वहां पर करीब ३४ या ३५ राजपूतों ने उन पर हमला कर दिया। यह २९-९-६५ की बात है, दिन के १० बजे उन्होंने बर्छी और तलवारों से उन पर हमला कर दिया। नेवरी गांव में जो जमीन उन हरिजनों को अलॉट हुई थी, राजपूतों के पुराने पट्टों की जमीनें थीं, राजपूतों ने उन हरिजनों पर हमला बोल दिया और हमला बोल कर उनको बुरी तरह से मारा और मार कर थाने में चले गये। जब मार खानेवाले लोगों ने जाकर थाने में रिपोर्ट की तो थानेदार ने उनकी चोटें वगैरा नहीं लिखीं और थानेदार ने रिश्वतें खाकर उल्टा उन पर मुकदमा चलाया कि ये लोग राजपूतों के खेतों में भुट्टे तौड रहे थे। और उल्टा उन पर चोरी का मुकदमा लगाया। वे लोग मेरे पास आये। चीफ मिनिस्टर से मिले, आई० जी० पी० से भी मिले मगर अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई।

सभापति महोदय, कुछ दिनों पहले जैसा मैंने कहा था चौमू के एक ग्राम राधापुरा में एक काण्ड हुआ था जिसकी जानकारी के लिये कैप्टिन साहब श्री ज्वालाप्रसादजी, श्री हरिकिशनजी भी वहां पर गये थे। आदिवासियों हरिजनों के मकानों को जलाया गया और उनके मकान को लूटा गया। उसका भी कुछ नहीं हुआ। मगर चूंकि विरोधी दल के एक सामन्तवादी माननीय सदस्य ने

(श्री भैंरवलाल "कालबादला")

श्री सुखाडियाजी से और श्री आचार्यजी से बात की और उनके कान भर दिये कि "कालाबादल" उनसे दो हजार रुपये खा गया इसलिये उनकी पैरवी कर रहा है।

(व्यवधान)

उस वक्त मुझे दोषी ठहराया गया। अगर आज में यह कह रहा हूं कि राज्य करने वालों को शर्म नहीं आई······

(व्यवधान)

कि उन्होंने उसके केस को दबाया।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय सदस्य ने विरोधी दल के सदस्य के लिये आरोप लगाये हैं, इसलिये उनको उनका नाम बताना चाहिये। आप उसका नाम बताइये।

श्री भैंरवलाल "कालाबादल" : मैं नाम बता दूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : यह सब पर आरोप है। इसलिये उस सदस्य का नाम बताया जाए।

श्री भैंरवलाल "कालाबादल" : उनका नाम है श्री मानसिंह महार।

अभी भी उनका मामला उलझा हुआ पडा है। उन्होंने कहा है कि उनको ५०-५० रुपये सहायता के रूप में दे दिये।

सभापति महोदय, यह सरकार की ज्यादती है और सरकार यह चाहती है कि किसी भी तरह से आपस में फूट डालें और राज्य करें। मैं यह कहूंगा कि आज हमारी हालत को सुन कर आपने सिर नीचा कर लिया। हमारी समस्या को हल करने के लिये चाहे इधर बैठने वाले हों चाहे उधर बैठने वाले सदस्य हों, हमारे विकास के लिये हम दोनों तरफ के बैठने वाले सदस्य एक मत हैं। यह मैं आपको कह देना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और लोग भी इससे नाराज होंगे इसलिये मैं इतना ही कहना चाहता हूं। एक बात और रह गई।

श्री सभापति : श्री रावतराम।

श्री भैंरवलाल "कालाबादल" : एक मिनट और।

श्री सभापति : मैंने आपको १० मिनट के बजाय २० मिनट बोलने दिया। अगर इस तरह से चलेगा तो किसी का नम्बर नहीं आवेगा। मैंने पहले ही आपको काफी समय दे दिया है।

एक माननीय सदस्य : इनकी पार्टी के लोगों को किसी को एतराज नहीं है। इनको बोलने दीजिए।

श्री भैंरवलाल "कालाबादल" : मिलिटरी में हमारे रिक्रूट भर्ती होते हैं, एक रिक्रूट को वहां के हवालदार ने बूट की ठोकर दे कर जान से मार दिया बताया।

श्री अमृतलाल यादव : कहां, किस जगह ?

श्री भैंरवलाल "कालाबादल" : यहां जयपुर में मार दिया, आज से १० महीने पहले।

श्री अमृतलाल यादव : किस गांव में, किस जगह, किसको ?

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : सभापति महोदय, मैं देख कर नाम बता रहा हूं, यहां जयपुर में ठोकर देकर मारा है।

(विराम)

श्री अमृतलाल यादव : जिसको ठोकर दे कर मारा गया, मैं उसका नाम चाहूंगा।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : यह पा गया साहब। छाजूराम रिक्रूट को गोर्धनराम हवालदार ने बूट की ठोकर दे कर मार दिया। विरोधी पक्ष के भैरोंसिहजी को मालूम होते हुए भी क्यों इस मामले को दबाया यह पता नहीं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मैं भी इस सम्बन्ध में कुछ बात बता दूं। मेरी जानकारी में भी यह मामला आया था, वह अस्पताल भी ले जाया गया। इस मामले में सबको मिल कर जो करना चाहिये था वह सब किया, यह नहीं है कि चुप रहे।

श्री अमृतलाल यादव : मैं माननीय सदस्य से पूछूंगा कि किस जगह का मामला है?

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : यह एक दूसरी घटना कल रात की ही घटना है। कल ८ तारीख की रात को इसी हवालदार ने ओमप्रकाश नाम के रिक्रूट को बुरी तरह से पीटा, उसने शराब के लिये रिक्रूट से पैसे मांगे पर उसे तनख्वाह नहीं मिली थी, एस० पी० भवानी मलजी के पास २०० रिक्रूट शिकायत करने गये। भवानीमलजी ने डाक्टरी मुआयना कराने का हुक्म डी० एस० पी० को दे दिया। उसको सस्पेन्ड करना चाहिये, पर सस्पेन्ड नहीं करके लालसोट ट्रेजरी पर ड्यूटी लगादी क्योंकि एयर-फोर्स के सुपरवाइजर हैं उनके साले हैं गोर्धनरामजी। तो इस प्रकार की घटनाओं से हम आदिवासियों में यह भावना पैदा हो गई है कि ठोकर दे कर हमें मारा जाता है। इस तरह की बातों का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।

श्री गोविन्दसिंह (पिडावा) : मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि हवलदार साहब ने ठोकर देकर रिक्रूट को मार दिया। वे हवलदार साहब मिलिटरी के हैं या पुलिस के हैं, यह साफ कर दें।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : अभी जल्दी में मैं पूरी डिटेल तो नहीं दे सकता। पूरी डिटेल्स आप चाहेंगे तो मैं कागज देख कर बता दूंगा। यह हवलदार पुलिस का ही होगा

श्री सभापति : आपने इस सम्बन्ध में सारी जानकारी मन्त्री महोदय को दे दी होगी?

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : मन्त्री महोदय को सब मालूम है; कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसलिये मैंने यह बात यहां सदन में रखी है।

श्री अमृतलाल यादव : मेरे को कोई जानकारी नहीं दी।

श्री सभापति : वे इन्कार कर रहे हैं।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : वे तो अभी आये हैं। किसको कहने जाता?

श्री सभापति : ऐसे गम्भीर मामले की जानकारी हम उन्हें भेज सकते हैं।

(विराम)

श्री रावतराम।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : सभापति महोदय, इस हाउस में अनुसूचित जातियों और जन जातियों के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट आयुक्त ने दी है, उसके सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं। हालां कि यह रिपोर्ट बहुत लेट हो गई है, ६२-६३ की रिपोर्ट है, यह इस हाउस में पहले ही आ जानी चाहिये थी फिर भी इसे हाउस में पेश किया गया और बोलने का मौका दिया गया है इसके लिये में चेअर को धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, आज हमारा देश आजाद है और पिछले १८ सालों में पिछड़ी हुई जातियों को ऊंचा उठाने के लिये और उनको सामाजिक समानता का दर्जा देने के लिये सरकार की ओर से भी और अन्य दूसरी संस्थाओं की ओर से भी एक तरह के प्रयास किये गये हैं लेकिन उसके बावजूद भी आज यह स्थिति नजर आती है कि आज भी समाज का दिमाग बना नहीं है, आज भी हम अस्पृश्यता जैसी चीज को, छुआछूत की बीमारी को हम मिटा नहीं पाये हैं, आज भी वह हमारे देश में बदस्तूर कायम है। हालां कि यह एक विशुद्ध सामाजिक प्रश्न है फिर भी जो सरकार होती है और जिस सरकार ने एक तरह का संकल्प लिया है कि हमारा यह एक उद्देश्य होगा कि देश में जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, बैकवर्ड जातियां हैं उनको दूसरी जातियों के बराबर लाने के लिये हर संभव प्रयास किये जायेंगे। सरकार ने अपनी तरफ से, अपनी नीति के मुताबिक जैसा कि अभी माननीय सदस्यों ने बताया कछुए की चाल से इस काम को किया है। लेकिन जैसे कि हालात थे उन हालात में सरकार को अपने ऊपर यह जिम्मेदारी ज्यादा लेनी चाहिये थी और इसकी गम्भीरता को समझना चाहिये था। आज आजाद मुल्क में यह प्रश्न उठता है कि फलां जाति अस्पृश्य है, उन जातियों के साथ अस्पृश्यता छुआछूत की जाती है, खान-पान के लिये, उद्योग धंधों में, नौकरियों में, व्यापार में उन लोगों को उचित स्थान नहीं मिलता है तो वह कौमें धीरे धीरे पिछड़ती जाती हैं, और यह एक ऐसी बीमारी है जो राष्ट्र को अवनति की ओर ले जाती है।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या और कोई पार्टी हो, उसे देखना चाहिये, देखना ही नहीं, यह दृढ संकल्प करना चाहिये कि इस छूआछूत को जल्दी से जल्दी हमारे देश से समाप्त कर दें। सरकार ने इस दिशा में कानून बनाया है, और उसमें छुआछूत बरतने वाले लोगों के लिये सजा का प्रावधान किया है, पर उस कानून को बनाने के बाद में उसका कितना पालन हुआ है, यह विचारणीय प्रश्न है, इसको हमें गम्भीरता से देखना पड़ेगा। यह ऐसी बीमारी है जो लोगों के दिल और दिमाग को बदल कर भाईचारे की भावना से पूरी तरह से मिटाई जा सकती है।

(१.०० म. प.)

फिर भी कुछ अंश ऐसे हैं जिनमें सरकार को खुद इनीशिएटिव लेना चाहिए। आज गांवों और कस्बों में रहने वाले हरिजनों की हालत इतनी कमजोर है कि वे इस कानून की परिभाषा को नहीं समझते। हालत इतनी खराब है कि वे अदालत में जाकर मामला दर्ज नहीं करा सकते, वहां पैसा खर्च करना पड़ता है, कई तरह की एप्रोचेज होती हैं और आखिर में उसको नुकसान उठाना पड़ता है।

Page No 92

(श्री रावतराम)
तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि विधि मंत्री को खुद इनीशिएटिव लेना चाहिए कि कहां इस तरह का क्राइम होता है, कहां गडबड होती, कहां कानून का पालन नहीं होता है। जहां कानून का पालन नहीं होता है वहां समाज कल्याण विभाग का कर्तव्य है कि वह पालन कराए। लेकिन आज इस तरह के मामलों में बडी ढील होती है और राजस्थान में तो कम से कम बहुत कम आपके सामने उदाहरण आएंगे कि किसी को इस संबंध में कोई सजा हुई हो।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी आफिसेज में वहां कर्मचारियों और अधिकारियों में छुआछूत चलती है और अनुसूचित और जनजाति के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। यह जल्दी नहीं निकल सकती लेकिन यह उनको मानकर चलना पडेगा कि जो गांव का अनपढ आदमी है उसको आप नहीं कह सकते लेकिन जो सरकारी पद पर हैं, सरकारी अधिकारी हैं, कम से कम तो उन पर सरकार दबाव डाल सकती है कि इस तरह की शिकायत नहीं होनी चाहिए, इस स्थिति को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ जो सरकारी अधिकारी इस काम में अगुवा हैं और ईमानदारी के साथ इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि ऐसी गडबड न हो, उनको तरक्की के रूप में प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ऐसे भी अधिकारी हैं जो बेकवर्ड क्लासेज के आदमियों से घृणा करते हैं लेकिन सरकार के सामने कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि आज तक किसी के भी खिलाफ कार्यवाही की हो या सजा दी हो। ऐसा भी उदाहरण हमारे सामने नहीं है जिसमें किसी अच्छे सरकारी अधिकारी, जिसने इन पिछडी जातियों को ऊंचा उठाने का कार्य किया हो, अच्छे प्रयास किए हों, उनको कोई विशेष तरक्की मिली हो। इस रिपोर्ट में यह हवाला दिया गया है कि ...

(घंटी)

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि अभी इस भाषण के बाद माननीय विद्युत् मंत्री महोदय बिजली की कमी के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे।

श्री रावतराम : इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद यह देखा गया है कि अधिकांश अधिकारी अस्पृश्यता निवारण के कार्य में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। इस कार्य में जो अधिकारी वास्तविक दिलचस्पी लेते हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए। सरकार ने तो एक कानून बना कर यह समझ लिया कि यह काम अपने आप हो जायगा, इसके अलावा और कोई ठोस कार्यक्रम नहीं दिखाया और न ही इस बीमारी को मिटाने की कोशिश की। महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक सामाजिक बीमारी है इसे जल्दी से जल्दी दूर करना चाहिए ताकि हिंदू समाज ऊंचा उठ सके। इस कानून के बनने से यह बीमारी मिटने वाली नहीं है। जो अधिकारी छुआछूत को नहीं मानते हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए।

इसके अलावा इस रिपोर्ट में और हवाला दिया गया है कि राजस्थान सरकार ने एक और प्रयत्न किया है:

"राजस्थान सरकार ने जिला परिषदों और पंचायत समितियों को यह अनुदेश दिए

(श्री रावतराम)

हैं कि अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए तथा सार्वजनिक कुओं से पानी लेने, घाटों आदि के प्रयोग आदि के बारे में अनुसूचित जातियों की निर्योग्यताओं को हटाने के लिए भी ध्यान दिया जाय ।"

सरकार यह समझती है कि जिला परिषदें और पंचायत समितियां इस काम को ठीक कर लेंगी, यह बात नहीं हो सकती । आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि गांवों में कोई ऐसा कुआं नहीं मिलेगा जहां हरिजनों को पानी भरने दिया जाता हो । अगर इस तरह की कोई बात आती है तो झगडा-फिसाद होता है और उसमें ज्यादा नुकसान हरिजन को उठाना पडता है । पिछली बार आपको मालूम होगा कि इस तरह का कांड डूंगरपुर तहसील में हुआ था, हरिजनों ने कहा कि हम इस कुएं से पानी भरेंगे, पुलिस भी गई लेकिन ५-७ कतल हो गए और ऐसा वातावरण बना जिससे आसपास वाले गांव के हरिजन डर गए । तो यह काम ऐसे नहीं हो सकता । हमें खास तौर से पंचायत समितियों और जिला परिषदों पर ही डिपेंड नहीं करना चाहिए । और भी कई संघ हैं जो इस काम को करते हैं । राजस्थान में हरिजन सेवक संघ है जो छूआछूत को मिटाने के लिए काम करता है । उसकी कोई खास एक्टिविटीज नहीं होती । आज जो पैसा खर्च होता है वह करते क्या हैं? उनको अपने आप महीने के महीने तनख्वाह मिल जाती है । एक दो गांव में गए, चाय पीकर आ जाते हैं हरिजनों के साथ । वहां रहने वाले प्रधान और सार्वजनिक कार्यकर्त्ता भी यदि इस चीज को नहीं छोड सके तो हरिजन सेवक संघ का १५० या २००) रु० तनख्वाह पाने वाला, उसके जाने से कोई छूआछूत मिट जायगी ? यह बिल्कुल असंभव चीज है । जो पैसा खर्च हो जाता है वह उचित नहीं है आज इन जातियों के बच्चे पढते हैं जिनको किताब नहीं मिलती है वह पैसा उनको देना चाहिए ताकि वह लाभ उठा सकें । इस रिपोर्ट में यह बात भी लिखी है कि इस तरह के संघ जो सरकारी एड लेते हैं उनका खास तौर से कर्त्तव्य क्या है:—

"प्रचार कार्यकर्त्ता का कार्य-क्षेत्र सीमित (१५ से २० गांवों तक) होना चाहिए जिससे वे उन गांवों के निवासियों को निकट से जान सकें और अपना प्रचार कार्य तेजी से कर सकें । उसका प्रधान केन्द्र उसके अपने कार्य क्षेत्र में ही होना चाहिए । उसे २-३ वर्ष की अवधि में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थायी रूप से सार्वजनिक कुओं को खुलवाने, होटलों दुकानों आदि में प्रवेश जैसे कुछ ठोस परिणाम उपलब्ध हुए हैं तब प्रचार कार्यकर्त्ता के प्रधान केन्द्र को बदल कर उसे कार्य करने के लिए १५-२० गांवों का दूसरा समूह दिया जा सकता है ।"

समाज कल्याण विभाग बताए कि कौनसे ठोस परिणाम हासिल किए हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राजस्थान हरिजन सेवक संघ को मिलने वाली सहायता १९५२-५३ में दस हजार रुपए थी, आज १९६३-६४ में ६८,९७७) रु० मिलते हैं । यदि गरीब छात्रों को छात्र-वृत्ति दी जाय तो ज्यादा लाभ उठा सकते हैं ।

इसके अलावा, जो समाज कल्याण विभाग पैसा खर्च करता है छात्रवृत्ति या कुआं बनाना या हाऊसिंग स्कीम्स के लिए सब्सिडी

(श्री रावतराम)
या और सुविधाएं यह सारा काम पंचायत समितियों को ट्रांसफर किया गया है उसके लिए भी इस रिपोर्ट में स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि जो रकम इस विभाग द्वारा इनको दी गई है वह आज तक खर्च नहीं हुई है, बेकार पडी है ।

तो इससे मतलब क्या हुआ ? यह हमारे सामने वजट आता है । आंकडे आते हैं लेकिन आगे जाकर कोई उनका नतीजा नही निकलता है । इसका भी हवाला आपके सामने देना चाहूं कि किस तरह से पंचायत समितियां समय पर खर्च नहीं कर पाती हैं । इस रिपोर्ट में राजस्थान सरकार से सम्बन्धित पंचायत समितियों के द्वारा जो रकम खर्च की जाती है उसके लिये लिखा है कि विशेष योजनाओं के लिये पंचायतों को सौंपी गई धन राशि के अन्तर्गत इस बात का प्रमाण नहीं है कि ये समितियां इन वर्गों के उत्थान के लिये कोई विशेष पहल करती हों । परन्तु यह देखा गया है कि राज्य में ६२-६३ में निर्धारित राशि पंचायत समितियों के पास पडी रही और क्षेत्रीय अधिकारी खर्च नहीं कर पाये हैं । पंचायत समितियों को जो सहायता दी जाती है उसकी यह हालत है ।

श्री **अमृतलाल यादव** (समाज कल्याण मंत्री) : किस समिति के लिये कहा ?

श्री **रावतराम** : पंचायत समितियों के लिये कह रहा हूं । सब के लिये है । यदि आप यह चाहते हैं कि वास्तविक रूप से लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण पनपे हमारे यहां तो आपको चाहिये कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों में इस प्रकार की कमेटियां कायम करें जो स्थायी समितियां के रूप में हो । सेवा समिति उसमें जरूर होती है लेकिन रुपया पडा रह जाता है । ऐसी समितियां बनायें जिनमें शिड्युल्ड कास्ट के लोग हो जिससे रकम का युटिलाइजेशन हो सके वरना तो नहीं हो सकता । इस रिपोर्ट में भी लिखा है कि अलग से समिति नहीं है । आज यह हालत है । मेरा यह सुझाव है कि वहां पर कोई स्थायी समिति हो जिससे जो फन्ड्स डिपार्टमेन्ट से दिये जाते हैं उनका सदुपयोग हो और उनका उपयोग हो ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, थोडा टाइम और लूंगा और यह निवेदन करूंगा कि आप यह मान कर चलें कि आज जमाना शक्ति का है । जो आदमी कमजोर होता है उसको साधन सम्पन्न अधिक दबाते हैं । दुनियां में रूस और अमेरिका आज ताकतवर हैं इसलिये उनसे लोग बात करते हैं यह नहीं है कि उनकी नीतियों और तरीकों को पसन्द करते हैं । कोई कानून पास कर दें इससे कोई छुआछूत मिटने वाला नहीं है । उनको ताकतवर बनाना होगा । इस तबके को राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से उठाना होगा ।

आर्थिक स्तर पर आज उनकी क्या स्थिति ह यह बताना चाहूंगा न तो आज उनके पास कोई जमीन है, न ही कोई उद्योग धन्धे हैं और न ही कोई व्यापार । मैं आप से निवेदन करूं कि आपके पास कौनसा ऐसा सिगाह है जिससे आप उनको बराबरी के स्तर पर लाकर छोड देंगे ? सरकार कहती है कि समान अवसर देना चाहते हैं । इससे पार नहीं पडने वाला है । समान अवसर के लिये आपने कालेज बनाए हुए हैं उनमें जाकर लडके पढ

(श्री रावतराम)

सकते हैं। शिड्युल्ड कास्ट के लड़के वहां नहीं पढ़ सकते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। मेरा निवेदन है कि समान स्तर की बात तो छोड़ दीजिये उनको जब तक आप विशेष अवसर नहीं देंगे यह तबका कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब तक आर्थिक दृष्टि से यह तबका ऊपर नहीं उठेगा तब तक यह सम्हल नहीं सकेगा। आज जमीन उनके पास नहीं हैं। राजस्थान में जब जमीन का सवाल पैदा होता है मैं निवेदन करूं कि रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से एक सर्कुलर जारी किया गया और उसके जरिये तमाम कलेक्टर और कर्मचारियों को आदेश दे दिया कि २५ परसेन्ट लैंड आदिम जातियों को दें और उनको प्रायोरिटी दें। आज जमीन कहां है? राजस्थान में जमीन मिलती नहीं। सरकारी जमीन थी वह बंट गयी। दूसरी जमीन सीलिंग के जरिये से निकलने वाली थी उसकी भी कोई उम्मीद नहीं। तीसरी जमीन बांधों से निकलने वाली थी उसकी भी उम्मीद नहीं। कहां उनको आप जमीन देना चाहते हैं कहां है जमीन? जब उनको जमीन नहीं देना चाहते हैं तो यह समस्या पैदा होती है कि उनको कहां कहां किन किन कामों में खपायें। हमने ध्यान दिलाया इर्रिगेशन प्रोजेक्ट में २५ परसेन्ट जमीन उनके लिये रिजर्व कीजिये। आज हमारे फौजियों के लिये रिजर्वेशन किया यह उनके लिये आवश्यक था। लेकिन यह भी आवश्यक है कि जो लोग बैकवर्ड हैं, धरती पर पड़े हैं, मेहनत करते हैं मजदूरी करते हैं उनको ताकतवर नहीं बनायेंगे जमीन देकर या और कुछ कार्य देकर तब तक वे उठेंगे कैसे? वे नहीं उठेंगे तो देश नहीं उठेगा। जो लोग खेती नहीं करते लेकिन जिन्होंने खेती पर कब्जा कर लिया है उनसे आप ले नहीं सकते। लेकिन आपको लेना पड़ेगा। आप रिजर्वेशन करिये जमीन का कहीं न कहीं। सरकार बार बार कहती है कि हम इर्रीगेशन के रिटर्न्स लेना चाहते हैं। ये जातियां दे नहीं सकतीं क्योंकि उनकी हैसियत नहीं है यह बात तो है। लेकिन क्या यही हमारी वेलफेयर स्टेट का काम है? क्या पैसा कमाने के लिये ही सब काम करते हैं। यदि सरकार को इनके लिये हर्जाना भी उठाना पड़े तो सरकार को हर्जाना उठा कर इन जातियों के लिये जमीन की व्यवस्था करनी चाहिये।

मैं थोड़ा हाउस को बताना चाहूंगा अनुसूचित जातियों के बारे में। इन अनुसूचित जातियों की जन संख्या ३७ लाख ५९ हजार है। इसमें खेतीहर लोग हैं वे करीब १० लाख २७ हजार आते हैं। ये वे खेतीहर हैं जिनके पास बहुत कम जमीन है। दूसरे खेत मजदूर हैं। ये दूसरों से खेत किराये पर लेकर काम करते हैं इनकी जन संख्या १७ लाख के करीब है। दूसरे जो छोटे २ उद्योग हैं जैसे बुनाई, चमड़ा रंगने आदि काम इनमें १३ लाख लोग लगे हुए हैं। फैक्ट्रीज और इन्डस्ट्रीज में १ हजार लोग लगे हुए हैं। टोटल इसका लगाया जाय तो पांच ६ लाख ऐसे आदमी हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, जमीन नहीं है और दूसरे साधन नहीं हैं।

और हालत यह हो जाती है कि उनके सामने केवल सड़कों पर मजदूरी करने के और कोई काम नहीं मिलता। इसलिये सभापति महोदय, मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि·····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य जल्दी समाप्त करें आपको बोलते लगभग २५ मिनिट हो चुके हैं ।

श्री रावतराम : दो-एक बातें और कहना चाहता हूं । पांच मिनट से अधिक नहीं लूंगा ।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक शिक्षा का सवाल आता है शिक्षा के लिए इन छात्रों के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा होस्टल चलाये जाते हैं इसके साथ साथ उनको स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं । स्कालरशिप के बारे में हमने उदयपुर की मिटिंग में जिक्र किया था कि यह स्कॉलरशिप साल के अन्त में जाकर मिलती है । जब कि शुरूआत में लडकों को किताबें खरीदना, कपडे बनवाना, फीस के पैसे जमा करवाना पडता है उस समय उनके पास पैसा नहीं रहता इसलिये साल के अन्त में दी हुई स्कॉलरशिप काम में नहीं आती, इसका भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है । उसमें कहा गया है कि निश्चित तौर से स्कॉलरशिप वाली बात है वह समय पर मिलनी चाहिये । मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने भी इस बात का उल्लेख किया था उनसे मैं किसी हद तक सहमत हूं कि जो छात्रावास चलते हैं उनमें देखरेख अच्छी प्रकार की नहीं हैं । वहां जो राशन दिया जाता है वह अच्छा नहीं मिलता । इस बारे में मैंने मंत्री महोदय से भी कहा था और उनको इस सारी स्थिति से अवगत कराया था । इसके लिये मेरा उनसे निवेदन है कि होस्टल्स की देखरेख के लिये एक कमेटी बनायी जाय जिसमें एम. एल. एज. को रखा जाय जो जाकर इन छात्रावासों में देखें कि किस प्रकार का भोजन उनको मिलता है, किस प्रकार का उनको कपडा दिया जाता है, और क्या व्यवस्था है । इसमें आपका लगता क्या है वे आपको सुझाव देंगे, वहां के बच्चों से जाकर मिलेंगे बच्चे भी महसूस करेंगे कि ये लोग हमारे पास आये हैं, हमारी दुःख-दर्द की बातें सुनेंगे और उनकी जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर आप सुधार कर सकेंगे ।

अब, मैं इस रिपोर्ट से संबन्धित कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं । जैसा कि इसमें बताया गया है कि छात्रावासों में जो छात्र अनुसूचित जाति एवं जन जाति के रहते हैं उन छात्रों को भोजन, निवास, वस्त्र, पुस्तकें आदि के लिये पूरा खर्च मिलना चाहिये । इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाय । जिनमें स्कॉलरशिप भी एक आवश्यक अंग है । आज जिस प्रकार की मंहगाई है उसको देखते हुए जहां आपने अपनी तनखा बढा ली, सदस्यों की बढा दी वहां इन छात्रों को जो स्कॉलरशिप के रूप में पैसा देते हैं वह पैसा आज से चार साल पहले जितना देते थे उतना ही आज भी आप देते हैं इससे उनका गुजारा नहीं चल सकता ।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, कुछ बातें और दिवेदन करना चाहता हूं । यह सिफारिश की जाती है और यह आवश्यक भी है कि जो आदिवासी छात्र या जनजाति का छात्र मैट्रिक पास करके आगे की शिक्षा के लिये जाता है उसको सभी प्रकार की सुविधायें राज्य की तरफ से उपलब्ध होनी चाहिये । विभिन्न कालेजों में जहां भी शिक्षा पाते हों वहां उनका पूरा खर्चा, अनुदान के रूप में उन कालेजों को दिया जाना चाहिये । इस बारे में, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप इन छात्रों के लिये अलग होस्टल

(श्री रावतराम)

चलाते हैं आपको यह न चलाकर इनके लिये मिक्स्ड होस्टल चलाने चाहिये । दूसरे जाति के लडके जब इनके साथ पढेंगे तो वे एक दूसरे से मिल जुलकर रहेंगे, एक दूसरे के आचार-विचार से मेल खायेंगे तो वे अपनी उन्नति की ओर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे ।

आज आप देखेंगे, हरिजन होस्टल्स हैं उनमें पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता । इसलिये भी बहुत आवश्यक है कि इनके मिक्स्ड होस्टल्स चलने चाहिये । जहां भी राजस्थान के कालेजों में होस्टल हैं वहां इन छात्रों के लिये रिजर्वेशन होना चाहिये और वहां पर पढने वाले छात्रों का पूरा खर्चा सरकार को उठाना चाहिये ।

इसके साथ साथ, टैक्निकल एज्युकेशन का जहां तक सवाल है यह समाज बहुत पिछडा हुआ है । राजस्थान में इसके लिये लडके मिलते हैं लेकिन उनके लिये समुचित व्यवस्था नहीं होने से वे टैक्निकल शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते जिसकी मंत्री महोदय को पूरी जानकारी है । मेरे सामने इस तरह का उदाहरण भी है कि एक लडका है जो बहुत होशियार है पढने में लेकिन उस लडके के साथ न्याय नहीं होता गरीब लडका है, सब से ज्यादा नम्बर लाने वाला है, जिसको समाज कल्याण अधिकारी भी जानते हैं, वह इस होस्टल में रहने से ज्यादा तरक्की नहीं कर सकता। इसके बावजूद भी इस ओर ध्यान नही देते। उप-मन्त्री महोदय ने पिछली बार भी इस सदन में आश्वासन दिया था कि उस लडके का जितना खर्चा लगेगा उसका हम प्रवन्ध करेंगे लेकिन वह अभी तक नहीं ो सका।

मैं, यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेज, इन्जीनियरिंग कॉलेज और दूसरे कॉलेजेज हैं, एग्रीकल्चर कॉलेजेज हैं उनके साथ कॉलेज होस्टल्स लगे हुए हैं उनमें आपको पांच दस बीस जितनी आपके बजट में गुन्जाइश हो उतने छात्रों के लिये सीट रिजर्व कराना चाहिये और उन छात्रों पर होस्टल का जो भी खर्चा पडता है, उसको सरकार को वहन करना चाहिये ताकि ये लोग भी टेक्निकल एज्युकेशन में आगे बढ सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति । आपका भाषण समाप्त हुआ।

श्री हरिश्चन्द्र, विद्युत् मन्त्री, बिजली के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य देंगे उसके बाद पुनः इस पर वाद-विवाद चालू होगा।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवाराम-गढ) : सभापति महोदय, जब भी अनुसूचित जाति एवं जन जाति की रिपोर्ट पेश की जाती है उस दिन इसी तरह से होता है। आज पहले भी डेढ घंटा अन्य कार्यों में नष्ट कर दिया गया अब भी आप उनको समय दे रहे हैं। आपको इन जातियों के लोगों के साथ अच्छा बरताव करना चाहिये। इस पर विचार करने के लिये हमें पूरा समय समय देना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य को यह ध्यान में रखना चाहिये कि जो भी कार्यक्रम चलता है वह व्यवस्था के अनुसार चलता है। अध्यक्ष आसन द्वारा यह व्यवस्था दी गई थी कि बिजली की कटौती के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव आया है उस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं। अतः

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

उनको समय दिया गया है इसमें समय नष्ट होना नहीं समझना चाहिये। समय तो इस तरह चला जाता है जिसमें एक ही पार्टी के मेम्बर एक एक घंटा बोल जाय तो फिर दूसरों को कहां से समय मिल सकता है। अभी मेरे पास कांग्रेस पार्टी की ओर से सूची आयी है उसमें प्रत्येक को दस मिनिट समय देने के लिये कहा गया है लेकिन अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने तीस मिनिट का समय ले लिया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ज्योंही दस मिनिट समाप्त हों में बच्चों को जिस तरह बैठाने के लिये घंटी बजाई जाती है उसी तरह घंटी बजाकर बैठने का आदेश दूं। माननीय सदस्य निर्वाचित सदस्य हैं, I do not want to treat you as school children लेकिन यह सोचने की बात है। एक सदस्य तीस मिनिट बोल लें तो यह होगा गोपीराम जी सांवलियारामजी को समय नहीं मिल सकता। मैं यह नहीं चाहता कि इस रिपोर्ट पर जो भी बोलने वाले मननीय सदस्य हैं उनको समय न दूं लेकिन इसके लिये आपका सहयोग अपेक्षित है उसके बिना यह संभव नहीं हो सकता।

अब विद्युत् मन्त्री अपना वक्तव्य देंगे।

(३.२६ म. प.)

राजस्थान में विद्युत् की कमी विषयक शासकीय वक्तव्य

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत् मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, चम्बल केचमेन्ट एरिया में इस वर्ष पिछले वर्ष से भी कम वर्षा हुई है। पिछले वर्ष गांधी सागर रिजरवायर का लेवल १२८५ एम. एस. एल. था जब कि उसका कूल रिजरवायर १३१२ एम. एस. एल. तक है। इस वर्षा काल के पश्चात् गांधी सागर रिजर्वायर का लेवल १२६५ तक पहुंचा है और आज करीब १२६२ है यानी पिछले वर्ष के लेवल से भी २० फीट कम है। कुछ पानी इस समय गांधी सागर रिजर्वायर में करीब ०.५४ एम. ए. एम. टी. ५,४०,००० एकड फुट उपलब्ध है जो कि सिंचाई व विद्युत् शक्ति के लिये मिल सकता है। पिछले वर्ष कम वर्षा के पश्चात् राजस्थान विद्युत् मण्डल ने अपने परिपत्र दिनांक १६-१०-६४ के द्वारा कन्ज्यूमर्स पर कटौती की थी।

लेकिन विद्युत मंडल ने रतनगढ-जयपुर होकर १३२ के. वी. लाइन लाकर राजस्थान को विकट विद्युत संकट से बहुत हद तक बचाया था।

इस समय इस लाइन के जरिये जयपुर, किशनगढ, अजमेर, ब्यावर, इत्यादि जगहों को भाखरा की विद्युत् शक्ति उपलब्धि होती है।

इस वर्ष पानी की इतनी कमी होगी, यह खयाल में भी नहीं था। स्थिति निस्सन्देह बडी गम्भीर है। और अगर जो पानी रिजरवायर में है उसे पूरे वर्ष यानि जुलाई ६६ के अन्त तक चलाया जावे तो विद्युत सप्लाई में और भी कमी करनी पडेगी।

दिनांक ७ और ८ अक्टूबर, ६५ को जयपुर में इस विकट समस्या को ध्यान में रखते हुए एक मीटिंग आयोजित की थी. जिसमें मध्यप्रदेश के मंत्री, एवं मध्यप्रदेश और राजस्थान के विद्युत् मंण्डलों के इन्जीनियर, सी. डब्लू. पी. सी. और चम्बल विद्युत्

(श्री हरिश्चन्द्र)

बोर्ड के इन्जीनियर और दोनों राज्यों के सचिव इस कान्फ्रेन्स में उपस्थित थे। इस कान्फरेन्स ने इस मसले पर गम्भीरता से विचार किया और पॉवर निकालने के टेन्टेटिव प्रोपोजल्स को एग्जामिन किया। इन प्रोपोजल्स को दिल्ली में डाक्टर राव के सामने रखे जाने के बाद उन पर निर्णय लिया जावेगा। इस काम को पूरा करने के लिए डाक्टर राव, मिनिस्टर इरिगेशन और पावर और सी. डब्लू. पी. सी. की सलाह से बंगलोर से एक दस मेघावाट का टरबाइन कोटा में लाने का सुझाव भी राजस्थान सरकार एवं राजस्थान विद्युत्-मण्डल ने मान लिया है। इसे लेने के बारे में इन्जीनियरों को आदेश दे दिये गये हैं कि वे इस प्लान्ट को बंगलोर से जल्दी से जल्दी लाने का प्रयत्न करें। इसको लाने में जो ट्रान्सपोर्टेशन की दिक्कत है उस समस्या से विद्युत् मण्डल ने रेलवे बोर्ड को भी अवगत कराया है ताकि यह प्लान्ट जल्दी से जल्दी कोटा में आ सके।

सेन्ट्रल रेलवे से अभी तक क्लीयरेन्स प्राप्त नहीं हो पाया है। इसके अलावा इस बात का भी सुझाव है कि इटारसी से जब्बलपुर २२० के वी लाइन मध्यप्रदेश विद्युत् मण्डल से जल्दी तैयार कर ले ताकि कोरबा में जो विद्युत् शक्ति उपलब्ध है उसे भी चम्बल एरिया में लाया जा सके। राजस्थान सरकार को आशा है कि इस संकट को देखते हुए मध्यप्रदेश राजस्थान को कुछ मदद करेगा।

राजस्थान विद्युत् मण्डल कुछ डीजल सेट भी जल्दी से जल्दी लाने का प्रयत्न कर रहा है। तीन एक हजार के. वी. के डीजल सेट जो पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लिये थे वे और एस. पी. बी. ने लगा दिये हैं और उनसे पावर आलरेडी मिल रहा है।

जैसलमेर में यह कहा गया कि विद्युत् शक्ति मिलती नहीं है। वहां पर एक २५० के. वी. का सेट लगा दिया गया है और वह इनजिइज हो गया है इसलिये वहां पर अब दिक्कत नहीं है।

बाडमेर के विद्युतीकरण का काम म्युनिसिपैलिटी के द्वारा होता था, वह म्युनिसिपैलिटी से विद्युत् मण्डल ने वहां के सेट सहित पावर हाउस को ले लिया है और एक सैट हजार के. वी. का चल रहा है और एक सैट १०० के. वी. का चल रहा है और एक १०५ के. वी. का अन्डर इरेक्शन है जो जल्दी चल जावेगा। इसके बाद बाडमेर में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिये।

बीकानेर में भाखरा का पावर जाता है। भाखरा भी, मैं माननीय सदस्यों को सूचित करूं कि करीब ८० फीट खाली है। बीकानेर में भाखरा की बिजली जाती है लेकिन वहां पावर की कमी इतनी नहीं महसूस होती जितनी कि वोल्टेज का ड्राप नजर आता है। इस ड्राप को ठीक करने के लिये और जहां तक बूस्ट अप करने का सवाल है वहां पर एक पुराना थरमल बीकानेर राज्य के वक्त का रखा है उसको भी चला रहे हैं ताकि उससे जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है उसमें कमी आवे।

धौलपुर में २७ सितम्बर को एक डीजल सैट खराब हो गया था। उसी की मरम्मत करदी गई है और ३० सितम्बर को वह डीजल सैट चालू हो गया है।

Page No 100

(श्री हरिश्चन्द्र)

इसके अलावा, धौलपुर को ग्वालियर से जोडने की बात थी। उस लाइन पर भी काम हो रहा है और वह भी अनकरीब पूर्ण हो जावेगा। लेकिन जो संकट विद्युत् का है उसका जिक्र मैंने आपके सामने किया। इस वर्षा काल में पानी की कमी होने से, यह संकट आया है। इसलिये यह जरूरी है कि हो सकता है कि हम धौलपुर की विद्युत् लाइन को चम्बल से कनेक्ट न कर पायें।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना): धौलपुर के बारे में।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : चौमू के बारे में मेरा एक कट मोशन अलग है, उसके बारे में कुछ निवेदन करदें।

श्री हरिश्चन्द्र: मैंने आपको इसके लिये एक तीन सफे का कागज दिया था जो कि आपने पढा होगा। पढने की मुझे मालूम नहीं। पर आपने मुझे यह बता दिया था कि आपको सन्तोष हो गया। इसलिये वह कागज में नहीं लाया हूं।

श्री मानसिंह महार : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे एक कागज जरूर पढाया पर वह तो सात दिन पहले की बात है। आज की नहीं है।

उसमें यह जरूर कहा गया था कि चौमू में ७५० के. वी. का ट्रान्सफोर्मर जल गया। उसके बजाय पांच पांच सौ के दो ट्रान्सफोर्मर्स वहां भेज दिये गये हैं।

मेरा यह एडजोर्नमेन्ट मोशन देने का मकसद एक ही था कि वहां पर किसानों की फसलें बिजली के अभाव में जल रही हैं। बिजली वहां बन्द है। मेरा मकसद यह नहीं था कि ट्रान्सफोर्मर ले जाकर चौमू में रख दिया जावे और इससे वह पूरा हो गया हो यह भी नहीं है। अभी तक साढे सात सौ का ट्रान्सफोर्मर जलने के बाद केवल एक पांच सौ का चालू हुआ है। दूसरा पांच सौ वाला यों का यों रखा है।

वहां पर हालत यह है कि बिजली बिलकुल नहीं मिलती है। वोल्टेज पांच सौ के. वी. का होने से वोल्टेज भी इतना लो जाता है कि किसानों की रोज मोटरें जल रही हैं। मोटरें ही नहीं जलतीं किसानों से सरकार मिनिमम चार्ज भी ले रही है। मिनिमम चार्ज लेने के बावजूद उनको बिजली नहीं दी जाती। मेरा मकसद यह था कि आप इस बात पर थोडा प्रकाश डालते कि जब तक पूरे समय बिजली नहीं दी जावेगी, तब तक मिनिमम चार्ज नहीं लेंगे। एक तो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट मेरा यह है।

यह किसानों का कसूर नहीं है। यह आपकी गलती है कि आप बिजली नहीं दे सकते तो फिर मिनिनम चार्ज लेने का सवाल नहीं आता। दस दस दिन ऐसे चले जाते हैं जब उनको कतई बिजली नहीं मिलती। यह हालत आज से नहीं, पिछले दो महीनें से है और जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा और मुझे भी दिख रहा है कि यह हालत अभी काफी अरसे तक चलेगी।

इसलिये मैं माननीय मन्त्रीजी से एक तो यह आश्वासन चाहता हूं कि इस वर्ष अगर विकट स्थिति है तो आप मिनिमम चार्ज न लें।

दूसरा यह आश्वासन चाहता था कि दूसरा ५०० के. वी. का ट्रान्सफोर्मर जो वहां

(श्री मानसिंह महार)

पड़ा है, वह तीन चार दिन में चालू कर दिया जावेगा। क्योंकि आज ही सुबह मेरे गांव का एक किसान एक मोटर लेकर आया था। उसकी मोटर वोल्टेज कम होने से जल गई और मैं उसको बन्धाने के लिये पाल इन्जीनियर के यहां डाल कर आया हूं २५०) रुपयों में। अब इस तरह से दस मोटरें भी जल जावें तो २५०० की बात हो जाती है। मैं इन तथ्यों की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं, मैं, कोई इन्जीनियरों की गडबडी हो, यह नहीं कहता। ये दो महत्वपूर्ण मसले हैं, जिन पर मुझे उम्मीद है आप प्रकाश डालेंगे।

श्री मुकट बिहारी लाल गोयल (बयाना) : सभापति महोदय, साथ ही साथ में भी एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले टाइम पर मैंने विद्युत् मन्त्रीजी को विस्तार से धौलपुर के बारे में कहा था कि वहां पर जो आटे की चक्कियां हैं उनके लिए २ घंटे का करेन्ट कागजों पर दिया जाता है वैसे बिजली उन चक्कियों के लिए आधा घंटे से ज्यादा नहीं दी जाती है। इसके बावजूद मैंने मन्त्री महोदय को मिल वालों नाम भी लिखाये थे जिनको कि ८ घंटे तक करेन्ट बराबर दिया जाता है और वह भी उस स्थिति में दिया जाता है जब कि पानी सप्लाई करने के लिए जो वहां पर वाटर वर्क्स है उसको भी बिजली नहीं दी जाती है। एक तो मैंने यह निवेदन किया था।

इस सम्बन्ध में दूसरी एक बात और है कि कुछ विशिष्ट लोगों के लिए तो एक अलग तार की व्यवस्था की गई है जिससे कि उनके घरों पर करेन्ट जाता है और आम साधारण लोगों के लिए एक विशेष तार है। ऐसी हालत है वहां की और इसके लिए वैसे मैं विद्युत् मन्त्री महोदय से मिलकर उनका ध्यान इस ओर आकर्षित कर चुका हूं और मुझे आशा है कि उन्होंने इसके बारे में जानकारी की होगी और अगर वह जानकारी उनको उपलब्ध हो गई हो तो इस सम्बन्ध में वे यहां जानकारी दें।

मैं निवेदन करूं कि खास तौर से ऐसी भेदभावपूर्ण व्यवस्था है कि यहां आप बड़े बड़े उद्योगों के लिए तो आठ आठ घंटे बराबर बिजली देते हैं और दूसरी ओर स्ट्रीट लाइट भी नहीं जलती, वहां पर वाटर वर्क्स को पूरी तरह बिजली नहीं देने के कारण टेप वाटर की पूरी व्यवस्था नहीं है और दूसरी ओर बड़े उद्योगों के लिये ८ घंटे बिजली देते हैं और दूसरों को आधा घन्टा भी नहीं मिले ऐसी स्थिति बड़ी हास्यास्पद है। मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में कुछ बतायें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापति महोदय, खास करके सबसे पहला सवाल तो माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से फूड का क्राइसेस हमारे यहां देश में और राज्य में है तो इन्डस्ट्री में भी कोई क्राइसेस पैदा नहीं हो जाये इसलिए यह एडजोर्नमेन्ट मोशन मूव किया था माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि आज बिजली के सम्बन्ध में परिस्थितियां इस प्रकार की है लेकिन इन परिस्थितियों को हल करने के लिये किस किस प्रकार के आगे कदम आप उठायेंगे और उसके साथ ही साथ यह भी बतादें कि इस मामले के अन्दर लोगों को भी आपको तैयार कर लेना चाहिए ताकि जो भी क्राइसिस आने

(श्री मुरलीधर व्यास)
वाला है भाखरा की बिजली के सम्बन्ध में और भी कोई तरह से उसका भी समाधान आप करते और बीकानेर के बारे में जैसा कि पानी का सवाल है वहां पानी बिजली की सप्लाई के ऊपर ही निर्भर है अगर वहां पर बिजली के अन्दर कटौती कर देते हैं तो वहां जो पानी की सप्लाई होती है कुओं के द्वारा तो उस पानी की सप्लाई में भी कटौती हो जाती है। तो इससे बहुत भारी नुकसान होता है और लोगों को तकलीफ होती है। उसमें भी ऐसा सोचते हैं तो डीजल सैट का तो इन्तजाम करते ताकि पानी के मामले में बीकानेर आत्मनिर्भर हो सकता। संकट-कालीन स्थिति में भी जब कि न जाने क्या कब क्या परिस्थिति कैसी बन जाये इसलिये मैंने मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था कि ऐसी परिस्थिति में मन्त्री महोदय क्या सुझाव देते हैं ताकि उससे सारा सदन परिचित हो सके। मन्त्री महोदय ने कहा कि इन्डस्ट्रियल क्राइसिस पैदा नहीं होगा और अगर होता है तो वह कैसे दूर करेंगे इस बारे में आप प्रकाश डालें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में मैं भी एक बात कहना चाहता हूं : आपने बताया कि भाखरा पॉन्डेज पर और गांधीसागर पर लेवल का शोर्टेज है एक जगह तो ८० फुट का है और एक जगह २० फुट का है और टर्बाइन को रन करने के लिए आपके पास. ५३८ मिलियन क्यूसेक्स वाटर सप्लाई रह गया है। तो आपको मन्त्री महोदय यह बताना चाहिये था कि इन दोनों फाल से कितना कट राजस्थान को सफर करना पडेगा। यह आपने बहुत अच्छा किया और आप बधाई के पात्र हैं कि आपने पुराना थर्मल स्टेशन चला दिये। बीकानेर के अन्दर और दूसरी जगहों पर भी आपने थर्मल स्टेशन्स रन किये हैं यह एफर्टस् आपके प्रशंसनीय हैं लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि कितना टोटल कट राजस्थान को फेस करना पडेगा और उसमें कितना इन्डस्ट्रीज के पेटे पडेगा और कितना राजस्थान की जनता के पेटे पडेगा। यह स्थिति तो स्पष्ट है कि आप चारों टर्बाइन नहीं कर सकते और पंजाब के भी सारे टर्बाइन रन नहीं कर रहे हैं और पंजाब की नदियों में भी पानी की शार्टेज है। इसलिये अब कोई रास्ता नहीं रह गया है सिवाय इसके कि जो दया आप पाकिस्तान के ऊपर कर रहे हैं उसको तुरन्त बन्द कर दें तभी भाखरा की बिजली पूर्ण प्राप्त सकती है। लेकिन राजस्थान की जनता इस एमरजेन्सी को मीट करने के लिए तैयार है और कितना कट उसे सफर करना है यह भी बता दें और इन्डस्ट्रीज को कितना कट सफर करना पडेगा यह भी बतादें।

श्री गोबिन्द सिंह (पिडावा) : मैं भी, सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि क्योंकि हमारे यहां पानी की कमी है और उसके कारण बिजली भी कम मिल रही है और जो कुओं पर मोटर लगी हुई हैं वह दो तीन घंटों से ज्यादा नहीं चला सकते हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि जब कि वे दो तीन घंटे से ज्यादा नहीं चला सकते और उनसे मिनिमम चार्ज पूरा लिया जाता है जब कि वे इतनी बिजली कन्ज्यूम ही नहीं कर पाते हैं तो मेरा निवेदन यह है कि कम से कम मिनिमम चार्जेज आप बन्द करदें

(श्री गोविन्दसिंह).
और एक्च्युअल खर्चा ही वह दें यह मेरी रिक्वेस्ट है।

श्री चन्द्र सिंह बर्फा (बिलाडा) : सभापति महोदय, संकटकालीन स्थिति में बाडमेर में और जोधपुर जिले में या अन्य क्षेत्रों में जहां कि ब्लेक आउट रहता है वहां पर पंचायतों की जो रोड लाइट्स होती हैं उसके खर्चे के बारे में माननीय मन्त्री महोदय यह बतायें कि उस सम्बन्ध में क्या यह पूरा चार्ज करेंगे या वह माफ करेंगे या क्या निर्णय लेंगे, यह बता दें।

श्री माणिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह जो पानी के लेवल कम हुए हैं इस पर सदन को यह जानकारी भी देने का कष्ट करें कि कितना लॉस राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इस पॉवर के जेनरेशन में जो कमी हो जायगी उसके फलस्वरूप कुल कितना लॉस उनको भुगतना पडेगा? क्या राजस्थान सरकार ने या राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इसका अनुमान किया है?

दूसरे, आपने १० हजार के० वी० ए० के गैस टर्बाइन खरीदे हैं मैसूर बंगलोर से इसके सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो डिसीजन आपने किया है और जिसके लिए सारे अखबारों में आ रहा है कि उसके ट्रान्सपोर्टेशन की बडी भयंकर प्राब्लेम राजस्थान के सामने है और उसके लिए टेक्नीशियन्स सोच रहे हैं कि किस तरह से उसको रेल्वे पर लोड किया जाय। मैं जानना चाहूंगा कि इसके बजाय राजस्थान सरकार ने जो भी रूबी करेन्सी के एरियाज हैं चेकोस्लेवाकिया और ईस्ट जर्मनी आदि इनसे यदि १० हजार के० वी० ए० के गैस टर्बाइन खरीदे जाते तो उनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती और जो गैस टर्बाइन आप यहां से खरीद रहे हैं क्या यह सस्ते नहीं पडते थे। फोरिन एक्सचेन्ज जो हमको अवेलेबल होता उससे इसकी जानकारी माननीय मन्त्री महोदय दें। यह जो १० हजार के० वी० ए० के ट्रान्सफार्मर्स मंगा रहे हैं और इनके द्वारा जो बिजली आप जनरेट करेंगे उसके लिए अखबारों में आया है कि ३४ पैसे प्रति यूनिट का खर्चा उसके जनरेशन में पडेगा और वह बिजली बडी भारी तादाद में बहुत बडी फर्म्स जिनसे आपकी सरकार ने एग्रीमेन्ट कर रखा है जैसे डी० सी० एम०, जिसको कि आप ३ पैसे प्रति यूनिट में बिजली दे रहे हैं, आप उसको ३४ पैसे में जेनरेट करके ३ पैसे में देंगे। अगर फेक्टुस सही हैं तो क्या सरकार ने इसको एग्जामिन करा लिया है कि जो पावर कट हो रही है उसके बावजूद यह निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत सी जगह ऐसी हैं कि जहां बिजली कुछ हिस्सों में सरप्लस है जैसा गंगानगर जिले में सादूलपुर में जो भी ३३ के० वी० ए० के ट्रान्सफोर्मर्स लगा रखे हैं वहां पर कुछ बिजली सरप्लस है और कुछ इन्डस्ट्रीज मांग रही हैं और आपके चीफ इन्जीनियर ने आर्डर भी कर दिये कि बिजली दे दी जाय लेकिन इसके बावजूद नीचे के लेवल पर एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, सुप्रिन्टेन्डिग इन्जीनियर्स ऊपर के आर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं इसलिये कि कुछ हिस्सों में बिजली सरप्लस हो जाती है। इसलिये यह जो जो एक एनोमोली है मैं चाहूंगा कि इस पर भी गम्भीरता से विचार करें और मिनिमम गारन्टी ले रहे हैं इसका

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

तो कोई जस्टीफिकेशन नहीं है। न तो पूरी बिजली दें, कन्जम्पशन पूरा नहीं होता है इस आधार पर मिनिमम गारन्टी के क्लॉज को भी बरकरार रखें और जहां जरूरत नहीं है मिनिमम गारन्टी के नाम से तबाह करदें इस पालिसी को बिल्कुल समाप्त करना होगा। इस पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कोई डिसीजन नहीं कर सकेगी और इस पर तो पॉलिसी डिसीजन राज्य सरकार को करना पड़ेगा। तो एक तो कोई व्यवहारिक डिसीजन राज्य सरकार को फौरन लेना चाहिये और मिनिमम गारन्टी को खत्म करना चाहिये।

श्री चौसर सिंह बावेल (बेंगूं) : सभापति महोदय, बेंगूं कस्बे के अन्दर इस साल २ लाख साठ हजार रुपया लगाकर बेंगूं कस्बे में बिजली पहुंचने की बात थी लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं किया गया है। इस कस्बे की साढे सात हजार की आबादी है, वहां पर लोगों को बडी दिक्कत है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : माननीय सभापति महोदय, मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि निवाई तहसील के अन्दर जयसिंहपुरा गांव है, वहां पर दस-पन्द्रह कुओं को बिजली मिलनी थी, मीटर पडे हुए हैं लेकिन उनको कनेक्शन नहीं मिले हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : Whatever general questions have been raised, I will answer them but about individual questions it will be very difficult for me to answer now.

श्री सभापति : Yes. I understand.

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : माननीय सभापति महोदय, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि मैसूर से जो गैस प्लान्ट है उसको लाया जा रहा है। उसके लिए ऐसी जानकारी मिली है कि यह प्लान्ट वहां के लिए यूजफुल साबित नहीं होगा क्योंकि इसकी कोस्ट आफ जनरेशन है वह काफी हेवी है और अनइकोनोमिक है। जब यह अनइकोनोमिक है तो इतना बडा बर्डन हमारे ऊपर क्यों लाया जा रहा है? अगर डीजल या कोल जिससे भी आप पावर जेनरेट करना चाहें उससे यह मंहगा पडता है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसको क्यों लाना चाहता है, यह हमारी समझ में नहीं आता है।

श्री हरिश्चन्द्र : सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने, मुझे खुशी है, कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे हैं और यहां पर महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहला प्रश्न यह आया कि दस मेगावाट वाले ऐसे टर्बाइन को यहां पर न लाया जाय और उसकी एवज में हजार हजार के डीजल सैट्स मंगाए जायं। मैं समझता हूं कि यह बडा सुन्दर सुझाव है, अगर हो सके, मैं भी इस चीज को वेलकम करूंगा। लेकिन रुपी करेंसी होना, सोफ्ट करेंसी होना, इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें फॉरिन एक्सचेन्ज इन्वोल्व्ड नहीं है। फारिन एक्सचेन्ज का बडा भारी हिस्सा उसमें आता है। सोफ्ट करेन्सी एरिया और हार्ड करेन्सी एरिया में जो अपने एग्रीमेन्ट्स हुए हैं चेकोस्लोवाकिया से तो उसमें भी फारिन एक्सचेन्ज इन्वोल्व्ड है। It may be a rupee payment but it is a foreign exchange. और उस फॉरिन एक्सचेन्ज को आप डीजल सेट्स या दूसरी और किसी चीज में इन्वेस्ट करें, यह एक मसला ऐसा है कि जिसके बारे में भारत सरकार से मुझे डिस्कस करना पडेगा।

(श्री हरिश्चन्द्र)

मैंने जैसा स्टेटमेन्ट में कहा है और जो कुछ भी टेन्टेटिव प्रपोजल्स हैं, उन प्रपोजल्स को मैं डॉक्टर राव के सामने पेश करने वाला हूं. २०-२१ तारीख को और ११ तारीख को वे कोटा आ रहे हैं, मैं भी वहां जा रहा हूं। मैं इस बात को जरूर पेश करूंगा कि अगर वह मुनासिब समझते हों कि डीजल सेंट्स के लिए ऑर्डर दे दिया जाय तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें नया नया पैसा लगाना होगा, नई चीज आती है। आज देश में संकट-कालीन स्थिति है, ये डीजल सेंट्स और जगह भी जा सकते हैं, यह सुझाव अच्छा है। लेकिन फॉरिन एक्सचेन्ज की क्या पोजीशन होगी क्यों कि जब मैंने यही बात डॉक्टर राव के सामने एक दफा कही थी चार पांच महीने पहिले, तब भी उन्होंने मुझसे यही कहा था कि इसमें फॉरिन एक्सचेन्ज का सवाल आएगा और इसलिये तुम इसी को ले लो, फॉरिन एक्सचेन्ज तुमको मिलेगी नहीं। लेकिन उस वक्त हम यह नहीं समझते थे कि इतना बडा संकट राजस्थान को सहना पडेगा। आज पानी पिछले साल से भी २० फिट बिलो है। इस सुझाव को मैं जरूर उनके सामने रखूंगा।

दूसरा सुझाव यह आया कि कि इसकी कोस्ट आफ जेनरेशन गैस टर्बाइन की ३४ नये पैसे के करीब आएगी। अगर इस गैस टर्बाइन को हाई डीजल स्पीड से चलाया जाय तो इसकी कोस्ट आफ जनरेशन ३४ नए पैसे पडती है जो काफी ऊंची पडती है। अगर इसको लो स्पीड डीजल आइल स्पीड से चलाया जाय तो करीब तीन आने या साढे तीन आने के आस पास इसकी कोस्ट आफ जनरेशन आती है। यह बात टैक्निकल आदमियों से की जाएगी कि उनकी राय में, इस प्लाण्ट को अगर हम लो-स्पीड डीजल आइल से चलाएं तो एतराज है क्या? मैं इस बात से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि यह प्लाण्ट लो स्पीड डीजल आइल से चल सकता है और मेन्युफेक्चरर्स भी कहते हैं कि चल सकता है। लेकिन हम इसकी गारन्टी नहीं लेंगे। अब यह एक ऐसा प्रश्न है कि जिस पर किसी नें किसी आदमी को डिसीजन लेना ही पडेगा और इसके लिए दिल्ली के अन्दर डॉक्टर राव जो खुद एक एमीनेन्ट इन्जीनियर हैं वे और उनका टैक्निकल स्टाफ और मैं और हमारे यहां के टैक्निकल लोग, सब मिल कर डिसिजन लेंगे कि क्या हम इसको लो स्पीड डीजल ऑइल से चलाएं या न चलाएं। बाकी मैं माननीय सदस्यों से यह जरूर कहूंगा कि यह लो स्पीड डीजल ऑइल से चल सकता है लेकिन हम इसी की गारन्टी लेंगे। Some times a man has to take such a decision.

तीसरा पोइन्ट, जो आपने रखा है कि ट्रान्सपोर्टेशन कैसे होगा? जैसा मैंने कहा सबसे बडा सवाल इस समय इस १० मेगावाट सेट को राजस्थान में यानी कोटा में लाने के लिए इसके ट्रान्सपोर्टेशन का है। और ट्रान्स-पोर्टेशन में भी हमने कई हद तक लडाई को जीत लिया था। लेकिन जो सेन्ट्रल रेल्वे की लाइन है उसने अभी क्लियरेन्स नहीं दिया है। इसकी हाइट १७ फिट और इसका वजन है करीब ७०,००० पौण्ड के आस पास। इस वास्ते इस को वहां से लाना, यह जबर्दस्त मुश्किल का काम है क्योंकि जो टनल्स हैं या आपके जो ब्रिजेज हैं उनमें से इसको पार कराने का काम बहुत मुश्किल है यह हाईट की वजह से निकल नहीं पाएगा।

(श्री हरिश्चन्द्र)

और रेल्वेज ने तो क्लियरेन्स दे दी है लेकिन सेन्ट्रल रेल्वे ने नहीं दी है। इसके लिए जब हमारी मीटिंग २१ तारीख को होगी, मैं डॉक्टर राव से निवेदन करूंगा कि वे रेल्वे बोर्ड के मेम्बरान को वहां बुला लें ताकि वहीं पर सारा मामला तय हो जाय। अगर वह नहीं आता है या वर्षाकाल के बाद आता है तो उसके ऊपर हमें पुनः विचार करने की आवश्यकता पड़ सकती है।

मिनिमम चार्जेज के बारे में भी कहा गया। अभी तक जो हमने कदम उठाए हैं वह मिनिमम चार्जेज जब पिछले साल वर्षा कम हुई थी उस वक्त भी कई इण्डस्ट्रियलिस्ट्स ने और कई माननीय सदस्यों ने इस चीज को उठाया था और हमने इतना जरूर कर दिया है कि जितनी कटौती हुई है उस प्रपोर्शन में मिनिमम चार्जेज घटा दिए हैं। अब माननीय सदस्य यह कहते हैं कि मिनिमम चार्जेज कतई हटा दिए जाने चाहिये तो इस पोइन्ट पर राज्य सरकार और विद्युत् मण्डल गम्भीरता से विचार करेगा और उस पर कोई न कोई हम निर्णय ले पायेंगे।

अभी माननीय सदस्य ने यह मुझसे पूछा कि आपका प्लान कटौती का क्या है? मैं समझता हूं कि इस वक्त मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि आपको कुछ डेफिनिट फौरन अर्ज कर सकूं। लेकिन बहरहाल जो पिछले साल हमने कटौती की थी उस कटौती में हरएक इन्डस्ट्री को विदाउट एनी एक्सेप्शन हमने सब की कटौती की थी जिसमें बड़े छोटे सभी हैं।

(४.०० म. प.)

सिर्फ डोमेस्टिक कन्ज्यूमर्स के ऊपर कोई कटौती नहीं की। इसके अलावा एग्रीकल्चरल पम्प्स के ऊपर भी कोई कटौती नहीं की। यह जरूर हो सकता है कि कहीं पर स्टेगरिंग किया हो। पॉवर नहीं आने पर किसी ने कहा हो कि तुम ४-५ घन्टा सुबह चला लो और फिर रात को चला लो। स्टेगरिंग किया हो, लेकिन कानूनी दृष्टिकोण किसी एग्रीकल्चरल कन्ज़ूमर की कोई कटौती नहीं की, और मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक मेरा बस पड़ेगा और कोई ऐसी चीज नजर सामने नहीं आई तो एग्रीकल्चरल कन्ज्यूमर के ऊपर, काश्तकार के ऊपर इस विषम परिस्थिति के बावजूद भी कोई कटौती हम नहीं आने देंगे। इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

रह गया कि इसके बाद क्या हो, मैं आपको जैसा कि मैंने स्टेटमेन्ट में अर्ज किया कि इसके दो उपाय हैं या तो हम पानी को जल्द खत्म कर दें और गांधीसागर बन्द हो जाय। एक तो यह सवाल आता है। दूसरा यह है कि गांधी सागर को मुझे थ्रू आउट एक तरीके से मानसून तक चलाना है तो जितना पानी है उसको साल के अन्दर बांटना पड़ेगा। इसके साथ साथ यह भी मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि बावजूद इसके इस बात का ध्यान भी रखना पड़ेगा और दरअसल में हमारे मिनिस्टर साहब पहले ही ईगर हैं एग्रीकल्चर वाले कि कम से कम जो फसल रबी की आ रही है उस रबी की फसल के लिए जितना पानी है वह इस मात्रा में हो कि इन चार-पांच महीने ये निकल जायं ताकि रबी की फसल का नुकसान न हो। इतनी मात्रा यह न हो कि जितना पानी पिछले साल दिया था उतना ही देंगे, लेकिन जो फर्ज, जो

(श्री हरिश्चन्द्र)

प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम में इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि एग्रीकल्चरिस्ट्स के लिए पानी का जो प्लानिंग किया जाय उसमें इन तीन चार महीनों का ध्यान रखा जाय ताकि उनको ज्यादा पानी मिल सके। अगर हम दो-तीन-चार महीने ज्यादा पानी लेते हैं तो नतीजा यह होगा कि पिछले ४-५ महीनों के अन्दर पानी कम मिलेगा लिहाजा जेनरेशन कम होगा और कटौती और होगी। तो यह सवाल हमको इस रूप में देखना है कि जो पानी हमारे पास में है उस पानी को सारे साल चला सकें या हम जुलाई के एन्ड तक चला सकें। ऐसी स्थिति और ऐसा प्लॉनिंग होना चाहिए।

इसके साथ-साथ अभी यह पोइंट आया कि अगर मैं दो टर्बाइन्स चलाता हूं जैसा कि आज चला रहा हूं तो इस वक्त राजस्थान ढाई लाख युनिट्स के आसपास ले रहा है चम्बल से और ये दो युनिट्स अगर चलाते हैं तो ५-६ महीने से ज्यादा नहीं चल सकते। इस वास्ते यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमको एक ही टर्बाइन चलाना पड़ेगा यानी जो पावर गांधी सागर से इस वक्त उपलब्ध हो रही है उसमें ५० पर्सेन्ट कट इमीजियेटली हो जायेगी।

अब इसके बाद हमारी तरफ से आगे उपाय ऐसे हों कि जिससे हम जो चम्बल में कमी है उसको सप्लीमेंट कर सकें। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि जयपुर से इस वक्त डीजल सेट या थर्मल सेट के द्वारा जयपुर से कोटा एरिया को १,२५,००० युनिट रोजाना भेज रहे हैं, और इस बात का प्रयत्न किया गया है कि सर्टेन मोडिफिकेशन के बाद में करीब ३०,००० युनिट्स और भेज सकेंगे यानी १,५०,००० युनिट्स तक मैं यहां से भेज सकता हूं। १,५०,००० युनिट के अलावा भी हम इस बात के प्रयत्न में हैं कि अगर हम भाखरा रीजन में कटौती करते हैं तो उस कटौती से फीड हम कोटा एरिया को करें। टैक्निकली इस चीज को कैसे किया जायेगा इसके बारे में हम टैक्निकल आफिसर्स से बातचीत करेंगे। आज भी कोटा एरिया और भाखरा एरिया-भाखरा एरिया में भी सारा भाखरा एरिया नहीं है लेकिन वह भाखरा एरिया जो चम्बल से फीड होता था और आज भाखरा में है उसके ऊपर भी हमने २० पर्सेन्ट के आसपास कटौती की है और कोटा रीजन में करीब ३५ पर्सेन्ट की कटौती की है। तो कम से कम एक युनिफॉर्म पैटर्न पर भाखरा और गांधीसागर को लाना पड़ेगा इसमें दो राय नहीं हो सकती किसी की।

सिर्फ वह एरिया जो कि डीजल के ऊपर है, जो थर्मल के ऊपर है, उसको छोड़ने के बाद जो एरिया आपका चम्बल में है और भाखरा में है उनमें युनिफार्म कट आपको लानी पड़ेगी, और जो आप यहां से सेव करेंगे उतना कोटा को फीड कर सकते हैं ताकि एक युनिफार्म कट में जो है समावेश सब का हो सके।

अब सवाल यह आता है जैसा कि मैंने कहा कि एग्रीकल्चरल कन्ज्यूमर्स के ऊपर कट नहीं आये, लेकिन हर एक आदमी के ऊपर, सिविल या डोमेस्टिक कन्ज्यूमर के ऊपर भी और इन्डस्ट्री कन्ज्यूमर के ऊपर भी, हर एक व्यक्ति के ऊपर वजन इसका इस साल आयेगा। इसको मैं और आप नहीं बचा सकते अगर हमको साल भर रन करना है तो। अगर यह हो कि दो महीने चले और फिर बन्द कर दें तो बात दूसरी है। लेकिन इस वक्त जैसा कि मेरा

Page No 108

(श्री हरिश्चन्द्र)

थिंकिंग चल रहा है और लोगों से बातचीत करने के बाद और टैक्निकल आदमियों से बातचीत करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचना पड़ता है कि हर एक टाइप ऑफ कन्ज्यूमर्स के ऊपर कोई न कोई कटौती आयेगी और उसको किस तरह से लाया जाय ताकि सहूलियत से काम निपट जाये, तकलीफ न हो और एक्जीक्यूशन भी सहूलियत से हो जाय इसकी स्टडी कर रहे हैं और आपके सामने हम पेश करेंगे।

यहां पर यह कहा गया कि बीकानेर में जो पानी के कुए हैं उनके ऊपर कटौती नहीं आनी चाहिए। मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि पिछले साल इसी सदन में यह बात कही गई थी कि हमने वाटर वर्क्स में कटौती लगाई है। वाटर वर्क्स पर आज भी कटौती नहीं है और आगे क्या होगा यह मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो वहां के कुए हैं उनके ऊपर ऑलरेडी दो डीजल सेट लगा दिये हैं-एक तो गंगाशहर है वहां पर डीजल सेट लगाया है, एक शिवबाडी है वहां पर डीजल सेट लगाया है। इसके अलावा, मैंने चार डीजल सेट मोटर स्टेण्ड पर रखे हैं, मोटर ट्राली के ऊपर ताकि कहीं पर एमर्जेन्सी आये तो उन ट्रालीज के ऊपर सेट जा सकते हैं ताकि वाटर वर्क्स जहां पर हैं जैसे बाडमेर, जैसलमेर हैं या और जगहों पर एमर्जेन्सी आयेगी तो उनको शिफ्ट करके पानी की समस्या नहीं होने देंगे। लेकिन अगर वाटर वर्क्स, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारी चीजों में इलेक्ट्रिक सप्लाई का काम हमीं करें, यह न होकर हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वह भी आज अगर यह सोचे कि इस तरह से वह भी डीजल सेट छोटे छोटे खरीदे और लगाये। आज कन्ट्री के अन्दर किर्लोस्कर ऐसे सेट बनाती है जो ५०-७५ और १०० किलोवाट के होते हैं। अगर ऐसे सेट वे लगायें तो बहुत कुछ उनसे मदद मिल सकती है।

इसके अलावा, धौलपुर में आटे की चक्की के बारे में कहा गया। माननीय सदस्य मुझ से मिले थे और मैंने उनको आश्वासन दिया था कि मैं कुछ न कुछ करूंगा, क्योंकि मुझे अभी समय नहीं मिला इसके लिए मुझे सदस्य माफ करेंगे, लेकिन मैं उनको आश्वासन देता हूं कि उन्होंने जो आटे की चक्की के बारे में कहा है कि आठ घंटे का कहा हुआ है और दो घंटे ही उसको पावर मिलती है तो इसके बारे में मुझे जानकारी अभी नहीं है लेकिन I will get it examined.

दूसरा आपने बताया कि तार होता है एक मकान में चला जाता है और दूसरे में नहीं जाता है इसके बारे में थोडा सा समझा दें कि कौनसी लाइन आती है, कहां जाती है, किन किन के मकान में जाती है और उन्हीं को सप्लाई करते हैं और दूसरों को नहीं करते हैं। कोई ऐसी बात हो तो एक्जामिन करा सकता हूं। मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है।

इसके अलावा माननीय सदस्य जो चौमूं से आये हैं उन्होंने कहा है कि वहां पर ट्रान्स-फार्मर जल गया तो उसके बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि पहले हम चौमूं एरिया को जैसा कि उन्हें सब मालूम है, उनसे कोई चीज छिपी हुई नहीं है, उन्हें मैंने एक चार सफे का नोट दिया था जो आपने पढा और उसे पढने के बाद आप फिर पूछ रहे हैं तो मैं फिर जवाब दे रहा हूं, मेरे पास आज वह नोट है नहीं। लेकिन चौमूं को हम चंबल से फीड कर रहे थे तब वोल्टेज में ड्रोप नजर नहीं आ रहा

(श्री हरिश्चन्द्र)

था। लेकिन जब इसे भाखरा से लिन्क किया तो यहां तक आते आते ४०० मील लम्बी लाइन है क्योंकि पंजाब से लोड आ रहा है और जयपुर टेल लाइन पर है इसलिये लोड कम होता है चौमू तक पहुंचते पहुंचते और भी कम हो जाता है। इसलिये पहले जो ११ किलोवाट का था उसको ३३ के० वी० में कन्वर्ट किया। वोल्टेज रखा गया। एक ट्रान्सफोरमर लगा कर शुरूआत की गई लेकिन वह ट्रान्सफोरमर जल गया। अब हमने दो भेजे हैं। एक के बारे में तो आपने स्वीकार किया है कि वह चल नहीं सका, दूसरे को चलायेंगे। टेक्निकल डिफिकल्टी के कारण हम उसको चला नहीं सके। उसको डीहाइडियेट करना पडता है, ह्युमेडिटी को निकालना पडता है और उसमें समय लगता है। डीहाइडियेट करने के बाद चलाना पडता है। हो सकता है कि डीहाइडियेट के कारण नहीं चला हो। हमने वहां पर टीम भेजदी है ताकि उसमें जो खराबी हो उसको ठीक करके चला सके। उसके बावजूद भी अगर कोई खराबी हो तो आप मुझ से मिल लें। पर आप मुझ से मिलते नहीं हैं इसलिये मुझे दुःख है। लोड मिलने के बाद कमेन्ट नहीं करते और मिलते नहीं इसलिये और भी दुःख है लेकिन सदन में आकर कहते हैं इसलिये हमें भी कहना पडता है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : दुःख तो आपको होता है वैसा मुझे भी होता है। आप पर भी चौमू का असर हो गया है।

समापति महोदय, On a point of personal explanation मुझ पर आरोप लगाया है · · ·

श्री सभापति : कोई आरोप नहीं लगाया है।

श्री मानसिंह महार : मेरा नाम लेकर बताया है · · ·

श्री सभापति : श्री हीराभाई अपना भाषण प्रारम्भ करेंगे।

इसके बाद आपको पोइन्ट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिये कुछ कहना है तो आप लिख कर भेज दें। या तो आपको इमीजियटली देना चाहिये। उसके बाद बीच में ऑपर्चुनिटी अवेल करना चाहते हैं, then you must send in writing to the Chair and seek permission,

कब किया जाय कब नहीं इसको देखना होगा श्री हीराभाई।

(४.१३ म. प.)

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियां विषयक ११वां व १२वां प्रतिवेदन

(पूर्व क्रम से विचार-विमर्श)

श्री हीराभाई (कुशलगढ) : माननीय सभापति महोदय, सन् ६१-६२ और ६२-६३ की आदिवासी और हरिजन आयोग की रिपोर्ट आज पेश हुई है उस पर वाद-विवाद चल रहा है। इस पर, सभापति महोदय, सबसे पहली बात तो समय के बटवारे के बारे में मुझे कहनी है। समय का बटवारा हमारी बिजनेस कमेटी ने किया है या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा दबाव हुआ है इस कारण इतना कम समय दिया है, यह मैं नहीं कह सकता लेकिन अलग टाइम देने से जैसा कि आदिवासी लोग हमेशा पिछडे हुए हैं और हरिजन भी पिछडे हुए हैं और बडे बडे अच्छे

Page No 110

(श्री हीराभाई)

कपड़े पहनने वाले जो लोग हैं उनकी टट्टियां साफ करते हैं, उनके छोरा-छोरियों के कपड़े धोते हैं और उनकी सेवा करते हैं उन लोगों की तरक्की, प्रगति या किस तरह से उनकी प्रोग्रेस हो इस बारे में आज इस आयोग की रिपोर्ट पर वाद-विवाद और विचार हो रहा है उसके लिये पिछडी जाति के नाम से टाइम अलग रखा है-इस बारे में हम हमारे नेता लोगों के आभारी हैं कि उन्होंने अपने ढंग से यह समय रख दिया है। लेकिन आज हम आदिवासी या हरिजनों को आप ले लीजिये, आज कम से कम हमें १७-१८ साल हो गये हैं भारत को आजाद हुए और आजाद होने के बाद हम आदिवासियों और हरिजनों की समस्या को लेकर आप लोगों को अच्छे कपड़े पहनने और विधान सभा और पार्लियामेन्ट में बैठने का मौका मिला है। एक तरह से आपका हथियार हम लोग हैं। हम लोग पहले दूसरे लोगों के गुलाम थे या राजाओं के गुलाम थे, उनकी आड लेकर आपने हमारी हिन्दुस्तान की जनता की अगवानी हमारे बापू ने करके देश को आजाद करने की कोशिश की और आजाद होने के बाद जैसा कि आज आप गांधीजी का नाम लेते हैं उसी तरह से आपको हम हरिजनों और आदिवासियों का नाम लेना होगा क्योंकि आपको पंखों के नीचे बैठने का मौका हम ही ने दिया है।

(हियर-हियर)

आज हमको दुःख है कि जितनी हरिजनों और आदिवासियों के प्रगति की कार्यवाही होती है वह बिल्कुल कागज में होती है। इसका ढंग से उपयोग नहीं होता, अमल में नहीं लाया जाता आंसू पोंछने के लिये षडयंत्र रचाये जाते हैं। उसके बारे में मेरा निवेदन है, आदिवासी साथियों और हरिजन साथियों से निवेदन है आप घबरायेंगे नहीं, मजबूरी नहीं लावें क्योंकि यदि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। हम गरीब लोग हैं काम करके हम कुछ भी कर सकते हैं इनके मां बाप टट्टी पेशाब साफ करते हैं इसी तरह से हम भी करते हैं हम भी इनके मां बाप के समान हैं। हरिजन लोग हमेशा लखपति करोड़पतियों के बेटों-पोतों को नहलाने, धुलाने आदि का काम जैसे उनकी माता-पिता करने वाले होते हैं उसी तरह से इन बडे बडे लोगों की सेवा करने वाले मेहतर के अलावा कोइ नहीं है। आप हमारी मजाक करते हैं आप चाहते हैं कि हम आपकी सेवा में लगे रहें और उनको उठने का मौका नहीं मिले, हम नीचे गिरते रहें। इसी कारण आज आप हमको जानवर और पशुओं की तरह रखना चाहते हैं यह देश का अहित है। भारत की आजादी का नाम लेना हमारे लिये कठिनाई का सवाल है।

सभापति महोदय, आज ६१-६२ की रिपोर्ट को आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जितनी रकम हमारे लिये स्वीकार होती है उसका कभी चार आना हिस्सा खर्च हुआ है और कभी दो आना और कभी मुश्किल से ५० परसेन्ट खर्च हुआ है। यह किसकी गलती है यह क्या हमारे भाग्य की गलती है या नेताओं और लोगों की गलती है ? सबसे पहले हमारे हिन्दुस्तान के आगीवान नायक जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं उनकी गलती है। हमारे यहां सबसे पहले राजस्थान के चीफ मिनिस्टर जो देश का नेतृत्व करते हैं उनकी जिम्मेदारी है। हरिजनों को ऊंचा

(श्री हीराभाई)
उठाना है तो जिसके हाथ में देश की बागडोर है वे ही उत्थान कर सकते हैं उनके अलावा जो मंत्री हैं उनकी गलती नहीं है ।

मीखाभाई को भले ही हम गालियां दे दें या यादवजी को गालियां दे दें, उनकी गलती नहीं है । जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं और जो हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री हैं उनकी गलती है और थोडी गलती हम और आपकी भी है । आप और हमारी गलती किस तरह है यह मैं अर्ज करूंगा । हमारे गांवों में जो भाट होते हैं वे किस तरह के होते हैं, वे या तो गीत गाकर अपनी रोटी निकालते हैं या भीख मांग कर पेट भरते हैं । उसी तरह से गांवों में ढोली, चिमटे, भाट माने जाते हैं उसी तरह से हमारे कुछ हरिजन आदिवासी जिनको सरकार जानती है वे सरकार के मुख्य नायक को देवता मान लेते हैं और क्या होता है कि उनके पीछे जी हां, जी हां करते फिरते हैं । वे देवता थोडा सा झूठा टुकडा उनको दे दें तो वे ऐसा करते हैं कि ये देवता हमारे मालिक हैं, भला कर रहे हैं, हमारा ये भला करने के लिए हैं । हमारे बापूजी ने बहुत हमारा भला कर दिया ।

दोस्तो ! यह हिन्दुस्तान के नागरिक हैं सर्व प्रथम और सर्व प्रथम यह अधिकार है हिन्दुस्तान के नागरिक का कि हमें किसी को देवता नहीं मानना चाहिए तब जाकर हम हमारा अधिकार प्राप्त कर सकते हैं । किसी किसी के पीछे घूम घूम कर और उसकी बात सुन कर मीठा मुंह करें, इस प्रकार जीवन का पालन करने की प्रवृत्ति मेरे लिए और आजाद भारत में रहने वालों के लिए शोभा की बात नहीं है । इसलिये कि हम एक तरह से अपने आजाद देश का अधिकार लेकर चल रहे हैं । इस रिपोर्ट में भी है कि आसाम, मद्रास, नागालैण्ड और इसी तरह से जहां भी आदिवासी लोग हैं वहां से इनको सुरक्षित सीट देनी चाहिए । वहां सुरक्षित सीट नहीं दे रहे हैं और इसके लिए वहां के लोग लड रहे हैं सुरक्षित सीट लेने के लिए । तो अल्पमत होने के कारण हमको दबाया जाता है इसका क्या कारण है । इसका कारण है कि हम लोग बिखरे हुए हैं । हर एक सीट के साथ हम कुछ प्रतिशत में बिखरे हुए हैं । इस कारण सत्ताधारी लोग, शासन को चलाने वाले को घमण्ड है कि यह बिखरे हुए लोग हैं, इसी कारण हमारा अल्पमत माना जाता है । इसलिए वे सोचते हैं कि चाहे कुछ भी करो, यह लोग हमारी मुट्ठी में हैं । इसलिए नेता को लेकर हमारे आदिवासी लोग मर रहे हैं । हमारे अन्दर कमजोरी है, यह हमारा कसूर है । हमारे अन्दर कमजोरी है, इसलिए आज जो भारत को आजादी मिली है उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं । हमें उपयोग करना है उसके लिए हम कोई वैसा आन्दोलन नहीं करना चाहते । लेकिन हमें वैसा ही करना पडेगा, जैसे संत फतहसिंह उपवास की बात कर रहे हैं और पंजाबी सूबे की बात कर रहे हैं । मैं आदिवासियों से अपील करूंगा कि आदिवासियों को प्रान्त बनाने के लिए आन्दोलन करना पडेगा इसमें कोई शक नहीं (हियर-हियर) मैं बताना चाहता हूं ....

श्री अमृतलाल यादव (समाज कल्याण मंत्री) : नहीं, नहीं ! यह कोशिश नहीं करनी चाहिए आदिवासी प्रान्त की । आदिवासी ब्लॉक है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : ढाई पर्सेन्ट बजट का रखें तो बतायेंगे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उसमें आपको भी बहुत फायदा है । उसमें कभी आपको मुख्य मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, अन्यथा आपको जूतियां चटकाते चटकाते बहुत मुश्किल से मंत्री पद मिला है वह वापिस जा सकता है साल डेढ साल में ।

श्री अमृतलाल यादव : वह कोई नहीं चाहिए । उनको बोलने दीजिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह डेढ साला मंत्रीपना अच्छा है या उससे मुख्य मंत्रीपना अच्छा है ?

श्री अमृतलाल यादव : यह आपको मुबारिक हो ।

श्री हीराभाई : इसलिए मैं अर्ज कर रहा था, मैं नहीं कहता कि कांग्रेसी नेता हो, चाहे सोशलिस्ट पार्टी के नेता हो, उनके साथ में कोई हरिजन बात कर रहा हो और तभी कोई जेंटिलमैन बात करने को आ जाय तो वह उससे बात करना शुरू कर देगा । और हमारे से बात कभी नहीं करेगा । इतनी उपेक्षा की भावना है हमारी जाति के लिए इनमें । मैं निवेदन करूंगा कि उसके बारे में मैं यह बताऊं कि फलाने ने यह किया, ढिकाने ने यह किया, यह जो चीज है इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं । लेकिन मैं आदिवासियों से निवेदन करूंगा कि आपके अल्पमत का जहां तक सवाल है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में ४३ पर्सेन्ट आदिवासी हैं, गुजरात में ४५ पर्सेन्ट आदिवासी हैं और (श्री अमृतलाल यादव से) हाथ हिलाने से काम नहीं चलेगा । मैं सही बता रहा हूं

श्री अमृतलाल यादव : गुजरात में नहीं हैं ।

श्री रामकिशन (वैर) : अन्दर की बात कह रहे हैं । पंचमार्ग की बात कह रहे हैं । वह आदिवासी क्षेत्र है ।

श्री हीराभाई : मेरा आप लोगों से निवेदन है कि बराबर देवताओं को धूप देने से काम नहीं चलेगा । आप मानें तो देव है, नहीं तो पत्थर है । इसके बारे में दो राय नहीं है । इसलिए हमें अपने आपको तैयार करना है और इस देश में जिन्दा रहना है तो, या तो इस गवर्नमेन्ट को मजबूर करें, जो सत्तारूढ दल में बैठे हुए हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि या तो गवर्नमेन्ट को मजबूर करें, उसे सारी हालत को समझायें, और अगर यह गवर्नमेन्ट मजबूर नहीं होती है और आपको जितनी सुविधायें मिलनी चाहिये वह पूरी नहीं करते हैं तो फिर हम आदिवासी सूबे की मांग करें, जैसे पंजाबी सूबे की मांग की जा रही है, उसी तरह आदिवासी सूबे की मांग करना शुरू करें, वह कोशिश करने से हो जायगा । क्योंकि संविधान में साफ लिखा है, भारत के संविधान में यह अधिकार दिया है कि जो मौजूदा सरकार है और कोई भी राज्य सरकार हो....

श्री दयाचन्द सोन (बारा-सु.) : अलग प्रान्त भी मांग लीजिये ।

श्री हीराभाई : कोई भी सरकार है तो उसका यह पहला धर्म है कि जो पिछडे हुये लोग हैं उनको अन्य लोगों के बराबर लाये जाने के लिये सबसे पहले प्राथमिकता देकर तैयार करे । यह यों नहीं, यह यों है कि पिछडे लोगों को चाहे कहीं टट्टी में मिलाते जायं उसका सवाल नहीं है, यह सवाल है कि जो

Page No 113

(श्री हीरा भाई)

पिछड़े हुए लोग हैं उनको मरने-मारने के लिए रखने का है । यह जो गरीब लोग हैं उनके हाथ में बन्दूक दे दीजिये । माल खाने को तो आप और जेंटिलमैन, जेंटिलमैन के साथ में आप हक दे दीजिये और इनकी उपेक्षा कीजिये । यह हिन्दुस्तान का, आजाद भारत का रवैय्या है, जिन लोगों ने भारत की आजादी के लिए कुर्बानी की है उनको आपने भुला दिया है और आप मजे लूटने में लग गये हैं । इस देश में जो गरीब हैं वह दिनों दिन गरीब होते जा रहे हैं और अमीर ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं । (हियर-हियर) इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि इनकी ओर ध्यान दीजिये । जो मैंने आदिवासियों की उपेक्षा के बारे में कहा है, इनकी उपेक्षा करने के लिए मैं यह नहीं कह सकता कि इनकी उपेक्षा इसलिए हुई है, क्योंकि कर्मचारी इतने बेईमान हैं । यह मैं नहीं कहना चाहता लेकिन जितने षडयंत्र किये गये हैं, जितने घोटाले किये हैं, यह हमारे भारत के नेताओं ने किये हैं । इन्होंने सिर्फ जातिवाद, भाई भतीजावाद को पनपा कर अपने अपने लोगों को हर कामों में प्राथमिकता देनी चाहिए है, और यह प्राथमिकता देने के अन्दर, मैं यह नहीं कह सकता कि कांग्रेस के लोगों को सब कुछ मिल गया है, या सब कांग्रेस के लोग अपना बांट बट्टा लेकर चल रहे हैं । उनका काम तो ठीक है ही नहीं लेकिन बडी जाति के लोगों के अन्दर भी यह भाई-भतीजावाद की प्रथा और षडयंत्र चल रहा है । और ऐसी स्थिति में यदि हम इन पर विश्वास करके रहेंगे तो हमें आखिर में मरना पडेगा । अभी जैसा कि हमारे साथी कालावादल जी ने कहा था कि इसका यह एक नमूना है–किसी की हत्या हो गई । हत्या हो जाने के बाद जांच करने के लिए कार्यवाही हुई । लोग आये, एम० एल० ए० भी गये । उसके सम्बन्ध में मैं यह नहीं कह सकता कि किस का टेलीफोन आया, लेकिन किसी का टेलीफोन हो गया और किसी प्रकार मुख्य मंत्री जी के ऊपर दबाव हो गया, या समाज कल्याण मंत्री, यादव साहब के ऊपर दबाव हो गया, वैसे यह उस वक्त नहीं थे लेकिन किसी मंत्री के ऊपर दबाव हो गया और वह केस डिले हो गया । क्या हिन्दुस्तान का नागरिक बडे से बडे आदमियों को ही मानते हैं। वैसे उनसे मेरा विरोध नहीं है । उनका हक उनको मिलना चाहिए । लेकिन एक गरीब आदमी की जान गई तो क्या उसको आप हिन्दुस्तान का नागरिक नहीं मानते हैं ? वह क्या मनुष्य नहीं है ?

यदि आप मानव-मानव में भेद रखते हैं, यदि छोटे-बडे में भेद रख कर चलते हैं तो तो आप हमेशा के लिए मानवता की रक्षा नहीं कर सकते हैं । मैं कह रहा हूं कि आपको यह अधिकार नहीं होना चाहिए । यह परिस्थिति है, वैसे जैसा लोग कह रहे हैं–यह ठीक है हमारे लिए, ठीक है विरोधी दल वालों के लिए । लेकिन विरोधी दल वालों में भी कौन सत्तारूढ दल में आयेंगे । मैं यह भी कह दूं कि हम लोगों का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, इनमें न तो हमारे साथ पूंजीपति आयेंगे, और न और लोग आयेंगे । हम हमेशा मार खाते जांय और आप हमारे पैसे को, हमारे धन को बरबाद कर रहे हैं और हम अभी तक पिछडे हुए हैं । आखिर में मैं कहूंगा कि इनका आचरण ऐसा है लेकिन उसमें भी क्या है, यहां पर किसी को भी बैठा दें, पैसे वालों की जगह, मेरे को, इनको, आपको बैठा दे तो भी उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होने

(श्री हीरा भाई)

वाला है। यथार्थ में स्थिति यह है कि लोगों को हुक्म देने वाला कौन है-हिन्दुस्तान के सफेद पोशाक वाले लोग हैं जिनको कोई काम आता नहीं है, जो अपनी जिम्मेदारी को समझते नहीं हैं। आज की सभ्यता में वह ही चल सकते हैं और देश के अन्दर मानवता की रक्षा नहीं कर सकते हैं, वह अपने स्वार्थ को लेकर चल सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज हमारी नौकरी का सवाल है। अभी अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, उस वक्त कृषि मंत्रीजी बोल गये कि योग्य आदमी मिलते ही नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, बडे दुःख की बात है कि अठारह साल पहले भारत आजाद हुआ था, क्या उसके दूसरे दिन से हिन्दुस्तान में आदिवासियों और हरिजनों ने जन्म लिया था? उनका जन्म तो बहुत पहले हो चुका था। फिर उस वक्त जो सात साल के बच्चे थे उसे आप नहीं पढा सकते थे, उसको आप ट्रेनिंग नहीं दे सकते थे, ' और क्या उसको पढा लिखा कर कुछ नहीं बना सकते थे? आखिर यह किसकी जिम्मेदारी है। हमारी खुद की तो सेवा करने की जिम्मेदारी थी उसको हम निभाते रहे हैं। लेकिन जो शासन की जिम्मेदारी थी कि वह हम लोगों को पढाये और हिन्दुस्तान का शासन सम्भालने के लिए योग्य बनाये। यह आप बना सकते थे, लेकिन आपने नहीं बनाया। आपने इसलिये नहीं बनाया कि अगर आप बना देंगे तो आपके भाई भतीजों को नौकरियां नहीं मिलेगी और वे जो एम० ए०, बी० ए० बेकार हो जायेंगे और हरिजनों को नौकरी मिल जावेगी। इसीलिये आपने बडे और छोटों में बांटा है और इसीलिये हरिजनों को पिछडा हुआ रहना पडा है और इसीलिये मैं यह कहूंगा कि हरिजन पिछड जाते हैं। उनको नौकरियां नहीं मिलती। अगर यही हालत रही तो हरिजन जाति का क्या ठिकाना है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका भाई भतीजावाद कैसे चलेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप अपने भाई भतीजों को नौकरी दिलायें लेकिन हरिजनों का जो आप भलाई करने का और नौकरी दिलाने का दावा करते हैं वह फिर क्यों करते हैं। इस ढंग से अगर काम होगा तो हरिजनों का कोई हित नहीं होगा।

श्री अमृतलाल यादव : सभापति महोदय, आपने ४॥ बजे के लिये फरमाया था कि सरकार की तरफ से उत्तर होगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : सभापति महोदय, ये तो आपको खरी खरी सुना रहे हैं आप इनको लाखों रुपयों के बंगले की बात कह दें।

श्री सभापति : मैंने जिस समय ४॥ बजे के लिये कहा था उस समय सरकार के लिये ५५ मिनिट का समय दिया जावेगा, यह मेरे ध्यान में नहीं था; इसलिये कहा था। लेकिन आज सदन का आखिरी दिन है। अगर राज्य की संकटकालीन स्थिति में अपने अपने जिलों में जावेंगे तो कम से कम इतना संतोष तो वे लेकर जावें कि उनको बोलने का अवसर दिया गया। इतना असंतोष लेकर नहीं जावें कि उनको ५ मिनिट भी बोलने के लिये नहीं दिया। आपने इतनी देर सुना है, आप घंटे डेढ घंटे और ज्यादा सुनते जाइये।

श्री हीराभाई : माननीय सभापति महोदय, मैं यह स्पष्ट कह रहा हूं और हरिजनों और आदिवासियों को पोस्ट दिलाने के बारे में जो आपकी भावना थी वह मैंने आपके सामने रखी।

((श्री हीरा भाई)

दूसरी बात, हमारी धनराशि जो खर्च की जाती है उसके लिये बोर्ड बने हुए हैं और उनके ज़रिये से हमारे यहां पर धनराशि खर्च की जाती है। जैसे आदिवासी आदिम जन-जाति अनुसूचित जाति का संघ। इस तरह से दो तरह के संघ बना रखे हैं। इसके लिये मैं यह कहूंगा कि अगर हम इस तरह से संघ बना कर चलेंगे तो हमारी जडों में जंग लग जाएगा जो लग रहा है। यह मैं मान कर चलता हूं। क्योंकि जितनी धनराशि दी जाती है उसमें से काफी पैसा संघ की व्यवस्था के नाम पर खर्च होता है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि यह संघ है वह हमारे यहां पर उन्नति करने के लिये जो तरीके हैं उनकी जडों में जंग इन संघों के द्वारा लग रहा है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि मौजूदा सरकार इन मौजूदा संघों की व्यवस्था नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकती? इसलिये नहीं कर सकती कि अगर इस संघ का एक आदमी पैसा खा जाता है, जैसे आपकी तरफ से मैं ही हूं आप मुझे एक दम मारना नहीं चाहेंगे। मगर आप मुझे किसी तरह निभावेंगे। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो संघ बने हुए हैं ये हमारी उन्नति की नींव में जंग लग रहे हैं। इसके भरोसे नहीं बैठे रहें और शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों की पढाई के लिये आपको स्पेशल इन्तजाम करना चाहिये। आज आजादी को १७ वर्ष निकल गये। अब समय नहीं निकलना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर मिडल स्कूल है वहां पर भी छात्रावास आपको बनाना चाहिये और जहां पर मिडिल स्कूल है वहां पर हाई स्कूल और हायर सेकन्डरी स्कूल बनानी चाहिये। जहां पर नहीं हैं वहां पर बराबर इनकी सुविधा होनी चाहिये और होस्टल भी वहां पर होने चाहिये। अगर आप इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक आदिवासी का कोई उत्थान नहीं होगा और हमेशा आप शोषण का धन्धा करते रहेंगे।

इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने सहकारी समितियां के बारे में श्रमिकों ने श्रमिक सहकारी समिति को ठेका दिया जावे। मैं यह कहूंगा कि हमारे यहा पर वन मंत्रीजी आदिवासी हैं मगर मैं कहूंगा कि ये हमारे मंत्री नहीं हैं वे नकली हो सकते हैं क्योंकि मंत्रि मंडल में जाने के बाद ये आदिवासी नहीं रहे। वहां पर श्रमिक समिति १९५८ से बनी हुई थी उसको ठेका नहीं दिया और हमारे मंत्रीजी ने दो नई समितियों का गठन किया। कुशलगढ समिति के अध्यक्ष कुशलगढ महाराज हैं और दूसरी के भी अध्यक्ष वहां के महाराज साहब हैं। आज आप उनको ठेका देने जा रहे हैं और जो पहले वन समिति थी श्रमिकों की उनको ठेका नहीं दे रहे हैं। मैंने यह तार अपनी आंखों से देखा था और दोनों समितियों के अध्यक्ष महाराजा साहब हैं, उनको ठेका दिया जा रहा है। उनकी सिफारिश हो गई है यह मैंने देख लिया है उनका आज कुछ निर्णय भी हो गया होगा।

माननीय सभापति महोदय, आदिवासियों के लिये कौनसा तरीका है, यह मेरी समझ में नहीं आया। यह सरकार की एक अजीब सी चाल है।

इसी तरह से जहां पर जमीनें आदिवासियों को देने का प्रश्न है, कहीं भी हो, ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि आदिवासी क्षेत्र के आदिवासियों को किस तरह से ऋण से मुक्त कराया जाए। उनको कानूनन सहायता

(श्री हीरा भाई)

दी जावे और उनको कानूनी मामलों में वकीलों द्वारा मदद की जाए। मगर मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि आपने यह लिखा है कि वकीलों को फैसला होने के बाद पैसा दिया जावेगा। आज कौनसा ऐसा वकील होगा जो इतना त्यागी होगा कि दो दो वर्षों तक बिना पैसा लिये आपके लिये लडता रहे। फैसला तो दो-दो साल, तीन-तीन साल तक नहीं होगा, इतने अर्से तक कौन पैरवी करेगा। वे पैरवी करेंगे टाटा और बिडला और दूसरे पूंजी पतियों की क्योंकि उनसे उनको जल्दी और ज्यादा पैसा मिलेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : कई लोग तैयार हो जावेंगे।

श्री हीराभाई : जागीरदारों की वकालत कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : वे जान देने को तैयार हैं।

श्री हीराभाई : केवल सहायता देने के लिये वकील का प्रावधान है लेकिन आज आप एक भी ऐसा केस बतला दें जिसमें समाज कल्याण में इतने आदिवासियों और इतने हरिजनों के केसेज गवर्नमेन्ट की तरफ से लडे गये हों और उनमें पैरवी की गई हो। या सरकार ने पैसा दिया हो। यहां पर हमारे समाज कल्याण मंत्रीजी बैठे है वे एक भी केस बता दें तो मैं मानने के लिये तैयार हूं। आपने जिला कलेक्टर को अधिकार दे रखा है कि आदिवासियों के या हरिजनों के मामलों में समाज कल्याण विभाग सिफारिश करेगा तो सरकार उनको मदद देगी और पैसे देगी लेकिन आज तक कोई एक भी केस ऐसा नहीं जिसमें सरकार ने हरिजनों को या आदिवासियों को पैसा केस के लिये दिया हो।

आदिवासियों की जमीन जागीरदार लोगों ने या पैसे वाले लोगों ने १९५५ के बाद में हडप कर उन पर कब्जा कर लिया और उनसे लडने के लिये आये। कलेक्टर के पास गये तो कलेक्टर ने आदेश निकाले कि १९५५ के बाद कानून के अनुसार आदिवासियों को जमीन दी जाए जो उनकी हो। मगर नतीजा क्या हुआ ? तमाम कांग्रेसी लोगों ने चन्दा किया बांसवाडा में और यह षड्यंत्र किया कि एक मीणा कलेक्टर आया है जो कानून की नस नस को पकड रहा है। उसको आज भगाने की फिक्र में हैं और हमार वहां के जिला प्रमुख हैं वे वहां के वकील बन कर पूंजी पतियों के हाथ में खेल रहे हैं। यह आदिवासियों के अहित की बात है।

इसी तरह से, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने कानून बनाये और आपने एक नीति निर्धारित कर दी कि २९ या ३० पर्सेन्ट ऐसा कुछ है आपने सीटें रिजर्व करदीं मगर बडे अफसोस की बात है कि गत साल में बांसवाडा में रिजर्व सीटें थीं किन्तु बांसवाडा को तोड मरोड कर, आदिवासियों की सीट तोड कर जनरल सीट बांसवाडा की कर दी कुछ एरिया गढी में मिलाया, पूर्व का एरिया पश्चिम में ले जा कर मिलाया। माननीय सभापति महोदय, यह आदिवासियों की सेवा कांग्रेस वाले कर रहे हैं। कोई देश की भलाई के लिये इस प्रकार की बात करें तो कोई बात नहीं पर राजनैतिक षड्यन्त्र कर के इस प्रकार सीटों की तोड

(श्री हीरा भाई)
मरोड की जाती है, यह देश की हत्या नहीं है तो क्या है ? जहां ८० प्रतिशत आदिवासी थे उस सीट को तोडा गया, कुछ बागीडोरा के, कुछ तलवाडा के, कुछ ब्राह्मणों के कस्ब इधर उधर से ढूंढे और तोड मरोड कर आदिवासियों की सीट की हत्या कर दी है । सरकार अगर इसी प्रकार से हमारे साथ बर्ताव करती रही, आदिवासियों की सीटों को काटती छांटती रही, तो इससे तो अच्छा यह है कि हमारे आदिवासियों का काम सम्हालने के लिये आदिवासियों को आपके इस प्रशासन से अलग कर दिया जाय, हम गुलामी से ही जीवन बसर कर लेंगे....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा समय इनको दे दिया जाय ।

श्री सभापति : आपका ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : जी हां ।

श्री हीराभाई : माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि आदिवासियों के लिये १२॥ प्रतिशत पोस्टें रिजर्व कर रखी हैं, उसमें यह नहीं है कि फोर्थ क्लास, थर्ड क्लास, सैकन्ड क्लास, फर्स्ट क्लास ये सारी सरकारी कर्मचारियों की श्रेणियां हैं उनमें सबमें मिला कर साढे बारह प्रतिशत रखा जायगा या सब श्रेणियों में अलग अलग साढे बारह प्रतिशत रखा जायगा । राज्य के बडे बडे अधिकारियों से हमने यह मांग की कि उनको कहा कि हर एक श्रेणी में साढे बारह प्रतिशत रिजर्व्ड होना चाहिये, वे कहते हैं कि हम यह सिफारिश नहीं कर सकते । आपकी गवर्नमेन्ट की नीति कैसी है, गवर्नमेंट के अधिकारियों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है और कहते हैं कि ये लोग अयोग्य हैं ।

दूसरी बात यह है कि आदिवासी लोग, हरिजन लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं, चपरासी हैं उनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया जाता है कि उनसे बडे बडे अफसर अपने घरों पर कपडे धुलवाते हैं आज आजाद भारत के वक्त में उनसे औरतों के घाघरे लूगडी, धोतियां, साडियां धुलवाते हैं । इससे तो अच्छा है कि छोड दो हमारे आदिवासी लोगों को तुम्हारी नौकरियों से, तगारी फावडा ले कर हम गुजर कर लेंगे । एस. पी. डूंगरपुर ने तो हमारे लोगों के साथ मजाक बना रखी है, उनके लिये मुर्गे–मुर्गी, रिश्वत का हिस्सा नहीं लावें तो उन लोगों को मोअत्तिल कर दिया जाता है, ट्रान्सफर कर दिया जाता है ।

(४.३५ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इन फोर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के साथ इस प्रकार का बर्ताव है इनसे घाघरे–लूगडी धुलाये जाते हैं, ऐसे अफसरों को बर्खास्त करना चाहिए । तो हरिजन आदिवासियों के लिये इस राज्य में यह व्यवस्था है । आज मैं इस सदन से मांग करूंगा कि जितने आदिवासी लोग हैं उनको सर्विस देने के बारे में प्राथमिकता दी जाय । समय समय पर एक रिपोर्ट हमारे पास भेजी जाय, उसमें हम भाग लेने की कार्यवाही करते रहें, इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाय । शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को न्याय मिल सके इसके बारे में पंचायत समिति के स्तर पर वकालत की राशि भेज दी जाय ।

(श्री हीरा भाई)

बडे बडे लोगों ने उनकी जमीनें ले लीं, बीस बीस साल से दावे चल रहे हैं, इन लोगों को मुकदमें लडने की सुविधा दी जाय। डंडा दिखा कर, आंखें दिखा कर आदिवासियों को बडे लोग कहते हैं कि यहां दस्तखत कर दो तो बेचारे कर देते हैं। इसलिये इन गरीबों के मुकदमों के लिये वकालत का प्रबन्ध करना बहुत जरूरी है, यह व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिये।

इसके साथ ही साथ में एक चीज और कहना चाहता हूं वह यह है कि भूमिहीनों के बारे में इस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं दिया है। इस रिपोर्ट में भूमिहीनों का कोई नाम ही नहीं है। चाहे नहरी एरिया हो या सूखड एरिया हो आदिवासियों और हरिजनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये, नीलामी से जमीन देने का रिवाज इनके लिये कोई लाभदायक नहीं है, नीलाम के मुकाबले में ये लोग खडे नहीं हो सकते क्योंकि पूंजी का इन लोगों के पास अभाव है।

श्री उपाध्यक्ष : कितना समय लेंगे ? आप ३० मिनट ले चुके हैं, अब आप दो मिनट और ले सकते हैं।

श्री हीराभाई : उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग अन्धे, लूले, बहरे हैं उनके बारे में ६१ हजार लोगों का होना इस रिपोर्ट में बताया है, उनके बारे में सरकार की तरफ से कितनी व्यवस्था है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है, थोडे से आंकडे बताये हैं। १००० में से ५१ आदमी देहात के लोग अन्धे, लूले, अपंग रहते हैं, नगरों के लोग १६ के लगभग बताये हैं तो इसके बारे में केवल यह बता देना इससे हमारी समस्या हल नहीं हो जाती है, यह बताया जाय कि लूले, अपंग, अन्धे लोगों के लिये क्या कोई आश्रम बनाया है, इन लोगों के लिये आश्रम बना कर इनको पढाया जाय, इनको बाबू लोगों का स्थान दफ्तरों में दिया जाय। ताकि मजबूत लोग हैं वे तो सीमा की रक्षा में काम आयेंगे और लूले-अपंग लोग दफ्तरों में काम आयेंगे।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खडे हुए)

श्री उपाध्यक्ष : Order please! श्री हांडा।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : यह आदिवासियों के संबंध में रिपोर्ट है, पहले आदिवासियों को समय देना चाहिये, ये तो हमेशा ही बोलते रहते हैं।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : समय बढाया जायगा और आपको दिया जायगा। माननीय श्री नाथूराम, आपको समय दिया जायगा। I have called the name. समय पहले से संकेतित है, जितना आवश्यक होगा समय बढाया जायगा, आप बेचैन नहीं हों, जितना समय जिसको दिया जा सकता है दिया जायगा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि दस-पन्द्रह मिनट से ज्यादा नहीं बोलें।

श्री नाथूराम : आदिवासियों को पहले समय देना चाहिये। हांडा साहब हमेशा बोलते हैं, प्रोसीडिंग्ज देख सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : हांडा साहब में इतनी सहृदयता तो होनी चाहिए कि वे रोजाना बोलते हैं, आज इनको बोलना था।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब कि ग्यारहवीं रिपोर्ट इस सदन में डिस्कस हुई थी आदिवासियों एवं अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में, उस समय आदिम जातियों के मंत्री इस सदन में मौजूद थे और आज जब कि यह बारहवीं रिपोर्ट डिस्कस हो रही है तो अनुसूचित जाति के एक मंत्री सदन में उपस्थित हैं। उस समय हमारी तीसरी योजना की डेढ़ प्रतिशत राशि आदिवासी और अनुसूचित जातियों के लिये रिजर्व थी। उस समय चौथी योजना की बुनियाद रखी जा रही थी।

उस सम्बन्ध में विवाद चल रहा था। एक मंत्री बदल गया, दूसरा मंत्री आ गया लेकिन जिस योजना के अन्दर-२३६ करोड़ की योजना के अन्दर-केवल डेढ़ परसेन्ट राजस्थान में रहने वाली २८ परसेंट आबादी के लोगों पर खर्च की जाती है। चौथी योजना के अन्दर भी केवल डेढ़ परसेंट का प्रावधान २८ प्रतिशत आबादी के लिए रखा गया है।

देश को आजाद हुए १८ वर्ष हुए। जब पहली और दूसरी योजना बनी, देश ने कल्पना की थी कि पांचवीं योजना के अन्त में हम आम आदमी के लिए वस्त्र, मकान, कपड़ा और चिकित्सा की सुविधा मुहय्या कर देंगे। आज तीसरी योजना का अन्तिम वर्ष है और देश की वह आबादी जो सदियों से गुलामी बर्दाश्त करती आ रही है, जो सब से पिछड़ी है, वह आज भयंकर स्थिति में है। क्या हम योजना इन्सान के लिए बनाते हैं या इन्सान को योजना की दीवार में गारे और पत्थर बनाकर चुन देना चाहते हैं। उदयपुर में योजना बन जाय और बांसवाड़ा के सम्बन्ध में हमारे इन्डस्ट्रीज और इकानामिक्स के डाइरेक्टर एक भयानक रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिनमें इन जातियों का भयानक चित्र हो, तो और काम रुक सकते हैं लेकिन देश की गिरी हुई आबादी पर एक पैसा नहीं खर्च करके हमने आजादी का कौनसा चित्र प्रस्तुत किया ?

राजस्थान के अन्दर २६,४६,६५५ शिड्यूल्ड कास्ट लोग हैं और २२,४२,२०७ शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं। राजस्थान के दो जिलों, बांसवाड़ा और गंगानगर उनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स की परसेंटेज सबसे ज्यादा है। जहां बांसवाडा की ६२.६ परसेंट पोपूलेशन आदिवासियों की है और जिसमें भील भी हैं वहां गंगानगर के अन्दर २८.६ परसेंट आबादी है। इन लोगों के धंधे और कार्य किस प्रकार के हैं, इस सम्बन्ध में जो आंकड़े सेंसस रिपोर्ट ने दिये हैं वे मंत्री महोदय के मुलाहजे के लिये सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। बहुत सी किताबों के टाइटल, जिन पर मंत्रियों के चित्र हैं, इस सदन में प्रस्तुत किए गए। जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने उनको पढ़ा। इस सेन्सस रिपोर्ट के आंकड़े प्रस्तुत करूंगा, जो मुलाहिला फरमाइये।

राजस्थान की कुल आबादी के अन्दर १०,७७,७५२ कल्टीवेटर्स हैं। इसमें एग्रीकल्चरल लेबर है १,७४,३७०, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में काम करने वाले १,३५,३५६ जो चटाइयां आदि बनाते हैं, मैन्यूफैक्चरिंग के अन्दर १२,६२७ कन्स्ट्रक्शन में काम करने वाले लोग १७,३६४ ट्रान्सपोर्ट ४,५८३, नानवर्कर्स १,४६,४८०, टैनिंग और चमड़ा वगैरह ३४,३६७ और आज भी राजस्थान

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

अन्दर २४,४२८ ऐसे लोग हैं मनुष्य का गंदा उठाते हैं।

इसके बाद दूसरा चित्र रखता हूं। राजस्थान के अन्दर २० पर्सेन्ट शिड्ल्ड कास्ट लोगों का जो सर्वे हुआ है उनके पास धरती का कब्जा किस प्रकार है उसके आंकड़े इस प्रकार हैं:—केवल राजस्थान के अन्दर ७०,६३२ फैमिलीज का सर्वे हुआ, जिनमें से अलवर में ४,०३० फैमीलीज पर सर्वे हुआ:

एक एकड़ से कम धरती वाले अलवर के अन्दर	२१५
एक एकड़ से २.४ एकड़ सारे राजस्थान के अन्दर अलवर के अन्दर	१४,२७६
अलवर के अन्दर	१,०४६
२.५ से ४.९ एकड़ तक	१,०८२
५ एकड़ से लेकर ७.४ तक	८०७
और ७ एकड़ से लेकर ९.९ एकड़ तक	३२६

तो १० एकड़ से कम के लोगों के आंकड़े आप जोड़ लीजिए।

जो कि अनइकानामिक होल्डिंग पर कब्जा रखे हुए हैं ७० पर्सेन्ट के करीब हैं अलवर के अन्दर। गंगानगर के आंकड़े लीजिए जो काफी खुशहाल इलाका है:

एक एकड़ से कम लोग ४

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज! टाइम हो गया। क्या सदन की सम्मति है कि जब तक यह कार्यवाही समाप्त न हो जाय तब तक समय बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: इस प्रकार २.५ एकड़ से ४.९ एकड़ काश्त करने वाले लोग २२८

५ से ७.४ एकड़—	४०९
७.५ से ९ एकड़—	९९६

कुल मिलाकर ६० प्रतिशत से भी अधिक आबादी ऐसी है जिसके पास १० एकड़ से कम धरती गंगानगर में है।

अब सारे राजस्थान के समूचे क्षेत्र को लीजिए: ७७,६३२ फैमिलीज के अन्दर:

एक एकड़ से कम—	२,१९६	फैमिलीज
एक एकड़ से २.४ एकड़ काश्त करने वाली	१४,२७६	,,
४.९ एकड़ २-५ एकड़ से लेकर	१५,०००	,,
५ एकड़ से लेकर ७.४ एकड़ तक	११,९४१	,,
७.५ से लेकर ९.९ एकड़ तक	९,४३५	,,

केवल राजस्थान के अन्दर ९० प्रतिशत शिड्ल्ड कास्ट के लोग इस प्रकार हैं जो कि २० पर्सेन्ट सर्वे के अन्दर १० एकड़ से कम के मालिक हैं।

(५.०० म. प.)

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो शिड्यूल्ड कास्ट का चित्र और अब शिड्यूल्ड ट्राइब्स का चित्र देखिये। उससे भी यह भयानक चित्र है। मैं आपके सामने उदयपुर, चित्तौड़गढ, बांसवाड़ा के आंकडे रखता हूं इस सम्बन्ध में। जरा सारे राजस्थान के आकड़े गौर फरमाइये इस सम्बन्ध में कि राजस्थान के अन्दर २२

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

लाख से अधिक यह शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उनमें जमीन का वितरण इस प्रकार है :

एक एकड़ से कम के लोग	७६,४३३

हाउसेज का सर्वे हुआ है और वे इस प्रकार हैं :

१८३० हाउस होल्ड हैं एक एकड़ से कम के	मालिक
एक एकड़ से २.४ एकड़	१४,८३४
२.५ एकड़ से ४.६ एकड़ तक	१८,६४४
५ से ७.४ एकड़	१४,४०८
७.५ से ६.६	६,६२०

कुल मिला कर ८० प्रतिशत ६० प्रतिशत से अधिक आदिवासी हैं जिनके पास दस एकड़ स कम धरती है। बांसवाडा में ६२ परसेन्ट जन संख्या आदिवासियों की है और उनमें भील अधिक हैं। बिजोलिया के आन्दोलन को कांग्रेस सरकार न भुला दिया। काला भाई और नाना भाई के त्याग और बलिदान को इस कांग्रेस की सरकार ने भुला दिया जिन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय बलिदान दिया उनको यह सरकार भूल गयी। यह सरकार शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रति इस प्रकार का रवैया दिखाता है जसे दाता भिखारी के प्रति दिखाता है। मैंने इस राज्य की विज्ञप्तियां पढी ह। यह सरकार बड़ी २ विज्ञप्तियां निकालती हैं। मैं सदन की मेज पर एक विज्ञप्ति रखना चाहता हूं विज्ञप्ति देने वाले का उसके अन्दर चित्र भी मौजूद है। सदन का जब इतिहास लिखा जायगा तो उसमें यह चित्र भी शामिल हो इसलिये मैं इसको सदन की मेज पर प्रस्तुत करता हूं।

१० दिसम्बर को रामप्रसादजी लड्ढा साहब ने यह विज्ञप्ति निकाली कि सन् ६५ में विशेष वर्ग को भूमि दी जावेगी। इनमें पिछड़ी जातियों, स्वर्णकारों और सैनिकों को प्राथमिकता दी जावेगी। उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जनजाति, समाज कल्याण मंत्री आज कोई कार्य कर सकते हैं तो एक कार्य करें दिसम्बर से लेकर आज तक कितनी अनुसूचित जन-जातियों और जनजातियों, हरिजनों को राजस्थान में धरती अलाट हुई है इसकी लिस्ट सदन की मेज पर प्रस्तुत की जाय।

आपने जमीन अलॉट की बाढमेर के अन्दर। चौहटन तहसील के अन्दर। जमीन अलाट की गडरा रोड के अन्दर जहां कि जंग हो रहा है। वहां पर उन गरीब मेघवालों को जमीन दी गई उनकी क्या दुर्दशा हुई सब जान रहे हैं। आपने राजस्थान केनाल को जागीरदार केनाल बना दिया। पांच हजार से ऊपर जागीरदारों को राजस्थान केनाल में धरती अलॉट कर दी। कितनी जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों को केनाल में कितनी धरती दी गई जरा इसकी लिस्ट तो सदन की मेज पर रख दीजिये सब को मालूम हो जायगा। गंगानगर के अन्दर कितने जन जाति और आदिवासी और हरिजनों अनुसूचित जाति को जमीन दी जरा मी इसकी लिस्ट सदन की मेज पर रखा दीजिये। कितने लोगों को आपने इनमें से बसाया इसकी तो जरा लिस्ट दे दीजिये। जैसे जैसे चौधरी तशरीफ लाये, गंगानगर के सरदार माना लगाकर आये सीलिंग के रिटर्न देने की मोहलत खत्म हो गई और एमर्जेंसी क वक्त यह सरकार उसक लिए उनको छः महीने की मोहल्लत बढा देती है। बड़े बड़े

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

खातों के लोग गंगानगर की जमीनों को अपने कब्जे में किये हुए हैं। मैं एक संक्षिप्त विवरण सदन के अन्दर प्रस्तुत करना चाहता हूं जिससे यह मालूम होगा कि गंगानगर में छोटे बड़े लोगों के पास कितनी कितनी जमीन कब्जे में है :

गंगानगर के अन्दर १.४५ लाख खातों के अन्दर।

१५ एकड़ और उस से नीचे के खाते	४६,५५३
१६ से ३० एकड़ के खाते	३१,२८६
३१ से ५० एकड़ के खाते	३१,३३१
५० एकड़ से १०० एकड़ के खाते	११,२११
१०१ से २०१ एकड़ के खाते	२,७६२
२०१ से ३०१ एकड़ के खाते	४०६
५०० एकड़ से ऊपर	१७६

टेम्पोरेरी कल्टीवेटर्स कुल है २६,३२५ जिसमें अनुसूचित जातियों की तादाद १० परसेन्ट से अधिक नहीं है। उनके पास भी जमीन रहने वाले नहीं है क्योंकि वे दस किश्तें दे नहीं सकते। क्या करें सरकार को उन बड़े बड़े खातेदारों के ऊपर बड़ा रहम आता है, उन पर बड़ी दया आती है यह लाखों एकड जमीन उन बड़े बड़े लोगों के नीचे दबी हुई है और नीलामी के अन्दर दी जावेगी बचेगी तो। हरिजनों को मन्दिरों में चढाईये और रोज उनको साबुन से नहलाइये इससे उनका पेट नहीं भरने वाला है। ये बातें खूब जानते हैं। लेकिन उनकी आर्थिक दशा को सुधार कर उनको ऊपर उठाइये। इससे ऊपर उठेंगे। आज बांसवाडा के अन्दर ४५ परसेन्ट ऐसे लोग हैं जिनकी बुरी हालत है। उन लोगों के पास कमाई का कोई आधार नहीं है, उनके पास कोई धन्धा नहीं है। सारे बांसवाडा एरिया का सर्वे हुआ है और यह डाइरेक्टर ऑफ इकोनोमिक्स और इन्डस्ट्रीज ने किया उसमें उन्होंने बताया है कि ६२ परसेन्ट आबादी बांसवाडा की ऐसी है जो पच्चीस पैसे रोज पर गुजारा करती है। डूगरपुर के लिये बताया कि ५५ से ६० परसेन्ट अबादी ऐसी है जो २५ नये पैसे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पर गुजारा करती है। यह सर्वे रिपोर्ट है, श्रीमानजी। और तो ओर इस रिपोर्ट के अन्दर दिये हुए रिमार्क को बताऊं कि सागडी प्रथा वहां है उसके लिये एक लेख लिखा गया है और वह समाज कल्याण विभाग की छपने वाली पत्रिका में है जिसमें यह लिखा गया है कि यह सागडी प्रथा एक कलंक है। यह पत्रिका हमें समाज कल्याण मंत्री की ओर से प्राप्त हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : आप पांच मिनिट में खतम करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस लेख में क्या लिखा है यह आप, मेरी आई साइट वीक है, पेज २७ पर पढ लीजिये। आयुक्त ने स्पष्ट कहा है कि ६१ में सागडी कानून जरूर बन गया था, लेकिन इन वर्षो के अन्दर सागडी कानून के अन्तर्गत एक व्यक्ति भी गिरफ्तार नहीं हुआ। उन्होंने विशेष अधिकार देने के बारे में जोर दिया है जिससे समाज कल्याण के लोग स्वयं जाकर सागडी प्रथा को रोकने की कोशिश करें। राजस्थान की बडी दयनीय स्थिति है।

श्री दौलतराम सारण (उप-मंत्री; स्वायत्त शासन) : सागडी प्रथा का क्या हुआ ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप जैसे नामर्द हों तो मैं क्या कहूं ? इंगलिश में यह इम्पोटेन्ट शब्द है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : किसके लिये कहा है ?

Page No 123

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : किसी के लिये नहीं कहा है । उन लोगों के लिये कहा है जो सीलिंग लागू नहीं करते । किसी व्यक्ति विशेष के लिये नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : वह तो आप ही हो ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह तो आजमा कर देख लेना ।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में सदन के माननीय सदस्यों ने यह कहा कि आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के लोगों को उनके तयशुदा परसेन्ट के अनुसार स्थान नहीं दिया जाता ।

माननीय खाद्य मंत्री ने, जो इरिगेशन मिनिस्टर भी हैं, उस दिन खड़े होकर बड़े गर्व के साथ कहा था कि मेरा टेक्निकल डिपार्टमेन्ट है, टेक्निकल लोग हों तो दें मैं पूरे परसेन्टेज पर लेने के लिये तैयार हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय, से पूछना चाहता हूं कि २६ लाख शिड्यूल्ड कास्ट और २२ लाख शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को एज्युकेट करने का आपने क्या प्रयत्न किया ? १९६१ की सेन्सस रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं जैसा कि उसमें दिया गया है । राजस्थान के अन्दर चार जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी स्त्री आदिवासी अनुसूचित जनजाति की ऐसी नहीं है जो प्राइमरी स्टेन्डर्ड तक एज्युकेटेड हो । जैसलमेर, जोधपुर, नागौर और सिरोही ये चार जिले हैं । जैसलमेर जिले में एक भी स्त्री और एक भी पुरुष ऐसा नहीं जो प्राइमरी स्टन्डर्ड तक एज्युकेट किया जा सका हो ।

उपाध्यक्ष महोदय, कुल राजस्थान के अन्दर मैट्रिकुलेशन और उसके ऊपर तक २६ लाख ४६ हजार ५५६ में से जो शिड्यूल्ड कास्ट की संख्या है उसमें केवल १,५०६ लोग एज्युकेट किये जा सके हैं जिनमें ३१ महिलायें हैं । प्राइमरी स्कूल तक १३,२२६ मेल मेम्बर प्राइमरी स्टेन्डर्ड तक एज्युकेटेड हैं और ४८८ फीमेल थीं ।

राजस्थान के अन्दर अरबन पोपूलेशन में जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनमें से ४३२ शिड्यूल्ड कास्ट के और शिड्युल्ड ट्राइब्स के अन्दर २,२२,२२८ जनता है उसमें के केवल ८५१ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैट्रिकुलेशन तक की अब तक शिक्षा पायी है जिसमें से महिलायें केवल १३ हैं ।

श्री भीखाभाई : आप कनफ्यूजन क्यों कर रहे हैं ? शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज में फर्क है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने बताया शिड्यूल्ड ट्राइब्स के ८५१ लोग ऐसे हैं जो अब तक एज्युकेट हो पाये हैं जिसमें से १३ महिलायें हैं । प्राइमरी स्टेन्डर्ड के अन्दर राजस्थान के बारे में जैसा मैंने कहा शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के अन्दर १३ महिलायें मैट्रिकुलेशन तक शिक्षित हैं ।

श्री माधोलाल खानपुरिया (अटरू) : यह आप किस आधार पर कह रहे हैं ? जयपुर में ही मैं बता सकता हूं १३ महिलायें तो यहां पर ही इतनी शिक्षित मिल जायेंगी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसीलिए मैं यह किताब लाया हूं जिसके आधार पर मैं कह रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह वह चित्र है शिक्षा का जो इन जातियों के लोगों को दी गई है ।

Page No 124

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि जो राजनैतिक चेतना देश को प्राप्त हुई है, उस चेतना ने भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को व्यग्र बना दिया है। समय और ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। भारत वर्ष में एक और इस जाति क लोगों ने बिजोलिया का आन्दोलन चलाकर देश में जागृती पैदा की थी, सिरोही के अन्दर इन्हीं लोगों ने अंग्रेजों क खिलाफ संघर्ष किया था। भीलों ने अपने रक्त से उदयपुर के राजपरिवार का पालन पोषण किया था आज इन्हीं भीलों का इतिहास है जो वहां की जनता क लिए प्रेरणादायक रहा है। लेकिन इन १८ सालों में जिस प्रकार का इनका चित्र बना है यह उनके १८ साल की पतन की कहानी है। कर्नल टाड ने लिखा है राजपूत लोग इन लोगों के साथ बैठकर भोजन किया करते थे। डूंगरपुर की वह टिकटिकी देखता हूं जहां पर डूंगरपुर का राजपरिवार उस समय खाना खाया करता था वहां पर इन आदिवासियों का सिर काटकर लगाया जाता था, आज उसको देखकर शर्म के मारे सिर झुक जाता है। आज आपकी योजनाओं की मन्थर गत है वह इन लोगों को सह्य नहीं होने वाली है। आज ये करोड़ों लोग इस मन्थर गति को जो मस्त हाथी की तरह चलती है उसको सहन नहीं कर सकते। आपको उस गति को हिरन की तरह उचाले मारते हुए चलाना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री खानपुरिया।

श्री अब्दुलजब्बारखां (निम्बाहेडा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी समय दिया जाय।

श्री दयानन्द सोन (बारां-सु.) : कांग्रेस पार्टी का समय खत्म हो गया है हमारी पार्टी के किसी मेम्बर को समय नहीं दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आप सबको समय दूंगा। श्री खानपुरिया।

श्री **माधोलाल खानपुरिया** (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह समाज कल्याण विभाग की तरफ से रिपोर्ट आयी है उस पर हमारे कई साथियों ने अपने अपने विचार रखे और इसकी पैरवी की है। इसकी पैरवी करके हमारा जो पिछला रिकॉर्ड है उसको भुलाया जा रहा है और नया बनाया जा रहा है। हमारी सरकार ने हमारी उन्नति के लिये क्या क्या किया है यह किसी से छिपा नहीं है। हमारे पहले क्या अधिकार थे, जब यहां पर एकतन्त्रीय सरकार थी उस समय जो हमें अधिकार थे उसमें आज जो जनतन्त्र की सरकार आयी है उसने हमें क्या अधिकार दिये उनको दखते हैं तो हमें जमीन आसमान का फर्क मालूम पडेगा। मैं आपको उस एकतन्त्रीय शासन की ओर लेजाना चाहता हूं। एकतन्त्रीय शासन के जमाने में हम लोगों को गांवों में घोड़े पर बैठकर नहीं निकलने देते थे, हमारी औरतों को जेवर पहनकर बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। हमारे यहां कोई अच्छी रसोई भी नहीं करने देते थ। मैं हमारे जयपुर में जब राजाओं का शासन था एक दफा मैं यहां जयपुर में आगया और रात को एक धर्मशाला में रह गया। वहां रजिस्टर में जाकर मैंने नाम लिखाया मेरे साथ एक मीणा भी था। ६ बजे के करीब एक पुलिस का सिपाही आया उसने रजिस्टर को देखा और दखने पर धर्मशाला वाले से पूछा कि यह मीणा कौन है ? मेरे साथ मीणा भी था।

(श्री माधोलाल खानपुरिया)

मैंने कहा मैं हूं, आप दो हैं ? एक मैं और एक दूसरा मेरे साथ था । उन्होंने पूछा यहां कैसे आगये और यहां कैसे ठहरे हो, महमानखाने में चलो । मीणा होते हुए धर्मशाला में नहीं रह सकते । उस समय हमारे ये अधिकार थे । उस समय कोई कानून नहीं था इस प्रकार की पाबन्दियां हम लोगों पर थी उन दिनों में । हमें इधर आने की जाने की छूट नहीं थी । जिस गांव में रहते थे वहां पुलिस में रजिस्टर में हमारे नाम दर्ज होते थे । किसी भी सगे सम्बन्धियों से मिलने जाते थे या शादी विवाह में जाते तो दरख्वास्तें पेश करनी पड़ती थीं । वे या तो हमारे को इजाजत दे देते और हमारे साथ पुलिस के जवान को भेजा जाता था ।

श्री दयाचन्द सोन : अब आप कोटा में जाकर बस गये हो इसलिये अब यहां की बातें करते हो ।

श्री माधोलाल खानपुरिया : आप तो बनाये हुए उनके ही आदमी हो, आप क्या जान सकोगे ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । आप इनको बोलने दें ।

श्री माधोलाल खानपुरिया : एक समय था हमारे यहां पास में एक गांव था जिसमें जागीरदार साहाब रहा करते थे जो राजा की तरह अपने यहां भी एकतन्त्रीय शासन चलाने वाले थे । उस समय माचिस नहीं होती थी तो उस समय उन जागीरदार साहब ने अपने लोगों से कहा कि जाओ कोलियों के यहां जाकर सूत मांग ले आओ ।

तो उनके आदमियों ने सूत मांगा । कहा, थोडा ले जाओ । पासवान ने आकर जागीरदार को कहा कि वे नहीं देते और बार बार जाना पड़ता है । तो इकट्ठा ही ले लो । सब कोलियों को बुला लिया । लाइन लगा दी । जागीरदार साहब काणे थे । कहा सब कोलियों में से एक को हर माह काणा बनावेंगे । तो उस वक्त यह हाल था ।

आज हम बराबर में बैठते हैं, बोलते हैं ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : कहां बैठते हैं बराबर ? कहां बोलते हो ? आपको बोलने नहीं देते ।

श्री माधोलाल खानपुरिया : हमारे प्रतिनिधि बोलते हैं । हमारे नेता लोग बोलते हैं, फिर हमें बोलने की जरूरत क्या है ?

श्री जयनारायण सालोदिया : पुराने किस्से सुनाये जाओ ।

श्री माधोलाल खानपुरिया : मैं यह बताना चाहता हूं कि एक जमाना तो वह था और एक आज है । हमारे राष्ट्रपिता ने हमें इतनी आजादी दिलाई । इसके बाद सरकार हमारे लिये बहुत मदद कर रही है । बजट भी बनाती है । बजट भी बनाती है, पैसा भी देती है । पर हमारे कर्मचारी कुछ आराम पसन्द होने से उनको यहां मकान बंगले मोटर आदि मिल जाते हैं तो वे हमारी दुख दर्द को देखने के लिये देहातों में नहीं जाते, वहां जाते उनको दिक्कत होती है । तो यह भी धीरे धीरे ठीक हो सकेगा ।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : मुझे भी बोलने दीजिये, साहब ।

श्री उपाध्यक्ष : आपको भी समय मिलेगा ।

श्री श्रवणलाल ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : उपाध्यक्ष महोदय, . . .

श्री माधोलाल खानपुरिया : मैं कह रहा था ।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो समाप्त कर चुके ।

श्री श्रवणलाल : सभी सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे । काफी तथ्य भी सामने आये । इस विभाग के पहले हमारे भीखाभाईजी मंत्री थे । उनके समय में हर तरह की गड़बड़ी चलती रही । फिर दूसरे मंत्रीजी आये बीमारी के कारण मन्त्रिमण्डल से वे भी इस्तीफा दे गये, अधिक सुधार वे भी नहीं कर सके । अब कुछ दिनों से हमारे नये मंत्री श्री अमृत लालजी यादव आये हैं । वे प्रारम्भ से ही बड़ी तमन्ना और इच्छा इस विभाग को सुधारने की लेकर आये । अपनी जाति को सुधारने की वे भी बड़ी बड़ी आशाएं दिलाते हुए आये । पर आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि वे भी आज पक्षपात की नीति में पड़ गये हैं । स्वयं अपनी पोस्ट को बचाने के लिये अपने ही आदमियों से मिलने के अलावा दूसरों से मिलना पसन्द ही नहीं करते हैं ।

श्री अमृतलाल यादव (समाज कल्याण मंत्री) : यह बिलकुल झूंठ बात है, या तो आप इसे साबित करिये नहीं तो अपने शब्द वापिस लीजिये ।

श्री श्रवणलाल : आपने क्या इस तरह का सरक्यूलर नहीं निकाला कि आपके दर्शन सिर्फ आपके लोग ही अपने क्षेत्र में कर सकते है । आप भरतपुर में आये । हो सकता है, मैं विरोधी पार्टी में हूं, पर आपने अपनी पार्टी के लोगों को भी सूचना नहीं दी ।

श्री अमृतलाल यादव : मैं हिण्डौन गया । ये हिण्डौन के रहने वाले हैं । मैंने इनको सूचना दी ।

श्री श्रवणलाल : आप भरतपुर गये, पर वहां भी किसी एम. एल. ए. को, हरिजन एम. एल. ए. को सूचना नहीं दी ।

श्री अमृतलाल : माननीय उपाध्यक्षजी, ये झूंठ पर झूंठ बोले जा रहे हैं । मैं भरतपुर गया था । माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं वे मिले, माननीय श्री सांवलियारामजी से पूछ लें । वे मौजूद थे या नहीं ? वे कह देंगे, मौजूद नहीं थे तो मैं मान लूंगा ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : भरतपुर से एम. एल. ए. कौन है ? कार्यक्रम भरतपुर के एम. एल. ए. को दिया होगा ।

श्री अमृतलाल यादव : भरतपुर से सांवलियारामजी हैं या नहीं । भरतपुर जिले से जितने एम.एल.ए. हैं उन सबको मेरे दौरे की कॉपी दी गई थी । आपको भी दी गई थी ।

श्री नत्थीसिंह : मैं चेलेन्ज करता हूं इसको, मुझे कोई कापी नहीं दी गई ।

ी अमृतलाल यादव : मैं भरतपुर गया आप मौजूद थे ।

(शोरगुल)

श्री सांवलियाराम (रूपवास सु.) : इतना मैं निवेदन कर दूं कि सूचना सब को भेजी जाती है ।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य । आर्डर प्लीज । आर्डर । Shri Shravanlal is in possession of the floor; आप अपना भाषण पूरा करिये ।

श्री अगलाल : तो इस तरह से आज मंत्रिमण्डल के सदस्यों का जो रवैया है पिछडी जातियों के प्रति वह अच्छा नहीं है। हो सकता है माननीय मंत्रीजी मेरी इस बात का बुरा मान गये हों। पर जितने भी मंत्री लोग दौरे पर जाते हैं आम तौर से एम. एल. ए. को सूचना अधिकतर नहीं भेजते।

उपाध्यक्ष महोदय, आज कम से कम एक तिहाई सदस्य शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के यहां हैं करीब करीब और जनसंख्या भी करीब इतनी ही है उस हिसाब से जो उनको अधिकार मिलने चाहिये वे नहीं मिल रहे हैं। आज यह सरकार केवल ढोंग करती है कि उसने हरिजनों का उद्धार किया।

आज समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो भी इस उद्धार के नाम से पैसा दिया जाता है मकान, कुओं और कई अन्य प्रकार की चीजों के लिये दिया जाता है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इस पैसे का होता क्या है?

वह सारी रकम कागजों तक ही सीमित रहती है। आज बहुत सी जगह ऐसी मिलगी कि कुए कागजों में बने हुए मिलेंगे और जिस जमीन पर वह कुआं है उसके लिये दो दो जगह से रकम दी गई है लेकिन कुआं जमीन पर नहीं मिलगा। मैंने एक बार इस विषय में कई प्रश्न भी पूछे और प्रश्नों के उत्तर भी तोड़मरोड़ कर दिये जाते हैं। मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर के अन्दर मकानों के लिये दी गई रकम के लिये पूछा तो वहां आज तक सिर्फ एक मकान बनाया गया है। प्रश्न के उत्तर में मिलता है कि सवाई माधोपुर के अन्दर २३,२५० रु० ३१ मकानों के बनाने के लिये स्वीकृत हुए और जिसमें से पूरे हुए हैं, ४ और २७ अभी अधूरे हैं। मतलब अभी उनका काम चालू किया ही नहीं है और आगे लिखा है कि एक मकान की धनराशि राज कोष में जमा करा दी गई है।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मानो कोई योजना चालू की जाती है तो बड़ी कोशिश करके उसके लिये रकम स्वीकृत होती है और वह रकम उन आदमियों को इस रूप में दी जाती है जिससे कि वह अपने मकान को जल्दी नहीं बना पाते हैं। अगर किसी तरह से रकम मिल भी जाती है तो वह इतनी थोड़ी होती है कि जिससे वह अपने मकान को नक्शे के मुताबिक नहीं बना पाता है। माननीय मंत्री महोदय हिन्डोन में पधारे हुए थे, वहां पर हरिजनों को पैसा मिला और उन्होंने जो मकान बनाये उनको भी उन्होंने देखा होगा। वहां के हरिजनों ने मांग की कि हमें जो सरकार से पैसा मिला है हम उसका कुछ मकान तैयार कर रहे हैं लेकिन पैसा पूरा नहीं होने के कारण वह मकान अधूरे हैं और हरिजनों ने वहां की म्यूनिसिपैलिटी से लोन के रूप में पैसे के लिये प्रार्थना की-अगर पैसा उनको अनुदान के रूप में मिलता है तो और भी अच्छा है और अगर अनुदान में नहीं मिलता है तो यह रुपया कर्जे के रूप में दिया जाये क्योंकि बरसात का मौसम है और जितना पैसा उसमें लगा हुआ है वह सब खत्म हो जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, अगर वह म्यूनिसिपैलिटी चाहती हरिजनों का भला करने का तो २५० रुपये की मांग उनके लिये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी और फिर वह कर्जा ही तो ले रहे थे। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि उनको पैसा नहीं मिला और बरसात आई और उनके मकान बर्बाद होगये।

Page No 128

श्री अमृतलाल यादव : मैं हिन्डोन गया और वहां के लोगों ने जो बात कही वह आपने बताई लेकिन मैंने क्या कहा आप उसको क्यों छिपाते हैं ?

श्री श्रवणलाल : मैं बता रहा हूं, धीरे उस पर धीरे आ रहा हूं ।

श्री अमृतलाल यादव : जल्दी आइये न ।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर बरसात आई और उन गरीबों के बने हुए मकानों में से ४-५ मकान बराबर हो गए, गिर गए । हो सकता है मन्त्री महोदय ने वह मकान देखे भी होंगे लेकिन आज तक उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई । हो सकता है वह कोई आश्वासन दे आये होंगे कि मैं इस रुपये को आप लोगों को कर्ज के रूप में दिलवाऊंगा. लेकिन आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गई । उपाध्यक्ष महोदय, जो गरीब आशा लगाकर बैठे रहते हैं कि हमारी जाति से भी कोई मिनिस्टर है और उसके पास में भी वही. विभाग है जो कि हमारी सहायता करता है । मैं मानता हूं कि उन्होंने ७५० रुपये दिये, वह सहायता है उसके लिये धन्यवाद देता हूं लेकिन यह ७५० रुपये जो दिये जाते हैं गरीब लोग उस पैसे से अपने मकानों को नक्शों के अनुसार नहीं बनवा सकते हैं । इसलिये उन गरीबों की समस्या की ओर ध्यान देते हुए आप उनकी मदद करते रहें, यही मेरी रिक्वेस्ट है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कहते हैं कि आज हमारे लोगों का किसी तरह का कोई सवाल नहीं है चाहे जहां आते हैं, चाहे जहां बैठते हैं, मन्दिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, होटलों में खाना खाते हैं और अन्य अन्य जगहों पर जाते हैं लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसका कड़ाई से पालन नहीं किया जाता । उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतों में और ग्राम सभाओं की जो सभायें की जाती हैं और उसके अन्दर जो बैठने का बिछाहुआ है उस पर लोगों को बैठने के लिये इन्कार कर देते हैं और इन्कार ही नहीं उससे कहा जाता है कि इस पर नहीं बैठ सकते आप बाहर हो जाइये . .

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : कौन है ?

श्री श्रवणलाल : मैं नाम भी बता दूंगा उस व्यक्ति ने महुआ के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और थानेदार कहता है कि आपकी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की जायेगी और इस तरह से हमारे आदमियों को परेशान किया जाता है ।

श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु.) : जाति का कौन है ?

श्री श्रवणलाल : वह जाति का चमार है ।

उपाध्यक्ष महोदय, वह इस्तगासा पेश करता है लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई । तो उपाध्यक्ष महोदय, जहां इस बात के लिये ढिंढोरा पीटा जाता है कि तुम्हारे लिये सरकार की तरफ से वकील रिजर्व हैं आप केस लड़िये । लेकिन ऐसा होता नहीं है ।

यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पूर्व हिन्डोन के अन्दर दो लड़के आपस में कुछ खेल रहे थे । दो पुलिस के कर्मचारियों ने उन लड़कों को पकड़ लिया और कहने लगे कि तुम जुआ खेल रहे हो इसलिये हमें इतना पैसा दो, वर्ना तुम्हे कोतवाली के अन्दर बन्द करेंगे । पुलिस वालों ने उन लड़कों में दो चार डांट डपट दी और उनके एक दो बेंत भी

(श्री श्रवणलाल)

लगाई। उपाध्यक्ष महोदय, उन दोनों लड़कों को गुमराह करके डरा दिया और डर के कारण वह दोनों लड़के भागे और उनके पीछे वह दोनों पुलिस कर्मचारी भागे। भागते भागते वह दोनों लड़के इस तरह से तितर बितर हो गए कि एक लड़का रामप्यारा नाम का था वह भागता भागता कुए में लटकी हुई चरस पर रस्सा पकड कर उतर गया। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, उन पुलिस कर्मचारियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह लड़का चरस पर जाकर बैठ गया और हुआ क्या, उपाध्यक्ष महोदय, कि दोनों पुलिस कर्मचारी वहां पर पहुंचे और पहुंच कर उन्होंने ऊपर से पत्थर मारा और वह गरीब लड़का कुए के अन्दर गिर पड़ा और ३ घन्टे के अन्दर उसकी मृत्यु होगई। उपाध्यक्ष महोदय, शर्म आनी चाहिए कि इस तरह से रक्षक भी भक्षक बन सकता है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह दोनों कर्मचारी बिना वर्दी के थे। उनमें से एक ने आकर थाने में इन्फार्मेशन दी और दूसरे की वर्दी को साथ में ले गया। उसको निकाला गया और इसके मां-बाप ने दुनिया भर में लिखा-पढ़ी की लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, दुख इस बात का है कि उन हरिजनों के साथ में इतना अत्याचार किया जाता है कि आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई।

उनका लड़का खत्म हो गया और दोनों पुलिस कर्मचारी को आज तक सस्पेन्ड नहीं किया गया और वह बदस्तूर दोनों व्यक्ति सर्विस पर कार्य कर रहे हैं। अगर कोई पैसे वाला होता तो वह वकील करता और लड़ता और अगर सरकारी वकील होता तो वह भी वहां पर कुछ वकालत करता और उस अत्याचार का बदला लेता लेकिन आज वकील की सुविधा नहीं होने के कारण ऐसा नहीं हो पाता है।

मैं तो थोड़ा सा ही समय और लूंगा।

एक माननीय सदस्य : रात भर चलना ही पड़ेगा क्या ?

श्री श्रवणलाल : जमीन के लिये इस तरह के सर्कूलर निकल जाते हैं कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये जमीन रिजर्व हो लेकिन जमीन सिर्फ नाम मात्र के लिये ही है क्योंकि मैं भी अलॉटमेंट कमेटी का मेम्बर हूं मैंने भी अपनी तहसीलों के अन्दर जगह जगह पर देखा है कि इस युग में भी शिड्यूल्स कास्ट के लिये कोई जमीन नहीं मिल पाती है। आज उपाध्यक्ष महोदय, दुख इस बात का है कि कुछ हमारे यहां पर नहरी इलाका होने के नाते कुछ चराहगाह भी अलॉट की जा रही है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि वह जमीन पांच सौ रुपये बीघा में नीलाम हुई है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा उपाध्यक्ष महोदय, कि जिस व्यक्ति के पास पांच रुपये नहीं है वह पांच सौ रुपये बीघा में किस प्रकार जमीन नीलाम से ले सकता है। इसी तरह से हमारे आदमियों के साथ·····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी।)

यह किया जा रहा है (घण्टी)······

श्री उपाध्यक्ष : और भी मेम्बर बोलने वाले हैं।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, आज उनके साथ···········

श्री उपाध्यक्ष : और भी आपके ही पक्ष के लोग बोलने वाले हैं।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । (घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : और भी तो आपके पक्ष के लोग बोलेंगे ।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । केवल सर्विसेज के विषय में कहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : All right one minute more.

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस बात के लिये कहा जाता है कि साहब साढे बारह प्रतिशत स्थान रिजर्व हैं सर्विसेज में । मैंने उपाध्यक्ष महोदय, गए मौके पर एक प्रश्न पूछा था और सवाल इस बात का रखा था कि आज करौली के अन्दर जो एजुकशन आफिस है वहां पर जितनी गए साल के अन्दर नियुक्तियां की गईं उसके अन्दर साढे बारह परसेंट नहीं लिये गए हैं और यह मंत्री महोदय ने मंजूर किया कि दूसरे दो सौ व्यक्तियों को लिया गया वहां एक शिड्यूल्ड कास्ट का लिया गया है । तो उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप आज्ञा दे दें तो मैं मंत्री महोदय ......

श्री अमृतलाल यादव : मैंने मंजूर नहीं किया है, मेरी कोई जानकारी नहीं है इस तरह की ।

श्री श्रवणलाल : अफसोस तो इस बात का है, उपाध्यक्ष महोदय, कि दो सौ व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है और उसमें से केवल एक आदमी शिड्यूल्ड कास्ट का रखा जाता है फिर भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। अफसोस तो इस बात का है कि मैं अभी भी जाकर मिलता हूं और उनसे पूछता हूं कि हमारे पिछले कोटे का क्या हुआ, क्या आप उसके बारे में सोच रहे हो तो वहां के इन्सपेक्टर साहब जवाब देते हैं कि पिछले कोटे का तो पिछले वाले जा,नें मैं तो नया अया हूं। मेरे से तो अब की बात कीजिए। मेरे से तो मेरे समय की बात कीजिए, पिछले वाला तो पिछले वाले के साथ गया। तो इस तरह की बातें रहती हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पहले मन्त्री गए, दूसरे मन्त्री आए और वे भी बदल गए और अब तीसरे मन्त्री आए तो यह आना और जाना तो चलता ही रहता है। तो हर विभाग में यह समस्या चल रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं इन्हीं शब्दों के साथ मन्त्री महोदय से कहूंगा कि जो विचार रखे गए हैं उन पर उचित कार्यवाही करें।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कमीशन की सन् ६२-६३ की जो रिपोर्ट सदन में पेश हुई है उस पर विचार-विमर्श हो रहा है। मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं उपाध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट एक तो देर से पेश हुई और दूसर हमारे राज्य सरकार की तरफ से यह व्यवस्था की गई कि रिपोर्ट जो है आज जब विधान सभा का आखिरी दिन है, उस रोज सदन में पास हो। हमारे माननीय सदस्य दोनों तरफ से काफी बोलने वाले हैं, उनमें से कुछ माननीय सदस्यों को बोलने को समय कम मिला है और सबको बोलने का मौका नहीं मिला है। दूसरी बात यह है कि यह रिपोर्ट इतनी लम्बी चौडी है कि जिसके अन्दर जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के कमिश्नर

Page No 131

(श्री नाथूराम बागीडोरा)

हैं उसने अच्छे सुझाव दिए हैं लेकिन यहां की जिस तरीके की व्यवस्था रही है उससे हम पूरे विचार सदन में नहीं रख सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, संविधान में हमारे राष्ट्रपति ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को शिड्यूल्ड एरिया घोषित किया है जहां पर अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं। शिड्यूल्ड एरिया के संविधान में जो प्रावधान हैं उस क्षेत्र के लिए विशेष ध्यान सरकार का हो अथवा सेन्टर को भी कोई कानून को परिवर्तित करना पड़े तो कर लेना चाहिये था। लेकिन शिड्यूल्ड एरिया में काम करने वाले जो राज्य के अधिकारी लोग हैं उनको संविधान के उन पवित्र प्रावधानों की ही जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होती तो अच्छे ढंग से उस शिड्यूल्ड एरिया के लिए योजना बनाते और पिछड़े हुए जो आदिवासी लोग हैं उनकी अच्छे ढंग से योजना बना कर उनकी तरक्की करते। लेकिन पिछले १७-१८ साल में उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बोल रहा हूं और मन्त्री महोदय आपस में बातें कर रहे हैं? यह उनका रवैया सारे दिन रहा है। सारे दिन भर में यही देखा गया है कि माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं उनमें से एक को भी नोट नहीं किया है। आप सब अधिकारियों के जिम्मे नहीं छोड़ सकते। आज भारत सरकार लाखों रुपये खर्च कर रही है लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। आज पिछड़ी जाति में उन्नति करने की जो यह भावना है कि उनकी बुरी दशा हो रही है।

एक माननीय सदस्य : ये मन्त्रीजी तो बाहर चले गये।

श्री नाथूराम : जिस वक्त आप (श्री यादव) मन्त्री नहीं बने थे, आदिवासियों के, हरिजनों के लिए आप लम्बे लम्बे विचार रखते थे लेकिन जब से आप केबीनेट के मेम्बर बने हैं आपको हरिजनों की कठिनाइयों को सुनने का अवसर नहीं मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात में ज्यादा न जाकर निवेदन करता हूं कि शिड्यूल्ड एरिया के अन्दर जैसा निवेदन किया कि जो कर्मचारी हैं उनको संविधान के पवित्र प्रावधानों की जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होती तो उस एरिया की तरक्की होती। शिड्यूल्ड एरिया के बारे में कुशलगढ़ के माननीय सदस्य बोल रहे थे, मुझे अफसोस है कि उन्होंने अपने एरिया के बारे में कहा लेकिन आदिवासियों के लिए नहीं कहा कि उनकी क्या दशा है। राजस्थान सरकार का भी पक्षपात कुशलगढ़ एरिया के साथ है। वहां के बी. डी. ओ., ग्राम सेवक, विकास अधिकारी सभी रिश्वतखोर हैं, माननीय सदस्य ने उनके फैक्ट्स यहां पर रख कर उनको सजा दिलाई होती तो मैं उनको धन्यवाद देता। आज लाखों रुपया राज्य सरकार खर्चा करती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के शिड्यूल्ड एरिया में लाखों रुपया गवर्नमेन्ट खर्च करती है और उसका दुरुपयोग होता है। उनके लिए कानून बनना चाहिये और उनको सख्त सजा देनी चाहिये। लेकिन हमारी राज्य सरकार के जो अधिकारी महोदय हैं और जो मन्त्री महोदय हैं उनका इस ओर ध्यान नहीं है। आज एक तरफ तो हमारा देश संकटकालीन स्थिति से गुजर रहा है और दूसरी तरफ खाद्य की स्थिति भी भीषण हो रही है तो इस शिड्यूल्ड एरिया के अन्दर क्या स्थिति है? वहां पर एन्फोर्समेन्ट ऑफिसर एवं इन्सपेक्टर रखे हैं वे हजारों

(श्री नाथूराम)

रुपया रिश्वत खाते हैं, आज कम से कम इसका तो सुधार होना चाहिये। समाज कल्याण विभाग में भी उन्हीं लोगों को लिया जाता है जिनको सर्विस नहीं मिलती है या आराम से रहते हैं। जिनके पास काम नहीं है, जो कोई काम नहीं कर सकते हैं ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : आपने कोई रिपोर्ट दी है क्या ?

श्री नाथूराम : मीटिंग में सुझाव दिए हैं। सैंकडों आदिवासी और हरिजन नवयुवक मैट्रिक, बी. ए., एम. ए., सर्विस बिना मारे मारे फिरते हैं। मुझे मन्त्री महोदय बतायें कि समाज कल्याण विभाग में इस वर्ग के कितने गजेटेड ऑफिसर हैं? ठीक है, एक-दो हों तो क्या है? लेकिन वहां पर आज भी कोई ऊंचे पद पर नहीं हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आज भी जो डूंगरपुर बांसवाड़ा और उदयपुर जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का एरिया है उसका बजट बढ़ा कर आने वाली चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उनके लिए अच्छी व्यवस्था की जाय ताकि उनकी शिक्षा में उन्नति हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि ये सारे सुझाव कागजों में ही रह जायेंगे, उन पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। उपाध्यक्ष महोदय, किस प्रकार सरकारी धन का दुरुपयोग होता है इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। पंचायत समिति, गढी के अन्दर गढी स्थान पर हाई स्कूल है वहां पर आदिवासियों एवं हरिजनों के छात्र आठवीं पास करके नवमी में पढ़ने आते हैं। वहां पर एक समाज कल्याण विभाग का होस्टरल भी है। जहां पर ३० लड़के पढ़ रहे हैं लेकिन उस होस्टल की संख्या काफी कम होने से वहां के लोगों ने और मैंने भी मन्त्री महोदय को तार दिया, डाइरेक्टर को तार दिए कि तीस से बीस स्थान और बढ़ा कर पचास का स्थान कर दीजिए।

लेकिन अफसोस के साथ आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि उस टेलिग्राम का असर क्या हुआ कि निराशा। संख्या नहीं बढ़ी। आखिर में हुआ क्या कि भीलों के लड़के जो कि बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके आठवीं क्लास पास करके आये हुए थे वे निराश होकर वापिस घरों को लौट गये। आज हाई स्कूल में पढ़ने वाले निधन छात्रों की यह दशा है। गवर्नमेन्ट लाखों रुपया भीलों के नाम से खर्च करती है लेकिन उससे दूसरे लोगों का पेट भर रहे हैं और गरीबों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। सख्त अफसोस है कि मंत्री महोदय को चाहिए था कि २० लड़कों का खर्चा किसी मद से इस वर्ष पूरा कर सकते थे, लेकिन यह नहीं हुआ। वहां पर वे लड़के साइन्स लेने के लिए भरती हुए थे। पंचायत समिति गढ़ी के प्रधान, सरपंच, बी. डि. ओ. ने भी देखा कि साइन्स के फर्स्ट डिवीजन के लड़के थे। लेकिन वहां पर तीस लड़कों का कोटा पूरा हो गया था सो छात्रावास में से निराश होकर घरों को वापस चले गये। हमने मांग की है कि सब खर्चा काटकर मिडल स्कूल, हाई स्कूल और हायर सैकण्डरी स्कूल के साथ में कम से कम ५० लड़कों का छात्रावास होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय अगर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी तो पिछड़े वर्ग का कोई भला नहीं होने वाला है।

(श्री नाथूराम)

इस तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, में यह भी निवेदन करूंगा कि उदयपुर डिवीजन के आदिवासी लोग इतने गरीब हैं और उनके पास कोई धन्धे नहीं हैं। पहले यहां जंगल काफी थे, लेकिन आजादी के बाद बड़े बड़े ठकदारों को और पूंजीपतियों को जंगल दे दिय गये। पिछले वर्षों से इस कारण हर साल दुष्काल होता है। जिसके कारण हजारों आदिवासी लोग गुजरात और मध्य-प्रदेश वगैरह में मजदूरी के लिये चले जा रहे हैं। आज भी वहां पर कोई धन्धे नहीं हैं। शिड्यूल एरिया के लिये अपने संविधान में प्रावधान किया गया है कि उच्चाधिकारियों को और बड़े बड़े नेताओं को वहां के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन हर साल वहां दुष्काल होता है। ठीक है कि गये साल रिलीफ वर्क्स चले, लोगों को मजदूरी मिली और खाने का नाज भी मिला, यह में जरूर कहूंगा, लेकिन इस साल तो गत वर्ष से भी ज्यादा दुष्काल है। कहीं कहीं पानी पीने का नहीं है, लेकिन अभी तक अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। जब सारा वर्ष निकल जाता है, जब लोग धन्धे के लिए इधर उधर मारे मारे फिरते हैं तब बाद में जाकर सरकार की तरफ से व्यवस्था होती है। गये साल भी दुष्काल था और इस साल भी है। कम से कम सरकार को शीघ्र व्यवस्था करनी चाहिए, पिछड़े हुए लोगों को मजदूरी के लिये शीघ्र व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार की व्यवस्था देर से होती है।

हमारा समाज कल्याण विभाग बिल्कुल सोया हुआ है, ऐसी गहरी नींद में सोया हुआ है कि उसको जगाने वाला कोई नहीं है। में आपको निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को क्षेत्रीय भावना नहीं रखनी चाहिए। आज आप पिछड़े हुए लोगों में, गरीब लोगों में दौरा नहीं करते हैं और वहां की स्थिति के बारे में आप अपने अधिकारियों से ही मालूम करते हैं। यह वतीरा ठीक नहीं है। अच्छे स्थान पर सब घूमते हैं वह आपकी आदत नहीं होनी चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह भी निवेदन करना है नौकरियों के बार म। उपाध्यक्ष महोदय सभी क्षेत्रों में इस बारे में यही हाल है। आॅडर तो निकल जाता है, लेकिन पालन नहीं होता है। राजस्व मंत्री ने बताया कि ५० पर्सेन्ट पटवारी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सर्विस में लेगें। इसी महीने की बात है कि हमारे यहां ७-८ आदिवासी युवक सर्विस में लगे हुए थे वह टेम्पोरेरी थे लेकिन सवर्ण लोगों को जो कि टेम्पोरेरी थे उनको रहने दिया और उनको निकाल दिया। एक तरफ तो आदेश निकालते हैं कि ५० पर्सेन्ट आदिवासियों एवं पिछड़े वर्ग के सर्विस में लगें लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार के आदेश जरूर हैं लेकिन अधिकारी लोग आदेशों की अवहेलना करते हैं ....

श्री अमृतलाल यादव (समाज कल्याण मंत्री) : कहां पर थे ?

श्री नाथूराम : सप्लाई विभाग में थे। मैं आपके द्वारा यह निवदन करूंगा कि सर्विस में और समाजकल्याण विभाग म तो आदिवासियों और हरिजनों को लगाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, आज दो वर्षों में शिड्यूल्ड कास्ट की रिपोर्ट छपी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोडा सा जो अभी माननीय सदस्य श्री कालाबादलजी ने हमारे नेता के बारे में आरोप लगाये थे कि शाहबाद में क्या हुआ ? पहले तो आप इस बारे में बहुत बोले थे, उसके बारे में मैं कहूंगा। मैं भी उनके साथ शाहबाद गया था। शाहबाद में दो-तीन कालोनी आदिवासियों की बनी हैं उनको जाकर देखा था। वहां क्या है कि १००-१०० क्वार्टर्स की एक एक कोलोनी बनी हुई है। उसके साथ में वहां लोगों को २०-२० बीघा जमीन और एक एक कुआ खोदने के लिए पैसा दिया गया था। कुओं का तो यह हाल था कि कोलोनी में जहां हम घूमे तो २०-२० बीघा जमीन के पास में एक एक गड्ढा मिला। १०० कुए खोदने की योजना थी। वहां पर मुश्किल से एक गड्ढा ऐसा था कि जिसमें थोडा सा २-४ फुट पानी था। बाकी सब कुए सूखे थे। हम लोगों ने उनसे पूछा कि कुए कहां हैं तो उन्होंने जाकर बताये तो वे २-२, ४-४ फुट के गड्ढे थे। कुआ तो एक ही था जिसमें ३-४ फुट पानी था। २०-२५ कुए तो एक तालाब को बांधा गया था उसकी डूब में आ गये दूसरी कोलोनी में यही हाल था। लोग-बागों से मिले तो उनके बच्चों के बदन पर कपड़े नहीं थे। खाने के लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि पास में कहीं दुकान हो जहां से वे लोग रुपये आठ आने की मजदूरी करके लायें तो नाज प्राप्त कर सकें। यही हाल पंचायत समिति में देखा वहां के प्रधान साहब कह रहे थे कि भवन क्या बना है हम बैठ भी नहीं सकते। बरसात में तो छाता लगाकर बैठना पड़ता है। ग्राम सेवक के क्वार्टर का भी यही हाल था।

उपाध्यक्ष महोदय, बारां क्षेत्र में समाज-कल्याण बोर्ड की तरफ से १८ हजार रुपया हरिजन कौलोनी के लिये दिया गया था, लेकिन बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने उस कौलोनी को नहीं बनवाया किसी कारण से। चार-पांच साल तक रुपया पड़ा रहा। वह रुपया वापिस गया या लेप्स हो गया। पहले भी इसके बारे में सदन में विचार किया था कि उस रुपये का उपयोग हरिजनों की कोलोनी के लिए होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से रुपया मिला है वह भी वापिस गया। थोड़ी बहुत कमी थी वह तो म्युनिसिपैलिटी से दिलवाते या हरिजनों को पैसा दिलाते ताकि वे अपना मकान बना सकते। समाज कल्याण विभाग कैसा विभाग है और करता क्या है ? उपाध्यक्ष महोदय, दो-दो, तीन-तीन साल तक वहां पर बारां में बैठक नहीं होती है। हम चाहते हैं कि कोई मीटिंग हो और हमें उसमें बुलायें तो हम भी अपनी राय दे सकें।

. . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय, उस क्षेत्र में सैकड़ों गांव ऐसे हैं कि जिसमें पहले लोगबाग घास व लकड़ी का काम करते थे। उनका धन्धा सरकार ने छीन लिया है। भोली और घास का गठड़ा लाकर पैदा करते थे वह रोजगार उनसे छीन लिया है। सरकार में यह भी ताकत नहीं कि गरीब लोगों को रोजगार दिला सके। वहां की कोलोनीज ४-५ साल हो गये अधूरी पड़ी हैं। पिछले सदन में भी यह प्रश्न उठाया उस पर आश्वासन दिया गया था मंत्री महोदय ने कि वह जल्दी ही बन जायेगी और काम चालू हो जायेगा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहां तो हर दूसरे-तीसरे महीने मिनिस्टर बदलते रहते हैं·······

श्री भवनलाल : मंत्रीजी सुन नहीं रहे हैं।

श्री दयाचन्द सोम : यही हाल हमारे छात्रावासों का है। आप बारां को देख लें, किशनगंज को देख लें। वहां पर चारपाई और पलंग का इन्तजाम नहीं, लड़कों के लिए बिस्तरे का प्रबन्ध नहीं है। खाने की दशा ऐसी है कि दाल में कंकर गिरे मिलते हैं। वे लोग पेट भर कर रोटी नहीं खा सकते हैं। मैं यह कहूंगा कि जितना पैसा आप देते हैं उससे उनका काम नहीं चलता है। दूसरे बच्चों के साथ उनको भी सरकारी छात्रावासों में रखेंगी तो इनको ज्यादा सुविधा मिलेगी। आप अलग लाकर पटकते हैं और जितनी पैसा देते हैं उसमें आज की मंहगाई में उनका गुजारा नहीं हो सकता। एक छात्र को २५) माहवार छात्रवृत्ति दी जाय तो उनका काम नहीं चल सकता। इसके अलावा बारां में हाई स्कूल और गर्ल्स हायर सेकन्ड्री में दो साल तक छात्रवृत्ति नहीं मिलती।

(६.०० म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत समानेत्री, पदासीन)

समानेत्री महोदया, यही हाल हरिजनों को जमीन देने के सवाल का है। चंबल कमान्ड एरिया में जमीन नीलाम होती है और ५००) ७००) या १०००) रुपया बीघा पर जो जमीन नीलाम होती है उसके लिये हरिजनों की क्या हस्ती है कि वे खरीद सकें। मैं मंत्रीजी से कहूंगा कि आप प्रयाय कि जितने भूमिहीन हरिजन हैं और उनमें से जो खेती करना चाहते हैं उनको या तो रुपये दिलवाएं या रेवेन्यू विभाग को बाध्य करिये कि चंबल कमान्ड एरिया या जहां भी फालतू जमीन खेती के लायक पड़ी हो वह हरिजनों या आदिवासियों को दिलवाई जाय। चंबल एरिया में जो भी जमीन नीलाम हुई है उसमें से एक भी हरिजन को जमीन मिली हो तो आप बता दें।

श्रीमती समानेत्री : श्री जेठमल।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, विधि): समानेत्री महोदया, आपको टाइम फिक्स करना चाहिए कि कब तक सदस्य बोलेंगे और गवर्नमेंट का रिप्लाई कब होगा।

(कई सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्रीमती समानेत्री : श्री जेठमल।

श्री दयाचन्द सोम : अभी तो मैं बोल रहा हूं।

श्रीमती समानेत्री : आप एक एक करके बोलिये।

श्री जेठमल वरबड (परवतसर) : बहुत से लोग बोल चुके हैं.........

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्रीमती समानेत्री : माननीय सदस्य, सबको समय दिया जायगा। एक एक करके बोलें तो समझ में आयगा।

श्री दयाचन्द सोम : मैं तो अभी तक बोल ही रहा हूं बीच में दूसरे बोलने लग गये।

श्रीमती समानेत्री : आप और बोलना चाहते हैं क्या ?

श्री मानिकचन्द सुराना (कोलायत): ये पहले से ही बोल रहे हैं, इनका बोलना शुरू

Page No 136

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
किये ५ मिनट से ज्यादा नहीं हुए, इनको बोलने दिया जाय ।

श्रीमती समानेत्री : मैं भी कह रही हूं कि ये बोलें ।

श्री दयाचन्द सोन : बडी मुश्किल से हमारे पिछडी जातियों के लडके मट्रिक या इन्टरमिजियेट पास करके आवें और उनको भी नौकरी नहीं मिलें, आपने कोटा फिक्स कर रखा है उस हिसाब से बडी मुश्किल से वे पास करके आवें और सरकार नहीं मिले तो मजदूरी करने के लायक तो वे रहते नहीं और पढने के बाद खेती करने के लायक भी नहीं रहते तो वे क्या करें ? इसलिये आपको इस बात का प्रबन्ध करना चाहिए कि शिड्यूल कास्ट के पढे-लिखे लडकों को नौकरी मिल सके । इस तरह की फैसिलिटी आपको उन्हें देनी चाहिए। चपरासियों में भी नहीं लिया जाता है तो बडी बडी जगहों पर तो उनको कहां लिया जायगा । मैं तब जानता जब विधान सभा में पानी भरने वाला कोई हरिजन होता । मंत्री शिड्यूल कास्ट के बन गये, उससे क्या भेद-भाव मिट गया ?

एक माननीय सदस्य : भेद-भाव नहीं रखते तो क्या वे खुद बंगले में रहते जब कि दूसरों को झोंपडियां भी नहीं मिल रही हैं।

श्री दयाचन्द सोन : गांवों में छोटे कौमों के लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है। उनके साथ मारपीट हो जाय और वे थाने में रिपोर्ट करें तो नहीं कर सकते, वे सोचते हैं कि गांव में रह कर मगरमच्छ से बैर कैसे किया जाय उनके साथ मारपीट हो जाती है तो भी वे चुप हो जाते हैं । समाज कल्याण विभाग में बडा भारी स्टाफ है, दुनिया भर की बात करते हैं, लाखों करोडों रूपये खर्च करते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हरिजनों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है तो उनको जाकर रोकना चाहिए।

श्रीमती समानेत्री : माननीय सदस्य, मैं चाहूंगी कि आप सबको बोलने का समय मिले लेकिन समय कम है इसलिये आप दस दस मिनट का समय ही लें तो अच्छा है ।

श्री जेठमल बरवड (परबतसर): सभा-नेत्री महोदया, आज शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज् कमिश्नर की रिपोर्ट पर वाद विवाद हो रहा है और इस बारे में सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं । बहुत से माननीय सदस्यों ने तो यहां तक कह दिया है कि उनके लिये कुछ भी नहीं हुआ है, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं । आज से १५ साल पहले का इतिहास हम देखें और आज का इतिहास देखें तो दोनों में बहुत बडा अन्तर है । उस समय हमारी क्या हालत थी, लोग हमको किस तरह से देखते थे, हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार होता था उस बात में और आज की बात में बहुत बडा अन्तर है........

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ): कुछ लोगों को...........

श्री जेठमल बरवड : आप मेरी बात सुन लीजिये, मैंने भी आपकी बात सुनी है ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : मैं तो बोला ही नहीं हूं ।

श्री जेठमल बरवड : यह कहने को आवश्यकता नहीं है, आप सुन लीजिये। जब

(श्री जेठमल बरवड)

हमारे यहां पर आजादी नहीं थी उस समय हमारा एक भी गजटेड ऑफिसर राजस्थान में नहीं था। हमारे आदमियों में से किसी को चपरासी भी नहीं रखा जाता था, किसी को सरकारी नौकरी में नहीं रखा जाता था, सिर्फ गांव में गांव भांभी के अलावा नहीं रखा जाता था, यह बिल्कुल सही है। लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ और आजाद होने के बाद जब हमारे लोगों ने हुकूमत संभाली और जबसे हमारे संविधान में विशेष व्यवस्था हमारे लिये की है . . . .

एक माननीय सदस्य : विधान बनाया है।

श्री जेठमल बरवड : देश आजाद हुआ तभी तो विधान बनाया है, नहीं तो कैसे बनता? संविधान में विशेष व्यवस्था की गई और उसके अन्तर्गत हम लोगों को विधान सभा और लोक सभा में आने का मौका मिला और हम लोगों को जब विधान सभा और लोक सभा में आने का मौका मिला तो हम लोगों को वहां पर अपने विचार रखने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन एक बात आपसे कहूंगा कि ये सारी बातें हुई हैं उसके बाद भी कमियां हैं क्योंकि हम लोगों की जिस तरह से आर्थिक हालत ठीक की जानी चाहिये थी वह अब तक नहीं हुई है। और जब तक पिछड़े लोगों की आर्थिक हालत ठीक नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे क्योंकि मैं बताऊंगा कि चाहे मकान बना लीजिये मकान बनाने से कुछ नहीं होगा। एक लड़का पढ़ लिख कर होशियार होगा और उसके बाद अच्छी नौकरी या उद्योग में जायगा तो अच्छा मकान भी वह बना सकेगा। सबसे जरूरी बात यह है कि उनके उद्योग धंधों को पनपाया जाय, उनको सर्विस करने का मौका दिया जाय। आज काफी तादाद में हमारे लड़के पढ़े-लिखे हैं लेकिन उनको नौकरी मिलने में काफी दिक्कत आती है, हालांकि पहले शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स की मीटिंग आबू में हुई थी उस समय मन्त्रीजी भी उसके एक सदस्य थे और हमने वहां पर प्रस्ताव पास किया था कि हमारे लोगों का डिप्टी सेक्रेट्री के लेवल का ऑफिसर होना चाहिये जिससे हमको एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेन्ज में नहीं जाना पड़े और उनके जरिये हम लोगों को नौकरी मिल सके, लेकिन आज भी हम विधान सभा सदस्यों के पास बहुत से लड़के नौकरी के लिये घूमते रहते हैं।

खास तौर से मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हमारे अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जन जाति के जितने लड़के हैं, जो लड़के पढ़े-लिखे हैं उनकी सरकार को सर्वे करानी चाहिये और सर्वे कराने के बाद उन लड़कों को जहां जिस योग्यता के अनुसार नौकरी मिल सकती है वहां लगाया जाय।

इसके बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैंने इस बात पर जोर दिया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति ऊंची उठानी चाहिये। आज हम लोगों के सामने भूमि की समस्या है। राजस्थान कैनाल क्षेत्र में चम्बल क्षेत्र में जो लैण्ड पड़ा हुआ है, वहां पर हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लैंड दिलानी चाहिये। सभापति महोदया, आज जितने काम हो रहे हैं उनमें अनुसूचित जाति,

Page No 138

(श्री जेठमल बरवड)
अनुसूचित जन-जाति के लोग लगे हुए हैं। आज राजस्थान नहर को बनाने के लिये हमारे लोग लगे हुए हैं, और भी नहरें बनाने में हमारे लोग लगे हुए हैं, नहरों को टीबों और धोरों तक पहुंचाने में हमारे लोग लगे हुए हैं। लेकिन उनको जमीन नहीं मिलती है। और इसलिये हमारे लोग वहां काम कर रहे हैं उनको जमीन मिलनी चाहिये।

इसके बाद में हमारी अनुसूचित जाति के लोग शहर में रहने वाले हैं उनके सामने प्लॉट की समस्या है। हम कहते हैं कि भले ही हमें घरों के लिए बिल्कुल सहायता न दें लेकिन राज्य सरकार हमें खाली प्लॉट मुफ्त देदे। और अगर मुफ्त न दे सके तो कम से कम चार्जेज लेकर हमको वहां बसाया जाय और कीमत को आसान किश्तों में लेने की व्यवस्था करे। यह सबसे जरूरी बात है कि आजाद भारत के अन्दर भी हमारे पिछड़े हुए लोग हैं, जो हरिजन लोग हैं जो सदियों से जिन जगहों पर बसे हुए हैं, सैंकडों वर्षों से बसे हुए हैं, बीसों सालों से बसे हुए हैं उनको रहने के लिए हमारी सरकार मकान के प्लॉट्स नहीं दे सकी है। यह सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है। मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजनों के जो शख्स हैं, उनको यह चाहिये कि वह मुख्य मन्त्री जी पर और सम्बन्धित मन्त्री पर यह दबाव डालें, इस बात का जोर डालें कि राजस्थान के अन्दर जो अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं इनको प्लाट्स दिये जाने चाहिये। खास तौर से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इसमें एक बात और करनी चाहिये कि शहरों में जो अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट हैं, उनके सम्बन्ध में मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उनके अन्दर हमारे और अनुसूचित जन-जाति के सदस्य होने चाहिये ताकि वे उनके हितों की रक्षा कर सकें। इसके साथ साथ एक बात मैं और कहना चाहता हूं। जो भूमि की समस्या मैंने बतलाई, उसके लिए जो लैण्ड एलॉटमेन्ट कमेटीज हैं, उसमें सरकार ने व्यवस्था की है कि लैण्ड एलॉटमेन्ट कमेटी के सदस्य सरपंच, प्रधान, बी. डी. ओ. और विधान सभाई सदस्य होने चाहिये। लेकिन एक अनुसूचित जाति का क्षेत्र होता है वहां का जो एम. एल. ए. होता है वह उसकी कॉन्स्टी-ट्यूएन्सी की लैण्ड एलॉटमेन्ट कमेटी का मेम्बर होता है, अन्य जो कॉन्स्टीट्यूएन्सीज होती हैं उनके अन्दर मेम्बर नहीं होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा मन्त्री महोदय से कि जितनी भी लैण्ड एलॉटमेन्ट कमेटियां हैं उनके अन्दर, उन क्षेत्रों के अन्दर यदि हरिजन या आदिवासी मेम्बर नहीं है तो वहां दूसरे व्यक्ति को मेम्बर बनाना चाहिये जिसको सरकार नामजद करे। एक व्यवस्था यह करनी चाहिये।

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं, खास तौर से मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं, मन्त्री महोदय समाज कल्याण के मन्त्री हैं, उसके साथ में खादी बोर्ड के....

श्री परसराम मदेरणा : किस संस्था का होना चाहिये मेम्बर? कोई संस्था है?

श्री जेठमल बरवड : उसमें किसी को बना दीजिये, आदिवासी को। अच्छा, पंचायत समिति के मेम्बर को बना दीजिये। किसी को बना दीजिये। लेकिन ऐसे आदमी को मत बनाइये, जो इनके साथ में जय बोले।

(श्री जेठमल बरवड)

खादी बोर्ड के लिए में निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आप ही खादी बोर्ड मन्त्री हैं इसलिये खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि खादी का धन्धा है यह सारे अनुसूचित जाति के लोगों के द्वारा चलाये जाते हैं। सब उन्हीं लोगों के द्वारा चलाये जाते हैं। चाहे वह खादी का हो, चाहे चर्म उद्योग का हो, किसी का हो। मैं एक बात कहूं। मन्त्री महोदय, मैं इस तरह ज्यादा ओछे शब्दों में नहीं कहना चाहता हूं, मैं एक बात कहूं, टैक्निकल इन्सपैक्टर आते हैं चर्म उद्योग के, तो शर्माजी आते हैं, वर्माजी आते हैं। बुनकरों के जो टैक्निकल इन्सपेक्टर आते हैं वे शर्माजी आते हैं जिनको पता नहीं कि सूत क्या है, बट कैसे लगाते हैं। यह बात बुरी लगती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी भी खादी संस्थाएं हैं उनके अन्दर जो सेलसमैन हों वे शिड्यूल्ड कास्ट् के लोगों में से होने चाहिये, जो जन्म-जात से इस धन्धे को करते आये हैं उनको इसमें मौका दिया जाना चाहिये। आज यह बात नहीं हो रही है।

सभापति महोदया, सवाल यह है कि हमारे नाम से लोगों ने रोजगार बना रखा है, यह बाद में बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है। मैं एक बात और कहूं, जो संस्थायें हैं, मैं यह नहीं कहता हूं कि उनको बन्द कर दिया जाय। मैं यह कहता हूं कि जो संस्थाएं चलती हैं, और जो होस्टल चलाती हैं और हरिजनों और आदिवासियों के लिए एक्टीविटीज में काम करने वाले लोग हैं— मैं नहीं कहता, उनकी श्रद्धा हमारे प्रति नहीं है, उनकी श्रद्धा हमारे प्रति है और उन्होंने जो काम किया है उसको हम नहीं भूल सकते। लेकिन सभानेत्री महोदया, मैं एक बात कहना चाहता हूं पुराने जमाने के अन्दर कई गांवों के अन्दर अमीन बैठते थे, यदि कोई जागीरदार कमजोर या नाबालिग होता था तो उसकी जगह अमीन बैठता था, जब तक कि वह नाबालिग बालिग नहीं हो जाय। इसी तरह अब हम एम. एल. ए. हो गये हैं, सदस्य बन गये हैं तो अब वह संस्थायें हमें दे देनी चाहिये। कोई भी संस्था है, जो आदिवासियों और हरिजनों के लिए चलने वाली है वे हमें संम्हालने देनी चाहिए और यह देखना चाहिये कि हम उनको चला सकते हैं या नहीं। सत्रह साल के बाद में हमको अब परीक्षा की घडी देनी चाहिए और देखना चाहिए कि हम काम कर सकते हैं या नहीं। हमें काम दीजिये, अगर हमें काम नहीं देते हैं तो हमारी परीक्षा नहीं हो सकती है क्योंकि हमें बोलने का मौका नहीं मिलता है इसलिये लोग कहते हैं कि हरिजनों को बोलना नहीं आता है। एक बात····

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खडे हुए)

श्री **मोतीलाल चौधरी** (डीडवाना) : अभी बोल रहे हैं।

श्री **जेठमल** : सभानेत्री महोदया, आपके विभाग के द्वारा काफी काम हो रहा है वह····

श्री**मती सभानेत्री** : माननीय सदस्य। दस मिनट हो चुके हैं।

श्री **जेठमल** : पांच मिनट सिर्फ और बोलूंगा ?

श्री**मती सभानेत्री** : पांच मिनट नहीं दिये जायेंगे। आपको पांच मिनट दिये जायेंगे तो वैसे ही सबको देने पडेंगे।

Page No 140

श्री जेठमल : जो छात्रावास चलाये जाते हैं . . .

श्रीमती सभानेत्री : श्री भानुप्रसाद।

श्री **मोतीलाल चौधरी** : आखिरी बात कह रहे है।

श्रीमती सभानेत्री : केवल दो मिनट।

श्री **जेठमल** : जो छात्रावास चलाये जाते हैं उनको चलाने की अच्छी योजना है और ये ज्यादा से ज्यादा खोलने चाहिये। इनको हर तहसील हैड क्वार्टर पर खोलना चाहिए। आज भी जो छात्रावास चल रहे हैं उनमें कमी हो सकती है, उनमें गलती हो सकती है लेकिन यह दुनियां की बात है। जब भी हम आगे बढेंगे, हमारे लोगों को आगे बढने का मौका मिलेगा इसलिये छात्रावास ज्यादा खोलने चाहिए।

जो कुओं का मामला है, उसके सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हरिजनों के लिए अलग कुए नहीं बनाने चाहिए क्योंकि इससे हमेशा के लिए खाई बना जाती है।

पंचायत समिति को जो पैसा वैसा दिया गया है इसमें कन्ट्रोल होना चाहिए या समाज कल्याण विभाग को वापिस दे देना चाहिए।

श्रीमती सभानेत्री : श्री भानुप्रसाद।

श्री भानुप्रसाद कुराडिया (चौमू) : माननीय सभानेत्री महोदया, मैं आपके द्वारा अनुसूचित, परिगणित और आदिम जाति की रिपोर्ट के विषय में कुछ सत्ताधारी पार्टी को बताना चाहता हूं। आज आजादी के अठारह वर्ष के बाद भी जो हमें संविधान और कानून के द्वारा सहूलियतें और सुविधा मिली थीं वे आज से सौ वर्ष के बाद भी जाकर हमको प्राप्त नहीं होंगी। वह इस प्रकार से है कि जैसे सबसे पहले निवास का स्थान होता है। आज हमें घिसी-पिटी जगहों में बसाया जाता है, गन्दी जगहों में बसाया जाता है, शहरों से बाहर और गांव के एक कोने में बसाया जाता है. तो हमारा माइण्ड भी वैसा ही रहता है। यदि हमें अच्छी जगह बसाया जाय, खुली जगह पर बसाया जाय और हमें ज्यादा अच्छी सहूलियतें मिलें तो हमारा माइण्ड वैसा ही बनेगा। इस प्रकार की जगह जयपुर में चांदपोल के पास है, घाट दरवाजे की तरफ चले जाइये, राजामल के पार्क की तरफ चले जाइये और वहां पर जाकर देखिये तो वहां पर बहुत पिछड़े ढंग से घिसी पिटी जगहों पर लोग बसे हुए हैं। उनको किसी प्रकार की सहूलियतें नहीं मिलती हैं। यहां आंकडों में बताते हैं कि कायदे कानून से ये ये सहूलियतें देते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है।

दूसरी बात है, वह रोजगार पर लगाने की बात है। अभी जैसा मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, बुनकरों का धन्धा है या खादी का धन्धा है, वह दूसरे लोगों ने अपना लिया है, पहले का धन्धा दूसरे लोगों ने अपना लिया। आप दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, और सुपरवाइजरी जगहों पर उन लोगों को लगाते हैं। इसके अलावा जो फैक्ट्री खोलते हैं उसमें दूसरे लोगों को स्थान देते हैं। इसके अलावा जो कच्चे चमडे का ठेका होता है वह भी दूसरे लोगों को दिया जाता है। यह उन लोगों को नहीं दिया जाता है जिन लोगों के द्वारा यह धन्धा पनपाया गया है। इसके अलावा इन धन्धों

(श्री भानुप्रसाद कर डिया)

के लिए भूमि नहीं दी जाती है, न जंगलात में भूमि दी जानी चाहिये और न बन्जर भूमि इनको दी जाती है।

इस सम्बन्ध में मैं बताऊं कि एक चर्म सहकारी समिति है, उसके बारे में मैंने कई बार अर्ज किया है लेकिन उसको आज तक जमीन नहीं मिली है इसलिये चमडे का काम नहीं किया जा रहा है। एक शिव डूंगरी बीड, जो हरिजनों की संस्था है, सोसाइटी है, वह रजिस्टर्ड है और उसको ३०४ का रकबा मिलना चाहिए। वह आज तक नहीं मिला है। बारह व्यक्ति नाजायज तौर पर, सरपंच और दूसरे पदाधिकारियों के द्वारा जमीन ले ली है लेकिन ३०४ का रकबा उन २६ परिवारों को नहीं मिल रहा है। इस प्रकार का घोटाला चल रहा है। इसके साथ-साथ मैं आपको और बताऊं कि ग्राम डाबर में हरिजनों और आदिवासियों को जमीन अलॉट करने के लिए आदेश जारी किए गये और उसका नतीजा यह निकला कि अभी तक भी उन लोगों को जमीन नहीं दी गई और दूसरे लोगों ने वह जमीन ले ली। यह जमीन सवर्ण और पदाधिकारियों द्वारा दूसरे लोगों को मिली है।

इसके बाद में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी कॉलोनीज बसाई जाती हैं वे शहर के बाहर या गांव से अलग साइड में बसाते हैं। अमृत कॉलोनी बसाई जाती है उसका तरीका यह होता है कि शहरों या गांवों के बाहर बसाये जाते हैं। अलग साइड में हम लोगों को बसाते हैं। अभी तक वहां पर काफी जमीन पडी हुई है लेकिन वहां पर उनको कोई जमीन नहीं दी जाती है। इससे साथ साथ सांगानेर में कॉलोनी बसी है वह भी अभी तक अधूरी पडी है। वहां पर पंचायत के नाम से भवन बनाया गया और बीच में थोडी जमीन थी। जमीन के लिए क्या करते हैं कि सरकार का एक प्लान्टेशन होता है। जमीन बहुत पडी है मगर अलग से जमीन देते हैं और आम रास्ता नहीं देते हैं। यह आपका नमूना है कॉलोनी के लिये। इसी प्रकार अचरोल में ग्राम पंचायत द्वारा भूमि लेकर एक मकान हरिजन ने बनाया। उसके पास सवर्ण का मकान नहीं था। फिर भी खिडकी निकालने के लिये उससे वहां पर सहायता के लिये २००) रुपया लिया गया। यह हरिजनों के साथ गद्दारी की जाती है।

इसके अलावा १२॥ पर्सेन्ट का टोकरा कहां है? जो आप हमेशा कहते रहते हैं कि पिछडे हुए लोगों के लिए और हरिजनों के लिए १२॥ पर्सेन्ट रिजर्व सीटें रखी जाती हैं। आप जिस पिछडे हुए वर्ष के बल पर यहां पर बैठे हुए हैं, अगर वे आपको मदद नहीं दें तो मैं यह आपको दावे से कह सकता हूं कि सत्ताधारी दल पॉवर में नहीं आ सकता है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उनको १२॥ पर्सेन्ट का कोटा जो आपने उनके लिये रिजर्व रखा है उनको दें। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि कई बी. ए. और एम. ए. पास लोगों ने आत्म-हत्याएँ की हैं। आप कहते हैं कि हमने चपरासियों में कोटे को पूरा कर दिया है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आपने केवल चपरासियों में ही कोटा पूरा क्यों किया है? आप मैट्रिक, बी. ए., एम. ए. आदि पास हुए लोगों को नौकरियां कोटा के अनुसार दीजिये और उनको बाहर भेजिये या यहां रखिये

(श्री भानुप्रसाद कराडिया)

या कहीं भेजिये, मगर उनके लिये जो आपने कोटा मुकर्रर किया है उस कोटे को तो आप पूरा करिये। ज्यादा व्यक्तियों को तो लेना या नहीं लेना, यह आपकी मर्जी पर है।

इसके अलावा आपने कई समाज बनाये हैं। इसमें यह होता है कि थोड़ा पैसा उनको मिल जाता है और वे हम लोगों के हितों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और उनका कोई हमसे देना-लेना नहीं है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी सरकार इस पर ध्यान दे।

इसके साथ-साथ छुआछूत को मिटाने के लिये आप हरेक कानून बना रहे हैं लेकिन मैं यह कहूंगा कि यह सब एक ढोंग-बाजी है। छूआ छूत अब तक दूर नहीं हुआ है। मैं आपको बताऊं कि गोनेर में पानी पिलाने के लिये कहा गया तो उसने नाली से पानी पिलाने को कहा। मना करने पर भी वह नहीं माना मैंने नाली को वहां पर तोड़ा और उसका नतीजा यह हुआ कि सारे लोग वहां गांव के इक्ट्ठे हो गये और मार-पीट को तैयार हो गये। इसके अलावा आज वहां मन्दिर में हरिजनों को घुसने नहीं दिया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह यहां की बात है लोगों को पानी पीने के लिये नहीं मिलता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इसको मिटाने के लिये पूरे प्रयत्न करें। मेरे पास प्रोसीडिंग्ज रखी हैं अगर देखना चाहें तो दिखा सकता हूं।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर आपने किसी हरिजन को नौकरी दी तो पार्टी पॉलिटिक्स को लेकर आप उसको बाहर भेज देते हैं। कोई उदयपुर पड़ा है तो कोई चित्तौड़गढ़ है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम आप उनको उनके जिलों में तो रखें।

छात्रवृत्ति के मामले में भी इसी तरह से चलते हैं कि जिस व्यक्ति की अच्छी सिफारिश होती है उसको छात्रवृत्ति मिल जाती है और जिसकी सिफारिश नहीं होती है उसको छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है। इसके अलावा उनके लड़कों के लिये पढ़ने का कोई इन्तजाम नहीं। उनको १।। मील या दो मील जाना पड़ता है उनको न तो मकान मिलता है, न उनकी अच्छी तरह से देख रेख होती है। यह आपने सारा ढोंग रच रखा है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि उनके लिये ज्यादा से ज्यादा होस्टल का प्रबन्ध किया जावे और नजदीक से नजदीक होस्टल का प्रबन्ध किया जावे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा आपने शिड्यूल्ड कास्ट के स्टूडेन्टों को ५ पर्सेन्ट की एग्जामिनेशन में छूट दी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज तक किसी को आपने छूट दी है? आप यह भी कहते हैं कि ५० पर्सेन्ट उनकी फीस में कटौती करते हैं वह भी आपने कहीं की हो तो आप बतावें? इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इससे अच्छा यह होगा कि शिक्षा विभाग द्वारा होस्टल खुलवाते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि आप तो ४० वर्षों के कब्जे की बात करते हैं, मगर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज लोग २०० वर्षों से जमीन को ऑक्युपाई किये हुए हैं और म्युनिसिपैलिटी उन लोगों से

Page No 143

(श्री भानु प्रसाद कराडिया)

किराया ले रही है। आज उनसे भी १००) जुर्माने के लिये गये हैं। वे उसको भी सहन करते हैं, जबकि उनकी कच्ची झोंपडियां बना रखी हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

समय कम है और समय खत्म होने की वजह से मैं इतना ही कहूंगा कि जो मैंने सदन के सामने बातें रखी हैं उन पर सरकार ध्यान देगी।

श्री बिरदाराम फुलवारिया (जालौर) : सभापति महोदय, हमारे नेता महात्मा गांधी और नेहरू ने हमारे हिन्दुस्तान को आजाद किया है। हम उनको धन्यवाद देते हैं। वैसे हमने देखा है कि हमारी धारा सभा है, पार्लियामेन्ट है, हमारा जिला परिषद् है, ग्राम पंचायतें हैं, उसमें सब में हमको १२॥ पर्सेन्ट बराबर मिला है परन्तु हमारी गवर्नमेन्ट मशीनरी है उसमें हम को १२॥ पर्सेन्ट का कोटा पूरा नहीं मिला है इसलिये जहां-जहां १२॥ परसेन्ट का हमारा कोटा पूरा नहीं हुआ है वह पूरा होना चाहिये। हमारा कोटा कलेक्टरों में, एस. पी. में, एस. डी. ओ. आदि में पूरा होना चाहिये। जहां तहसीलदार हैं, पटवारी हैं उसमें भी हमारा कोटा पूरा होना चाहिये। छोटे छोटे कर्मचारियों में पटवारी हैं।

एक माननीय सदस्य : इतने अफसर बैठे हैं।

श्री बिरदाराम फुलवारिया : हमारा पटवारी भी होना चाहिये। जिससे हरिजनों को जमीन भी मिल सकेगी और जो पटवारी होगा तो हरिजनों को अच्छी जमीन भी मिल सकेगी। अभी हम लोगों को जो जमीन मिली है और मिले भी तो बन्जर जमीन मिल जावे तो उसमें वे रह नहीं सकते वह किस काम की। जमीन जो हमें मिले वह ठीक मिलनी चाहिये। हमें १२॥ पर्सेन्ट का कोटा इसमें भी मिलना चाहिये। हमारे यहां समाज कल्याण विभाग है, हम देखते हैं कि उसमें भी हमारा कोई आदमी नहीं रहता है। उसमें शिड्यूल्ड कास्ट के और आदिवासियों को क्यों नहीं रखा जाता इसके अलावा हरिजन और आदिवासियों को पूरी सहायता दी जानी चाहिये। अगर हमारा आदमी होगा तो वह हमारी मुश्किलों को समझेगा। इसके अलावा बजट में पैसा कम होता है और इस कारण हमारे यहां जिला जालौर में छात्रावास खोलना चाहते थे, मन्त्री जी से मिले तो उन्होंने जवाब दिया कि छात्रावास के लिए पैसा नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि छात्रावास ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी खुलने चाहिये। मैं आपको भीनमाल के छात्रावास की हालत बताना चाहता हूं कि वहां पर छात्रावास में खाने का सामान नहीं था? उनको कुछ दाल वगैरा दिलाई तो मेरे कहने का मतलब यह कि छात्रावास के पास पैसा नहीं हो तो उनको आपको पैसा देना चाहिये क्योंकि जब उनके पास पैसा नहीं हो तो गरीब आदमी पैसा कहां से लावे?

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ) : भीखाभाई को एज ए मेम्बर बोलना चाहिए।

श्री बिरदाराम फुलवारिया : भेद-भाव को मिटाने के लिए मैं कहूंगा कि भेद-भाव का रहना हमारे लिये और समाज के लिए एक कलंक है। मैं यह कहूंगा कि या तो वह भेद-भाव और अस्पृश्यता रहेगी या

(श्री विरदाराम फुलवारिया)

हिन्दू धर्म ही रहेगा। यदि आप यह नही मिटावेंगे तो हिन्दू धर्म नहीं रहेगा।

इसके अलावा जैसी माता-पिताओं की शिक्षा होती है वैसे ही बच्चे होते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई यह कहे कि आदिबासी कमजोर होते हैं, यह बात नहीं है लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारी शिक्षा कमजोर है। माता-पिताओं के कारण शिक्षा कमजोर है इसलिये उनका दिल कमजोर है। हमारा यह निवेदन है कि सार्वजनिक स्थान हैं, होटल हैं, उनमें भेदभाव नहीं होने देना चाहिए। हमने यह देखा है कि भेदभाव की रिपोर्ट किसी ने दी है तो उसके खिलाफ उल्टे १८२ का मुकदमा चलाया गया है और सिफारिश कर के वह मुकदमा तुडवाया गया है। इसलिये आपसे निवेदन है कि १२।। पर्सेन्ट का कोटा हमारे लिये है वह पूरा होना चाहिये।

वित्त मन्त्री जी को कई बार चमडे का जो छोटा छोटा रोजगार करते हैं उन पर टैक्स लगा रखा है, उस टैक्स को हटाने के लिये, निवेदन किया है कि चमडे का कोई खास रोजगार नहीं है, चमडे का धंधा करने वाले ये लोग चालीस-पचास रुपया माहवार कमाते हैं और ये लोग चूंकि पढे लिखे नहीं हैं इसलिये छोटे-छोटे धंधों का हिसाब नहीं रख सकते, मुनीम रख नहीं सकते, इसलिये आपसे निवेदन है कि यह टैक्स हटाया जाय। मैंने मुख्य मन्त्रीजी से भी निवेदन किया था तो उन्होंने भी मुखजबानी आशीर्वाद दिया था कि इन लोगों पर से यह टैक्स हटा दिया जायगा.....

एक माननीय सदस्य : आश्वासन दिया था या आशीर्वाद दिया था ?

श्री विरदाराम फुलवारिया : हमारे जालोर की तरफ के श्री मालमसिंहजी, रघुनाथजी, श्री भगराजजी और मैं, चारों के चारों कौल साहब के पास गये और उनसे इस बारे में कहा तो उन्होंने कहा कि १५,००० से कम के चमडे के व्यापार पर टैक्स नहीं लगेगा। पर आ जतो १५ रुपये के चमडे पर भी टैक्स लगा दिया गया है। कोई आदमी १५ रुपये का चमडा लेकर सडक पर चलता है तो उस पर भी टैक्स लगा दिया जाता है, उससे रसीद काट कर पैसा ले लिया जाता है। मन्डी में चमडे के व्यापारियों पर टैक्स लगादो, हम मना नहीं करते पर जो चमडे का काम करने वाले, छोटे-छोटे धंधा करने वाले हैं उन पर यह टैक्स नहीं होना चाहिये। व्यापारियों से टैक्स लो हम इसके खिलाफ नहीं हैं। तो महरबानी कर के यह टैक्स हटाना चाहिये।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खडे हुए)

श्रीमती सभानेत्री : श्री डूंगाराम।

श्री **डूंगाराम राजोरिया** (जमवा रामगढ): सभानेत्री महोदया, भारत सरकार की ओर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की रिपोर्ट सदन में पेश की गई है? शुरू से आखिर तक इस रिपोर्ट को मैंने पढा और सारे राज्यों ने जो प्रगति की है उसको मैंने देखा। इसके अलावा कई माननीय सदस्यों ने इस रिपोर्ट पर अपने भाषणों में जितनी खामियां बताईं, वे मेरे से पूर्व बतादी हैं, इसलिये मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता। सभानेत्री महोदया, मैं यह कहना चाहता था कि आजादी के बाद पिछडे वर्ग की १२ रिपोर्टें सदन

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

प्रस्तुत हुई लेकिन उन सब में किसी भी प्रकार की उन्नति छोटे तबके के लोगों की नहीं बतायी गयी है, जिससे यह अन्दाजा लगाया जा सके कि देश का यह तबका शक्तिशाली बनेगा और देश की रक्षा के लिये काम कर सकेगा, इस दृष्टि से इस रिपोर्ट को देखा जाय तो यह उन्नति की नहीं अवनति की रिपोर्ट है। इसलिये मैं इसके विस्तार में जाना चाहता हूं कि यह देश भारतवर्ष तक ही सीमित नहीं है। यह जो पहले से प्रथा चली आ रही है, एक छोटे से राज्य में बैठ कर, राजस्थान राज्य में बैठ कर या भारतवर्ष में बैठकर आप इस चीज को विचारें कि यह छोटी कौम का है, यह बडी कौम का है, इसे इस तरह से रखा जाय इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आप चलें, अपने घर में आप किसी भी तरह रह सकते हैं, आप भारतवर्ष में किसी भी तबके को दबा कर चल सकते हैं पर विश्व में, हर देश के लिये अलग अलग तौर पर उस देश में हुई, प्रगति के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है अन्य देशों को आप इसका क्या जवाब दे सकते हैं? आप लोगों ने इन कौमों के सम्बन्ध में यह रवैया बना रखा है कि इन कौमों से आपको फायदा होने वाला है, आप इन पर राज्य करने वाले हैं। मैं तो यह कहूंगा कि आपने इस प्रकार का वातावरण बनाया है वह एक प्रकार से देश पर आपने कुठाराघात किया है। आने वाली पीढियां कहेंगी कि हमारे नेताओं ने इस प्रकार का रवैया रखा और प्रगति में बाधा उत्पन्न की, समझदार आदमी होते तो कभी इस प्रकार का रवैया नहीं रखते।

सभानेत्री महोदया, मैं यह कहना चाहता था कि जिस तरह हमारे देश पर दूसरे देश का आक्रमण हुआ, इससे पूर्व भी आक्रमण हुआ, अगर हमारा देश पूरी तरह शक्तिशाली हो तो किसी भी बडे से बडे शत्रु का मुकाबला कर सकता है। अगर हमारा देश पुरानी जाति प्रथा में लगा रहा और आपने इस सिद्धान्त को बनाए रखा कि गरीबों पर शासन कर के चलें, तो इस प्रकार के रवैये से आप किसी भी प्रकार देश का उत्थान नहीं कर सकेंगे और यह हमारा देश मटिया-मेट हो जायगा। और दूसरे देशों से हमारा देश दबता ही चला जायगा और दूसरे देशों के लोग यही कहते रहेंगे कि भारतवर्ष के लोग निकम्मे हैं, कमजोर हैं। इसलिये आपको ऐसा रवैया बनाना चाहिये कि जितने पिछडे हुए और गरीब लोग हैं, उन सबको उठा कर एक स्तर पर लाया जाय। लेकिन आपने इस रवैये को अपनाया नहीं है, और यह अपने स्वार्थ के लिये नहीं अपनाया है। जो पहले की बातें आज के जमाने में लाकर रखते हैं कि पहले हमारे ऊपर यह यह ज्यादतियां होती थीं, आज वे ज्यादतियां कम होती हैं, तो इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि हमें पीछे की बातों को देख कर नहीं चलना चाहिये, हमें स्वतन्त्रता किस लिये मिली है, हमें आगे की बातों को देख कर चलना चाहिये, स्वतन्त्र देश में प्रत्येक मनुष्य के साथ मनुष्यता का व्यवहार किया जाता है या नहीं, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक कौम के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है या नहीं। जिस तरह एक स्वतन्त्र देश में वहां के स्वतन्त्र नागरिक के साथ व्यवहार किया जाता है उसी तरह का व्यवहार पिछडी जातियों के लोगों के साथ किया जाना चाहिये।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाडा) : भेद-भाव स्वतन्त्र पार्टी में किया जाता है।

एक माननीय सदस्य : स्वतन्त्र पार्टी में हैं भेदभाव, हमारे यहां नहीं है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आप भी स्वतन्त्र पार्टी में ही थे, अब उधर चले गये हो तो बुराई करते हो।

मेरा कहना था कि आपको ५ साल मिले हैं यह उन लोगों के हित में नहीं हैं जिनने आपको चुन कर भेजा है।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : यह तो दुनियां को दिखाने के लिए है।

श्री डूंगाराम : मैं तो यही कहता हूं कि अगर कोई आदमी देश के लिए या अपनी पार्टी के लिए कोई गलत काम करता है तो उसे देश का गद्दार मानकर चलना चाहिये। मुख्य मन्त्रीजी ने जो बात बताई कि सरकारी सेवाओं में १२ १।२ परसेन्ट के हिसाब से लेना है और वे लोग बैठते नहीं हैं क्योंकि उन में योग्यता नहीं है। अब योग्यता कैसे आएगी, १८ साल आजादी मिले हो गए। जो प्रशासन चला रहे हैं वे जब तक इस चीज को मानकर नहीं चलेंगे कि इनको ऊंचा उठाना है तब तक ये ऊंचा नहीं उठेंगे। इसलिये मैं कह रहा था कि जो दूसरी जातियां हैं जैसे कहते हैं कि ये उच्च श्रेणियों के हैं, उन जातियों के लोग प्रशासन पर इतने हावी हो रहे हैं कि इनको, गरीबों को, जगह नहीं देते। जब तक इनको उन्नति के बारे में सोचा नहीं जायेगा तब तक हिन्दुस्तान वांछित प्रगति करने वाला नहीं है। इस तबके पर धनाढ्य लोग हावी हैं। उनको ऐसा काम करना चाहिये, वातावरण बनाना चाहिये जिससे देश में सबको काम दिखाने का अवसर मिले, यहां अनुकूल चीजें पैदा हों, जो अन्य देश में बाहर भेजी जा सकें, और निर्यात बढ सके। हमारे देश में पैसे की कमी नहीं है लेकिन जिस तबके के पास पैसा है वह प्रशासन पर हावी है, उसने पैसा जमा कर रखा, छुपा रखा है, उसको बाहर निकालने की जरूरत है।

दूसरा सवाल यह है कि हमारे यहां धंधे क्यों नहीं पनपते हैं ? उसका कारण यह है कि जितने बडे व्यापारी हैं उन्होंने अपने पास पैसा जमा कर या छुपा कर रखा हुआ है और सरकार की सहायता से कारखाने चलाते हैं, तो किस तरह से देश उन्नति कर सकता है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभानेत्री महोदया, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं जल्दी ही खत्म करूंगा। जो इस वक्त नौकरियों में हैं, वे प्रगतिशील हैं, उसके लिए कहा भी जाता है कि ये कार्य कर सकते हैं, अगर उन गरीबों को टैक्नीकल ट्रेनिंग देकर ऊंचा उठा लिया जाय तो वह अपना धंधा खुद करेंगे, इससे काफी तरक्की हो सकती है, और ये प्रगतिशील हो सकते हैं। इसलिये मेरा कहना था कि जब तक हम इन बातों को, हमारे देश की उन्नति के बारे में नीचे के स्तर से सोचकर नहीं चलेंगे तब तक हमारा देश प्रगति करने वाला नहीं है।

इस रिपोर्ट में जो बातें और कही गई हैं और कमियें बताई गई हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

श्री अल्वाराम मीणा (सुमेरपुर-सु.) : सभानेत्री जी, मैं एक असम्भव बात बता रहा

(श्री अल्दाराम मीणा)

हूं। जोधपुर डिवीजन में ऐसे स्थान हैं जहां आज दिन तक कोई भी शिक्षा के सम्बन्ध में काम नहीं हुआ। मैं खुद शिक्षा मन्त्री से मिला, लिखकर भी दिया कि हमारे क्षेत्र के अन्दर एक जगह मिडल स्कूल है, वहां से ३०-३० मील की एरिया में न तो कोई हाई स्कूल है न हायर सैकन्डरी स्कूल है। एक तरफ सरकार कहती है कि आदिवासियों को और शिड्यूल्ड कास्ट्स को शिक्षा दें और दूसरी तरफ उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। ये जितनी गलतियां हैं, सरकार की नहीं, समाज कल्याण विभाग की हैं ....

श्री अमृतलाल यादव (समाज कल्याण मन्त्री) : माननीय सदस्य ने क्या किया ?

श्रीमती सभानेत्री : मन्त्रीजी, आप उनको बोलने दीजिये।

श्री अल्दाराम मीणा : सन् १९६५ के अप्रेल में समाज कल्याण विभाग ने बोर्ड की मीटिंग उदयपुर में रखी। मैं भी उस बोर्ड का मेम्बर हूं तो शाम के समय भीखाभाई को निमन्त्रण दिया गया छात्रावास के अन्दर। कोई ऐसा कार्यक्रम बना या किसी कारणवश नहीं पहुंच सके। आदिवासी जितने एम. एल. एज. थे हम लोग पहुंचे। एक छात्रावास में ७५ भील बालिकाएं हैं और दूसरे छात्रावास में ७० बालिकाएं हैं। पहले सरकार की तरफ से उनको ४५-४५ रुपए मिलते थे और अब उनका क्या हाल है कि उनको २५ या २७ रुपए मिलते हैं। आप समाज कल्याण विभाग के मन्त्री बन गए कि मैं भी शिड्यूल्ड कास्ट्स का मिनिस्टर हूं, मगर कोई मालिक नहीं उस समाज कल्याण विभाग छात्रावास का। दो महीने के बाद बोर्ड की एक और स्पेशल मीटिंग कॉल की जिसके अन्दर विभाग की तरफ से, जिसकी हम लोगों को कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं, किसी तरह हम दो चार पहुंचे तो मौजूदा जो समाज कल्याण के मंत्रीजी हैं उन्होंने हमें बताया कि सेन्टर की तरफ से ऐसे आदेश आए हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जो लिस्टें हैं उनको कुछ ठीक करना है, गडबड है, इसमें रद्दो बदल करना है। अच्छी बात है करो। हम तो मीणे ही हैं। मैंने समाज कल्याण मंत्री से कहा कि जोधपुर के अन्दर पहले हम मीणे कहलाते थे और एक तरफ समाज कल्याण मंत्री कहने लगे कि इनको निकाल दो ये लखपति हैं, करोडपति हैं। मगर उनको मालूम नहीं है कि जालोर में जो लोग हैं, उनको रहने के लिये झोंपडियां भी नहीं हैं। और एक टाइम घाट और छाछ मिलती है तो दूसरी टाइम भूखों मरते हैं। वोट उनसे जरूर लेंगे। लेकिन यह फिर पता नहीं रहता इनको कि हमारे मीणे कैसे हैं और न उनकी कभी सम्भाल की है।

दूसरी बात यह है कि मैं समाज कल्याण मंत्रीजी से एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहता हूं कि वे अपने नाम के आगे यादव लिखते हैं सो यादव शिड्यूल्ड कास्ट लिस्ट के अन्दर है या नहीं। यदि शिड्यूल्ड कास्ट लिस्ट के अन्दर नाम नहीं है तो उनको अपने आपको शिड्यूल्ड कास्ट मिनिस्टर नहीं कहना चाहिये (हीयर हीयर) शिड्यूल कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कोई मेम्बर उनके दौलतखाने पहुंचा है और कहते हैं कि हमारे एरिया में फलानी तकलीफ है उसको दूर करें तो हम मिलने के लिये जाते हैं तो हम को टाइम नहीं देते हैं। एक तरफ तो यहां हमदर्दी बताते हैं और दूसरी तरफ टाइम नहीं देते हैं। जब जाते हैं तो कहते

(श्री अल्दाराम मीणा)
हैं कि दूसरे मिनिस्टर के पास जाओ, हमारे पास क्यों आये?

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) यादव साहब सुन रहे हो?

श्री अल्दाराम मीणा : यादव साहब खुद कहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : (अलवर) जुम्मे २ सात दिन नहीं हुए और ऐसा कहा आपके लिये, यह तो शर्म की बात है।

श्री अल्दाराम मीणा: मैं सरकार की मार्फत मंत्रीजी को इतना अर्ज करना चाहूंगा कि करीब २ दूसरी जगह सम्भालें तो बड़ी महरबानी है लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने एरिया हैं उनकी तरफ दौरा करें तो हरएक एम.एल.ए. को सूचना दें, लोगों से मिलें और उस साइड के लोगों को जो तकलीफ है उसको सुनें। पाली आवें तो बड़ी महरबानी है वे जालोर में आगये तो वे हमारे पालीताना आ गये। शिडयूल्ड कास्ट का एक बच्चा है। गरीब घराने का है, खटीक जाति का है। जोधपुर डिविजन के अन्दर बड़ी मुश्किल से उसके मां बाप ने बहुत महनत मजदूरी करके उसको पढायी करायी और वह बी.ए. तक बहुत मुश्किल से पहुंचा। उस बच्चे ने दरख्वास्तें भी दीं, आवाज भी पहुंचायी कि मैं आगे बी.ए. तक पढायी करना चाहता हूं। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। मां बाप के पास पैसा नहीं है स्कालरशिप मिले तो आगे पढायी करूं। लेकिन समाज कल्याण विभाग की तरफ से या मंत्री जी की तरफ से कोई सुनवायी नहीं हुई।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

अच्छा। सभापति महोदया, एक छोटी सी अर्ज और है।

श्रीमती सभानेत्री: श्री जयलाल।

श्री जयलाल (डग): सभापति महोदया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की रिपोर्ट सदन में विचाराधीन है। सभापति महोदया, आज हमारा देश करीब १७ साल से आजाद है और आजादी की लड़ाई के समय इन कांग्रेस के भक्तों ने, गांधीजी के इन भक्तों ने बड़े बड़े आश्वासन दिये थे, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञायें की थीं कि हम सत्ताधारी बनने के बाद देश के अन्दर शासन व्यवस्था ठीक प्रकार से लागू करेंगे और देश की दरिद्रता और देश की निरक्षरता देश से बाहर निकाल देंगे। किसी भी प्रकार से ऊंच नीच का भाव देश के अन्दर नहीं रहेगा। गांधीजी ने तो यहां तक कहा था कि अछूत या हरिजन हमारे शरीर के अंग हैं, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं वरता जायगा लेकिन आज उन हरिजनों को उन आदिवासियों को कई जगह मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता। कई जगह उनको सार्वजनिक होटलों में नहीं जाने दिया जाता और कई जगह सार्वजनिक कुओं तालाबों पर उनको नहीं जाने दिया जाता। इस तरह का भेदभाव आज आदिम जातियों के साथ वरता जाता है चेयरमेन महोदया, इसी शिड्यूल्ड कास्ट के प्रति जो सरकार ने कानून बना रखा है जो बड़ी बड़ी योजनायें बना रखी हैं और बहुत सी धन राशि खर्च की जाती है लेकिन उस धनराशि का सदुपयोग नहीं होता है और उसका दुरुपयोग होता है। जिस काम के लिये वह धनराशि खर्च होनी चाहिये उस काम के लिये वह धन राशि खर्च नहीं होती है।

(श्री जयलाल)

आज मैं कहूंगा कि देश के अन्दर लाखों रुपया गृह निर्माण कार्य में खर्च होते हैं लेकिन वे जाते कहां हैं ? हम बाजार में जाते हैं हरएक परिस्थिति को देखते हैं। लेकिन वही गांवों में देखिये। आज गांवों में हरिजन या आदिवासी के लिये कोई ठीक से मकान नहीं हैं। गांवों में रहने वाले पचास परसेन्ट आदिवासियों और हरिजनों के तो झोंपड़ियां, और टपरियां भी नहीं हैं हरिजन जातियां नाम मन्त्री महोदय को पता भी नहीं होगा व आज देश में ऐसी भी जातियां हैं जो मरे हुए पशुओं के मांस को खाकर अपना गुजारा करती हैं। आज उनके पास मकान नहीं हैं, जमीन नहीं हैं, किसी प्रकार के साधन नहीं हैं, वह सांठिया नाम की जाति हैं। वह ऐसी जाति हैं जिसके पास किसी प्रकार के साधन नहीं हैं। गौ और बैल की मृत्यु होती हैं उनको वे जानवरों की तरह जाकर नौच नौच कर खात हैं। इस कल्याणकारी राज्य में जनता की यह हालत है और सरकार की ओर से इस प्रकार का व्यवहार होने दिया जाता है। आज मैं कहता हूं कि मंत्री महोदय को पता नहीं होगा कि देश में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास खाद्यान्न नहीं हैं।

दूसरी बात, चेयरमेन महोदया, देश में ऐसी जातियां हैं, जैसे सांटिया जाति और दूसरी मोगिया जाति, छूने तक की छुआछूत मानी जाती है। कई लोग उनके शरीर को छूते तक नहीं। उनको मजदूरी के लिये भी नहीं बुलाते। किसी प्रकार का धन्धा नहीं, जमीन नहीं, और तो और वे लोग चोरी करके गुजारा करते हैं। दूसरी इसी प्रकार एक कंजर जाति है वह भी चोरी करके गुजारा करती है। भांड सांठिया, मोगिया जातियां घर घर भीख मांग कर पेट भरते हैं भारत सरकार ने और आपकी सरकार ने इन लोगों के बारे में सोचा तक नहीं। आप अच्छे बंगलों में रहते हैं, एयर कन्डीशन में रहते हैं, मोटरें चढ़ने को, अच्छा खाते हैं, पीते हैं, पहिनते हैं कई प्रकार के खाना खाते हैं और मोटर में शान से आते जाते हैं। लेकिन आपको किसी प्रकार की कोई चिन्ता नहीं कि आज उन गरीबों की क्या हालत हैं। उन पिछड़े हुए लोगों के पास किसी प्रकार के साधन नहीं हैं। वे चोरी करके, अन्याय करके अपने बच्चों का पेट पालन करते हैं। उनको कोई मजदूरी नहीं लगाता। मजदूरी कैसे लगाये, कोई उसके अंग को छूता नहीं है।

(७.०० म. प.)

इसलिये उनको मजदूरी तक से वंचित रहना पड़ता है। उनको दूसरे काम पेट पालन के लिये करने पड़ते हैं। इस देश के अन्दर ऐसी भी जातियां हैं, जिनके बारे में सरकार का जो रवैया रहा है, सरकारी कर्मचारियों का रैवया रहा है जमीन के अलॉटमेन्ट में, वह बहुत ही पक्षपात पूर्ण रहा है। बारां तहसील का कालमून्डा गांव के अन्दर लोगों ने जमीन के लिये सरकार के सामने आवेदन-पत्र दिया कि हमें काश्त के लिये जमीन दी जाय, हम जमीन पर उत्पादन करना चाहते हैं, सरकार को अन्न पैदा कर फायदा पहुंचाना चाहते हैं लेकिन सरकार ने उनको जमीन नहीं दी। अलॉटमेन्ट हुआ, पंचायत क्षेत्र में बड़ा गलत ढंग से अलॉटमेन्ट हुआ।

वहां का कांग्रेसी सरपंच है उसने कहा जो मेरे साथ यानी मेरी पार्टी में आयगा उसको जमीन दी जायगी। विरोधी दल के सदस्य भी ग्राम पंचायत के अन्दर हैं, वहां पर

(श्री जयलाल)

प्रधान के लिये वोट डालने की बारी आयी तो हमें कहा गया कि आप कांग्रेस के उम्मेदवार को वोट दो। हमने कहा कि यह प्रजातन्त्र है, जिसमें हमारे दिमाग स्वतन्त्र हैं हमारी नीति स्वतन्त्र है हम जिसको चाहेंगे वोट देंगे। उसके बाद क्या होता है कि सरपंच साहब जो चमार हैं उनको कहा गया कि आपको यहां बैठने का कोई अधिकार नहीं। कालामुन्डा पंचायत में रामनाथ नाम का सरपंच है। भेदभाव जिसके साथ किया गया है वह कन्हैयालाल है, पंच है। चमार है जाति का। इसलिये चेयरमैन महोदया, जमीन का अलाँटमेन्ट जो हुआ वह गलत तरीके से हुआ जो काश्त करना चाहते हैं उनको काश्त के लिये जमीन नहीं मिल पाती। जिसको अनुदान मिलना चाहिये, जिसके पास किसी प्रकार की खाने पीने की व्यवस्था नहीं उन लोगों के लिये समाज कल्याण विभाग की ओर से इन्तजाम होना चाहिये।

चित्तौड़गढ़ में गाडोलिया लुहारों को बसाने के लिये लाखों रुपयों का खर्च किया गया, हम जानना चाहते हैं कि वहां आपने कितने लोगों को बसाया? कितने लोगों को प्राथमिकता दी बसाने के अन्दर कितना आप खर्च कर रहे हैं क्या मंत्री महोदय के पास उसके आंकडे हैं तो बतावें।

दूसरी बात यह है कि जो इनके लिये छात्रावास चलते हैं, कई जगह हमने देखा सभापति महोदया, ये छात्रावास एक प्रकार के कैदखाने हैं। वहां के रहने वाले छात्र मानों एक प्रकार से कैद में रहते हैं। उनके लिये न सोने की व्यवस्था है न खाने पीने की व्यवस्था है न मकान की व्यवस्था है। एक लकडी के तख्ते पर दो दो छात्र सोते हैं ऐसे छात्रावास में रह कर किस प्रकार से वे छात्र विद्याध्ययन कर सकते हैं। विद्याध्ययन के लिये वैसा खाना चाहिये जिससे उनका माइन्ड चल सके। परीक्षा में सफल हो सकें इससे दुखी होकर कई छात्रों ने तो अपनी आत्महत्या तक कर ली है। इस प्रकार के छात्रावास चलाने से क्या फायदा ?

छात्रावास तो वैसे चलायें जांय जिनमें अच्छी शिक्षा मिल सके अच्छी व्यवस्था हो, जहां अपनापन मालूम हो। ऐसे छात्रों को मैंने देखा है जहां लड़कों के बाल बढ़े हुए हैं। मालूम ऐसा होता है जैसे कोई हत्यारे हों, उनके हजामत आदि तक करने का इन्तजाम नहीं। समय पर कटिंग नहीं होती, समय पर साबुन नहीं मिलता, समय पर उनको तेल नहीं मिलता। इन व्यवस्थाओं को ठीक कराया जाय। छात्रवृत्ति देने में जो पक्षपात होता है उसको दूर किया जाय, बड़े बड़े लोगों के लड़कों को छात्रवृत्ति मिल जाती है, इस प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिये, गरीब लोगों को सहायता दी जानी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इनको मानव अधिकार जो प्राप्त हैं उनकी रक्षा होनी चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री : श्री सांवलिया राम।

श्री सांवलियाराम (रूपवास): माननीय सभापति महोदया, समाज कल्याण विभाग की जो रिपोर्ट सदन में पेश हुई है उसके ऊपर भिन्न भिन्न सदस्यों ने भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारी दी। यह उनका भाषण नहीं था बल्कि उनके दुख दर्द की कहानी थी जो उन्होंनेसदन के सामने

(श्री सांवलियाराम)
रखो। यह हमारा बुनियादी दुख है जिसको हम सरकार के सामने रख रहे हैं। वह इसलिये रख रहे हैं कि हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद आज हमें अपने दुख दर्द सुनाने का मौका मिला लेकिन जिस प्रकार से हमारी सरकार ने इस बात का संकल्प किया था हमारे दुख दर्द को मिटाने का उस संकल्प के मुताबिक कार्य नहीं हुआ, उन सब बातों से हम लोग वंचित रह गये।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु.) सभापति महोदया, हमारी सरकार के मंत्री हम लोगों को आपस में घर घर वालों को लड़ाकर बाहर चले गये हैं। आज यहां कोई मिनिस्टर नहीं। यह हमारे साथ बर्ताव है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : यह तो वे ही चाहते हैं कि आपस में आप लड़ते रहें।

श्री सांवलियाराम : सभापति महोदया, में निवेदन कर रहा था कि यह जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संबन्ध में जो रिपोर्ट है उसके लिये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है जैसा कि कालाबादलजी ने कहा आज हम यहां देखते हैं कि हमारी पार्टी के हाई कास्ट के कोई सदस्य हमारी बात सुनने के लिये नहीं बैठे हैं आज विरोधी पार्टी के सदस्य हमारा साथ दे रहे हैं। इससे में यह समझता हूं इनके दिल में हम लोगों के प्रति हमदर्दी है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : वे तो राज करते हैं वे आपके साथ यहां किसलिये बैठेंगे।

श्री सांवलियाराम : और बहस चलती हो तो उसके लिये व्हिप इश्यु किया जाता है, लेकिन व्हिप इश्यू करने वाले भी मौजूद नहीं। कार्यवाही चल रही है लेकिन व्हिप महोदय उपस्थित नहीं हैं, यह बडे शर्म की बात है।

इन सारी बातों के साथ साथ में यह निवेदन करना चाहता हूं काफी बातें माननीय सदस्यों ने कह डाली हैं उनको में दोहराना नहीं चाहता। में सिर्फ नौकरियों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा सरकारी सर्विसेज में जो हमारे लिये रिजर्वेशन है वह किस हद तक मिल सका है वह में आपको बताना चाहता हूं। १२॥ परसेन्ट सर्विसेज में इन जाति के लोगों के लिये रिजर्वेशन रखा है।

राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और राजस्थान जुडिशियल सर्विस में एक भी पोस्ट इनको नहीं दी गई।

में कहता हूं बिलकुल मामला जोरों पर है। कोई ऐसी पोस्ट नहीं है। यह घोर अन्याय है। यह प्रजातन्त्र की हत्या है और समाजवाद का नारा गलत है।

(हियर-हियर)

रिजर्वेशन आप निकट भविष्य में समाप्त करने की बात कहते हैं। यह हमारी भूल है। इस तरह से नहीं होना चाहिये। आज इस विधान सभा में हम इस सरकार को कायम रखे हुए हैं। हमारे सहारे के बिना यह सरकार नहीं बनी रह सकती।

(हियर-हियर)

श्री सोहनलाल सारस्वत (रतनगढ) : आप इधर आ जाओ दोनों के दोनों।

श्री मानिकचन्द सुराना: एक दो को क्या, बीस बाईस को बुलावेंगे।

श्री सांवलियाराम: न्याय विभाग है, रेवेन्यू विभाग है, अन्य हैड आँफ दी डिपार्टमेन्ट्स हैं इनमें कितने अधिकारियों की पोस्टों पर हरिजन हैं। कितनी गजेटेड पोस्टों हमारे पास हैं। इस तरफ सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। कुछ क्लेरिकल जाब मिल गये इन छोटी मोटी बातों से आज हम सन्तुष्ट नहीं होने वाले हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। हमारे सामने नुकसान की बात तब आती है, जब समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रावास में हमारे बच्चों को एडमिशन के लिये इनकार कर दिया जाता है। किसी छात्रावास में १२ पोस्टें खाली हुईं, १५० एप्लीकेशनें आती हैं। अब वे कहते हैं कि ये हमें मिल जावेंगी। पर होता यह है कि इधर तो एडमिशन बन्द हो जाता है और उधर बच्चों को कह दिया जाता है कि वे पोस्टें तो फिल अप हो चुकीं। अब लड़कों के साथ अन्याय होता है। लड़का वहां से घर चला जाता है। जब अपने क्षत्र में जाता है स्कूल में एडमिशन के लिये तो कहते हैं हैड मास्टर कहते हैं हमने तो पोस्टें फिल अप कर लीं। तो इस बात का भी प्रबन्ध होना चाहिये कि १५० में से उनको भी जगह मिल पावे अब इस तरह से जो मिडल, नाइन्थ या टेन्थ पास करके गये थे उनका एक साल खराब हो गया। तो इसके लिये ऐसा कर दिया जावे कि इनको पोस्टें मिल गई तो ठीक नहीं तो छात्रावास में एडमिशन दिया जावेगा यह नोट कर लीजियेगा मन्त्रीजी, आप मेरी बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री अमृतलाल यादव: मुझे ध्यान है।

श्री सांवलियाराम: इसके अलावा खेती की जमीन के अलॉटमेन्ट के बारे में हमारे साथ अन्याय होता है। अपने जिले की बात बताऊं कि पटवारी गलत रिपोर्ट कर देता है। अब न तो उसको नोटिस दिया जाता है न कुछ सूचना दी जाती है, कह देते हैं कि तुम ट्रेस पासर्स हो और बेदखल कर दिया जाता है। तहसील में बैठकर अलॉटमेन्ट कमेटी के सदस्य पट्टे कर देते हैं। अब उसी तहसीलदार ने पट्टा कर दिया और उसी ने अपनी कलम से अलोटमेन्ट किया और उसी ने दो साल मुकद्मा चलने के बाद बेदखल कर दिया। यह अन्याय है। अगर पट्टा किया जावे तो सोच समझ कर फील्ड पर जाकर किया जावे ताकि बाद में किसी को कोई ऐतराज का मौका न मिले और बेदखल होने की नौबत नहीं आवे। सुरक्षित जमीनों का पट्टा किया जावे।

इसके अलावा एक बात कह दूं अखबारों में मैंने पढा था, एक रेस्क्यू होम है, उसमें पिछड़ी जाति की महिलाएं, प्रौढ़, युवा, बच्ची होती हैं। उस में हर तरह का काम धन्धा भी सिखाया जाता है। अब उनमें जो जवान महिला हों तो उनकी शादी करा देना चाहिये। जो शादी के लायक महिला हो तो अधिकारियों को उसका ध्यान रखना चाहिये और उसकी शादी करा देनी चाहिये।

अब मैं समाज कल्याण मन्त्रीजी से उम्मीद करूंगा कि वे इन सारे मुद्दों का सन्तोषजनक और पूरा जवाब दें, टालमटोल न करें। आशा है अपनी कुर्सी को कायम रखने के लिये कोरा टालमटोल नहीं करगें, गोलमाल करने की कोशिश नहीं करेंगे,

(श्री सांवलियाराम)
अधिकारियों के दोषों पर लीपापोती करने की कोशिश नहीं करेंगे और हमारी जो मांगे हैं, इमर्जेन्सी जरूर है फिर भी उनको पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। आशा है, मन्त्री महोदय इन सबका पूरा पूरा और सन्तोषजनक उत्तर देंगे।

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर-सु.): सभापति महोदया, हमारे सामने जो रिपोर्ट प्रस्तुत है उस पर कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किये हैं। मैं भी चाहूंगा कि अपने अनुभव के आधार पर कुछ बातें सदन में बोलूं।

होना तो यह चाहिये था कि इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिये दो जातियों के लिये दो अलग अलग दिन निर्धारित किये जाते, ताकि सभी के विचारों का लाभ हमें मिलता और विस्तार से मिलता। दूसरी जाति के सदस्य भी जो हमारे प्रति सहानुभूति रखने वाले हैं वे भी बोल सकते। आज आदिवासी और हरिजन भाइयों के उत्साह को देखकर वे लोग अपनी भावनाओं को दबा कर बैठे हैं, उनको व्यक्त करने का अवसर उनको नहीं मिल सका है। उनमें से कम्युनिस्ट पार्टी के श्री हांडा साहब को ही समय मिल सका है और वे अपने विचार व्यक्त कर सके हैं। इस बार इतना समय नहीं मिल सका तो कोई बात नहीं, पर मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आइन्दा वे इसका ध्यान रक्खें। क्योंकि आज बहुत से बोलने वाले हैं हम सब बस रहे हैं इससे रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। डाकू लोग हमारे सामने हैं। जो आदिवासी और हरिजन भाइयों का सही नेतृत्व करना चाहिये था, वह नहीं किया गया। वे आज अपने स्वयं के पेट पालने में लगे हैं और स्वयं बढ रहे हैं अगर कोई व्यक्ति पिछड़े वर्ग का आगे बढने की कोशिश करता है तो उल्टे उसे रोका जारहा है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पार्टीबाजी के राज्य में कम से कम हम पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ पार्टीबन्दी का सुलूक न किया जाय। बल्कि जो योग्य व्यक्ति हम में हैं पढे लिखे हैं, जो आगे आना चाहते हैं, आगे आने की सामर्थ्य हैं जो सेवा करना चाहते हैं उनको मौका दिया जाना चाहिये।

मैं निवेदन करूं कि डूंगरपुर-उदयपुर में आज इस क्लास के एम. ए., बी. ए., और इन्टर पास दस लड़के होंगे। उनको काफी प्रयत्न के बाद भी काम नहीं मिल पा रहा है। भूतपूर्व मिनिस्टर, समाज कल्याण विभाग, श्री भोलाभाई को अभी अभी मैंने सात एम. ए. पास लड़कों की लिस्ट दी है जिनको आज सिर्फ चपरासी की जगह लगा रखा है। यह शर्म की बात है।

आज कांग्रेस की तरफ से यह कहा जाता है कि विपक्षी दल के लोगों ने यह किया, वह किया। मैं बताऊं कि जिस समय भोलाभाई एल. एल. बी. पास करके आये तो भूतपूर्व डूंगरपुर महाराजा ने उनको मजिस्ट्रेट बनाया, आज आप एम.ए. पास को चपरासी रखते हैं। आप कहते बहुत हैं पर, हम देखना चाहते हैं कि कांग्रेस के राज्य में कितने हरिजन आदिवासी भाइयों को आप कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, बी. डी. ओ. आदि बनाते हैं? अभी तक तो आपने एक भी नहीं बनाया है।

आज सात आदमियों की मैंने लिस्ट दी है। भोलाभाई तो कहते हैं कि वे खद

(श्री विजयलाल कटारा)

के लड़के को भी सिफारिश नहीं करते। मैं कहता हूं, अपने लड़के को नहीं, समाज कल्याण के मन्त्री के नाते योग्य व्यक्ति को योग्य जगह मिले इसके लिये आप अवश्य कहिये। यह सेवा के लिये हाथ बढ़ाने का मौका आपको मिला है। जितनी सेवा का लाभ इस पद पर से उठा सकते हैं उठा लीजिये। यह सेवा का काम है, स्वार्थ का नहीं है। वर्ना पीछे जो पड़ेंगे तो फिर वापिस आने वाले नहीं हैं। इसलिये निवेदन करूंगा कि आदिवासी जो पढ़े लिखे हैं बेकार फिर रहे हैं उन लोगों को आप अच्छी उपयुक्त सर्विस पर लगावें। आज दो जगहें लेबर विभाग में खाली पड़ी हैं। आप वहीं लगा लीजिये, पर आप तैयार नहीं दीखते हमारा परसेन्टेज है। उस के अनुसार जितनी भी जगहें मिल जावें तो हमें सन्तोष है, पर वे भी नहीं मिलतीं आज। आप दूसरी कन्डीशन इसके साथ मत लगाइये कि अनुभवी चाहिये। अनुभव तो काम करते करते आवेगा। मैं धन्यवाद दूंगा रिपोर्ट में सिफारिश की गई है उसके लिये कि शिड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के लोगों के लिये सरकार पूरा पूरा ध्यान दे। आगे बढ़ने का जो आज अवसर है, आप उसमें सहयोग दीजिये।

इस रिपोर्ट के अन्दर जो कुछ ध्यान नहीं दिया गया है, जो हमारे राज्य के बारे में रिपोर्ट है, उस पर अगर ध्यान न देकर उस पर कार्यवाही नहीं होती है तो फिर यहां हमारा बहस करना बिल्कुल बेकार होगा।

सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तकाबी वगैरह देने में भी किस तरह से पैसे का दुरुपयोग होता है और किस प्रकार से पैसा खर्च किया जाता है। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जो भी पैसा सरकार देती है उसको जाकर कोई देखता नहीं है कि उसका उपयोग हुआ है या नहीं। आप लोगों को कुएं बनाने के लिये पैसा देते हैं लेकिन कभी किसी ने जाकर देखा कि कुआ बना भी या नहीं। सरकार ने अब तक कोई पांच आदमियों की कमेटी बना कर या किसी आफिसर की ड्यूटी लगा कर यह जांच तक नहीं कराई है कि जो पैसा दिया है उसका उपयोग हुआ है या नहीं। सिम्बलवाडा पंचायत का मैं उदाहरण आपको देता हूं। मैं बताता हूं कि करीब पांच छः लाख रुपया वहा पर कुओं के लिये लिये गये हैं लेकिन चार पांच कुए भी अभी वहां पर नहीं हैं। इसी प्रकार से और कामों में भी गवनमेंट का पैसा गलत तरीके से खर्च हो रहा है लेकिन उसके लिये ध्यान नहीं दिया जाता है। कम से कम इस ओर तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार छुआछूत मिटाना चाहती है, आप हर प्रकार का छुआछूत मिटाना चाहते हैं लेकिन यह छुआं छूत तब तक नहीं मिट सकता जब तक कि हमें शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। जब तक हमारे लोग शिक्षित नहीं होंगे उनके साथ छुआछूत बदस्तूर जारी रहेगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनको अधिक से अधिक शिक्षित बनाने की कोशिश कीजिए।

जो छात्रावृत्ति आप विद्यार्थियों को देते हैं, २५ रू० या २८) रू० तो इसको भी वढा दीजिये ताकि लडके किराये के मकान में रह कर भी अपनी पढाई जारी रख सकें और उनका खर्चा चल रहा सके। जो रेट आपने छात्रवृत्ति का रखा है वह भी बहुत कम है। जो बी. ए., एम. ए. के लडके हैं उनका चालीस पचास रुपया में खच कैसे पूरा पड सकता है।

Page No 155

(श्री विजयलाल कटारा)

में निवेदन करूंगा कि इस रिपोर्ट के अन्दर यह भी बताया गया है कि विदेशों के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को शिक्षित करने के लिये भेजा गया है। विदेशों में शिक्षा के लिये जाने के लिये हजारों दरख्वास्तें आती हैं लेकिन उसके अन्दर दो चार आदमियों को ही मौका दिया गया है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि हमारी राजस्थान सरकार ने शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों में से कितनों को भेजा है, यह बतावें। इसका दोष मैं भीखाभाई पर लगाता हूं। भीखाभाई हमारे क्षेत्र के सबसे ज्यादा पुराने नेता हैं और अनुभवी नेता हैं, भीलों में सबसे ज्यादा पोपूलर हैं, वही हमारे भीखाभाई . . .

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : भीखाभाई तो विदेश जा आए।

श्री विजयपाल कटारा : हां, भीखाभाई तो विदेश जा आए, लेकिन दूसरे लोगों को नहीं जाने दिया। भीखाभाई जो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, अगर एक-दो और आदमियों को विदेश में अध्ययन के लिये भेजता तो उनका भी नाम आता। लेकिन आज तक उन्होंने कहीं पर भी किसी आदमी की सिफारिश नहीं की। तो इसलिये भी मुझे बडा भारी दुख है, लेकिन आयन्दा के लिये भी इ और सरकार को लक्ष्य रखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अध्ययन के लिये भिजवाना चाहिए।

जो साढे बारह प्रतिशत का प्रावधान रखा गया है सर्विसेज में मैं इस सम्बन्ध में भी बताना चाहता हूं। इस मामले में जिस प्रकार का ढकोसला बना रखा है उसको देखकर भी दुख होता है। इस मामले में भी बडा धोखा दिया जा रहा है। हमको इस धोखे से भी बचाया जाय।

दूसरी बात यह है कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के साथ सबसे ज्यादा बुरा बर्ताव पुलिस ने किया है और उसका जिक्र इस रिपोर्ट में भी किया गया है। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि डूंगरपुर बांसवाडा के अन्दर जो डामर सडक आई है, वे लोग अपने खाने के लिये अनाज लेकर कहीं से जाते हैं या कहीं से अनाज खरीद कर अपने गांव में जाते हैं तो वहां के पुलिस कर्मचारी उन पर आरोप लगाते हैं कि तुम गुजरात के अन्दर आनाज लेकर जा रहे हो, उनके सिर पर जरा सी पोटली अनाज की देखते ही पुलिस वाले उनको पकडते हैं और वे भी पुलिस वालों को देखते ही भागते हैं। एक जगह जब वे पुलिस को देखकर भागे तो उनके भागने के बाद पुलिस ने गोलियां चलाई। उनमें से कुछ तो मरे और कुछ अस्पताल में भर्ती हुए, अस्पताल में जाकर उनके बयान पूछे तो भी वे कुछ नहीं बता सके। इस प्रकार आदमियों के साथ जो बुरा बर्ताव होता है तो उससे उनको

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

बचाने की कार्यवाही करनी चाहिए। और इस रिपोर्ट के अन्दर यह भी बताया गया है कि डूंगरपुर में सागडी प्रथा को खत्म कर दी। सागडी प्रथा के बारे में जो रिपोर्ट है वह सही रिपोर्ट नहीं मालूम होती है। लेकिन अभी सागडी प्रथा खत्म नहीं हुई है, डूंगरपुर में अभी

(समय–समाप्ति सूचक घंटी)

भी हजारों आदमी सागडी देते हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

दो मिनिट और बोलने दीजिये।

Page No 156

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा): बोलने दीजिये । भीखाभाई भी सागडी प्रथा का विरोध करते हैं ।

श्री विजयपाल कटारा: राजस्थान सरकार ने धोखे के रूप में रिपोर्ट बना दी है कि हमारे राजस्थान के अन्दर सागडी प्रथा समाप्त कर दी गई है । मेरे साथ चलिये, में अभी भी बता सकता हूं कि सागडी प्रथा चल रही है । आप जयपुर में बैठ कर धोखा दे सकते हैं । में इसके लिये निवेदन करना चाहता हूं कि इसका सबसे ज्यादा दोष हमारे भीखाभाई का है । सबसे पहला मिनिस्टर यही था । हमारे जितने माननीय सदस्य बोले उन्होंने भी बताया कि समाज कल्याण विभाग की क्या स्थिति है । एक बार उनको और हमको उदयपुर में एक मीटिंग करके बुलाया और उस मीटिंग में १६ और आइटम रख लिए जिससे पूरा समय नहीं मिला । तो वहां के आदिवासी लोग, पढे लिखे लोग, बी. ए. और एम. ए. वाले बिना नौकरी के घूम रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है । माननीय सभापति महोदय, तो इसके सिलसिले में जो छात्रवृत्ति दी जाती है और जो हमारे होस्टलस् हैं उनके बारे में भी में दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

छात्रवृत्ति के जो रूल्स हैं, उनकी जो रेट है, तो अलग अलग केटेगरीज को अलग अलग छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है । उसके अन्दर भी बडी गडबड हो रही है । जिस छात्रावास को आप रकम देते हैं उसको दो-तीन महीने पहले एडवांस में गवर्नमेंट को रकम देनी चाहिए ताकि छात्रालयों की सही प्रकार से व्यवस्था की जा सके । यह जो छात्रवृत्ति दी जा रही है उसकी ग्रांट में भी ठीक से व्यवस्था होनी चाहिए । रूल ५ और ६ में बताया गया है कि कोई भी छात्र अगर पढने के लिये बाहर जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति होस्टल में न दी जाय । डूंगरपुर में अधिक से अधिक मारू जाति के लोग रहते हैं वे बाहर चले जाते हैं तो उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है । गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे मामलों में समान नियम बना कर लोगों को रिलीफ दी जाय और उनकी पढाई के अन्दर भी प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वे अधिक से अधिक पढ सकें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरा विषय में यह कहना चाहूंगा

श्रीमती सभानेत्री: सभी को १० मिनिट दिये हैं । आपको १२ मिनिट दे चुकी हूं ।

श्री विजयपाल कटारा: सभापति महोदया, में दो मिनिट और कहना चाहूंगा ।

श्रीमती सभानेत्री: एक मिनट और बोल लें ।

श्री विजयपाल कटारा: एक उदाहरण और देना चाहूंगा कि आज लाखों रुपये खर्च हो चुके हैं उनमें से काफी पैसा अधिकारी अपनी जेब में डाल चुके हैं । पंचायत समिति सीमलवाडा में जो बी. डी. ओ. साहब थे उनको संरक्षण हमारे भीखाभाई ने दे रखा था । उनका अभी अभी ट्रान्सफर हुआ है तो ट्रान्सफर करते हुए एक लाख रुपया चला गया । आप पूछ लें कि कितना चला गया । इस प्रकार से जो नाजायज पैसा जा रहा है तो भीखाभाई अपने क्षेत्र में जाकर देखें कि लोगों को उन्होंने कितना कितना पैसा दिया है । एक एक कुए के लिये काश्तकारों को हजार रुपया देना था लेकिन काश्तकारों को जेब में ५००) रू० ही गये हैं । मेरे साथ चलें तो में आपको बता

(श्री विजयपाल कटारा)
सकता हूं कि आपने अपने अनुयायियों को किस प्रकार से पैसा दिया है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : श्री गोटवाला ! (श्री कटारा से) माननीय सदस्य आपका समय हो चुका है ।

श्री विजयपाल कटारा : आधा मिनिट बोलना चाहूंगा ।

एक व्यक्ति को कितना रुपया दिया है जो कि भीखाभाई के अनुयायी हैं । २५००) रु० पंपिंग सेट खरीदने के लिये कर्जा दिया, १५००) रुपया अनुदान दिया और एक हजार रुपया नया कुआ खोदने के लिये दिया और ७००)रु० राहत देने के लिये दिया, लेकिन न वहां पंपिंग सेट है और न कुआ है । आप जांच करें। समाज-कल्याण विभाग अपना काम करने में सोया हुआ है । एक कमेटी बिठाकर इस ब्लाक की जांच करानी चाहिए । आज वहां पर कितना पैसा आया है उसका किस प्रकार से उपयोग हुआ है । कितना रुपया लोग खा गये । खाने वाले खा गये और आप सो रहे हैं, आराम से नींद निकाल रहे हैं । इस तरह से पिछड़े हुए वर्ग का काम आगे बढ़ने वाला नहीं है । आप केवल गांधी के नाम से ही उनको आगे नहीं बढा सकते हैं। जो दो दो मिनिस्टर यहां पर बैठे हुए हैं उनसे कहूंगा कि वहां जाकर उनका सही रूप में नेतृत्व करें । उनकी वहां जाकर रिपोर्ट लिखें और दुःख दर्द शुरू करें । वहां पर जाते नहीं हैं और कभी जाते भी हैं तो आठ आठ बजे तक हम बैठे रहते हैं और सब के बाद में हमारी रिपोर्ट लिखते हैं और हमारी जाति में हमारी इन्सल्ट कराते हैं ।

श्री गोपीलाल गोठवाल (फागी) : सभापति महोदया हरिजनों के बारे में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के बारे में आज ही लोगों को कहने का मौका मिला है। हरिजनों की जो समस्याएं हैं उनमें सबसे बडी जो समस्या है इस वक्त वह रहने की समया है शहरों और गांवों में। शहरों में विकास कार्यों में उनका रिप्रजेन्टेशन नहीं होता है। मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि राजस्थान की केबिनेट जयपुर में है ।

श्री भैरोंसिंह : (श्री मथुरादास माथुर के आने पर और आगे की पंक्ति में बैठने पर) आज तो दोनों (श्री भीखाभाई एवं श्री अमृतलाल यादव) को आगे बिठालें।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : कास्ट तो शिड्यूल्ड कास्ट ही होती है ।

श्री गोपीलाल गोठवाल : गांधीजी हरिजनों को अपने गले से लगाते थे, लेकिन उनके नाम पर आपने गांधी नगर बसाया उसमें हरिजन को एक को भी प्लाट नहीं मिला। गांधीजी हरिजनों को चाहते थे, उनके वफादार थे। गांधीजी के नाम से जो बस्तियां बस रही हैं उनमें हरिजनों को प्लाट नहीं दिये जाते हैं । गांधी नगर में जहां हरिजन रहते थे उन लोगों को उठाकर वहां से टोंक फाटक के बाहर बसाया गया। यह पंचायत राज्य का नमूना इस प्रकार का है। गांधीनगर, आदर्शनगर, बनी पार्क कहीं की भी मिसाल दे दें जहां कि हरिजनों को प्लाट मिला हो गवर्नमेन्ट की तरफ से। एक सिर्फ किसी मन्त्री को दे दिया हो तो वह दूसरी बात है ।

Page No 158

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : ये हरिजनों में शुमार नहीं हैं।

श्री गोपीलाल गोठवाल : एक मन्त्री को प्लॉट देने से सारे हरिजनों को तसल्ली होने वाली नहीं है।

श्री अमृतलाल यादव (समाज कल्याण मन्त्री) : कन्सेशन में प्लॉट नहीं मिला है जनरल प्लॉट मिला है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप हमारे कोटे में नहीं आते हैं।

श्री गोपीलाल गोठवाल : हमारा अहित इसलिए हो रहा है कि अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट या और जितने भी बोर्ड हैं उनमें हमारे लोग मेम्बर नहीं हैं। आज अगर हमारा अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट में मेम्बर होता तो इस प्रकार से बनीपार्क, आदर्शनगर या जितनी भी कॉलोनीज हैं उनमें हरिजनों को प्लॉट जरूर मिलते? थोडे दिन पहिले लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जितने भी प्लॉट अब बाकी रहे हैं वे सब अनुसूचित जातियों को दिये जायेंगे। लेकिन बाद में गवर्नमेन्ट की पॉलिसी चेन्ज कर दी और उनकी नीलाम की कार्यवाही की। नीलाम की कार्यवाही में हरिजन प्लॉट नहीं ले सकते। आज राजस्थान में हरिजनों को प्लॉट नहीं मिला और मिल भी गया है तो काफी खर्चा करने के बाद लोन सेंक्शन हुआ और रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी पैसा नहीं मिला। बीसों आदमी ऐसे रोते फिरते हैं कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी लोन नहीं मिलता है। आज यह पंचायती राज्य है तो इस पंचायती राज्य में विधान सभा के अन्दर और लोक सभा के अन्दर साढे बारह पर्सेन्ट रिजर्वेशन की पूर्ति हुई है और उसकी वजह से हमको यहां कहने का मौका मिलता है, लेकिन पंचायत समितियों के अन्दर और पंचायतों के अन्दर यह नहीं है। नहीं तो ज्यादातर सरपंच हमारे आसानी से आ सकते थे, जिला परिषद् में आसानी से आ सकते थे, मगर उनमें रिजर्वेशन नहीं है। इस पंचायती राज्य में हमारे रिजर्वेशन के हिसाब से विकास अधिकारी होते, प्रधान होते तो जमीनें हमारी होती। अगर पंचायत समितियों में और जिला परिषद् में साढे बारह पर्सेन्ट का रिजर्वेशन होता तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का भला हो सकता था, लेकिन उसमें रिजर्वेशन नहीं रखा। इस मामले में राज्य सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये और उसमें साढे बारह पर्सेन्ट रिजर्वेशन रख देना चाहिये।

रहा सवाल नौकरियों का तो आज राजस्थान के सचिवालय में जाकर देखें तो साढे बारह पर्सेन्ट का रिजर्वेशन चपरासियों तक सीमित है। सचिवालय में एक यू० डी० सी० अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों का नहीं मिलेगा, एक सेक्शन ऑफिसर नहीं मिलेगा, असिस्टेन्ट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी तो दूर रहा एक यू०डी०सी० तक सचिवालय में नहीं है। जहां कि राजस्थान की केबिनेट है और सारे मन्त्री बैठते हैं वहां पर साढे बारह पर्सेन्ट के हिसाब से कई यू० डी० सी० होते, कई सेक्शन आफिसर होने की जरूरत है, असिस्टेन्ट सेक्रेटरी होने की जरूरत है, डिप्टी सेक्रेटरी होने की जरूरत है, लेकिन डिपार्टमेन्ट में वह पूरा नहीं हुआ। जैसा कि अभी उप राजस्व मन्त्रीजी कह रहे थे कि हमारे यहां ३६० पटवारियों की घोषणाएं की गई

(श्री गोपीलाल गोठवाल)

थीं उनमें से ५० पर्सेन्ट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के हैं। उन्होंने २५० आदमी बताये हैं कि पटवारी लिये गये हैं। परन्तु यह गलत है और पटवारी अभी तक नहीं लिये गये। नौकरियों का सवाल जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों का है तो १५ साल पहले 12½% सर्विस के लिये लिखा हुआ है। आजकल एक झगडा यह आगया है कि पहले पी. एस. सी. से सिलेक्ट होकर आते हैं तो रखे जाते हैं। इस टैस्ट में वे ही लोग बैठे जो कि कई वर्षों से राज्य सेवा में थे और भाग्यवश गरीब हरिजन व आदिवासी फेल हो गये थे। और उस टैस्ट में बहुत से लडकों को वापिस कर दिया और वे बेरोजगार हो गये दस दस साल की सर्विस के बाद भी। सर्विसेज के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान के पुलिस थानों में शिड्यूल्ड कास्ट या ट्राइब का कोई थानेदार नहीं है? पहले कुछ को थानों में लगाया था लेकिन उनमें से कुछ को चार्जशीट दे दी, सस्पेन्ड कर दिया, लाइन पर भेज दिया या इधर उधर कर दिया आज थानों पर हमारा एक भी थानेदार नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

थोडा सा और जमीन के एलोटमेन्ट के सम्बन्ध में बता दूं। जहां तक जमीन के एलॉटमेन्ट का सवाल है आज बहुत सी जमीन नहीं रही है लेकिन जहां जंगलात का सवाल है, शिड्यूल्ड कास्ट के अलावा बहुत से दूसरे लोगों को मिल जाती है और हमको नहीं मिलती। फागी में एक बीड था उसके लिये २० साल तक हरिजन लडते रहे। लडते लडते हजारों रुपये बर्बाद हो गए, रात-दिन एक हो गया, तलवे घिस गये लेकिन वह जमीन हमको नहीं मिली। वह जमीन किसको मिली? निवाई, टोंक, डिस्ट्रिक्ट के स्वर्णकार लोगों को। वहां के हरिजनों को यह आश्वासन दे दिया कि दूसरी १७०० बीघा जमीन दिला देंगे। इसका नक्शा भी पेश कर चुके हैं, राजस्व मन्त्रीजी ने भी लिखा है कि सबसे पहला मौका हरिजनों को दिया जायगा, ६५० बीघा जमीन के लिये लिखा हुआ अब भी पडा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभानेत्री महोदया, मैं थोडा समाज कल्याण विभाग की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये खोला गया है। विधान सभा के सदस्यों को जानकारी होगी कि राजस्थान के समाज कल्याण विभाग में जमीन के सम्बन्ध में, नौकरियों के सम्बन्ध में और दूसरी बातों के सम्बन्ध में जितनी एप्लीकेशन्स जाती हैं उनका कोई रेकार्ड उनके पास नहीं मिलता है। समाज कल्याण विभाग के डाइरेक्टर के पास जो एप्लीकेशन दी जाती हैं उनका जवाब तक वे नहीं देते हैं, वे यह भी नहीं लिखते हैं कि आपकी एप्लीकेशन आई और उचित कार्यवाही के लिये आगे किस जगह भेजी गई। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि समाज कल्याण विभाग की कार्यप्रणाली में परिवर्तन लाने की जरूरत है।

श्रीमती सभानेत्री: आप काफी समय ले चुके हैं।

(विराम)

श्री हरिकिशन।

श्री हरिकिशन (राजगढ) : आज यह बडी खुशी की बात है कि अनुसूचित जनजाति पर बहस करने का मौका मिला है

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : अपने लोग ही सुन रहे हैं, इसमें क्या खुशी की बात हो गई ?

श्री हरिकिशन : इस रिपोर्ट में जो सुझाव है वे बहुत अच्छे हैं, यह हर साल निकलती रहती है लेकिन, सभानेत्री महोदया, मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी सुझाव दिये जायं अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में उस पर विचार करना चाहिये यह राज्य सरकार का जुम्मा है। यह कान्स्टीट्यूशनल गारन्टी है कि एक जो वीकर सेक्शन है अनुसूचित जाति यदि यह वीकर सेक्शन स्ट्रोंग बनता है राज्य सरकार की मदद से तो राष्ट्र मजबूत बनता है । विधान चाहता है कि इनका आर्थिक और सामाजिक विकास हो, यदि इसमें ढिलाई होती है तो यह हितकर नहीं है। हम यह नहीं चाहते कि हमको फ्री फन्ड मिलता रहे और हम आश्रित बने रहें बल्कि हमें अपने पैरों पर खडा होना चाहते हैं; हमारे विकास के लिये हमें लम्बा अर्सा नहीं चाहिये लेकिन देखने में यह आता है कि १९५२ से जब से रिजर्वेशन हुआ है विधान के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल गारन्टीज दी हैं वे हमें इन १५-१६ सालों पूरी तरह से नहीं मिल पाई हैं क्या सामाजिक दृष्टि से, क्या आर्थिक दृष्टि से और शिक्षा और दूसरी दृष्टि से देखें तो जो हमारे साथ सहानुभूति रखने वाले सदस्यों के सुझाव में हैं उन सब पर सरकार को गौर करना चाहिये। यह कोई राजनैतिक मसला नहीं है बल्कि यह वीकर सेक्शन का मसला है और राज्य सरकार को अविलम्ब इस ओर तवज्ह देनी चाहिये। खाली यही नहीं हो कि यह विधान सभा की प्रोसीडिंग्स में आ गया इसी से काम हो गया, बल्कि यह वैधानिक जिम्मेदारी है, सरकार को इसे निभाना चाहिये। सरकार इसे टाइम पर नहीं निभाती है तो उसकी असफलता नजर आती है।

सर्विसेज के मामले में दिन प्रति दिन बडी समस्या सामने आ रही है। राज्य सरकार ने हमारे लिये १२॥ पर्सेन्ट का रिजर्वेशन रखा है। मैं नहीं समझता कि इसके अलावा उनको अधिकार नहीं है, विधान ने डिबार नहीं किया है, राज्य सरकार चाहे तो यह पर्सेन्टेज बढा भी सकती है। लेकिन राज्य सरकार एक ही तरह के माप दन्ड पर चलती आ रही है। यह माप दन्ड अब पुराना हो गया है। आज हमारे लडके काफी तादाद में पढे लिखे हैं, एम. ए. बी. ए. इन्टर, मैट्रिक और मिडिल पास लडके मारे मारे फिरते रहते हैं उनको नौकरी नहीं मिलती है। एक एक एम. एल. ए. के पीछे पांच पांच सात सात लडकों की भीड लगी रहती है। लोगों को पढा-लिखा कर भी रोजगार नहीं देते हैं तो वे करेंगे क्या ? आपने उनको टैक्निकल एज्युकेशन तो नहीं दी है, इसलिये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको रोजगार दे। इसलिये सरकार की जिम्मेदारी है कि १२॥ पर्सेन्ट का जो माप दन्ड पुराना है उसके बारे में मेरा सुझाव है कि ५० पर्सेन्ट रिजर्वेशन छोटी मोटी सभी क्लॉसेज की सर्विसेज में होना चाहिये चाहे वह क्लास वन सर्विस हो चाहे क्लास टू हो या क्लास थ्री या फोर सर्विस हो इनके प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होना

(श्री हरिकिशन)

चाहिये। मैंनें यह भी देखा है कि अधिकांश फैसले सुप्रीम कोर्ट तक के भी हो गये हैं उनको भी सरकार मान्यता नहीं देती है उदाहरण के तौर पर मैंनें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नकल भी रखी है जो मेरे पास अभी है और जो ए. आई. आर. १९६२ सुप्रीम कोर्ट ३६ (५) ४९ सी. ६ मद्रास, ए. आई. आर. १९६१; २८, अप्रेल, १९६१ का यह फैसला है। हमने उप-मन्त्रीजी से भी अर्ज किया था कि राजस्थान में उच्च पोस्टों पर भी रिजर्वेशन मिलना चाहिये क्योंकि उच्च पोस्टों पर पहुंचने का मौका हमारे लोगों को नहीं मिलता; बहुत से सदस्यों ने आज कहा है कि हमारा कोई सेक्रेटरी, कलेक्टर आदि की पोस्ट पर कोई आदमी नहीं है। वह हो कैसे, अपनी लाइन ऑफ सर्विस ५ साल की है, जब तक आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं करते, जब तक उसका आप पालन नहीं करते हैं तब तक हम लोगों को उच्च पोस्टें मिल नहीं सकतीं। रेलवे बोर्ड तक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर किया है। आर्टिकल ६२ (२) की यह मन्शा है कि सिलेक्शन ऑफ सर्विसेज में ये सारी चीजें अमल में लानी चाहिये। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रमोशन में रिजर्वेशन करना चाहिये तभी हमारे लोग सेक्रेटरी और कलेक्टर बन सकेंगे वरना सन् ७०-७२ में तो यह रिजर्वेशन खत्म हो जायगा तो हम देखते ही रह जायेंगे; इसलिये इस चीज को अमल में लाना चाहिये।

दूसरा जो सिलेक्शन का तरीका है उसको मैं गलत मानता हूं। पी. एस. सी. के सक्यूलर नौकरी के लिये जाते हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेन्टेशन नहीं होता, इसलिये मैं समझता हूं कि हमारा रिप्रेजेन्टेशन जब तक पी. एस. सी. में नहीं होगा तब तक हमको सही रिप्रेजेन्टेशन नहीं मिल सकता। आप जिला परिषद् वगैरह में भी हमको रिप्रेजेन्टेशन नहीं मिलता है, वहां पर हमारा कन्सीड्रेशन नहीं होता है और हमारे लडके नौकरी बिना रह जाते हैं। वहां पर १२।। परसेन्ट कोटे की भी पूर्ति नहीं होती है, जब कि वहां पर बहुत सी पोस्टें होती हैं। राज्य सरकार के जो सक्यूलर हैं उनके बारे में राज्य सरकार को ध्यान में देना चाहिये कि जो सक्यूलर जारी होते हैं उनका पालन होता है या नहीं? अगर उनका पालन नहीं होता है तो उसके लिये क्या एक्शन होना चाहिये, यह राज्य सरकार के ध्यान देने की बात है। राज्य सरकार सुप्त अवस्था में रहती है तो जितने सक्यूलर और ऑर्डर्स समय समय पर निकलते हैं वे केवल कागजी कार्यवाही ही रह जाते हैं, उनको अमली रूप नहीं दिया जायगा तो अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को फायदा नहीं होगा।

इसके अलावा हमने यह भी देखा है तरीका कि सेक्रेटेरियट में जितनी पोस्ट होती हैं वे बैक डोर से भरी जाती हैं। हमने देखा कि अपोइन्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट ने एक तरीका बना रखा है, जैसे वह एक फॉर्वडिंग ऑथोरिटी है और उसके ऊपर कोई बाइन्डिंग नहीं है। हम अपाइन्टमेंट डिपार्टमेन्ट से पूछें कि कितनी पोस्टें खाली हुई तो वे इसका जवाब देने में असमर्थ हैं। यह उनका तरीका रहा है? वहां कोई प्रोसीजर नहीं है। हम किसी लडके के लिए सेक्रेटेरियेट में कहें कि वेकेंसी हो तो इसे ले लो। लेकिन वेकेंसी के बारे में उनको जानकारी नहीं है। समाज कल्याण के पास

(श्री हरिकिशन)

भी इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने यह सेन्सस नहीं कराया है। हम यह पूछें कि कितने लड़के पढ़े-लिखे हैं और कहां पर हैं, और शिक्षा के अन्दर प्रगति कितनी हुई है तो वे यह नहीं बता सकते, और यह राज्य सरकार भी नहीं बता सकती है। क्योंकि इनकी कोई व्यवस्था नहीं है इसलिये यदि यह पूछें कि कितने बेरोजगार हैं जो पढ़े-लिखे हैं तो वह यह नहीं बता सकती है। मैं समझता हूं, जब तक यह व्यवस्था नहीं हो और जब अपोइन्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट के अन्दर से कोई सिलेक्शन बोर्ड नहीं बनालें जिसके द्वारा उनके अपोइन्टमेन्ट की व्यवस्था हो तब तक इनका कुछ भला नहीं हो सकता है। मेरा निवेदन करना है कि इस प्रकार से सरकार द्वारा तवज्जोह न देने की वजह से हमारे सामने परेशानी आ रही है। इसलिये इस सरकार को इस सम्बन्ध में तवज्जोह देनी चाहिये और राज्य सरकार का जो कर्त्तव्य है उसका पालन करने के लिये उचित कार्यवाही करनी चाहिये।

दूसरे शिक्षा की ओर ध्यान देते हैं तो शिक्षा की कितनी ही प्रवृत्तियां चल रही हैं लेकिन उनका प्रभाव दिखाई नहीं देता है। कोई एक छात्रावास है उसमें १९५८ में लड़कों के छात्रावासों की संख्या २५ थी, आज भी २५ है। क्योंकि आपके फाइनेन्सियल रूल्स हैं वे इतने कॉम्प्लीकेटेड हैं, हम कहते हैं कि अगर काफी डिमान्ड है और हम लोगों के ज्यादा छात्र पढ़ रहे हैं तो सरकार को उसी पैमाने पर छात्रावासों की संख्या बढ़ानी चाहिये, उनको स्कॉलरशिप देनी चाहिये। इसके साथ ही टेक्निकल एज्यूकेशन की सुविधा भी उनको नहीं मिलती है। टेक्निकल एजुकेशन के लिये स्कॉलरशिप के लिये मैं निवेदन करूं कि इनीशियल स्टेज पर उनको ६५ रुपये देते हैं और सैकिन्ड ईयर में ७५ रुपये देते हैं, जहां पर उनका डेढ़ सौ, दो सौ रुपया खर्च होता है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कई दफा अर्ज किया है कि जो गरीब लड़के हैं, जो आदिवासी और अनुसूचित जाति के लड़के हैं उनको जब तक टेक्निकल एजूकेशन नहीं मिलेगी तब तक जितना व्यय होता है वह बेकार जायगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि टेक्निकल एज्युकेशन के बारे में व्यवस्था की जाय और जो गरीब लड़के हैं वे इन्टेलिजेन्ट हों, इसके लिए उनको पूरी सुविधा मिले

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट और। महिला शिक्षा के बारे में....

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : महिलाओं की बात कह रहे हैं।

श्री हरिकिशन : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों के लिये जो छात्रावास खोले हैं वे एक तरीके के खोले हैं। लड़कियों की शिक्षा के लिये अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। हम कहते हैं कि जो छात्रावास खोलें वे जिला स्तर पर खोल दें, यदि तहसील और पंचायत समिति स्तर पर नहीं खोल सकते हैं तो। लेकिन सरकार कहती है कि हमारे पास फन्ड नहीं है। यदि इस कार्य के लिये फंड नहीं है तो हम लोगों का आप क्या विकास करेंगे ? इस तरह की प्रवृत्ति रही तो महिला शिक्षा नहीं बढ़ेगी और ये जो दोनों जातियां हैं उनका आप विकास नहीं कर सकेंगे। हम और लोगों को देखते हैं, और लोगों के साथ उठते बैठते हैं

(श्री हरिकिशन)

हैं तब उस सोसाइटी को देखते हैं। लेकिन हमारी महिलायें जो हैं उनको एजूकेशन लेने की ऑपोर्चुनिटी नहीं मिलती है। हमारे यहां के लडके तो पढ जाते हैं लेकिन लडकियां नहीं पढ पाती हैं, इसलिये उनके गृहस्थ जीवन में दिक्कत होती है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अविलम्ब इस प्रोग्राम को लागू करें और हर जिला स्तर पर कम से कम फन्ड्स उपलब्ध करके, इसकी व्यवस्था करके छात्रावास खोले जाने चाहियें, यदि आप वास्तविक रूप से स्थिति को विकसित करना चाहते हैं। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ) : सभापति महोदया,······

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : आप राजस्थानी में बोलिये।

श्रीमती सभानेत्री : काफी समय हो चुका है। मेरे ख्याल से मन्त्रीजी उत्तर दे दें।

एक माननीय सदस्य : इनको बोलने का मौका दे दें। ब्राह्मण होकर बोल रहे हैं।

श्री उमरावसिंह डाबरिया (बनेडा) : सभापति महोदया, जितने माननीय सदस्य बोले हैं वे उन क्षेत्रों के हैं जिनके बारे में रिपोर्ट है। मैं यह समझता हूं कि सिर्फ उन लोगों की बात ही नहीं, बल्कि दूसरे लोग हैं उनकी बात को भी सुनें, क्योंकि वे सही बातें कहेंगे उनकी सारी बातें सुन कर। आखिर हम लोग बैठे किसलिए हैं? हमने आज जिन बातों को सुना उनमें कुछ माननीय सदस्यों ने सही तथ्य रखे हैं, उनसे मालूम होता है कि अट्ठारह साल तक सरकार ने कैसे हरिजनों का उद्धार किया है!

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इसके अलावा, सभापति महोदया, बात यह है कि माथुर साहब (श्री मथुरादास माथुर) मोहनलालजी को कुछ बता गये हैं। इसलिये इन्हें बोलने का मौका दिया जाय।

श्री मोहनलाल सारस्वत : सभापति महोदया, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित-आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट १९६२, १९६३ की देखण ने मिली..

श्री मोतीलाल चौधरी : ठीक है।

श्री मोहनलाल सारवस्त : सभापति महोदया, रिपोर्ट में बीका आंकडे, दिखायो है और समाज कल्याण जीको है वी में जब मैं देखूं कि इतनी वडी संख्या हरिजनां की, २ करोड १० लाख की आबादी सारे राजस्थान की वी में सूं ५६ लाख हरिजन और ५६ लाख हरिजन में सूं अठे जीकी ४८ सीटां हरिजन बन्धुआं की, ४८ सीटां जीमें सूं यह बटवारो कियो, राज्य सरकार २२ मिनिस्टरों में ढाई मिनिस्टर। पहले डेढ मिनिस्टर हा, अब एक और बढायो, तो ढाई मिनिस्ठर लिया जद कि सात मिनिस्टर को कोटा जीको है वह वाजिब है बिल्कुल। तो बिल्कुल मिनिस्टर सूं देखो तो कई तरह भेदभाव चाले है।

अब दूसरी बात आपके सामने रखूं हूं। आज हरिजनां के बाबत तरह तरह की बात, जब चुनाव चाले है, तो होवे है। म्हारा गरीब, म्हारा मिनिस्टर मित्र और एम. एल. ए. जाकर कहवे है–ओ हरिजन बन्धुओ,

(श्री मोहनलाल सारस्वत)
आप लोगां के लिए बापू ने क्या किया और बापू के साथ ठक्कर बापा, और इधर, क्या कहते हैं, स्वामी दयानन्द जी और किन किन महात्मा की दुहाई दे देकर उन लोगों के वोट मांगते हैं. . . .

श्री दौलतराम सारण (उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन) : अपनी बोली में बोलें।

श्री मोहनलाल सारस्वत : दौलतराम जी की बात माननी पडेगी। सभापति महोदया, मैं निवेदन करूं आपसूं, यो ढंग को कल्याण-कारी राज्य, वीको किसो हो ढांचो वह मैं आपके सामने रखनो चाहूं। यो ढांचो किसो। काले आप देख्या, खाद्य की डिबेट हुई, जद सारा का सारा, मैं कहूं, मन्त्री मुंह फाडे बैठ्या और सारा का सारा एम. एल. ए. बैठ्या लेकिन आज खटाई भर. . . .

एक माननीय सदस्य : खटाई नहीं।

श्री मोहनलाल सारस्वत : आज, सभानेत्री महोदया, स्थिति देखो, कितनी आदमी, जी में बहुत मुश्किल सूं. . . .

श्री जयनारायण सालोदिया : आटे में नमक बराबर।

श्री मोहनलाल सारस्वत : आटा में नमक समान आज बैठ्या है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स, जीकी रिपोर्ट, जीकी इन्डिया गवर्नमेन्ट इतनी बडी पार्टी भेजी है, वीके ऊपर, मैं समझूं सभापति महोदय, पांच दिन तक डिबेट चलनी चाहिये हाउस में। लेकिन पांच दिन की काई बात, म्हारा लाडला, पांच घण्टा में दिक हो गया और बार मां चढ कर चला गया। मैं निवेदन करूं, हरिजन बन्धुओ, इतनो बडो बहुमत और थांरे साथ इतनो भेदभाव। तो आप म्हारे अठे आकर बैठो, आज म्हारा भैरों सिंह, वींका स्वतन्त्र पार्टी का डिप्टी लीडर, म्हारा मानिकचन्द, म्हारो डावरिया बैठो है। आज परीक्षा है आप लोगों की। म्हारा रामानन्द जी बैठ्या है। आज आप लोगों की परीक्षा है (श्री मोतीलाल चौधरी के कुछ संकेत पर) मोतीलालजी, थोडो ठहरो, मैं आऊं हूं सहकारिता पर।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदया, आज उदारतासूं काम लियो है। म्हारे साथ ही उदारता को वर्ताव करो और समय की पाबन्दी न रखो।

अब समाज कल्याण को ढांचो सुनो! सभानेत्री महोदया, या लोगों की उपेक्षा मनोवृत्ति देखो कि जद याने वोटों की आवश्यकता होवे तो भोलाभाला हरिजनां में भेला होवे, हृदय का लाल हरिजन रहे। किन्तु इतनी बडी रिपोर्ट पर टाइम कोनी; न मंत्री ने टाइम है, न मुख्य मंत्री ने टाइम। आपका यादव और भीखाभाई बार बार उठे हैं और पानी पीवे है! वो आपको देखो दिनेश डांगी, अरे शिड्यूल्ड ट्राइब्स का नेता, दो दो शब्द कहो, और कुछ बात नहीं, पर थांरे यह तो दिमाग में बात आवे।

(८.०० म.प.)

तो मैं आपके सामने हरिजनों की राजस्थान की वास्तविक स्थिति है वा रखनी चाहूं हूं। इतने बडे प्रान्त में, म्युनिसिपेलिटियों में देखो, पंचायत समितियों में देखो, शहरों में देखो कई दुर्दशा हो रही है, जिणरो वर्णन नहीं किये जा सके। जिके बापू और ठक्कर बापा आ बात केवता हा के हरिजन निकल

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

गया तो जान निकल जावेगी और जिन्दगी खतम हो जावेगी । आज उनकी क्या स्थिति हो रही है ? आज १८ वर्षों की आजादी के वाद भी आप भंगियों के सरों से टोकरियों नहीं हटवा सकिया । वे की वे वात हाल चली आ रही हैं, कुत्ता और बिल्लियां की स्थिति कर दी । झूठी पातल और झूठा खाना खाना आप बन्द नहीं कर सकिया ।

मैं निवेदन करनो चाहूं के नौकरियों में १२॥ परसेन्ट नियम राखियो, समाज कल्याण को है नहीं । आज आप लिस्ट उठाने देखो तो गजेटेड ऑफिसर्स ३ परसेन्ट । नीचला अफसरों का, सबोर्डीनेट का ४ परसेन्ट । थोडो से में विचार मत करो । अगले साल दिखाया, जिणमें ४ परसेन्ट, ७ परसेन्ट और ९ परसेन्ट पहुंचा । वे कहेंगे कि फोर्थ क्लास पर ध्यान नहीं दियो । फोर्थ क्लास कौन सा, जिसका टट्टी साफ करने और बुआरी काढने को काम है उसमें ८ परसेन्ट और ९ परसेन्ट बढाया गया है । मैं पूछूं कि भंगियों की जगह किसी दूसरों को लगाते तो बहादुरी देखता । इस जगह तो वे ही हरिजन और पीडित वर्ग काम करें । फोर्थ ग्रेड की यह स्थिति है । मैं दूसरे आदमियों की आलोचना नहीं करनी चाहूं, लेकिन इन लोगों के शासन संभालने के बाद देश के साथ में जो गद्दारी की वा मैं आपके सामने राखनी चाहूं । तो वस्तु-स्थिति हरिजनों की यह है । यह नौकरियों को हाल है ।

अब मैं बतानी चाहूं कि जागीरदार हा वे जूता सूं कूटता, बेगार लेवता और आज आजादी मिल गई तो ई वक्त भी मैं कहनी चाहूं कि आज वा की वा स्थिति १७-१८ वर्षों की आजादी के बाद भी इन लोगों की है । कोई पटवारी जावे तो वे आ वात केवे के आ रे बटवालिया, फलां काम कर । इण वास्ते वा की वा लेन और वा की वा देन है, कोई फर्क नहीं पड्यो है । आज भी ४८ सदस्य यहां पर बैठे हैं, म्युनिसिपेलिटीज से भी हैं, और भी सदस्य दूसरी जगह हैं और सवंरण लोग भी उनके साथ हैं, लेकिन आज भी वे उनोरे हाथ रो पानी पीवणी चावे नहीं । दौलतरामजी ने इण सारी बातां रो पतो है ।

डूंगरगढ गांव की बात है कूट कूट के डूबरे ऊपाड दिये । इण तरह सूं छुआछूत मिटावे । आज भी कोई मिनिस्टर है वे एलान करें कि हर कुआं पर हरिजन पानी भर सके । है कोई माईरो लाल हिम्मत करणियो । चाहे वह गृह मंत्री हो, चाहे समाज कल्याण के मंत्री हों, वे यह एलान करें तो सही । तो मैं यह निवेदन करूंगा कि कुओं पर पानी उनको उपलब्ध नहीं हो सकता · ·

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अठे तो कै देवी । गांवां में कहने की बात है ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : आप देखिये कि उनकी क्या स्थिति है ? आपने इसके लिये बडे बडे कानून और पोथे बनाये, परन्तु आपने इन पर पाबन्दी नहीं कराई । ये लोग तो भोलिये हैं । थोडा सा इनको आप कह दें कि बापू का राज्य डूब जावेगा. नेहरू का राज्य डूब जाएगा । ये भोले लोग हैं आपकी तरफ आते हैं । मैं ६ वर्षों तक म्युनिसिपेलिटी का चेयरमैन रयो और चार वर्षों सूं धारा सभा में आयो । म्युनिसिपेलिटी में वही हाल देख्यो । धारा सभा में आने के बाद भूलें ही भूलें दिखाई · · · · · · · ·

श्री जेठमल बरड़ (परबतसर) : आप जब म्युनिसिपेलिटी के चेयरमैन थे तब आपने हरिजनों के हाथ से पानी पीया या नहीं, चाय पी या नहीं ?

श्री मोहनलाल सारस्वत : जेठमलजी साहब, आप मेरे सम्पर्क में आयोडा नहीं हो, किती छोटी बात करी । जीमण करके तो बुलाओ तो सही । चाय की प्याली की बात करो हो । अबे तो थांरे-मारे साथी रो नातो है ।

एक माननीय सदस्य : कितने हरिजनों को आपने अपोइन्टमेन्ट दिया ?

श्री मोहनलाल सारस्वत : मैं बताऊं कि जदे मैं चेयरमैन रेयो, सैकडों हरिजनों ने लगा दिया । आज मारे बीस वर्षों से संबंध है, कोरी हेंकडी करे है जिनो दुःख और दर्द है ।

श्री दिनेशराय डांगी (उप-मंत्री, सिंचाई): वर्ण व्यवस्था का पाठ आपने ही पढाया ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : आप सुणो तो सही । थोरो काम तो पक्को है । सुखाडिया साहब रा चिमचा हो । साल, डेढ साल तो काम पक्को है । बाद में मोरिया बोलेला । पछे तो मारे कने आया ही एम. एल. ए. बनोगा । नौकरियों के साथ साथ कानून की रू से १२॥ परसेन्ट या ३ परसेन्ट जो भी हरिजनों को पैसा ज्यादा मंहगाई का मिलना चाहिये उसके लिये दौलतरामजी कभी भी चेयरमैन से नहीं पूछते कि वह पैसा हरिजनों को बराबर दिया जाता है या नहीं, वे बराबर ऑर्डर भेज देते हैं कि इतने हरिजनों की मंहगाई में बढोतरी की गई । लेकिन देखते नहीं कि उनको मिल रही है या नहीं । हरिजनों को समय पर मंहगाई नहीं मिलती । मकानों के लिये कहें तो चेयरमैन जो कांग्रेस की टोपी ओढने वाले हैं, उनको रिकमन्ड नहीं करते । मैंने कहा कि मकानों के लिये दौलतरामजी के पास पधारो । एक हरिजन रो मकान बनियो नहीं और अगर कोई मकान बने तो उणरो आधो पैसो उण मकान माथे लगावे और आधो ठोक जावे । तो हरिजन कोलोनी में, मैं दौलतरामजी आपने बतावणी चाहूं कि हरिजन उण कोलोनी में दो सौ वर्षों से रह रहे हैं, उनको अभी तक पट्टा तक नहीं बनाते हैं । इसलिये हमारा हृदय गदगद होता है जब उनकी बातें आपके सामने रखी हैं ।

अब आई जमीन की बात । मैं आपके सामने और भी कई चीजों रखनी चाहूं । याने कमार खावा ने थे जमीन दो नहीं, जमीन जका है वींमें मकान बणार देवो नहीं, नौकरियां में यां के सागे ई तरह को भेदभाव, आज-काल तो कोओप्शन को झगडो कर दियो, अलग अलग सीटां बांव दी, पण पहली हरिजनां पर जद नोमिनेशन आंरे हाथ में हो तो ए बडो गजब करता हा । यां सब बातां पर परदो नाखण सारूं यां कल्याणकारी राज में या बात कह दी कि देखो थांला-बाप-दादा हे सात सात जूता पडता हा, मांहलो राज आयो तो थे विधान सभा में बराबर बैठा हो । तो हे आदिवासी, हरिजन बन्धुवो समाजवाद में सबको समान अधिकार है, सबने समान अधिकार मिलणा चाहिजे, ए थांने वो थांको अधिकार दे नहीं रहिया है, ए डाकू थांका अधिकारां को हनन कर रया है · · ·

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : सियावर रामचन्द्र की जय

श्री मोहनलाल सारस्वत: रामचन्द्रजी की जय बोली, मेरी थोडी ही बोली।

(शोरगुल)

हरिजनां के बारे में बहुत सारी बातां कहणी ही, पण अब थांरे चटक्या सा लागे है, इण वास्ते मने बोलण नहीं देणी चावे।

तो नौकारियां में आंके सागे ओ अन्याय, जो भूमिहीन है, वांने ए जमीन नहीं देवे। सभानत्री महोदया, आपने मालूम है रावतसर खानी ही नौहर गांव है, बठै हरिजन भाई दो सौ तीन सौ वर्षो स डोली की भूमि पर काश्त करे हा। आ कल्याणकारी सरकार बां लोगां खना स सारी की सारी भूमि छीन कर आपणां, म्हारे जिसा मोटा पेट वालां ने दे दी। बठे जठे नौहर इलाको है बठै कितरी जमीन बेची, म्हारे खने १२ मिसलां है; अठीने आ जावो. अबार समझा दूं। नीलामी बोली को कांई हाल रखू: दो साला, तीन साला, चार साला ईं माफिक केई दरजा कर राखिया है। गरीबांने परेशान करण सारू, ओ ही धंधो आंको है के गरीब हरिजनां के कठेई एक बिस्वो जमीन भी नहीं आ जावे। आज विस्तार निकलाओ। फेर नीलाम बोली निकलाओ और फेर हां में हां मिलावणियां, मिनिस्टरां की कारां में फिरबा वाला है वे मिनिस्टरां का चमचा तहसीलदारां सूं मिलर जमीन ले लेवे। आज हरिजनां को यो हाल है कि बैठण ने मकान नहीं; कमाबा, खावा ने जमीन नहीं। समाज कल्याण मंत्रीजी साहब, आपसूं मेरो पुराणो सम्बन्ध है, वे हरिजन थांहली–मांहली सूरत का ही है, वे ही दो हाथ और दो पैर। वे सवेरे ही छाबडो लेर निकले, पाखानो साफ करे, सुबह पेली मैला सूं भरियोडो छाबडो उठावे, आप बरदान मे के देवो हो? एक डेड रोटी। शादी व्याह को काम है तो सेठाणी केवे ओ भंगीडो बडो बदमाश है, लगाओ ईं के चार जूता। तो थे आंके वास्ते कांई न कांई कानून तो लावो; रुपयो, दो रुपया कांई न कांई तो महीनां का बांध दो।

श्री अमृतलाल यादव (समाज कल्याण, मंत्री): ला रया हां।

श्री मोहनलाल सारस्वत: अब के रया हो के ला रियां हां। १८ वर्ष तक कांई करियो? अब तो क बोला ही।

थांके खादी बोर्ड में के है? रंगाई, धुलाई, चोराई, १०० पडपंच चला राखिया है, थांरे खने आणे सूं पतो पडियो नहीं तो पतो ही नहीं हो के चोरां की जमात के कै करे है। भट्टी में के करियो के लीडरशिप में थांके लारे लारे फिरे, तो काम सूं काम ए बांने लगा देता, ईं के मांयने थे या ही कह कर देता के हरिजनां को काम सवर्णां ने दे देगा तो वे हरिजन ही मानियां जावेगा, तो भी ठीक हो, हरिजनां का कंठ तो काटिया पण तादाद तो बढती। मैं आं माथुर साहब ने कयो

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): माथुर साहब तो न ब्राह्मण न क्षत्रिय, न वैश्य हरिजनों में है ही।

श्री मथुरादास माथुर: इलाहाबाद हाई कोर्ट को फैसलो है, आ पक्की बात कर दो।

श्री मोहनलाल सारस्वत: तो नेता तो न्यारा, मिनिस्टर न्यारा, भट्टी को, खादी को लोन दो तो कम सूं कम इश्या लोगां ने दो जो पाणे का हकदार है। कोटो पूरो करण की बात करो हो तो मंत्रियां में तो काल ही ५ को त्यागपत्र ले लो और बाकी जगां हरिजन

(श्री मोहनलाल सारस्वत)
ने मिनिस्टर ले'र राजस्थान में ओ कोटो तो पूरो करो ।

लेवी की बात भी सुण लो, नाथूरामजी कोनी, वां की खाद्य की बातां भी बतातो । आठ आना, बारह आना, एक रुपयो कमावा हाला हरिजन जद नाज–पात को विचार करे तो दिन ऊगा का खड्या हो योडा १२ बजियां तक खड्या रहवे पण नाज नहीं मिले, सवा से'र को बाजरो ।....

श्री दौलतराम सारण (उप-मंत्री, स्वायत्त शासन) :बेचण हालां की सागे थे हो ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : मैं तो बेचण हालां ने हथकड़ियां पे'रा वाहाला हां । थांरा चेयरमैन बणणा के बाद ए बातां हो रही है । इमर्जेन्सी में थे १०० रुपया देवो तो मारा हजार रुपया लगा लो ।

आज नाज मिले नहीं, नौकरियां मिले नहीं । आप जनता का समाज कल्याण में तो पार्टी बाजी मत घुसावो, आंको जो कोटो है, वो तो पूरो करो, पहली मिनिस्टरी में तो आंको कोटो पूरो करो ।

श्री दिनेशराय डांगी : अरे भाई ! इस प्रकार हरिजनों का विश्वास नहीं मिल सकेगा । मेरे खयाल से हरिजनों का विश्वास इस प्रकार मिलना बहुत कठिन है ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : क्यों नहीं ?

श्री दिनेशराय डांगी : क्योंकि बाहर सूं बोल रया हो, अन्दर सूं नहीं ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : मारे तो अन्दर सूं वो ही बोल रयो हूं । आपको क्या पता हरिजनो में कांई बीत रही है । आप तो चमचे की तरह सुखाडियाजी के पीछे पीछे फिरो ।

श्री दिनेशराय डांगी : हम पीछे पीछे नहीं चलते किसी के ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : मेरा क्षेत्र की स्थिति है बीने देखो तो पता चले के क्या हरिजनपणां होता है ।

श्री दिनेशराय डांगी : आप कोरी ऐसी बातें ही कहते हो, हृदय में दर्द नहीं है हरिजनों के लिये ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : हरिजन पणां ने जाणो हो तो थां हालो, हृदय चीर कर बतावो, देखां कठे राम राम लिखियोडो है, जिस्यां के हनुमानजी हृदय चीर र बतायो हो, दे भी बतावो । हम डाइरेक्ट आक्षेप नहीं करने, पण आप चोरियां भी करावो और फेर अठे गुर्रा करो ।

इतनी दूसरे आदमी की नुक्ताचीनी हो तो तुरन्त त्याग-पत्र देकर बाहर निकल जाय । उस पर आप गुर्रा करते हो । खुद ने क्या मुझको हरिजन देख लिया है । मैं हरिजन सेवक हूं । आप सेवा का बहाना करते हो तो काम बैठता नहीं है । यादव साहब आप समाज कल्याण विभाग में पधारिया हो । [illegible] साल के लिये मौको मल्यो है । पीछे के मंत्रियों की कई बात कहनो नहीं चाहूंगो । मकानों की व्यवस्था आदि सब बातों पर ध्यान रखकर आयुक्त की रिपोर्ट आयी है उसके अनुसार जो आंकडा दिया है उसके अनुसार ठीक व्यवस्था करगे ।

सहकारिता के लिये निवेदन करूं । हरिजनों की सहकारिता बनी । लेकिन एक

(श्री मोहनलाल सारस्वत)
पैसा भी उनको लोन का नहीं मिला। जिनके नाम पर यहां बैठे हैं उनके नाम पर यह आपका बडा कर्तव्य हो जाता है कि उनके भलाई के काम करो। एक एम. एल. ए. अबार बतायी कि टाइम नहीं मिले। दौलतरामजी बैठा हैं।

श्री अमृतलाल यादव (समाज कल्याण मंत्री): माननीय सदस्य ने यहां सूचना दी है वे तो मेरे घर एक दफा भी नहीं आये।

श्री मोहनलाल सारस्वत: आप तो बात कर रहे हैं। माथुर साहब तो मेरे सामने हैं। आप कहो तो सुखाडियाजी ने रात की दो बजे उठा लूं जाकर। आप धीरज राखो। दौलतरामजी कह दियो, ज्यादा नहीं बोलूंगा। आपका की पाप-पुण्य है या हरिजन भाई समझ गया है।

निवेदन करनो है कि आज इमरजेन्सी के समय में आछा आछा आदमियां ने दो रुपया को अनाज नहीं मिले। हरिजनों की तो की बात है। तो आपको फर्ज हो जावेगा। इतनो बडो तबको है। शहरां में कठे हजार रहे, कठे दो हजार रहे। वां ने जमीन का पटा दिलाओ। दौलतरामजी दिला देगा। पिछड्या लोगों ने आप नहीं अपनाओगा तो देश रसातल में चलयो जावेगा। वास्तव में स्थिति रसातल में चलयो जावेगा। वास्तव में या स्थिति है। हरिजन यहां बैठ कर हरिजनों की सेवा नहीं कर सके। टिकट को सवाल आजावेगा। आया दो साल और है। दौलतरामजी टिकट नहीं मिलेगा। स्वतन्त्र होया ने १८ साल हो गया है। बापू ने चलया गया १८ साल हो गया है। आप कल्याणकारी राज कहो। आज जाको हाल हैं थांको वो यां रिपोर्ट तो है ही जयां सू वत्ता तो मां लोगों थाने सुणोंवों पर थांकी नींद नीं खुले। वास्तव में हरिजनां की सेवा करोगा तो ठीक है। वर्ना तो ६७ में वोट पडवा वाला है। ६५ की उम्र में नेहरूजी ने राज सम्हालनो पडयो। पार्टी बाजी छोड दो। जगह जगह अकाल पड गयो। माथुर साहब चार घण्टे रोज सोओ। अब दुनिया अधिक नहीं सोवा देगा। काम करोगा तो ठीक है। आलोचना नीं है। हृदय की सच्ची बात है। कोई केन्द्रीय मंत्री, मुख्य मंत्री पाकिस्तान चीन का आंकडा देकर हाउस ने भुला दे, वास्तविक स्थिति जकी रखी वा या है। काल लोग मिलेगा। दौलतरामजी सूं मिलेगा। दूसरां मिलेगा। पूछेगा कि अनाज को इन्तजाम करयो या नहीं आप सारा का सारा सेवा करो।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): सभापति महोदया, मैंने आज पहली बार इस विधान सभा में इस रिपोर्ट की चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों को एक मत देखा है और वह मत इस बात का है कि सरकार ने अब तक शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्युल्ड ट्राइब्स के विकास के सम्बन्ध में कोई भी सफलता पूर्वक कार्यवाही नहीं की है। विरोधी पक्ष के सदस्य बोले, यह सरकारी पक्ष के लिये इतना अपर्याप्त होता कि विरोधी पक्ष के ही लोग बोलें लेकिन आज सत्तारूढ पार्टी के लगभग सभी माननीय सदस्यों ने सरकार की इस विषय में आलोचना की है। तो यह तो विधान सभा का एक मत है और सर्व सम्मत मत है कि सरकार ने पिछले वर्षों में इन जातियों के उद्धार के लिये जो काम किये हैं उनमें उसको सफलता नहीं मिली है। यदि इस पर विचार किया जाय तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि माननीय सदस्य इसको एक

(श्री भैरोंसिह)

राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं सोचें तो उसका कोई हल निकल पायगा।

विधान सभा में ४८ शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी का बहुमत है ४८ में। दो मंत्री और एक उप-मंत्री हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि उप-मंत्री और मंत्री ये सब मिल कर भी इन जातियों का आज तक कल्याण नहीं कर पाये, इसके पीछे क्या कारण है? लोकतन्त्र में सत्ता को बनाना और बिगाडना चुने हुए व्यक्तियों के हाथ में होता है। दुर्भाग्य से राजस्थान के मंत्रिमंडल में जो सदस्य लिये जाते हैं उन सदस्यों की नियुक्ति का प्रश्न जितने भी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्युल्ड ट्राइब्स के व्यक्ति हैं उनके आधार पर नहीं लिया जाता। आज यदि मंत्रियों को बनाने और बिगाडने की शक्ति इस समय सुखाडियाजी के हाथ में है वह शक्ति सुखाडियाजी के हाथ से निकल कर कांग्रेस के शिड्युल्ड कास्ट और शिड्युल्ड ट्राइब्स के सदस्य हैं उनके हाथ में आ जाय तो मैं निश्चित् रूप से कह सकता हूं कि जो सुधार की अपेक्षा कर रहे हैं उस सुधार में अच्छी प्रगति होगी। निश्चित रूप से जो व्यवस्था करना जरूरी है वह व्यवस्था कुछ अंशों में पूर्ण होगी, आज मंत्रिमंडल में सदस्य रहते हैं वे एक व्यक्ति की कृपा पर चलते हैं। उनका एक मंत्री लिया तो उनके दिमाग में यही रहता है कि किसी प्रकार से सुखाडियाजी को खुश रखें, बाकी किसी का काम होता है या नहीं, इस जाति का विकास होता है या नहीं, इसकी चिन्ता नहीं, हमें तो उनको किसी प्रकार खुश रखना है और उसके कारण सबसे बडा डिमोरेलाइजेशन आता है वह इस बात का कि बाकी राजस्थान के मंत्री किसी बात को लेकर भागते रहें, पूरी सत्ता मुख्य मंत्री के हाथ में रहती है और प्रशासन की दृष्टि से मुख्य सचिव के हाथ में। जितने भी मंत्री हैं, प्रभावशाली मंत्री हैं उनका भी कहना नहीं मानते। अधिकारियों को यह मालूम हो जाय कि ये २।। मंत्री तो सुखाडियाजी की कृपा पर मंत्री हैं, तो उनकी बात मानने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रश्न जब पैदा नहीं होता तो जितनी भी विकास की योजनाएं हैं, पहली पंचवर्षीय योजना को छोड दीजिए, दूसरी लीजिए, तीसरी योजना लीजिए, सबसे कम यदि किसी विभाग में खर्च हुआ तो समाज कल्याण विभाग में, सबसे ज्यादा रकम लैप्स हुई है तो इस विभाग में हुई है।

इसके अलावा सरकार ने जितने कानून बना रखे हैं, सर्विसेज के कानून बनाए, मंत्री महोदय बताएंगे कि एक आदमी को आर. ए. एस. में लिया, एक को आइ. पी. एस. में लिया, वे आंकडे तैयार कर रहे हैं बताने के लिए, वे आंकडे आयेंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं। इस सदन में सब मंत्रियों ने बार बार रिपीट किया है कि १२ प्रतिशत का कानून बना रखा है लेकिन जिसने १२ प्रतिशत वाले कानून की अवहेलना की है उस अधिकारी के विरुद्ध एक्शन लिया है। वैसे तो आप किसी पर नाराज हो जायें तो आप उसे सजा देते हैं लेकिन आप एक भी अधिकारी का नाम बताएं जिसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की हो या किसी भी विभाग में १२ प्रतिशत वाला फार्मुला लागू न करने के कारण किसी अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया हो।

हमारी सरकार कहती है कि इतनी हरिजन बस्तियां बसाईं। मैं उन डिटेल्स में

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं जाना चाहता, लेकिन मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि सिर्फ बस्तियां बनाने से ही हरिजनों का सामूहिक विकास नहीं होने वाला है। यदि १०० प्रतिशत में नहीं तो ५० प्रतिशत केसेज में धन का दुरुपयोग हुआ, उनके अकाउन्ट्स में घोटाले हुए, जितने मकान बताए गए उतने नहीं हैं, जितना खर्चा बताया उतना नहीं है, कागज में बनाए गए, धरती में नहीं लेकिन आप एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि इसके पीछे कोई न कोई नेता लगा हुआ है जो व्यक्ति उस संस्था के द्वारा और उस काम के द्वारा अपना भरण-पोषण करता है। यदि आपको इन हरिजन जातियों का विकास करना है तो एक बात दिमाग में रखिए। चाहे छात्रावास खोलें, चाहे बस्तियां खोलें इससे हरिजन जाति का विकास नहीं होने वाला है। यदि आपको दिल में मंत्रि-मंडल का लोभ नहीं है तो आपका कर्तव्य है कि आप राज्य सरकार के द्वारा इनकी आर्थिक स्थिति सुधारें, वह किस प्रकार से सुधरे? आप कहते हैं कुए पर पानी भरने नहीं दिया जाता, छात्रावास में रहने नहीं देते, नौकरियां मिलती नहीं, उसका मूल कारण हरिजनों की आर्थिक स्थिति है। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी गिरी हुई है कि उसके कारण सरकारी अधिकारी उनसे नफरत करते हैं, नेतागण नफरत करते हैं, समाज नफरत करता है और ऐसी परिस्थितियों में उन लोगों का विकास हो जाय, यह संभव नहीं है।

४ महीने पहले आपने एक सर्क्यूलर निकाला जिसमें हरिजनों को जमीन एलॉट करने का क्राइटेरिया फिक्स किया। १७ साल के बाद आपकी नींद क्यों खुली? आज तक कानों में तेल डाल कर बैठे रहे। मैंने बाड़मेर जिले के गांवों में जाकर देखा है कि उन लोगों को ऐसी जमीन दी है कि हरिजनों के बाप-दादे आ जायं तो भी अनाज की पैदावार नहीं होगी। जो रद्दी जमीन थी वह हरिजनों को दी, जो अच्छी जमीन थी वह नेताओं को दी। जो १९४७ में हरिजनों के कुटीर उद्योग चलते थे वह सारा काम काम आज ठप्प हो गया, उन उद्योगों पर इतना आघात हुआ कि वे इंडस्ट्रीज को खा गए। उसके परिणाम स्वरूप हरिजनों की हालत दिन पर दिन गिरती जा रही है आपने १८ वर्ष इनको गुमराह किया लेकिन आप एक बात मानकर चलिए कि राजस्थान में ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की अपने आप में हैसियत है, जनतंत्र में इनकी हैसियत है और जनतांत्रिक सरकार द्वारा इतनी बड़ी जनसंख्या को इस प्रकार गरीबी के वातावरण में रखना जनतंत्र के खिलाफ होगा, लोगों की आस्था लोकतंत्र से खतम हो जायगी। लोग समझेंगे कि हमारे विकास के केवल नारे लगाए जाते हैं, किसी प्रकार ठोस काम नहीं होता।

मैं जैसलमेर गया; पोकरन तक लगभग ११ ट्यूबवेल्स हैं, उनमें दो पानी के लिए, ९ खेती के लिए। उन ९ में से एक भी वर्क नहीं करता। हरिजनों को कोई भी कुआं नहीं मिला, कोई जमीन नहीं मिली और आप कहते हैं कि गांधीजी यह कहते थे और वह कहते थे। हमारा कर्तव्य था कि जन-जागृति के आधार पर इन लोगों का विकास करते। आप विदेशों में जाइये, १८ वर्षों में उन्होंने पूरे समाज की आर्थिक स्थिति को चेंज कर दिया। छोटे से छोटा मुल्क भी आप लीजिए, एन्फ्रो एशियन मुल्कों को लीजिए, आज जैसी हरिजनों की हालत हमारे यहां है वह कहीं नहीं है।

(श्री भैरोंसिंह)

फिर भी आंकडे मिलते ह कि इतने लोगों को छात्रवृत्ति दी, इतने लोगों को पढाया। आप रियायत नहीं देते तो भी इस युग के अन्दर उनके छात्र पढ जाते, मकान बन जाते, यदि सरकार उनको अपने ऊपर निर्भर करके नहीं चलती तो हरिजन अपने आप तरक्की कर जाते, आपने उनको सरकार पर निर्भर बना दिया, उनका काम कुछ नहीं किया; इसी कारण से पूरे राजस्थान में गरीबी है।

बाडमेर और जैसलमेर में, मैं श्री अमृत-लाल यादव से कहना चाहता हूं कि लोग अन्न नहीं खाते। सेर भर आटेको पूरा परिवार दो-तीन दिन तक गरम पानी में मिलाकर पी रहा है। आप मंत्री हैं, कभी इस बात की आपने व्यवस्था की है कि बोर्डर जिलों में मेघवालों की क्या हालत है? आपने कभी मेघवालों से जाकर पूछा है कि तेरा संकट क्या है, तुमको खेती से लाभ होता है या नहीं। आप सचिवालय जाते हैं, कागज देखते हैं,— आपके पास इस विभाग के सिवाय कोई काम नहीं है, लेकिन यह काम किसी हरिजन मंत्री से नहीं हो सकेगा, हरिजन मंत्री की चलती नहीं है, यह काम तो ऐसे मंत्री को दे जो मंत्री खुद निर्णय ले तो एग्जीक्यूट भी करा दे। यह मंत्री ऐसा नहीं कर सकता, यह उनकी कृपा पर जीवित है।

आज जैसलमेर और बाडमेर में मेघवालों की क्या हालत है? उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाडा में सागडी प्रथा भयंकर कही जाती है। मैं बाडमेर और जैसलमेर की बात करना चाहता हूं कि उनसे भी निर्दयी प्रथा है तो उन जिलों की है। आपने कभी कोशिश की है यह पता करने की कि उनको जो जमीन एलॉट हुई वह कोई छीन तो नहीं ले गया। आप कोशिश करते हैं कि संघ बन जाए, डांगीजी का संघ बनाया जाय। आज समाज कल्याण विभाग का केवल एक काम है कि संगठन बनाए, सरकार से धनराशि ले और अपनी मर्जी से खर्च करे, लोगों को खर्चे के द्वारा ओब्लाइज करे, राजनैतिक लाभ उठाए। आपकी जितनी सोसाइटीज बनी हुई हैं, कोई खडा होकर कहे कि उनके अकाउन्ट्स किसी व्यक्ति को भी वह बताने को तैयार हैं। मंत्रीजी जिस संस्था के सदस्य हैं उनको चुनौती देता हूं कि वे इस संस्था के बारे में खडे होकर इस सदन में कहें कि उसके अकाउन्ट्स किसी सदस्य को उनके काम करने की पद्धति और कार्यवाहियां वह किसी सदस्य को दिखाने को तैयार हैं? रसीद की किताबें छपवाना, बडे बडे फॉर्म्स छपवाना और टेलीफोन लगाने से विकास नहीं होगा। विकास दरअसल तभी हो सकेगा जब उनके पास रोटी जुटाने के साधन होंगे।

आज हालत यह है कि उनके पास वे साधन जुट नहीं पा रहे हैं। आप चाहे उनके सम्मेलन भरतपुर में करें, चाहे अलवर में करें इसमें मुझे आपत्ति नहीं है; लोगों को जानकारी दें, इसमें मुझे आपत्ति नहीं है। मनी लेन्डर्स एक्ट पास किया, सागडी प्रथा उन्मूलन का कानून पास किया, अस्पृश्यता निवारण का कानून पास किया लीगल एड मिलेगी इस प्रकार का कानून बनाया, सरविसेज में १२॥ परसेन्ट स्थान इन लोगों को मिलेगा इस प्रकार की व्यवस्था की, हाउसिंग कोलोनीज बनायी गईं, बीमारी में इनको मदद दी जायगी यह भी; व्यवस्था की है, लेकिन कभी आपने इस बात को जानने की कोशिश की है कि इतने सारे कानून, इतनी सारी सहूलियतों की घोषणा की है वह वास्तव में मिलती भी है या नहीं? आपने

(श्री भैरोंसिंह)

कभी इस बात का विचार किया है कि हमने जो कानून बनाये उससे कितने लोगों को मदद मिली है, सागडी प्रथा बन्द करने से कितने लोगों का चालान हुआ, मनी लेन्डर्स बिल पास करने से क्या सुविधा मिली, १२॥ परसेन्ट सर्विसेज में उनको कितना स्थान मिला, कितने लोगों ने जो रियायतें उनके लिये घोषित की गई उससे कितना फायदा हुआ इस पर आपने कभी भी विचार नहीं किया ।

सभापति महोदया, राजस्थान की विधान सभा में आज जिस प्रकार के उद्गार माननीय सदस्यों ने प्रगट किये हैं उससे यह साफ पता चलता है कि उनका जबर्दस्त सरकार के प्रति अविश्वास है, उस अविश्वास के साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जितनी भी कार्यवाही की है, सारे सदस्यों ने जो रोष प्रगट किया है उस रोष के लिये आप पश्चाताप करना चाहते हैं तो आपको जो यह समाज कल्याण की कार्यवाही चल रही है उसमें आमूल-चूल परिवर्तन करना चाहिये । आज तक जो व्यवस्थायें आपने की हैं उससे कितना फायदा हुआ है कानून जो बनाये उनका इफेक्ट कितना हुआ है इन सारी बातों के जांच के लिये जितना पैसा आपने खर्च किया इस विभाग पर उसका सदुपयोग हुआ या दुरुपयोग इस सब की जांच करवाने के लिये आप एक कमीशन अपोइन्ट कर दें, तो आपके सामने सारी चीजें आ जायगीं । यदि आप यह नहीं करना चाहते हैं तो मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं दो मंत्री और एक उपमंत्री ही देखकर आप खुश होते रहेंगे तो आपका उम्र भर विकास नहीं होगा आज आप लोगों में यह शक्ति है कि आप सत्ता अपने हाथ में रख सकते हैं लेकिन आज आप सुखाडियाजी की कृपा पर जीवत रह रहे हैं । आपको यह सोचना चाहिये कि अब हमारे ये प्रतिनिधि जो मंत्रिमंडल में हैं; अमृतलाल जी, भीखाभाई सुखाडिया जी की खुशामद नहीं करेंगे । आप यह मान लीजिये सुखाडियाजी आपके सामने नतमस्तक होंगे । लेकिन आज आपकी स्थिति यह है कि आप सुखाडिया जी को नतमस्तक करवाने के लिये तैयार नहीं, आज आप यह चाहते हैं कि हमारी कारें बरकरार रहें, हमारी मोटरें बरकरार रहें, हमारे बंगले बरकरार रहे; तो आप यह अच्छी तरह से मान कर चलिये कि इससे हरिजनों का विकास नहीं होगा और उनके विकास के नाम पर इसी प्रकार गुलछर्रे उडते रहेंगे ।

इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यादव साहब । आप बहुत दिनों के बाद में इस जगह पर आये हैं, आपने बाहर रह कर हरिजनों को क्या दिक्कतें हैं देखी नहीं, हरिजनों के मामलों में आपने दिलचस्पी ली नहीं और न उनका कुछ भला कर पाये और मैं तो यह भी मानता हूं आप इस जगह पर भी रहकर उनका विकास नहीं कर पायेंगे इसलिय ज्यादा अच्छा हो, यह काम किसी दूसरे मंत्री के हाथ में दे दें । आपकी अपेक्षा में समझता हूं दूसरा मंत्री जो आपकी जाति में से नहीं होगा वह ज्यादा काम कर सकेगा । आप इस विभाग के लिये न तो इफेक्टिव ही साबित हुए और न कारगुजार ही । आपको यह विभाग सौंप कर सरकार को यह बहाना मिल गया कि विकास हो या न हो हमने ऐसे मंत्री के हाथ में यह विभाग सौंप रखा है जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का

(श्री भैरोंसिंह)

प्रतिनिधित्व करता हूं। आपके ऊपर इनकी जिम्मेदारी थोप कर हुकूमत बचना चाहती है। इस तरह का मौका आप हुकूमत को न दें इससे लोगों का विकास नहीं होगा।

जितने भी सर्वे होते हैं इकोनोमिक्स सर्वे हो, इन्डस्ट्रियल सर्वे हो, सागडी प्रथा के बारे में सर्वे हो वह तो हो सकता है लेकिन इन जातियों की आर्थिक प्रगति कितनी हुई है इनको सर्विसेज में कितना स्थान मिला है, इनकी रिपोर्ट्स को आप देखें तो आपको पता चलेगा, सरकार को बुरी तरह कन्डेम किया गया है। इतने कन्डेमनेशन के बाद भी अगर सुधार नहीं होता है तो यह हमारा राइट है हम आपसे जानकारी लें। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि दो साल पहले जो हमने इसी प्रकार की रिपोर्ट पर चर्चा की थी उसमें जो रिकमन्डेशन की गई वह आज तक पूरी क्यों नहीं हो पाई। ६२-६३ में रिकमन्डेशन की है, ६१-६२ में की है आप उन रिकमन्डेशन को लेकर क्यों बैठे हैं उसमें जो खामियां बतायी गई हैं उनको कभी दूर करने के लिये चेष्टा की है, उन रिकमन्डेशन पर कभी अमल करने की आपने तकलीफ की है? नहीं की, तो इससे साफ यह नतीजा निकलता है कि जिस नफरत को आप दूर करना चाहते हैं जाति के आधार पर नहीं वर्ण के आधार पर नहीं, वह केवल नफरत हो रही है इकोनोमिकली बेकवर्ड होने के कारण। यह जो नफरत बढ रही है वह एक दिन खतरा लायगी। वह खतरा मेरे लिये न होगा, न आपके लिये बल्कि वह सारे समाज के लिये होगा और सारे मुल्क के लिये खतरनाक साबित होगा। आज सबको राजनैतिक अधिकार मिले हुए हैं ये भी अपने अधिकारों का पूरी तरह से प्रयोग करने में लगे हैं और लगें, इनमें जो विद्रोह पैदा होगा उससे लोकतन्त्र को खतरा पैदा हो सकता है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप बाकी के कामों को छोडकर इनको जमीन देकर कोटेज इन्डस्ट्रीज के नाम पर इनको सहूलियतें देकर इनके लिये आर्थिक साधन जुटाकर इनको आगे बढाने में आप पूरी ताकत लगा देगें।

आज भले ही इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर और कोटेज इन्डस्ट्रीज के मिनिस्टर सुनें या न सुनें लेकिन आपको यह करना चाहिये रूपारामजी, हरिरामजी एक एक मिनिस्टर से लडें, एक विभाग से लडेंगे आपको सब सुविधायें प्राप्त हो जायेंगी। आप अपना ध्येय यह बना लें पहले शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की उन्नति के लिये जो काम सौंपा गया है वह पहले होगा तो निश्चित् मान कर चलिये आप इनका कुछ भला कर सकेंगे। आज तक जो कानून-कायदे इनकी उन्नति के लिये बने हैं उनके बारे में सर्वे कराइये इसके लिये हाईपॉवर कमिशन बैठाकर जांच करवाइये उनकी रिपोर्ट आने के बाद उसके अनुसार आप मशीनरी का गठन करिये तभी जाकर आप इन जातियों के विकास के लिये कुछ न कुछ कर सकेंगे, नहीं तो इनका विकास होने वाला नहीं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा): माननीय सभापति महोदया, आज इस समय जो माननीय सदस्य इस सदन में बैठे हुए जिनकी संख्या अधिक है उनसे संबंधित रिपोर्ट पर दो साल से भी अधिक समय बीत जाने के बाद और बहुत कहने के बाद आज बहस करने का अवसर मिला है। इसके लिये मैं अध्यक्ष महोदय, और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के माननीय सदस्य हैं उनको

(श्री उदरावसिंह ढाबरिया)

धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे ४८ साथियों की बात को मानकर दो साल बाद इस सदन में इस रिपोर्ट पर बहस करने का मौका दिया है।

मैंने इस रिपोर्ट के आंकडे देखे हैं मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान के अन्दर सब से बडी समस्या खास तौर से इन लोगों के लिये जिनके बारे में यह रिपोर्ट है। कहा यह जाता है यहां तक कि इनके लिये पीने के पानी की बहुत बडी समस्या है। इसको हल करने के लिये इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे योजना मंत्री जी जो कई बार इस सदन में कहते हैं कि राजस्थान में कभी किसी आदमी को स्वच्छ पानी पीने के लिये मिलने से वंचित नहीं रखा जायगा, सबके लिये शुद्ध पानी पीने के लिये उपलब्ध किया जायगा। लेकिन जिन्होंने भी इस रिपोर्ट को पढा होगा उनको पता चलेगा कि यह जो पानी की उपलब्धि का सवाल है वह किस हद तक प्राप्त हो सका है। इस रिपोर्ट में पानी की व्यवस्था के बारे में हर प्रान्त के आंकडे दिये हैं। मैं राजस्थान के बारे में कहना चाहता हूं। इसमें अनुसूचित जन जातियों के लिये ६१-६२ और ६२-६३ में सिर्फ २५ कुएं निर्माण करने की बात कही है। आन्ध्र में ३०५, बिहार में २१० केरल में २७-३१ मध्यप्रदेश में ६५-८० वहां राजस्थान में २५ और ५० कुए बनाने की है।

दूसरे आंकडे सडकों के बारे में रखना चाहता हूं। हरिजनों की जहां बस्तियां है वहां सडकें और पुल के निर्माण के बारे में इस रिपोर्ट के अन्दर बताया गया है। इसमें लिखा है कि राजस्थान में संचार-सुविधा अखिल भारतीय औसत से काफी कम है अनुसूचित क्षेत्र में स्थिति अत्यधिक खराब है।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हम १९ साल के बाद इस विभाग पर हर साल करीब सत्तर अस्सी लाख रुपया खर्च करते हैं और यह ढिंढोरा भी पीटते हैं कि हम उनको ऊपर उठाना चाहते हैं, पर यह ढिंढोरा पीटने के बावजूद और इतने सालों के बाद और इतना खर्च करने के बावजूद भी रिजल्ट निल है।

डॉक्टर अम्बेडकर हरिजनों के सबसे बडे हिमायती थे। उन्होंने विधान में बहुत सी बातों का प्रोवीजन रखाया। पर वे इस बात के हामी नहीं थे कि जिस तरह से मनुजी ने चार वर्ग बना दिये, उस तरह आज यह कांग्रेस सरकार पांचवां वर्ग और कायम कर दे। आज पिछले १८ सालों में इस सरकार ने इस जाति को पांचवां वर्ग माना और उनको ऊपर नहीं उठने दिया।

आज हरिजन बस्तियों का निर्माण यह सरकार करती है। पर कहां करती है, शहर से दूर, गांव में करती है तो गांव के एकान्त में सौ फर्लांग की दूरी पर। वह कोई भी जमीन गांव वालों के बीच में या शहर के बीच में इनको नहीं देगी, ताकि ये लोग अन्य जातियों में मिक्स-अप हो सकें, उनसे कुछ सीख सकें, उनमें घुल मिल सकें। मैं इस जयपुर का ही हवाला देना चाहता हूं। जितनी नई बस्तियां सरकार ने यहां बनाई गांधीनगर, बापूनगर, अशोकनगर, ऑल इण्डिया रेडियो के पीछे गुलाब बाडी आदि उनमें सारे प्लाट बडे बडे अफसरों, व्यापारियों,

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

मिनिस्टरों आदि ने ले लिए। क्या उनमें से कुछ प्लॉट इन हरिजनों को नहीं दिये जा सकते थे ? पर आज यह कांग्रेस सरकार मन से नहीं चाहती कि यह जाति ऊपर उठे। सब के बीच में रह कर उनकी तरह से अच्छा रहन सहन सीख सके, अच्छा खाना खा सके और अच्छे विचार उनमें पैदा हो सकें। ऊपर से ढोंग करती है उनके उत्थान का। यह सब तभी हो सकता है जब वे लोग अन्य जातियों के बीच बीच में रहें उनमें घुलमिल जावें। उनकी बस्तियां शहर के बाहर दूर और गांवों में किनारे पर बनाने से इनकी हालत न आज सुधर सकती है, न भविष्य में सुधर सकेगी। पहले के युग में भी लोग इनको दूर ही रखते थे, आज भी ये लोग दूर रख रहे हैं, फिर अन्तर क्या आया ?

इसके अलावा बहुत से मामलों में कानून कायदे बनाये हैं। आपने कहा कि हम इनको नौकरियों में १२॥ परसेन्ट जगह देंगे। इसके बारे में बहुत से सदस्यों ने काफी प्रकाश डाला। मैं अधिक नहीं कहना चाहता मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जैसा इस रिपोर्ट में बताया गया है आपने सिर्फ गजटेड सर्विस क्लास में ३ परसेन्ट को स्थान दिया है। सबोर्डिनेट क्लास में ८.४ परसेन्ट को और चतुर्थ क्लास में ३०.३ परसेन्ट को स्थान दिया है। ये ६१ तक के आंकडे हैं अब गजटेड में ३ और चौथी श्रेणी में ३० इतना अन्तर क्यों ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, कारण इसका यह है कि बडी बडी पोस्टों में डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट होता है, उनमें हरिजनों को लेने का कोई परसेन्टेज नियत नहीं है। इसलिये इनमें वे नहीं आ सकते। चतुर्थ श्रेणी में भी यह हाल है कि आज ६२-६३ में ३०.३ का परसेन्टेज घट कर २४.२ रह गया है।

दोस्तो ! आप कांग्रेस का साथ दो, कांग्रेस के अन्दर रहो, इसकी मुझे कोई चिन्ता नहीं। पर चिन्ता इस बात की है कि आज के ये कांग्रेसी लोग आपको छाती से लगाकर रखने वालों में से नहीं रह गये हैं। महात्मा गांधी, ठक्कर बापा, नेहरूजी, दयानन्द जी आदि बड़े बड़े महा पुरुषों ने आपके लिये बहुत किया और आपको ऊपर उठाने की बात कही थी। पर आज सत्ता पर बैठ जाने के बाद ये गांधीजी के तथाकथित चेले आपको भूल गये हैं। आज इनमें से कितने सदस्य ऐसे हैं जो आपको छाती से लगाकर रखना चाहते हैं ? मैं यह पूछना चाहता हूं। आज आपके डिपार्टमेन्ट की बहस है। इसी से साफ झलकता है कि इनके दिलों में आपके लिये कितनी जगह है, एक भी मिनिस्टर सिवाय आप की जाति वाले मिनिस्टर के यहां उपस्थित नहीं है। अन्य सदस्य गण भी आपके सिवाय उधर नहीं हैं, सब गायब हैं। यह तो टलीफोन पर टेलीफोन किये गये तब आकर यहां बैठे हैं। आज आपकी बात सुनने के लिये चीफ मिनिस्टर यहां नहीं बैठ सकते। दूसरे मिनिस्टर नहीं बैठ सकते। नेता लोग नहीं बैठ सकते वे तो तब बैठ सकते हैं जब डी. सी. एम. के सेठों की बात हो, रामपुरिया सेठ की मिल की बात हो, इन्डस्ट्रियलिस्टों को पैसा देने की बात हो, बिड़लाजी के कारखानों की बात हो तो इन सेठों की खुशामद के लिये, इनके तलुए चाटने के लिये ये सब के सब मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर सहित यहां बैठे मिल जावेंगे और यहां बैठ कर उनकी बात को सुनेंगे और उनके इन्ट्रेस्ट

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
को सेफ गार्ड करेंगे, भले ही स्टेट का इन्ट्रेस्ट भाड़ में चला जाय, इनके इन्ट्रेस्ट को आंच नहीं आनी चाहिए, यह ये ध्यान रखेंगे। पर अगर हरिजनों की भलाई की यहां चर्चा हो तो ये क्यों सुनने लगे ? यहां तो निस्वार्थ दृष्टि से काम करना पड़ता है। इसमें उनके कोई स्वार्थ नहीं सधते। पैसा देना पड़ता है, कोरा यहां तो बिना किसी स्वार्थ के।

यही नहीं, मैंने यह भी अनुभव किया है कि पंचायत समितियों में बहुत सा पैसा इस काम के लिये देने की बात करते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मैंने यह अच्छी तरह अनुभव किया है कि मकान बनाने की सबसिडी या पैसा कोई भी साल के कौन से महीने में जाकर अलॉट होता है, जरा यह भी बता दें। फिर जो पैसा मकान बनाने के लिये सबसिडी के तौर पर दिया जाता है वह साढे सात सौ रुपया एक मकान बनाने के लिये दिया जाता है। राजस्थान के फाइनेन्स मिनिस्टर साहब की बीबी का मकान बने तो ३५ हजार का लोन दें यह सरकार और हमारे हरिजन भाई के लिये मकान बने तो ७५०) रुपया दे। क्यों साहब ? यही आपका समाजवाद है ? यह भेदभाव इतना क्यों ? हरिजनों को ऊपर उठाने की आप डींग हांकते हैं पर मकान बनाने के लिये आप उसको ७५०) रुपया ही देना वाजिब समझते हैं। इन्डस्ट्रियलिस्टों को पैसा देने की बात आवे तो उसमें तो आप यह कहते हैं कि हमें इन्डस्ट्री को पनपाना है। नुकसान भी हो जावे तो भी उनको देना चाहते हैं पर मैं कहूंगा कि क्यों नहीं मिनिस्टर साहब हिम्मत करते हैं कि अगर हमारी सरकार का कितना भी पैसा खर्च हो जावे पर हम झोंपड़ियों में अस्वास्थ्य कर स्थान में रहने वालों को ठीक मकान बनाने के लिये पैसा देंगे। हवादार मकान हम उनको भी बनाने में सहायता देंगे। पर उसे आप तो आज सात सौ पचास रुपया ही देना चाहते हैं। इस रकम में अगर दो ट्रक पट्टियों की भी कोई लाना चाहे तो नहीं ला सकता। १० × १४ फीट के एक कमरे में दो ट्रक पट्टियां चाहिए। इनको मकान के लिये भी आपके पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ मिनिस्टर साहब को मोटर के लिये बीस हजार का भी लोन देने में आपको संकोच नहीं; वहां पैसा बहुत है। तो मैं पूछना चाहता हूं क्या यही आपके समाजवाद का तरीका है ?

हमारे नये राजस्व मंत्रीजी आये। डिप्टी मिनिस्टर साहब भी अब पधारे हैं। तो पहले मैं उनको ही कुछ कह दूं। उन्होंने जितने तरीके काम में लिये, जितने कानून कायदे बनाये, वे ऐसे बनाये कि जिनसे गरीबों का शोषण होता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): आपको इनके बगैर प्रेरणा नहीं मिलती।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): लड्ढा साहब भी इनका ही भाषण सुनने को आये हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: उन्होंने एक कानून-कायदा बनाया कि हरिजनों को पहले जमीन मिलनी चाहिए। मैं अचम्भे में पड़ गया कि ये हरिजनों की भलाई की बात कब से मानने लग गये ? यह सद्बुद्धि इनको कब से आगई ? इसे जांचने के लिये मैंने पता लगाने की कोशिश की। कुछ आशा बंधी कि हरिजन भाइयों को चलो जमीन मिलेगी।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

पर इसमें भी मैं बताऊं जहां तक कानून कायदों का सवाल है, यह सब इनके हाथ में है। कानून कायदों में कुम्भारामजी ज्यादा जानते समझते नहीं। जानने समझने की कोशिश भी करते हैं तो नीचे वाले उनको समझने नहीं देते। उन्होंने कहा कि उनको १५ बीघा जमीन मिलेगी, पर मिलेगी कैसी? रोकड़ जमीन मिलेगी। इसके अलावा दूसरी जमीन, अच्छी जमीन, उनको नहीं मिलेगी मेरा समाधान हो गया। हरिजनों की भलाई की सद्बुद्धि उनमें कितनी और किस तरह से भाई इसका पता लग गया। उनको नहर के नीचे की जमीन नहीं मिलेगी। राजस्थान नहर के क्षेत्र में उनको जमीन नहीं दी जावेगी, चम्बल के नीचे नहीं दी जावेगी। अब अगर उनको पूछा जावे कि क्यों नहीं दी जावेगी तो यहां खड़े होकर कह देंगे कि सरकार को चाहिये, १६०) रु० प्रति बीघा चाहिये इसलिये नहीं दी जावेगी। उनको नीलाम कराना चाहिये।

जिन गरीब लोगों की हालत यह नहीं है कि वे मकान बना सके उसके लिये आप साढे सात सौ रुपये की सब्सिडी देते हैं। उनके लिये उम्मीद करते हैं कि वे लोग जाकर जमीन खरीद, वहां बोली लगायें – अंगूर की बेलें लगाने के लिये आप बड़े बड़े लोगों को जमीन देते हैं, बड़े बड़े लोगों को खेती करने के लिये जमीन देते हैं लेकिन इनको कोई काबिल काश्त जमीन नहीं देंगे। आज इन लोगों को जो दशा है वही दशा राजाओं के जमाने में भी इनकी थी। ये लोग आज भी यहां बैठ कर आपको गाली देते हैं। आज उनमें और आप में क्या फर्क है? इनको जमीन देते हैं तो बिना काबिल काश्त जमीन जिसके अन्दर मेहनत कर करके और हल लगा कर पच जायें लेकिन खेती नहीं कर सकते। आप इनको कुआं खोदने के लिये पांच सौ रुपये देकर अलग हो जाते हैं। क्या आज राजस्थान में कहीं भी पांच सौ रुपये में कुआं बन सकता है? मैं कहना चाहता हूं कि सब्सिडी हो या कुछ और हो, जिस तरह के भेदभाव की बात की जाती है, उससे राजस्थान में ये भाई, जो काफी बड़ी तादाद में राजस्थान में रहते हैं, ऊंचे नहीं उठ सकते हैं। आज मैं एक बात खास तौर से कहना चाहता हूं कि आपने जिला परिषदों, पंचायत समितियों और पंचायतों में इनको रिप्रेजेन्टेशन दिया है! आपने इस तरह की व्यवस्था की है कि इनका सहवरण किया जाय। मैं इस बात के खिलाफ हूं और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो इस वर्ग के हैं आप लोग इस तरह के सहवरण की हैसियत से आकर बैठेंगे तो आपका भला नहीं होने वाला है क्योंकि जो २३२ पंचायत समितियां हैं और जो २६ जिला परिषदें हैं उनमें से एक के अन्दर भी आपका कोई अध्यक्ष नहीं है। आप लोगों के लिये किसी पंचायत समिति में स्थान रिजर्व नहीं हैं।

श्री **अमृतलाल यादव**: सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य की सूचना के लिये निवेदन कर देना चाहता हूं कि अलवर की जिला परिषद् के प्रमुख जो हैं वे हरिजन हैं और सवाई माधोपुर के जिला परिषद् के जो प्रमुख हैं वे आदिवासी हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: खैर, इसके लिये आपको धन्यवाद कि दो तो बता दिये, लेकिन पंचायत समिति के कितने प्रधान हैं, यह तो बता दीजिये?

मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि किस तरह से ४८ भाई यहां बैठे हैं इस १७६ के हाउस

Page No 179

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
में उसी तरह से २३२ पंचायत समितियों में से कितने हैं, यह बता दीजिये। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि भले ही आपने ४८ लोगों को इस काबिल बना कर यहां बैठा दिया है, लेकिन जो दूसरे बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं, जो हरिजन भाई हैं तो उनके क्षेत्र में जितनी भी पंचायत समितियां हैं, जितनी भी पंचायतें हैं, जितनी भी जिला परिषदें हैं उनके अन्दर भी उनके लिये स्थान रिजर्व कर दीजिये कि वहां के प्रधान वही लोग होंगे जिस तरह कि ४८ लोग इस हाउस में रिप्रेजेंट करते हैं। वही लोग जिला परिषद के अध्यक्ष भी होंगे और वही लोग वहां के पंचायत समितियों के प्रधान और पंचायतों के सरपंच होंगे। इस तरह का रिजर्वेशन उनके लिये कर दीजिये। इस तरह से सहवरण से लाकर उनको थोड़ा बहुत राजी करने की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल गलत है। इसी तरह से उन लोगों के म्यूनिसिपैलिटीज के अन्दर वार्ड फिक्स करिये कि उस वार्ड के अन्दर से यही लोग चुनकर आएंगे।

एक माननीय सदस्य: म्यूनिसिपैलिटीज में तो वार्ड फिक्सड हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: मैं कहना चाहता हूं कि अगर रिजर्वेशन है भी तो वह बहुत कम है। आप जयपुर में करीब ४२ सीटों में से पांच सीटों को हरिजनों को दे दें तो उससे काम नहीं चलेगा। आप जिस परसेन्टेज के हिसाब से यहां लाते हैं उसी तरह से वहां पर भी ले जाकर बैठाइए। उनको भी पूरा हक दीजिये तभी ये सारे काम होने वाले हैं। यही इस रिपोर्ट में भी बताया गया है। आपने देखा कि पीने के पानी के कुओं की क्या स्थिति है? २५ और २० कुए बनाने से क्या होगा इससे क्या इनकी हालत सुधर जाएंगी या एक माइल की सडक बना देने से इनकी हालत सुधर जाएगी? मैं जानना चाहता हूं कि इनके मकान बनाने के बारे में कभी आपने सोचा है?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज जो इस रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं इसीलिए ये सारी बातें हमने कही हैं कि हमारे दोस्त हैं, चाहे वे इस तरफ के बैठने वाले हों चाहे उस तरफ के बैठने वाले हों, इन सब ने इस रिपोट के बारे में सरकार को जी भर कर कोसा है और उन्होंने कहा है कि हमारी तरक्की उसी तरह से नहीं हुई जितनी की १८ साल में होनी चाहिए थी और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आज न तो देश में महात्मा गांधी हैं, न देश में जवाहरलाल नेहरू हैं और न ही ठक्कर बापा हैं और न उस तरह के सोचने वाले लोग हैं, बल्कि आज कांग्रेस के अन्दर भी लोग हैं वे या तो ६२के आए हुए लोग हैं, या ५६ में आए हुए हैं या ५२ में आए हुए लोग हैं। ये लोग आपकी पुरानी हालत को नहीं जानते, उनको आगे बढाने की बात को नहीं जानते और यही कारण है कि जब आज यहां पर आपकी बात हो रही है तो ये ५६ और ५२ के मोडल, ये कांग्रेसी सदस्य और मिनिस्टर यहां सदन में उपस्थित नहीं हैं। आपके विषय की रिपोर्ट पर जब बहस हो रही है तो ये लोग यहां से गायब हो गए और जब टेलीफोन करके बुलाया गया तो दो चार आकर बैठ गए हैं। जब यहां पर आलोजना होने लगी तो इनको टेलीफोन करके बुलाया गया है। लेकिन जब पैसे वालों को, जागीरदारों को मुआवजा देने

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

की बात होती है तब ये लोग सदन में हाजिर रहते हैं पर हरिजन भाई लोगों की बात होती है तो ये अपने बंगलों में जाकर ऐशो-आराम करते हैं। अमृतलाल जी ने पानरवा भवन बनाया है 'सी' स्कीम के अन्दर। मैं अमृत लाल जी से पूछना चाहता हूं कि उनकी और मेरी जान पहिचान सन् ३८, ४० से है और मैं कहना चाहूंगा कि दोस्त उस वक्त तुम एक मास्टर की हैसियत से, खादी बोर्ड के कार्यकर्ता की हैसियत पर थे, उसमें आज तुम्हारी एक लाख का मकान बनाने की हिम्मत हो गई तो इतने सालों में, यह जो २७ सालों में, आपने तरक्की की है तो इसी तरह से आपने कितने अपने दूसरे भाइयों में इतनी क्षमता पैदा की है कि वह भी एक लाख का मकान बना कर उसमें रह सकें, यह तो आप जरा सदन में बताइए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आपका पानरवा भवन एक लाख रुपये में बनता है तो मैं कहना चाहता हूं कि जो हरिजन भाई हैं जिनको आप साढ़े सात सौ रुपये देते हैं मकान बनाने के लिए, तो इस नीति को छोड़ दीजिए और इनको भी उतना ही रुपया दीजिए जितना कि अन्य सरकारी अधिकारियों को मिलता है या जितना लोन दूसरे आदमियों को मिलता है; दस हजार रुपया, आठ हजार रुपया, बारह हजार या बीस हजार रुपया, उतना ही पैसा इन लोगों को भी मिलना चाहिए। अगर यह सारी व्यवस्था होती है तो ही आपका मिनिस्टर बनाना ठीक हो सकता है, वर्ना क्या होगा? चाहे भीखाभाईजी मिनिस्टर रहें, चाहे आप रहें अगर यही हालत रही तो दो साल बाद जब फिर इस तरह की रिपोर्ट पर विचार होगा तो ये फिर वही बात कहेंगे जो आज कह रहे हैं। अगर आगे भी यही बातें दो साल बाद होती हैं तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को यह पानरवा भवन में रहना और ये लम्बी लम्बी शेरवानी पहिन कर सिर हिलाना शोभा नहीं देता, इन पर आप गौर कीजिए।

श्री अमृतलाल यादव (समाज कल्याण मंत्री): ये लम्बी शेरवानी की शिकायत करने वाले और एक लाख रुपये के मकान के अन्दर एक हरिजन रहे तो उसकी शिकायत करने वाले आप कितने हरिजन प्रेमी हैं, इसको भी तो आप सोचिए।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): मैं हरिजन प्रेमी हूं तभी तो कहा है।

श्री अमृतलाल यादव: मैं लम्बी शेरवानी पहिनता हूं तो आपको क्या शिकयत है?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: किसको शिकायत है।

श्री अमृतलाल यादव: मैं लम्बी शेरवानी पहिनता हूं तो इससे आपको क्या एतराज हो सकता है?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: मुझे तो शिकायत नहीं है। मैं तो यह कह रहा हूं कि आप पहिनते हैं तो आप दूसरे भाइयों को भी पहिनाओ। जिस तरह के मकान में आप रहते हैं उसी तरह के मकन में उनको भी रखिए। और कोई शिकायत नहीं है।

श्री अमृतलाल यादव : आपको क्या मालूम है कि मैंने अपने कितने भाइयों के लिए क्या किया है। आप तो यह लम्बी शेरवानी पहिनने की शिकायत कर रहे हैं तो इसका आपको क्या हक है? मैंने कितनों को शेरवानी पहनाई है, यह आपको क्या मालूम है कितनों के मकान बनाए हैं यह आपको क्या मालूम।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मकान बनाए हैं तो बहुत धन्यवाद।

श्री अमृतलाल यादव : यह तो राजस्थान की जनता जानती है और आप भी जानते हैं, आपकी आत्मा जानती है। आप खुद हरिजनों के साथ कितना जुल्म करते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैंने ३८ से लेकर ६५ तक कभी भी आपके साथ जुल्म नहीं किया है।

श्री अमृतलाल यादव : सभापति महोदया, माननीय सदस्य मेरे शेरवानी पहिनने पर एतराज करें मैं इसको बरदाश्त नहीं कर सकता।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप पहिनते हो तो उनको भी पहिनाओ।

श्री अमृतलाल यादव : किनको पहिनाओ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ये हमारे दूसरे हरिजन भाई हैं, इनको।

श्री अमृतलाल यादव : वे पहिनें तो कौन मना करता है। वे पहिन सकते हैं और पहिनेंगे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप 'हां' तो करिए यही तो हम चाहते हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : सभानेत्रीजी ......

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय मंत्रीजी की समझ का फेर है कि उनको यह बात बुरी लगी है जो कि मैंने शेरवानी की बात कही।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, मोतीलालजी बोल रहे हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं इन्टरप्शन नहीं कर रहा हूं।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय सभानेत्रीजी, यह किस तरह से एक मिनिस्टर के लिये कह सकते हैं? मैं समझता हूं कि इनके जैसे दिमाग के लोग यह चाहते हैं कि शेरवानी न पहिनें। शेरवानी पहिनने से आपका मतलब यह है कि उनकी आर्थिक उन्नति न हो। यह तो जो आपके अन्दर बैठा हुआ है वह बोल रहा है। पहले से कोई प्रगति करता है तो इनको बुरा लगता है। लाख का मकान है और शेरवानी पहिनते हैं, यह सब क्या है?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : हम तो हमेशा प्रगतिशील रहे हैं, इसलिये कहते हैं कि आप जो ३६ में थे वह ६५ में नहीं रहे हैं आप बहुत बदल गये हैं, क्योंकि आप रिएक्शनरी हैं।

श्री अमृतलाल यादव : मैं तो बदल गया हूं और बदलता रहूंगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह तो घाटे की बात है।

श्री अमृतलाल यादव : घाटा हो या फायदा, आपसे पूछने नहीं आऊंगा।

श्रीमती सभानेत्री : मोतीलालजी, आप बोलें।

श्री अमृतलाल यादव : आप शेरवानी की बात कैसे करते हैं ? माननीय सभानेत्रीजी, आप सदस्य से पूछलें कि आप शेरवानी कैसे पहिनते हैं, यह कैसे कह सकते हैं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : बिल्कुल कह सकता हूं और कहूंगा।

श्री अमृतलाल यादव : यह ओछेपन की और नीचता की बात है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैंने कहा है कि जैसा आप पहनते हैं वैसा दूसरे को पहिनायें आप जैसे मकान में रहते ह दूसरों को भी वैसे मकान में रखें।

श्री अमृतलाल यादव : यह तुमको कहने का कोई हक नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप राजाओं की तरह बात नहीं कर सकते हैं। जैसे पहले राजा कहते थे कि तुमको कोई हक नहीं है। आप राजा नहीं हैं। आप प्रजातन्त्र में रहने वाले एक मंत्री हैं।

श्री अमृतलाल यादव : आप प्रजातन्त्र को क्या जानते हैं, क्या समझते हैं ?

श्रीमती सभानेत्री : माननीय मंत्री जी ! श्री मोतीलालजी अपना भाषण देंगे।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : मुझे बहुत ही खुशी है कि एक हरिजन मंत्री . . . .

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मंत्री जी आप गलत समझ गये हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उतना ही समझेंगे जितनी उनकी समझ है।

श्री अमृतलाल यादव : मैं नहीं समझता कि आप इतने ओछे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह जो गलतफहमी माननीय मंत्रीजी को हो रही है कि कोई आक्षेप उन पर किया गया है . . . .

श्री मोतीलाल चौधरी : मैं जवाब दे रहा हूं।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, यह वार्ता समाप्त हो गई है। आप इनको बोलने दें।

श्री मोतीलाल चौधरी : यह खुशी की बात है कि १८ साल देश की आजादी के बाद हरिजन पोशाक पहनते हैं उसकी चर्चा हुई है और विरोधी पार्टी के सदस्य करते हैं। ठीक है, करना चाहिए उन्हें। लेकिन जो भावना है, मेरे ख्याल से, मंत्री महोदय के दिमाग में कि एक सवर्ण उसकी चर्चा उस रूप से करें जैसे कि पहले जागीरदार कहा करते थे कि हरिजनों को अधिकार नहीं है कपडा पहिनने का, गहने पहिनने का। अगर इस भावना से उन्होंने कहा तो अफसोस की बात है। अगर इस भावना से कहा हो कि जिस तरह आप स्वयं पोशाक पहिनते हैं उसी तरह से दूसरे हरिजनों को पहिनाने की कोशिश करें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैंने यही कहा है। उनकी समझ का फेर है।

श्री मोतीलाल चौधरी : मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता कि किस तरह की भावना उस समय हिन्दुस्तान में चल रही थी। मैंने जनसंघ के नेता महोदय का भाषण सुना और रतनगढ से आने वाले भाई मोहनलालजी को

(श्री मोतीलाल चौधरी)

सुना और साथ ही साथ आपको भी सुना। कांग्रेस पार्टी के बारे में चर्चा की गई उसके लिये कांग्रेस की पालिसी के बारे में चर्चा की गई उसकी लम्बी चौडी चर्चा में मैं जाना नहीं चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी एक समाज की उन्नति करने के लिये हमको उसके राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है – कांग्रेस ने राजनैतिक दृष्टिकोण से उन गरीब लोगों के साथ जो कि दलित और पिछडे हुए समझे जाते हैं कई हजार वर्षों से, उनको बराबर का दर्जा दिया। राजस्थान के अन्दर, माननीय सभानेत्रीजी, रजवाडे थे जिनका सम्बन्ध सवर्णों से था। हो सकता है कि मैं भी सवर्ण था तो मेरा भी हो, लेकिन जिस तरह से गांधीजी ने आन्दोलन किया उसका नतीजा यह हुआ कि दुनिया के अन्दर कितना परिवर्तन किया है। जनसंघ के माननीय नेता महोदय कह रहे थे कि दुनिया के लोगों ने ऐसी उन्नति की है तो दावे के साथ कांग्रेस कह सकती है कि हिन्दुस्तान में जिन जातियों को दलित जातियां मान रखा था उनकी जिस तीव्र गति के साथ में उन्नति हुई है वैसी किसी भी सभ्य देश जो कहलाते हैं उन्होंने नहीं की है।

सभ्य देशों में नाम यू० एस० ए० का ले सकते हैं, लेकिन वहां भी वर्ष पहले कैनेडी को नीग्रोज के बारे में गोली खानी पडी, अब्राहिम लिंकन को गोली खानी पडी थी। किस हालत में गोली खाई गई थी लेकिन आज भी वहां नीग्रो की हालत वैसी ही है। आज भी उनकी पोलिटिकल लाइफ नहीं है। जिस समय देश की वे बात करते हैं लेकिन आज भी नीग्रोके साथ व्यवहार क्या करता है वह सभ्यदेश जनसंघ के लोग वहां की बात करते हैं। हिन्दुस्तान के अन्दर मैं उस दिन की याद करना चाहता हूं कि जिस दिन देश आजाद हुआ। ५१ में तो राजस्थान में ऐसी भी कौम थी कि जिस कौम को कौम कहने का हक नहीं था। जैसे पशु बिकते थे, बकरियां बिकती हैं उस तरह से वे बिकते थे। वह दरोगा कौम थी। यहां के राज्य में इस तरह की व्यवस्था थी। कांग्रेस की हुकुमत के बाद में आज यहां परिवर्तन आया है और कितना दूर तक का परिवर्तन आया है। मैं, सभापति महोदय, पहले चुनाव के अन्दर, मेरे भाई जेठमलजी रहते हैं उस इलाके में गया हूं कि वहां पर हरिजनों की हिम्मत नहीं होती थी कि जागीरदारों, राजाओं और बडे बडे काश्तकारों के सामने वे कांग्रेस की स्लिप ले लें। वे डरते थे, घबराते थे। उनमें इन्सानियत बिल्कुल नहीं थी, इन्सानियत खत्म हो चुकी थी, उनको इन्सान बनाया है। कांग्रेस ने यह किया है कि डूंगरपुर महारावल जिस पार्टी के नता हैं उसका उप-नेता एक हरिजन है जो कि कल कांग्रेस में थे और आज स्वतन्त्र पार्टी में बैठे हुए हैं। यह राजनैतिक दृष्टिकोण कांग्रेस ने बदला है। जो बात सत्य है उसको छिपाने की बात नहीं करनी चाहिए।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : भीखाभाई बैठे हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी : जितनी प्रगति हुई है उसको मानना चाहिए। उसमें अगर कमियां हैं तो किस कारण से हैं ? किस दृष्टिकोण से उनको साफ करना चाहिए। एक व्यक्ति की चर्चा करने से, एक एम. एल. ए. की चर्चा करने से समाज की उन्नति नहीं हो सकती है। कभी भी उन्नति करना होगा तो एक ब्रोड बेस्ड प्लान उसका करना होगा।

(श्री मोतीलाल चौधरी)

हमारे यहां जागीरदारी थी उसको समाप्त किया । जागीरदारों के समय में जागीरदारों ने हरिजन नहीं बनाया था । उन्होंने सवर्णों ने बना रखा था। भाई मोहन लालजो ब्राह्मण वर्ग के हैं तो हरिजन किन्होंने बनाया था तो किसी राजपूत ने नहीं बनाया, ब्राह्मणों ने बनाया है हरिजन । मैं उस दृष्टिकोण में जाता हूं नहीं और आज उसमें पडना भी नहीं चाहता। राजनैतिक दृष्टिकोण से राजस्थान में हरिजनों को कितना ऊंचा लाये हैं यह गांधीजी की देन है। राजस्थान में और हिन्दुस्तान में जब लोकतन्त्र आया, जनतन्त्र आया तो उसमें कांग्रेस को कदम उठाना था वह उठाया है उसमें रुकावटें आई हैं ।

साथ ही साथ सामाजिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से कितनी प्रगति करना चाहिए थी और कितनी की ? उसमें रुकावटें आई हैं। एक उदाहरण बताता हूं। कुम्भारामजी और सुखाडियाजी हैं वे कांग्रेस पार्टी के हैं तो चीफ मिनिस्टर अपने आप काम नहीं करता है वह कांग्रेस पार्टी की इजाजत से करता है । जहां तक प्रिन्सीपल की बात है, नीति की बात है कांग्रेस पार्टी की यह नीति रही है और बराबर रहेगी। किसी भी कौम के आदमी को चाहे वे सवर्ण हों या हरिजन हों उनको वह नीचे नहीं रखना चाहती है। जो कौमें कम से कम सामाजिक नहीं थी, जिनको सामाजिक मानने नहीं थे वे क्या बात करते हैं। जनसंघ के नेता और स्वतन्त्र पार्टी के नेता यहां नहीं हैं, वे जानते हैं कि १९५२ से बराबर वक्त आया कि उनको माना गया है। स्वतन्त्र पार्टी के नेता जिस पार्टी की बात करते हैं तो आज भी दरोगा उनके यहां हैं । हमने स्वतन्त्र पार्टी के उप-नेता ने जो बहुत चर्चा की हैं, उसको सुना है लेकिन आपकी पार्टी की स्थिति क्या है, आपकी पार्टी के नेता की क्या स्थिति है ?

कांग्रेस पार्टी में हरिरामजी धारू भी ह उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव होता है जैसा दूसरों के साथ। इसी दृष्टिकोण से दूसरी पार्टीज में भी होना चाहिये मैं इतना ही कहूंगा कि राजनैतिक दृष्टिकोण से कांग्रेस पार्टी अपनी नीति के अनुसार नहीं चलती तो हरिजनों जैसी छोटी से छोटी कौम हर्गिज नहीं उठती। जब से यह एसेम्बली चली है तब से बराबर उन लोगों को यहां पर लाये हैं।

माननीय सभानेत्री महोदया, एक बात से मुझे बड़ा दुःख हुआ, यहां रिपोर्ट पर बहस चल रही है और रिपोर्ट में सामाजिक और आर्थिक बातें भी दर्ज हैं लेकिन मैं सुन रहा था जब माननीय सदस्य कह रहे थे एक मिनिस्टर या डेढ मिनिस्टर हरिजनों के हैं; इस तरह की बातें मैं सुन रहा था लेकिन हरिजनों का उत्थान किस तरह से किया जावे इस दृष्टि-कोण से खास सुझाव आये नहीं। इस बारे में मन्त्रीजी को तो सोचना पड़ेगा लेकिन हमने एक भी सुझाव नहीं दिया बल्कि कोशिश यह की बताने की कि गवर्नमेन्ट और कांग्रेस पार्टी इस मामले में फैल हो रही है, राजस्थान में कोई हुकूमत इनके बारे में सोच नहीं रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले ५ हजार सालों से यहां पर राजा महाराजा दूसरे लोगों की हुकूमतें रही हैं लेकिन किसी ने इन ग़रीब हरिजनों के उत्थान के बारे में नहीं सोचा लेकिन जब से गांधीजी ने हरिजनों के उत्थान के लिये सोचा और कांग्रेस पार्टी आई तब से इनके उत्थान की निरंतर कोशिश चल रही है और बहुत

(श्री मोतीलाल चौधरी)

कुछ इस दिशा में हुआ है। लेकिन कितना दुख होता है जब एक पार्टी जो अपने उसूल पर चलती है उसके बारे में आप इस तरह की बात कहते हैं।

मन्दिरों में हरिजन प्रवेश की बात को ही लीजिये। क्या किसी भी समाज की यह हिम्मत हुई है। कि किसी मन्दिर का पुजारी किसी हरिजन को बना दिया जाय? आप कांग्रेस की बात करते हैं। मैं मद्रास की ओर एस्टीमेट्स कमेटी के साथ दौरे पर घूमने गया था। कांग्रेस सरकार की नीति है कि हरिजनों को मन्दिर प्रवेश कराया जाय। हमने उधर कई मन्दिर देखे, भाई ढाबरियाजी भी मेरे साथ थे उनको भी दिखाया। हमने वहां पर साहूकारों, करोड़पतियों को देखा जो हरिजनों को मन्दिर प्रवेश का अधिकार दिया है उससे वे घृणा करते हैं। जो लोग इन्कम टैक्स की चोरी करते हैं, अधर्म से पैसा कमाते हैं वे धर्म की भी चोरी करते हैं, वे कहते हैं कि हरिजनों के मन्दिर प्रवेश से मन्दिर भ्रष्ट हो जायेंगे। उनकी शिक्षा दीक्षा इसी घृणा के दृष्टिकोण को लेकर हुई है। इस दृष्टिकोश क लोग बहुत हैं। हरिजन उद्धार का काम करने वाले लोग खाली कॉंग्रेस में ही हैं ऐसी बात भी नहीं रहे। स्वतन्त्र पार्टी के भाई जयनारायणजी हरिजन उद्धार का काम करते हैं, मानिकचन्दजी भी करते हैं, और भी लोग करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप सेवा नहीं करते हैं। लेकिन जहां पार्टी का दृष्टिकोण है वहां फर्क जरूर है लेकिन काम करने से जो कमियां नजर आती हैं वे सरकार के सामने कहनी भी चाहिये। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि और खास तौर से भाई अमृतलालजी से, बारह साल की लड़ाई के बाद सरकार ने बात मानी और शिड्यूल कास्ट के आदमी को मंत्री बनाकर यह महकमा भी उनको दिया है। अमृतलालजी पर जो बोझ आया है वे इसको निभायेंगे। जन संघ के नेता ने कहा कि उनकी हिम्मत नहीं है लेकिन मैं कहूंगा कि उनकी बहुत बड़ी हिम्मत है और हिम्मत के साथ यहां आये हैं, वे काम करेंगे और अपनी ज़िम्मेदारी निभायेंगे। जो भी कमियां हैं और जो चार्जेज़ राजनैतिक दृष्टिकोण से लगाये हैं उनको स्वीकार करना चाहिये और कमियां हैं उनको दूर करना चाहिये। कांग्रेस पार्टी का जो उसूल है वह टिका रहेगा, कमजोर नहीं होने वाला है। हरिजन भाइयों को जो भी देना है उसमें कंजूसी मत करिये, कमी मत करिये उनको अपने से ज्यादा अधिकार हैं, कितना है कितना नहीं है, मालूम पड़ जायगा। लेकिन हम उनको सहयोग देने आये हैं।

मैं एक बात आपसे कहूंगा, कि जो रिपोर्ट उसके बारे में एक बात कहूंगा। यह ६२-६३ की रिपोर्ट है। उस समय क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, यह इसमें बताया है। लेकिन आज सन् ६५ का साल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हम सेबरजट और पैटन टैंकों को तोड़ते हैं तो सन् ६२ की रिपोर्ट की बात कहने से कोई विशेष फ़ायदा नहीं होगा लेकिन उनको भी दूसरी जातियों और धर्म के बराबर लाने के लिये सन् ६२ की रिपोर्ट · ·

श्री **मानिकचन्द सुराणा** आपकी सरकार इसे पहले क्यों नहीं लाई विचार करने के लिये?

श्री **मोतीलाल चौधरी** : मैं भी यही कह रहा हू, सरकार से निवेदन करूंगा कि कोई

(श्री मोतीलाल चौधरी)
भी कानून हम बनावें, कोई भी नीति है उसका क्या इफ़ेक्ट होगा इसको देखना चाहिये। आपने लैण्ड कमीशन बठाया उसी तरह से इनकी आर्थिक गति कितनी बढ़ी है इसका देखने के लिये आप इमीजियेटली एक कमीशन बैठावें। बहुत सी बातें उन लोगों तक नहीं पहुंचती हैं। इसलिये एक ब्रोडबेस्ड कमीशन इन्हीं के नाम से बनावें और वह बहुत जल्द एसेम्बली का नैक्स्ट सेशन आवे तब तक अपनी रिपोर्ट दे और आप उस पर यह निर्णय कर लें कि आपको कितना आगे चलना चाहिये। साथ ही साथ में ऑपोज़ीशन के साथियों से निवेदन करूंगा कि आप हमारी भावनाओं को गलत नहीं समझें। हमारी भावना इनकी उन्नति करने की है और इसमें हर दृष्टि से आगे बढ़े हैं, बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। आप के सहयोग की जरूरत है जो आप देते रहें।

श्री **अमृतलाल यादव** (समाज कल्याण मंत्री) : सभानेत्रीजी, शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स कमिश्नर की १९६१-६२ और १९६२-६३ की रिपोर्ट पर आज हाउस के अन्दर जो कुछ बहस हुई और उसमें जितने माननीय सदस्यों ने भाग लिया, यह देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। लेकिन उन सबका विगतवार जवाब देने के लिये कितना समय चाहिये यह अंदाज किया जा सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि जो माननीय सदस्यों ने कहा है उनमें जो खास खास मुद्दे हैं उनके ऊपर मैं जहां तक जा सकता हूं, प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। शायद राजस्थान की इस विधान सभा के इतिहास में यह पहला अवसर है कि शिड्यूल कास्ट और ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट पर इतने लम्बे अर्से तक और इतनी विगतवार बहस हुई। अभी ९।। का टाइम हुआ है और करीब करीब सभी पार्टियों के सदस्यों ने इसमें भाग लिया है।

जब माननीय सदस्यगण बोल रहे थे, मैं यह देख रहा था कि वे जो विचार शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर व्यक्त कर रहे थे उसके साथ साथ राजस्थान में हरिजन उत्थान के बारे में भी वे जो कुछ बातें कह रहे थे और सुझाव दे रहे थे उसमें कितना वजन है और किस इरादे से वे कह रहे हैं।

यह कहा गया कि जहां तक सारे हाउस का सवाल है, इस रिपोर्ट पर बहस में इस समस्या पर वे सब एक हैं और सब तरह के लोगों की सभी विचार धाराओं से इस बात पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। आज यहां पर जैसा सुन्दर वातावरण है और जिस भावना से ये विचार व्यक्त किये हैं, यदि यही भावना कायम रही और इस भावना को क्रियात्मक रूप मिला तो निश्चित तौर पर राजस्थान में इस आस्पेक्ट को या अधिकांश हरिजन समस्याओं को हम कितने कम समय में खत्म कर सकते हैं उतने कम समय में खत्म करेंगे।

मैं इस बात को नहीं भूलता हूं कि इस जगह आने के पहले जब मैं एम. एल. ए. था, मैं स्वयं भी इस रिपोर्ट की बहस में प्रमुख तौर से भाग लेता था और अपने विचार भी उसमें व्यक्त करता था। उन भावनाओं, उन बातों और उन इच्छाओं को मैं यहां आकर भूल जाऊं, तो मैं समझता हूं, मैं अपने कर्त्तव्य से गिर जाऊंगा। मैं उनको नहीं भूल सकता हूं, वह मुझे याद है। लेकिन इतना आपसे निवेदन करता हूं, सदन के एक

(श्री अमृतलाल यादव)

कुछ सदस्य से निवेदन करता हूं, कि मेरे साथ इन्साफ करने की कोशिश करें इस समस्या के ऊपर ।

जब से राजस्थान में प्रजातन्त्र कायम हुआ, यह विधान सभा बनी तब से लेकर अब तक जितने मंत्रीगण इस विभाग के रहे और जिन लोगों ने इस समस्या को सुलझाने के लिए काम किया, उन लोगों ने किस हद तक काम किया है, यहां रह कर किस हद तक कामयाबी हासिल की है । और यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, उनकी आलोचनायें किस हद तक हुई हैं, किस नुक्ते नजर से हुई हैं, किस दष्टिकोण से हुई है और जो माननीय सदस्य आज बोले हैं, उसमें क्या कोई फर्क है या नहीं ? इस बात को देखना होगा । जो कुछ सुझाव दिये गये, जो कुछ बातें कही गई हैं-उनमें कुछ सलाह हैं, कुछ व्यक्तिगत सलाह हैं, कुछ मंत्री की हैसियत के सुझाव दिये गये हैं, मंत्री की हैसियत से ऐसा करना चाहिये, व्यक्तिगत ऐसा करना चाहिये, समाजगत ऐसा करना चाहिये-मैं उन सब सुझावों का स्वागत करता हूं और इतना निवेदन कर सकता हूं कि जो कुछ सुझाव दिये गये या जो कुछ बातें कही गई हैं-उन सब में अगर उन सब माननीय सदस्यों का यह उत्साहपूर्ण सहयोग रहा तो निश्चित तौर पर मैं आशा करता हूं, जो काम मेरे हाथ में आया है, इसमें मेरी हार्दिक इच्छा है, इसमें मैं आमूल-चूल परिवर्तन करके एक निश्चित कदम उठा कर निश्चित नतीजा लाकर रहूं ।

अब जो माननीय सदस्यों ने कहा है, उनके ऊपर मैं कुछ जो खास उनकी बातें हैं, यानि कुछ ऐसी बातें हैं जो माननीय सदस्यों ने रिपीट की हैं, लेकिन जो बातें माननीय सदस्यों ने कहीं उनमें से जो उनके नये सुझाव आये, उनको कम से कम मैं कवर करने की कोशिश करूंगा ।

यह कहा गया, जो सबसे पहले माननीय सदस्य, जो निवाई से आते हैं, ने कहा कि बजट की जो रकम है इस विभाग की उसमें से ज्यादातर टी. ए. और डी. ए. में खर्च हो जाती है और मूल काम में कम खर्च होती है । इसके बारे में मैंने आंकडे मंगवाये और मैंने इस बात की जानकारी की, वैसे मुझे पहले जानकारी थी भी, लेकिन फिर भी मैं आंकडे मंगवा कर और उनको कन्फर्म करना चाहता था । मैं उनके सामने १९६३-६४ के वित्तीय वर्ष की बात कहना चाहता हूं । विभाग का खर्च ५८,६९,२४९ रुपये था उसमें से ७,१०,८२५ रुपया व्यय हुआ । इसका पर्सेन्टेज कुल व्यय का निकालने पर साढे सात पर्सेन्ट के लगभग आता है । तो जहां तक मोटे तौर पर कुल बजट का दस पर्सेन्ट व्यवस्था खर्च पर आये वहां तक तो कोई ज्यादा उसमें नहीं माना जा सकता है । लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कम से कम हो इस बात की कोशिश की । अब भी मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं । आज इस एमर्जेन्सी के वक्त जरूर देखने की जरूरत है कि अगर कहीं और किफायत हो सकती है तो उसको करने की कोशिश की जाय ।

इसके बाद विभाग की प्रणाली और परिपाटी के बारे में उन्होंने कुछ जिक्र किया लेकिन वह खाली आलोचना करके रह गये और कोई उन्होंने इसके बारे में ठोस सुझाव नहीं दिया । मैं यह कहना चाहता हूं कि विभाग

Page No 188

(श्री अमृतलाल यादव)

की परिपाटी, विभाग के सेट अप के बारे में मैं भी निश्चित् तौर से कुछ सोच रहा हूं और उसके अन्दर यथाशक्ति, यथासम्भव, जितना आज की परिस्थिति में ठीक हो सकती है उतनी निश्चित् तौर से ठीक करने की कोशिश की जाय।

अब इसके बाद उन्होंने मकान सहायता और इस विभाग के कामों का जो अन्य विभागों में बटवारा हो जाता है, इसके बारे में कुछ कहा। मैं यह निवेदन कर दूं, आज विकेन्द्रीकरण का जमाना है और समाज कल्याण विभाग ने अगर कुछ हरिजनों के उद्योगों की रकम उद्योग विभाग को दी, या शिक्षा के लिये उनकी स्कालरशिप की रकम अगर शिक्षा विभाग को दी, या और किसी काम के लिए पी. डब्ल्यू. डी. को कुछ रकम दी तो यह सब इस खयाल से दी कि वह उस विभाग के काम को करने के लिए एक्सपर्ट विभाग है और उस काम को करने के लिए समाज कल्याण विभाग निष्णात् नहीं हो सकता है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): एक प्रश्न इसके सम्बन्ध में पूछ लूं।

श्री अमृतलाल यादव: मुझे सुन लें। कुए खुदवाने हैं, मकान बनवाने हैं या आदिवासियों के लिए छोटे २ बांध बनवाने हैं, या शिक्षा के लिए कुछ स्कालरशिप वगैरह देनी है—या उद्योग के लिए ट्रेनिंग-कम-प्रोडक्शन सेन्टर खोलने हैं—इन सबको हमने इसलिए दे दिया है उन विभागों को कि उनमें टैक्निकल एक्सपर्ट्स रहते हैं, उन विभाग का वह काम रहता है—इसलिए वह विभाग इस रकम का अच्छा उपयोग करके अच्छी तरह से काम करें और जो रिजल्ट चाहा जाता है वह रिजल्ट आये। यह मैं स्वीकार करता हूं कि ऐसा अनुभव में आया कि उन विभागों के द्वारा जो काम हुआ, उसमें उन विभागों से जो अपेक्षा की गई थी वह अपेक्षा पर्याप्त रूप से पूरी होती हुई प्रैक्टिकल रूप में कम दिखती है। इसलिए यह सवाल आता है कि आया।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): आपके कथनानुसार कुछ ही काम नजर आता है। लेकिन आपने भरतपुर के सम्मेलन में भाषण दिया था उसके अनुसार कुछ भी नहीं हुआ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): फिर आपके विभाग के पास क्या रह गया?

समाज कल्याण विभाग का क्या काम रह गया?

श्री दौलतराम सारण (उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन): आप सुन लीजिये इन्हें।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): भैरों सिंह जी नहीं समझते, यह अन्दर-बाहर का प्रश्न है।

श्री अमृतलाल यादव: पंचायत राज्य की व्यवस्था हुई, विकेन्द्रीकरण का काम हुआ, आपने और हमने बिल पास किया, वह एक्ट बन गया और उसके अनुसार पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों को कुछ न कुछ अधिकार विभाग के दिये। यह इस ख्याल से दिये कि सही मायने में प्रजातन्त्र गांवों मे जाये और कुछ न कुछ अधिकार गांव के लोगों को, उन संगठनों को मिलें, जिनके जरिये से वह कुछ कर सकें। तो विकेन्द्रीकरण का एक सिद्धान्त जब हम स्वीकार कर चुके हैं तो उसको अच्छा मान कर कर चुके

(श्री अमृतलाल यादव)
हैं। तो उससे डेविएट होने का सवाल हमारे सामने खडा नहीं होता है और न उससे नुकसान होता है। सवाल यह है, इस चीज को देखने का है कि उसका सदुपयोग हुआ है या नहीं और निश्चित् समय में हुआ है या नहीं? तो अब सवाल यह आता है कि जो कुछ ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेन्टर खोले हैं या जहां पर स्कोलरशिप दी जाती है, या जहां पर आदिवासियों के क्षेत्र में काम हुआ है, जो ब्लॉक्स हैं, उनमें मैं बताऊं, कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है–यह सब मैं सिलसिलेवार कहूंगा। मैं इतनी चर्चा कर देना चाहता हूं कि विकेन्द्रीकरण का कदम है वह प्रजातन्त्र के आज के जमाने में आवश्यक है। उसको वापिस अपन केन्द्रित करें, या जो सब विभागों को उस ख्याल से काम दिया है उस काम को वापिस लेकर एक जगह सेन्ट्रलाइज करें तो वह आज सम्भव नहीं है, न वह उपयुक्त है। लेकिन हम जागरूक रहें और उनका निश्चित उद्देश्य पूरा हो–इस बात की कोशिश हो–इस में कोई दो राय नहीं हो सकती हैं।

इसके बाद यह बताया गया, सबसे पहले और खास तौर से यह कहा गया कि समाज कल्याण विभाग में पिछले एक साल से और इससे पहले से आप भी उसके साथ हैं, पिछली रिपोर्ट के वक्त मैं ने खुद ने कहा था कि समाज कल्याण विभाग में हमारा पूरा परसेन्टेज नहीं है। अगर वहां पर भी हमारा पूरा परसेन्टेज नहीं है तो दूसरे विभागों को क्या कह सकते हैं। मैंने यह कहा था, यह मुझे याद है। मगर अभी मैं ने दो तीन महीनों में बहुत कुछ कर दिया हो यह मैं नहीं कह सकता। मैं उस समय भी पूरी कोशिश में था और मैं मंत्री जी से मिलता रहा और सरकारी अधिकारियों से भी इस सम्बन्ध में मिलता रहा। आज मैं यह कहने की स्थिति में हूं कि समाज कल्याण विभाग में हरिजन आदिवासियों का कोटा है वह पूरा हो चुका है, उसको मैं आपको बताना चाहता हूं।

गजेटेड पोस्टों में ५३ पोस्ट्स समाज कल्याण विभाग में हैं, उसमें ५ गजेटेड आफिसर हैं इस हिसाब से उनका १० पर्सेंट बनता है। वे पांच ऑफिसर्स निम्न हैं:—

(१) श्री आर. एस. मील

(२) श्री हमीरमल

(३) श्री बनवारी लाल

(४) श्री नारायण बन्धु

(५) लेखरामजी

इसके अलावा नोन गजेटेड में ....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): आपके विभाग के डाइरेक्टर का नाम इसमें नहीं है, वे भी महरा जाति के हैं। वे भी आ सकते हैं।

श्री अमृतलाल यादव: समाज कल्याण विभाग में ३४२ कर्मचारी हैं उनमें से ५२ शिड्यूल्ड कास्ट के हैं, इस हिसाब से उनका १५ परसेन्ट बनता है। यह पोजिशन समाज कल्याण विभाग की है और मैं समझता हूं कि आप इसको एप्रीशियेट करेंगे। इसके अलावा सारे राजस्थान के विभागों में, मैं पूरे विभागों की नहीं कह सकता लेकिन अधिकांश विभागों के आंकडे मंगा सका हूं जहां तक मालूम हुआ है हरिजनों के १२॥ पर्सेन्ट कोटा की पूर्ति हो गई है।

श्री अब्दुल जब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : आप इतना सा स्पष्ट कर दीजिये और बता दीजिये कि प्रमोशन से कितनों को प्रमोशन मिले ? हेड क्लर्क से प्रोमोशन होकर एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर और एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर से डाइरेक्टर बन सकता है या नहीं ? आप डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट तो कर सकते हैं ।

What are you doing about the promosion of the persons who has been appointed lover grade

श्री अमृतलाल यादव : जहां तक प्रमोशन्स का प्रश्न है, हर एक विभाग में उसके सर्विस रूल्स बने हुए हैं। इसके अलावा मैं इस पर आ रहा हूं जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से हल नहीं होगा आप पी० एस० सी० में हरिजन सदस्य को मुकर्रर करावें, जैसे पंजाब सरकार में किया गया है। और जिस तरह से चौधरी कुम्भाराम जी, ने रामचन्द्रजी को पी० एस० सी० में मेम्बर बनवाया है उस तरह से आप भी पी० एस० सी० में किसी हरिजन को मेम्बर बनावें।

श्री भैरोंसिंह : हरिजन कोई एवेलेबल नहीं हो तो सुराणा साहब उसको एक्सेप्ट कर लेंगे ।

श्री अमृतलाल यादव : मैं इनके सुझाव का स्वागत करता हूं । मैं पहले जो भी प्रगति हुई है वह बता दूं; सन् १९६१-६२ में:—

	शिड्यूल्ड कास्ट	पर्सेन्टेज
गजेटेड पोस्ट्स में ४६९	२२	४.७ पर्सेन्ट
सबो. सर्विसेज ४४५१	३६५	८.९ पर्सेन्ट
मिनिस्टीरीयल स्टाफ में १०८३	१९०	१७.५ पर्सेन्ट
चतुर्थश्रेणी कर्मचारी १४४६	३९९	२४.२ परसेन्ट

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ) : ये तो रिपोर्टस हमने पढ ली है, यादव साहब ।

श्री अमृतलाल यादव : आपने कैसे पढ ली है ? आप मुझे बोलने दें । आप यह जानना चाहते हैं कि हरिजनों को कितनी जगह मिली है, वह मैं आपको बता रहा हूं ।

श्री भैरोंसिंह : हम तो यह जानना चाहते हैं कि जितनी पोस्टें वेकेन्ट थीं उनके अगेन्स्ट में जितनी जगह भरी गई और अगर किसी ने नहीं भरीं तो उसके लिये जिसने नहीं भरी उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की और उसको क्या सजा दी गई ?

एक माननीय सदस्य : राजस्थान में कितनी पोस्टें कोटा के अनुसार बेकवर्ड क्लासेज और शेड्यूल्ड क्लास के लोगों को मिलनी चाहिये थीं और अगर नहीं मिलीं तो उसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री अमृतलाल यादव : यही तो बता रहा हूं ।

श्री भैरोंसिंह : पब्लिक सर्विस कमीशन से कितनी पोस्टें एडवर्टाइज हुई और कितनी पोस्टें वेकेन्ट थी और उनमें से कितनी पोस्टों के अगेन्स्ट में लोगों को लिया गया, यह हम जानना चाहते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : आप मुझे बोलने दें । मैंने आपकी बात तसल्ली से सुनी है, मैंने आपकी बातों को कानों से सुना है और कलम से लिखा है । आप भी अब मैं कह रहा हूं उसे तसल्ली से सुनिये ।

श्री भैरोंसिंह : कोई विशेष बात लगती हो तो कहें।

श्री अमृतलाल यादव : मैं अपने ढंग से कहूंगा कोई आपके कहने से नहीं बताऊंगा।

दूसरा यह कि रिपोर्ट में क्या हुआ है वह मुझे बताना चाहिये। १९६१-६२ की बता रहा हूं। मिनिस्टीरियल स्टाफ में १७ पर्सेन्ट क्लास फोर्थ में २४ परसेन्ट। यह पोजिशन थी। १९६१-६२ में। इसके बाद ६२-६३ में जो पोजिशन रही वह इस प्रकार है :–

गजेटेड पोस्टस	४.६ पर्सेन्ट
सबोर्डीनेट सर्विसेज	१३ पर्सेन्ट
मिनिस्टीरियल	२१ पर्सेन्ट
फोर्थ क्लास	३४ पर्सेन्ट

इसके बाद ६३-६४ में:--

गजटेड पोस्टस	८ पर्सेन्ट
स० सर्विसेज	२१ पर्सेन्ट
मिनिस्टीरीयल	१६ पर्सेन्ट
फोर्थ क्लास	४२ पर्सेन्ट

ये मैंने तीन साल के आंकडे बताये··

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : ये आंकडे आपने जो बताये हैं वे गवर्नमेन्ट सर्विसेज के हैं या म्युनिसिपैलिटी के लोग भी इसमें शामिल हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : म्युनिसिपैलिटी के हरिजनों की गिनती इसमें नहीं है। अब कितनी जगह खाली हैं और खाली जगहों पर किसी हरिजन या आदिवासी को नहीं लिया गया तो इसके लिये क्या सजा दी गई, इस बात के लिये जो कहा गया, मैं समझता हूं कि कोई इसमें सजा की तजवीज तो नहीं है। गवर्नमेन्ट आर्डर थे कि १२॥ पर्सेन्ट या १५ पर्सेन्ट जो पर्सेन्टेज तय कर दिया वहां उनको लिया जाना चाहिये और अगर नहीं लेते हैं तो मैं इस चीज को देख रहा हूं और गवर्नमेन्ट के कुछ अधिकारियों के साथ मैं विचार कर रहे हैं कि अगर कोई अधिकारी नहीं लेते हैं तो उनके लिये क्या व्यवस्था की जावे और अगर दूसरों को ले लिया जावे तो १२॥ परसेन्ट पूरे नहीं हों दूसरों को नहीं लिया जावे ऐसी व्यवस्था सचमुच जितनी होनी चाहिये नहीं है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था हो कि जिस जगह ऐसी पोस्टें हो तो उन स्थानों पर उनको लिया जावे।

इसके अलावा एक माननीय सदस्य ने कहा था कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग आर० ए० एस०, आर० जे० एस० में बिलकुल नहीं हैं।

श्री जेठमल बरबड (परबतसर) : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की आबू में मीटिंग हुई थी तो बोर्ड में रिजोलूशन पेश किया था उसके आप प्रस्तावक थे और मैं इस प्रस्ताव का समर्थक था, उसकी यह मंशा थी कि जो भी विभागाध्यक्ष साल के अन्त तक १२॥ परसेन्ट का कोटा नहीं भरे, उसकी पदोन्नति रोकी जाय।

श्री भैरोंसिंह : यह प्रस्ताव पेश किया उस समय मंत्री थे या नहीं ?

श्री जेठमल बरबड : एम० एल० ए० थे।

श्री भैरोंसिह : उस समय की और आज की पोजिशन में फर्क है।

श्री मोतीलाल चौधरी : हां, आज ज्यादा जिम्मेदारी है।

श्री अमृतलाल यादव : मैं यह बता रहा था कि आर० ए० एस०, आर० पी० एस० में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को लिया जाता है। जो कन्सेशन आर० ए० एस०, आर० पी० एस० में था कि एफिशियेन्सी की वजह से जिनको सूटेबल समझा जाता था उनको अपोइन्ट कर सकते थे पर आर० जे० एस० में यह नहीं था, उसमें हाई कोर्ट की स्वीकृति लेने की आवश्यकता थी। मैं निवेदन करूं कि आर० जे० एस० में भी यह सुविधा हो, इसके लिये भी मूव किया गया है, केरी फॉर्वड करने की तजवीज की जा रही है ताकि ज्यादा कंडीडेट्स आयें तो उस दशा में पहले का कोटा पूरा किया जा सके, इस प्रकार की कोशिश इस सम्बन्ध में जारी है।

इसके अतिरिक्त यह ठीक है कि पटवारियों के बारे में जैसा कि उप-राजस्व मंत्रीजी ने बताया था, ३६० पटवारी लेने थे, उनमें से आधे हरिजन और आदिवासियों में से लिये हैं। नहीं लिया हो ऐसा मानने का कोई कारण मैं नहीं समझता। एक दो माननीय सदस्यों ने आब्जेक्शन किया था कि इतने नहीं लिये, मैं इस बारे में जांच कर लूंगा कि इतने लिय या नहीं लिये।

एक माननीय सदस्य : इसका मतलब यह हुआ कि राजस्व मंत्रीजी ने जो कहा उसमें आपको विश्वास नहीं है।

श्री अमृतलाल यादव : हर जिले में कुछ लिये गये हैं। ऐसा भी कहा गया कि सब इन्स्पेक्टर्स नहीं हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सब-इन्स्पेक्टर्स के सिलेक्शन के लिये एग्जामिनेशन होकर इन्टर्व्यू होता है और फिर ट्रेनिंग होती है, समय निश्चित होता है उसमें उनका रिजर्वेशन होता है, उसके माफिक सिलेक्ट करके ट्रेनिंग दी जाती है। तो जो यह कहा गया कि आज एक भी सब-इन्स्पेक्टर नहीं है, यह सही नहीं है। सब-इन्स्पेक्टर्स हैं।

एक माननीय सदस्य : पुलिस स्टेशन्स पर कितने हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : सब-इन्स्पेक्टर्स हैं, यह तो अधिकारियों के सोचने की बात है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को किन-किन ड्यूटीज पर लगायें और किन-किन पर नहीं लगायें। कोई माननीय सदस्य यदि इसमें कोई और तरह की भावना को महसूस करते हों तो बतायें कि कहां इस प्रकार के विवाद हैं। आखिर हमें यह तो मान कर चलना ही पडेगा कि आफिसर्स जो काम उपयुक्त समझें वह अपने अधीनस्थ लोगों से लें। अगर किसी और भावना से अच्छी जगह नहीं लगा रखा है आपसी बात-चीत से, समझायश से कर सकते हैं, मैं नहीं समझता कि वाजिब बात को वे नहीं मानेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : पब्लिक सर्विस कमिशन में शिड्यूल्ड ट्राइब्स शिड्यूल्ड कास्ट्स का एक मेम्बर रखने के बारे में आपने कुछ नहीं कहा, इस सम्बन्ध में आप प्रयत्न करेंगे या नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव : एक माननीय सदस्य ने एक बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोमोशन के बारे में रिजर्वेशन हो, इस प्रकार का डिसिजन दिया है, राजस्थान में भी यह हो। कमिश्नर ने सिफारिश की है कि हिन्दुस्तान में सब स्टेट्स में इसे लागू किया जाय। राजस्थान में अभी तक इस पर विचार नहीं किया गया था, अब कोशिश की जायगी और देखा जायगा कि उस प्रोमोशन से दूसरे लोग

(श्री अमृतलाल यादव)
हार्ड हिट नहीं हों, कटुता नहीं बढे, लोगों में इस प्रकार के फीलिंग्ज न हो कि हमारा हक मार कर दूसरों को दिया गया। तो ऐसा बीच का रास्ता निकालना पडेगा जिससे कि द्वेष और कटुता नहीं बढे, किसी के साथ अन्याय हुआ हो उसको राहत मिल सके। पब्लिक सर्विस कमिशन में, रेवेन्यू बोर्ड में या और इस प्रकार की संस्थाओं में हरिजन, आदिवासी सदस्यों का प्रतिनिधित्व हो, यह बात हरिजन, आदिवासी सदस्य कहते रहे हैं, मैं भी किसी हद तक सोच सकता हूं, कर सकता हूं, किया जायगा। तो यह कोई माननीय सदस्य का ही सुझाव नहीं। शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिडयूल्ड ट्राइब्स कमिशन ने यह सिफारिश की हैं, ऐसा होने से बहुत बडा फर्क पडता है। जिन प्रदेशों में इस प्रकार का प्रतिनिधित्व दिया गया हैं, वहां फर्क पडा हैं। मैसूर स्टेट में पब्लिक सर्विस कमिशन के चेअरमैन शिड्यूल्ड कास्ट्स के हैं, दूसरी जगह भी मेम्बर लेने की कोशिश की गई हैं। यहां भी इस प्रकार की कोशिश हो, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती।

जहां तक मकान सहायता की बात कही मैंने निवेदन किया म्युनिसिपल एरियाज में समाज-कल्याण विभाग की ओर से सहायता दी जाती हैं, पंचायतों, पंचायत समितियों का एरिया हैं पंचायत समिति द्वारा सहायता दी जाती हैं। हम यह निश्चित मान कर चलते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स में जो शिड्यूल्ड कास्ट्स में बाल्मीकि भाई हैं, जिनकी अवस्था सबसे खराब हैं, उनको प्राथमिकता मिले, इस बात की कोशिश करते हैं, गांवों में कस्बों में भी यह ध्यान रख कर चलते हैं। ५५-५६ से ६४-६५ तक जो इस सम्बन्ध में धन राशि दी गई वह ४६,२५,८६२ रु० ३६ न० पै० की सहायता दी गई। ८८२२ मकानों की संख्या स्वीकृत हुई उनमें से ५६५७ मकान पूरे बने और बाकी मकान अधूरे और बनने की स्टेज में हैं।

वर्ष ५६-६० से ६४-६५ तक पंचायत समितियों द्वारा ७१,३३,८६४ रु० ८८ न० पै० की सहायता दी गई।

(१०.०० म. प.)

मकानों की संख्या १२,३६६ और ८१४६ संपूर्ण हुए। इसी तरह से कुओं के मामले में प्रथम और द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कुल ८१३ कुएं बनवाए गए और तृतीय योजना में १८७ कुएं। एक सदस्य ने कहा था कि कुल २६-३० बने हुए हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि यह २६-३० नहीं, बल्कि १८७ के लगभग हो जाते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या सरकार ने जानकारी चाही कि पंचायत समितियों को जिस काम के लिए पैसा दिया जाता हैं उनसे प्रमाण-पत्र वापिस मिल गया कि वह काम हो गया। मुझे जहां तक मालूम हैं, पंचायत समितियों में वे काम नहीं हुए, न कुएं बने हुए हैं न मकान।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : मंत्री महोदय इस रिपोर्ट का पृष्ठ १२३ पढने की तकलीफ करें।

श्री अमृतलाल यादव : मकान और कुएं जब पूरे कम्पलीट हो जाते हैं तब सर्टिफिकेट दिया जाता है तो जो कम्पलीट हुए उनकी भी आपको संख्या बताई और जो कम्पलीट

(श्री अमृतलाल यादव)
नहीं हुए हैं उनके लिए ताकीद किया जाता है और समय-समय पर उनसे कहा जाता है और सहायता भी बंद की जाती है। जो आवश्यक कदम हैं वे उठाते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : विभाग के पास क्या एजेन्सी है, किसके द्वारा मालूम करते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव: सोशियल वेलफेयर ऑफिसर्स हैं या इन्सपेक्टर्स हैं। वे लोग इस बात के लिए पंचायत समितियों से कहते रहते हैं और उनको बराबर ताकीद करते रहते हैं।

इसके बाद जहां तक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का सवाल है, उनकी आर्थिक उन्नति का सवाल है १२-१/२ प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए और ५ पर्सेन्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए इनमें व्यवस्था है। स्टाइपेंड के लिए पहले २५) दिए जाते थे अब उसके बजाय ४५) रु० दिए जाते हैं। इस प्रकार १८० विद्यार्थी इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं और उनकी संख्या आगे बढ़े, इस बात की कोशिश पहले से अब अधिक की जाय, इसका प्रयत्न किया जाता है।

जहां तक छात्रावासों का सवाल है, मैं इतना मानता हूं जो माननीय सदस्यों ने उनकी खाद्य सामग्री के बारे में कहा, मुझे स्वयं को असंतोष है और मैं उनकी शिकायत को दूर करने की कोशिश में हूं, लेकिन इसमें माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूं। कुछ समय की परिस्थिति ऐसी है कि आज राशन का जमाना है। राशन कार्ड से, उन लोगों को, जो आम जनता को मिलता है उसी हिसाब से अधिकारीगण उनको भी देते हैं। वह अनाज पूरा नहीं पड़ता है। इसके अलावा जो टेन्डर सिस्टम है उसकी वजह से भी दिक्कत होती है लेकिन इस बात को देखेंगे कि किस तरह इसके अंदर सुधार किया जाय। एक बात भी सोची गई थी कि महंगाई काफी बढ़ गई है इसलिये इस रकम से पार नहीं पड़ सकती। इसलिये तय किया गया कि २५) रु० प्रति विद्यार्थी जो सहायता दी जाती है उसको बढ़ाकर पांचवी कक्षा के लिये २८) किया और उसकी आगे की कक्षाओं के लिये हमने ३५) किया। इससे भी आगे बढ़ें, इस बात की कोशिश हमारी तरफ से जारी है।

जहां तक छात्रावासों की या दूसरी चीजों की व्यवस्था का सवाल है उस व्यवस्था को किस प्रकार से ठीक किया जाय ताकि जो हमारे बच्चे शिक्षा पा रहे हैं उनको किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसको भी हम देख रहे हैं। इसमें माननीय सदस्यों का सहयोग आवश्यक है, वह इसलिए है कि जो छात्रावास हैं, वे केवल सरकार ही नहीं चलाती है, सदस्यगण भी चलाते हैं, वॉलंटरी एजंसीज भी चलाती हैं और वे स्वयं कितना अच्छा प्रबंध रखते हैं, उसको देखकर चलें। तो दोनों तरफ सुधार की जरूरत है जहां रकम बढ़ाने की जरूरत है तो हमने बोर्ड मीटिंग में तय किया है, उसको माना है और एडहॉक बेसिस पर तुरंत उसको बढ़ाया है। लेकिन उसके अलावा भी आज की मंहगाई में कितना अधिक दिया जा सकता है, उसको हम देख रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि ये विद्यार्थी अपनी शिक्षावृत्ति को बढ़ा सकें।'

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु.) : आपने क्लास के आधार पर छात्रवृत्ति की

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')
रकम बढाई तो फिर एक छोटा विद्यार्थी है दूसरा मोटा विद्यार्थी है, तो उसके लिए भी तय करना पडेगा।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय सदस्य मुझ से बहस कर चुके हैं। मैं कह रहा हूं कि हम कोशिश कर रहे कि हैं आगे उनको और भी दिया जाय।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': आज की परिस्थिति को देखते हुए उनको और मिलना चाहिए।

श्री जयनारायण सालोदिया : एक तो जैसे ही स्कूल्स और कॉलेजेज एक तारीख को खुल जाते हैं तो होस्टल भी साथ साथ खुलने चाहिए। अब होस्टल एक महीने बाद खुलते हैं। दूसरे आज तक पाठ्य-पुस्तकें नहीं मिली हैं।

श्री अमृतलाल यादव : पाठ्य-पुस्तकें समय पर मिलें और छात्रावास स्कूल और कॉलेजेज खुलते ही वे भी खुल जायं, अगले वर्ष निश्चित तौर से व्यवस्था की जायगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य : छात्रावृत्ति समय पर नहीं मिलती।

श्री अमृतलाल यादव : विद्यार्थी को कोई दिक्कत न हो इस बात की व्यवस्था की जायगी। अगर किसी विद्यार्थी को साल की शुरुआत में छात्रवृत्ति नहीं मिली है और उससे फीस मांगी जा रही है तो हम विभाग से लिख देंगे कि यह हमारी जिम्मेदारी है, हम देंगे और उस विद्यार्थी को कुछ नहीं कहे। यह भी कोशिश करेंगे कि छात्रवृत्ति साल की शुरुआत में मिल जाय और साल खत्म होने से पहले मिल जाय।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : एडेड छात्रावासों में २५ रुपये मिलते हैं।

श्री अमृतलाल यादव : इसकी पूरी जांच की जायगी। उनको जो सहायता मिलती है उसका कितना सदुपयोग करते हैं उसके बाद सहायता बढाई जायगी। जितना असंतोष मुझे विभागीय छात्रावासों से है उतना स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा जो छात्रावास चलाए जाते हैं, उनसे भी है और मैं इसके लिए तैयार हूं कि सदन के माननीय सदस्य जो आदिवासी और हरिजन हैं उनकी कमेटी बनाई जाय और वे देखें कि वालंटरी एजेंसीज के छात्रावास और सरकार के छात्रावास किस स्थिति में हैं। यह नहीं हो सकता कि वालंटरी एजेंसीज के छात्रावास कितने भी खराब हों, उनसे नहीं कहा जाय और विभाग के अधिकारी ईमानदारी से काम करते रहें। और फिर भी उनकी आलोचना होती रहे, तो देखना पडेगा कि जो रुपया उनको सरकार से या अन्य संस्थाओं से मिलता है उसका पूरा सदुपयोग हो रहा है या नहीं। मैं स्वयं जांच करूंगा कि उन संस्थाओं में अच्छी व्यवस्था है या नहीं और जिस संस्था के अंदर अच्छी व्यवस्था पाई जायगी, उस संस्था को उस वक्त उतना ही नहीं बल्कि एक रुपया ज्यादा दिए जाने की कोशिश की जायगी।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : कब पधारेंगे ?

श्री अमृतलाल यादव : जब बुलायेंगे तब।

श्री जयनारायण सालोदिया : सारे राजस्थान का प्रश्न है।

Page No 196

श्री अमृतलाल यादव : सारे राजस्थान के छात्रावासों के लिये समझ लीजिये ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आप उनको संक्षिप्त में भाषण देने के लिये नहीं कहें । दामोदरजी ऐसा आदेश उनको न दे दें कि वे संक्षिप्त में बोले ।

श्री अमृतलाल यादव : आपकी दिलचस्पी है सुनने में·······

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : एक बात मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा लब्बो-लबाब में । माननीय मंत्री ने विधान सभा में भाषण दिया ।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह बहुत पुराना है ।

श्री भैरोंसिह : नया है ।

राजस्थान अस्पृश्यता निवारण में सबसे पिछडा हुआ है, कहा गया; इसलिये यह "पिछडा हुआ" शब्द न कहें । जब राजस्थान की हालत यहां सुनते हैं और बाहर जाकर सुनते हैं, वहां की हालत को देख कर और अपनी हालत को देख कर तो शर्म से सिर झुका देना पडता है । वह तो हालत आपकी नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : १३ महीने, २३ महीने हो जायं तब पूछें तो अच्छा है । तीन महीने हुए है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका एटीट्यूड देख कर ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : १७ वर्ष से बिगडे हुए काम को तीन महीने में तो ये कैसे सुधार देंगे ?

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ) : इसके माने यह हुए कि भीखाभाई ने कुछ नहीं किया ।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय सदस्य प्रेरणा दे रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहा हूं और बल प्राप्त करूंगा ।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में कुल कितने छात्रावास हैं । शिड्यूल्ड कास्ट के विभागीय छात्रावास ३६ हैं और उनमें १५८५ विद्यार्थी पढते हैं । इसी प्रकार शिड्यूल्ड कास्ट के ४२ छात्रावास हैं और उनमें १६०३ छात्र पढते हैं । गैर-विभागीय छात्रावास हैं शिड्यूल्ड कास्ट के ३९ और उनमें १,२३१ विद्यार्थी पढते हैं । एस. डी. छात्रावास हैं वे ५७ हैं और १८२० उनमें विद्यार्थी पढते हैं । और डिटिफाइड ४ हैं एक नॉमेडिक ट्राइब का छात्रावास है । इस प्रकार मैंने बताया कि छात्रावासों –स्वयम् सेवी संस्थाओं और विभाग के–की संख्या में वृद्धि हो रही है । लेकिन इसकी और भी अधिक मांग है तो वह मांग आर्थिक बजट आदि को देख कर उसके लिये जितना हो सकता है उसकी ओर बढने की कोशिश की जावेगी, लेकिन आपकी मांग अधिक है और सीमित साधन हैं और सीमित साधनों में जितना हो सकता है उसको करने की कोशिश की जावेगी ।

एक इरादा हमारा यह है कि जो हरिजन और आदिवासी संस्थायें हैं और प्रमुख कार्यकर्त्ता हैं उनके अलावा इस देश में जो विशेष दिलचस्पी रखते हैं इस मामले में हम उन लोगों का एक सेमिनार बुलायें और इस मामले में हम उनके सुझाव आमन्त्रित करें । हम यह मानते हैं कि उनके सुझावों से इस दिशा में विशेष ज्ञान मिलेगा, प्रदेश की हालत की

(श्री अमृतलाल यादव)
जानकारी, इस क्षेत्र में काम करने वाले क्या महसूस करते हैं वह जानने का मौका मिलेगा। वह काम किया जावेगा जिससे अधिक से अधिक उन्नति हो।

जहां तक आर्थिक उन्नति की बात कही गयी है इस संबंध में सरकार ने विशेष कार्य किये हैं मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। जहां तक जमीन दिलाने का सवाल है आपको मालूम है कि राजस्व विभाग से यह सर्कुलर निकाला गया है कि ३० जून, १९६५ तक सिवाय चक की जमीन; भूमिहीन शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को दी जावे। हो सकता है, उनको इससे पूर्ण संतोष न हुआ हो। उनको जितनी जमीन दी जानी चाहिए थी उतनी जमीन नहीं मिल पायी हो लेकिन यह जरूर कहना चाहूंगा कि उनको अधिक से अधिक जमीन इस नियम के माफिक मिले, हर क्षेत्र में मिले, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। कहीं आपका यह भाषण था........

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : जैसलमेर में छात्र हैं उनकी हजामत नाई नहीं करते हैं, वह तो कहो। बनडा में तो आपका छात्रावास नहीं है।

श्री अमृतलाल यादव : जमीन के बारे में पहले सुन लीजिये, उसके लिये बाद में कहूंगा।

हरिजनों और आदिवासियों की जमीनों को कोई रहन नहीं कर सकता, यह रेवेन्यू का ऑर्डर निकला हुआ है। आपस में तो हो सकता है। लेकिन दूसरा रहन-बे नहीं कर सकता। इन सब में सवाल यह आता है कि जमीन मिल गयी, फिजिकल अलॉटमेन्ट हो गया और उसके बाद भी फोर्सिबल इजेक्टमेन्ट, डंडे के जोर से या जोर-जबरदस्ती से काश्त नहीं करने देते हैं, इसमें १०७ की पुलिस कार्यवाही होती है और उनको कब्जा दिलाया जा सकता है। लेकिन माननीय सदस्य बतायेंगे अगर उनकी इस मामले में पूरी दिलचस्पी है कि भूमिहीन आदिवासी और हरिजनों को जमीन मिले। आपको उनको निश्चित रूप से सहयोग देना होगा और जहां जहां से माननीय सदस्य आते हैं, १७६ इस हाउस के सदस्य हैं, अगर एक-एक माननीय सदस्य इस बात का निर्णय कर ले कि हमें एक आदमी को सर्विस में लगाना है तो १७६ आदमी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लग सकते हैं। एक एक सदस्य यह विचार कर ले कि हमें उनको जमीन दिलानी है, फिजिकल अलॉटमेन्ट हो जाय तो एक आदमी लट्ठ लेकर नहीं आता है। १०७ की कार्यवाही करने में पुलिस ने गफलत बरती है, यह मैं मानता हूं। जहां पुलिस ने मुस्तैदी बरती, आम लोगों का दबाव रहा उसमें उसने नहीं करने दिया। माननीय सदस्यों के पूरे सहयोग की आवश्यकता है। केवल कह देने से भूमिहीनों को जमीन नहीं मिल सकती। अगर उनके हृदय में सच्ची बात है तो मैं आशा करूंगा कि जहां-जहां फोर्सिबल इजेक्टमेन्ट हुआ है तो उसके लिये अपनी ओर से प्रयत्न करेंगे तो आज की इस परिस्थिति में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा।

श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु.) : चम्बल कमान्ड एरिया में बोली लगेगी तो कैसे जमीन मिलेगी? बोली कैसे लगावेंगे जब पैसे नहीं हैं। या तो रेवेन्यू विभाग से कुछ जमीन वहां सुरक्षित करवाईये।

श्री अमृतलाल यादव : इस बारे में सरकार एक्टिवली सोच रही है। राजस्थान केनाल, भाखड़ा केनाल इसी तरह से चम्बल प्रोजेक्ट इसमें जो कमाण्डेड एरिया आता है उसमें किस प्रकार हरिजनों को जमीन देकर बसाया जाय? यह बात निश्चित है कि हरिजन ऑक्शन में जमीन नहीं ले सकते, आज उनकी ऑक्शन में लेने की हैसियत नहीं है। ऐसी हालत में यह हो सकता है कि एवरेज स्टेण्डर्ड एकड़ की कीमत निकाल ली जाय और एक साल तक उसका फिजीकल पजेशन हो जाय, उसके बाद वह उसकी किश्त चुकाना शुरु करे और भी हो सकता है उसमें गवर्नमेंट २५ प्रतिशत तक कमी कर दे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : "हो सकता है" यह बात मत कहिए। गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, वह बतलाइये?

श्री अमृतलाल यादव : इस पर गवर्नमेंट विचार कर रही है। यह बात विचाराधीन है कि उनको किस प्रकार का कन्सेशन हो।

श्री दयाचन्द सोन : नगरपालिका के कर्मचारी जो नगरपालिका के मकानों में रहते हैं जो तीस-चालीस वर्षों से रह रहे हैं उनका वह किराया दे रहे हैं। क्या आप उनको उस जमीन पर कब्जा दिलायेंगे?

श्री अमृतलाल यादव : मुझे आप कहने दें, सारी बातों के बारे में निवेदन कर दूंगा। जहां भी हरिजनों के शहरों के अन्दर रहने का सवाल है। जो हरिजन चालीस साल से उसी जगह पर रह रहे हैं उनसे एक रुपया लेकर उसका पट्टा कर दिया जाय ताकि वे मकान के मालिक बन जायं। इसके अलावा जो भी नई कॉलोनीज बनायी जायं उनमें उनको प्लाट्स दिये जायं। कन्सेशन रेट पर देकर उनको कॉमन बस्तियों में बसाया जाय, इस प्रकार का निर्णय लिया है।

तीसरा यह भी निर्णय किया गया है कि कुछ कॉलोनीज में उनको हायर पर्चेज सिस्टम पर मकान दिये जायं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो। हायर पर्चेज से लेकर वह इन्स्टॉलमेंट में उसकी रकम चुका सकते हैं।

इसी तरह से मैंने उन सब बातों का मुख्तसर जवाब देने का प्रयत्न किया है जो माननीय सदस्यों ने इस बहस के दौरान में उठायी हैं।

इतना होते हुए भी मैं यह नहीं मानता कि यह बहुत बडा काम राजस्थान में हरिजनों और आदिवासियों की भलाई के लिये हो गया है। सरकार द्वारा और अब कुछ करना बाकी नहीं है। काम करते हुए भी त्रुटियां रह सकती हैं, फिर भी जो-जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं उनके बारे में भी सोच रहे हैं। जो धन इसमें व्यय किया गया है उसमें कितना उपयोग, कितना दुरुपयोग हुआ है उसकी भी जानकारी की जायगी। जहां तक विभाग के अधिकारियों का सवाल है कर्मचारियों का सवाल है उनके लिये मैं यह कह सकता हूं कि उनमें समाज-कल्याण की भावना है और वे इसी भावना से प्रेरित होकर काम करते हैं। सोशल वेलफेयर ऑफिसर और इन्स्पेक्टर जो हैं वे इस समाज की प्रवृतियों की ओर बराबर ध्यान रखते हैं उनको ऊंचा उठाने का बराबर प्रयत्न करते रहते हैं। केवल नौकरी के लिये सर्विस नहीं करते बल्कि उनके दिल में

(श्री अमृतलाल यादव)
भावना है समाज कल्याण की उसी से प्रेरित होकर काम करते हैं ।

श्री अब्दुलजब्बार खां (निम्बाहेड़ा): समाज कल्याण के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें जो चुनाव पद्धति है वह खराब और खतरनाक है । समाज कल्याण के जो खंड है उसमें आप जो चेयरमैन रखते हैं उसमें अक्सर यह देखने में आता है अफसरों की बीवियां चेयरमैन होती हैं । उनका गठन आपको ठीक करना चाहिये ।

श्री अमृतलाल यादव : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जितनी श्रमिक सहकारी समितियां हैं उनको कम्पेरेटीवली अन्य सहकारी समितियों से काफी सुविधा दी गई है । इसके अलावा एक और व्यवस्था की गई है कि उनकी शेयर मनी को गवर्नमेन्ट देकर उनकी बोरिंग कैपेसिटी बढायी जाय, यह व्यवस्था की है ।

इसके अलावा फोरेस्ट लैन्ड को एग्रीकलचर लैन्ड में कन्वर्ट करने का सवाल है और उस भूमि को भूमिहीन किसान को देने का सवाल आता है वहां स्थानीय जिला स्तर पर पंच-सरपंच जो व्यक्ति उनका प्रतिनिधित्व करता है उनको सम्मिलित करने की जो बोर्ड की सिफारिश थी उसको स्वीकार कर लिया गया है और उनको उसमें लिया गया है ।

अब मैं एक मुद्दा और कह कर समाप्त करना चाहता हूं । बहुत सी चर्चा इस बात की हुई कि अस्पृश्यता निवारण एक्ट के अन्तर्गत कितने केसेज चालान हुए और उन पर क्या कायवाही की गई और उसमें किस हद तक कामयाबी मिली । मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि ६५३ केसेज इस मामले में दर्ज किये गये उनमें से ५२३ मामले हैं जो चालान किये गये । उनमें से १३० मामले ऐसे थे जिनका चालान नहीं किया गया । इनके अन्दर ५१ मामलों में सजा हुई ३१ मामले ऐसे हैं जिसमें वे बरी हुए । १५१ मामले ऐसे हैं जिनमें कम्पाउन्ड किया गया आपसी समझौते से समझाया गया । इस बात का ख्याल रखा जाता है आपस में कटुता नहीं बढे । मुकदमा चलाने से कटुता बढने का अन्देशा रहता है इसलिये सामने वाली पार्टी यह मान लेती है कि हम कुओं से हरिजनों को पानी भरने देंगे हमें कोई एतराज नहीं तो हम कम्पाउन्ड करवा देते हैं । इसमें किसी को सजा दिलाने का कोई लक्ष्य नहीं, ज्यादा हृदय परिवर्तन की ओर लक्ष्य रहता है अस्पृश्यता निवारण के मामले में । एक होटल मालिक ने हरिजन को चाय का प्याला नहीं दिया जब वह मामला पुलिस को दिया गया तो वह होटल वाला यह मान गया कि हम इस बात को मानते हैं कि इन्सान इन्सान सब समान हैं अब हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, चाय सब को समान रूप से देंगे तो उसको छोड़ दिया गया । हमारा ध्येय लोगों का हृदय परिवर्तन करने का होता है न कि दंड दिलाने का समझा-बुझा कर यदि वह लाइन पर आ जाता है तो हम केस को कम्पाउन्ड कर देते हैं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इस बारे में सरकार ने एक कमेटी बनाने का कहा था । उस कमेटी का क्या हुआ ? अस्पृश्यता निवारण संबन्धी जो कानून बनाया उसका इफेक्ट कितना हुआ, उसके बारे में मुझे याद है; ६०-६१ में कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी, इस प्रकार की कमेटी अपोइन्ट की जाय, उसका क्या हुआ ?

श्री अमृतलाल यादव : वह कमेटी नियुक्त हो गई और उसकी एक मीटिंग भी हो चुकी है । वह यह देखेगी कि यह एक्ट कितना प्रभावशाली हुआ है ।

ये कुछ बातें थी जो मैंने आपसे निवेदन की हैं । यह कोई एक सदस्य का काम नहीं, एक साल का काम नहीं, एक विभाग का काम नहीं, एक अफसर या मिनिस्टर का काम नहीं । आलोचना तो सभी कर सकते हैं लेकिन आलोचना के साथ साथ सहयोग भी उतना ही आवश्यक है । आपका इसमें जितना अधिक सहयोग मिलेगा उसके लिये हम आपके बहुत आभारी होंगे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : यह जो आपकी रिपोर्ट है उसके पेज ४ को मुलाहिजा करें, उसमें कहा गया है कि आम विकास योजनायें हैं, उन योजनाओं से अनुसूचित जाति एवं जनजाति को कितना फायदा हुआ है ? उसके लिये कमीशन ने लिखा है कि राजस्थान में इस प्रकार की समिति नहीं बनी है जो यह देखे कि इन विकास योजनाओं से इन जाति के लोगों को क्या फायदा हुआ है ? आप भी अपने यहां इस प्रकार की समिति शीघ्र बनाने का प्रयत्न करें ।

श्री अमृतलाल यादव : मेरे खयाल से ऐसी समिति केन्द्र ने भी बनाई है । वह यहां आने वाली भी है । वह असेस करेगी कि हर स्टेट में किस तरह से क्या हुआ है, उसका बेसिस यह है कि उसके साथ ही साथ हर प्रदेश में भी वैसी समिति बने । तो अभी बड़े बड़े प्रदेशों म नहीं बना है । अपने यहां की मुझे मालूम नहीं कि यहां बनी है या नहीं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : खुदने मांग की है अपने भाषणों में यहां सदन में ।

श्री अमृतलाल यादव : मैं उस दिशा में कदम उठाने का जरूर प्रयत्न करूंगा आपने मांग की है तो ।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय मांग की उस समय आप मन्त्री नहीं थे ।

श्री अमृतलाल यादव : आज मौका मिला है, ठीक है, आज इस जगह पर हूं इसलिये आपको कहने का मौका मिला है । यहां आकर मैंने ईमानदारी, सच्चाई और परिश्रम के साथ इस विभाग में काम करने की कोशिश की है और इनकी भलाई का काम करने में कोई कसर उठा नहीं रक्खूंगा इस बात का आश्वासन देकर चलता हूं ?

इसके साथ ही मैंने आपसे निवेदन किया कि इस काम में मैं आप सब लोगों का भी सहयोग चाहता हूं । इस दिशा में इस पक्ष से या उस पक्ष से जिधर से भी कॉन्क्रीट सुझाव मुझे मिलेंगे उनका मैं स्वागत करूंगा और उन्हें इम्प्लीमेंट करने की पूरी २ कोशिश करूंगा । आपका इस तरह से सहयोग मिला तो राजस्थान में इस समस्या को हल करके जो पिछड़ा वर्ग समझा जाता है हम उसको आगे बढा हुआ बना सकेंगे ।

(१०.३२ रात्रि)

बाड़मेर क्षेत्र में फिलनोर और शोभला चौकियां पाकिस्तान से वापस भारतीय जवानों द्वारा शौर्य दिखाकर ले लेने विषयक सूचना

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : सभापति महोदय, मुख्य मंत्री ने एक खुश

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
खबरी सभा की जानकारी के देने के लिये मुझे कहा है।

वह यह है कि बाड़मेर क्षेत्र में किलनोर और शोमला दो चौकियां थी, जिन पर युद्ध विराम के बाद इन्फिल्ट्रेटर्स आगये थे उन दोनों चौकियों से इन पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स को अपने आर ए.सी. के जवानों ने बहादुरी से लड़कर पीछे हटा दिया है। इस प्रकार अब इन पर अपना कब्जा हो गया है।

(करतल ध्वनि)

श्रीमती सभानेत्री : इस शुभ समाचार के साथ हम इस सदन की बैठक अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित करते हैं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि के १० बज कर ३४ मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३२७ का उत्तर देखिये)

तहसील बारां की देशी शराब की दूकानों से वर्ष १९६४-६५ व १९६५-६६ से प्राप्त गारण्टी का मान-चित्र:—

क्रम सं०	नाम दूकान	गारण्टी की रकम १९६४-६५	गारण्टी की रकम १९६५-६६
१.	तलाबंपाड़ा	१००२३१	
२.	मंडोलावाड़ं	५११००	
३.	कलमण्डा	५५०१	
४.	बेंगनी	५००१	
५.	बामल	४१०१	
६.	फतहपुर	१७८८१	२३६,००१
७.	बटावदा	५००१	
८.	थामली	१०००१	
९.	कोयला	१५१३१	१२७७५
१०.	चौकी बोरदा	५५०१	६०००
		२१९४४९	२५२७७६

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३४२ का उत्तर देखिए)

नाम जिला १	मील २	१	२
सीकर	८॥	जालोर	६
अलवर	१	सिरोही	६
सवाई माधोपुर ..	३॥	बाडमेर	१०।
टोंक	२	जैसलमेर	५॥
बूंदी	६॥।	गंगानगर	१३
कोटा	१४॥।	कैनाल एरिया रोडस ..	११
झालावाड़	१	चूरू	१७
अजमेर	७	चित्तौड़	२
जोधपुर	१०॥।	भीलवाड़ा	५
नागौर	२२	बांसवाड़ा	१०।
पाली	१।	डूंगरपुर	६॥।

नोटः--जिन जिलों के नाम अंकित नहीं हैं उनमें डामर रोड का कार्य नहीं किया जाना को है।

परिशिष्ट ३

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १४६ का उत्तर देखिये)

	नाम जिला		संख्या पटवारी जिनकी नियमित रूप से वेतन वृद्धि हुई	संख्या पटवारी जिनकी नहीं हुई
	१		२	३
१.	अजमेर	..	३६८	५१
२.	अलवर	..	२६५	८३
३.	उदयपुर	..	४८८	१८
४.	कोटा	..	२८७	३६
५.	गंगानगर	..	२५०	३१४
६.	चित्तौड़	..	२६८	६२
७.	चूरू	..	२२७	४
८.	जयपुर	..	४७३	१८५
९.	जालोर	..	१६६	३०
१०.	जैसलमेर	..	२७	९
११.	जोधपुर	..	१३३	१३१
१२.	झालावाड़	..	२४१	१७
१३.	झुंझुनूं	..	२२	११६
१४.	टोंक	..	२२७	४६
१५.	डूंगरपुर	..	१३५	१९
१६.	नागौर	..	२११	१६३
१७.	पाली	..	२१७	६६
१८.	बाड़मेर	..	१९८	२०
१९.	बांसवाड़ा	..	२२	१३५
२०.	बीकानेर	..	९९	४०
२१.	बूंदी	..	११०	२७
२२.	भरतपुर	..	५८६	४४
२३.	भीलवाड़ा	..	३२४	३६
२४.	सवाई माधोपुर		४००	७०
२५.	सिरोही	..	९०	२१
२६.	सीकर	..	१६६	१६

शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक ९ अक्टूबर, १९६५)

स्तम्भ सं०	पंक्ति सं०	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२५३४	अन्तिम सं ३	हुग्रा ह	हुग्रा है
२५३७	१	मेरी जा की	मेरी जानकारी में
२५३९	६	ह	है
,,	१३	खतम	खत्म
२५४२	अन्तिम से ३	(ग्रांसीद)	(ग्रासींद)
२५४३	२	झुन्झुन	झुन्झुनू
२५४७	१	कालज	कॉलिज
,,	,,	निमाण	निर्माण
,,	अन्तिम	टेक्नकल	टेक्निकल
२५५५	४	दूसरों	दूसरे
,,	अन्तिम	म	में
२५५६	६	ह	है
२५६३	१६	वगरह इस्तमाल	वगैरह इस्तेमाल
,,	अन्तिम से ६	स	से
२५६६	७	फोर्मेलटीज	फोर्मेलिटीज
,,	१२	संत्री	मंत्री
२५६९	अन्तिम से १४	देखिये)	देखिये)
२५७१	अन्तिम से २	श्रा	श्री
,,	,, ,,	जितने ग्राप	जितने में ग्राप
,,	अन्तिम	बत । दें	बता दें
२५७२	१८	info ms	informs
२५७४	अन्तिम ५ पंक्तियां	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयलः ××××	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयलः ××××
		ग्रध्यक्ष पीठ के ग्रादेशानुसार रेकॉर्ड नहीं किये गये ।	श्री दामोदरलाल व्यास : यह बिल्कुल गलत है ।
		श्री दामोदरलाल व्यासः यह बिल्कुल गलत है ।	ग्रध्यक्ष-पीठ के ग्रादेशानुसार रेकॉर्ड नहीं किये गए ।

१	२	३	४
२५८०	अन्तिम से २	सागे	सारी
२५८१	३	इलक्ट्रिसिटी	इलेक्ट्रिसिटी
२५८२	अन्तिम से ६	डवलपमेन्ट	डेवलपमेन्ट
२५८३	,, २	भरोंसिह	भैरोंसिह
२५८४	,, १३	करम के	करने के
२५८५	११	ह।	हैं।
२५८६	अन्तिम से २	इन ।।	इन दो
,,	,, १	··साथ ही	इसके साथ ही
२५८७	शीर्ष	(श्री माणकचन्द	(श्री मानिकचन्द
२५९६	३	Senioity	Seniority
,,	अन्तिम से १०	क य	किया
२६०३	११	बतान को	बताने को
,,	अन्तिम से ११	निकासा	निकासी
२६०४	१५	बन्धन बैंक	बन्धक बैंक
२६०५ से २६१३	शीर्षक	अ० स० के ता० प्रश्नो-तर	अतारांकित प्रश्नो-तर
२६०८	१६	मे भी	में भी
२६०३	१६	स ी	सही
,,	अन्तिम से ६	वन्नयाकरण	बन्ध्याकरण
२६०६	अन्तिम मे ३	उन्नलन	उन्मूलन
२६१२	१०	लोगी	लोगों
२६१४	अन्तिम से ३	वक व्यों	वक्तव्यों
२६१६	,, ७	भैरोंसह	भैरोंसिह
२६१७	,, ४	एडजार्नमेंट	एड्जोर्नमेंट
२६२६	,, ८	म	में
२६२६	११	देन	देने
२६३१	१	प्रोटक्ट	प्रोटेक्ट
२६३५	अन्तिम से ५	श्री भैरोसिह !	श्री भैरोंसिह :
२६३६	,, ६	का धे ता	का घोटाला
,,	,, ६	डाकूमेंट	डॉक्यूमेंट
,,	,, ४	प्रोग्लम	प्रोब्लम

१	२	३	४
२६३७	३	श्री योगन्द्रनाथ ह्रांडा	श्री योगेन्द्रनाथ ह्रांडा
२६३८	शीर्षक	होन	होने
२६३९	११	मलूम	मालूम
२६४०	२	सुपरिन्टेन्डन्ट	सुपरिन्टेन्डेन्ट
२६४२	१६	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
,,	१९	श्री मथुरादास माथर	श्री मथुरादास माथुर
२६४४	४	कारखान	कारखाना
२६४५	शीर्ष	(श्री उमरावसिह डाबरिया)	(श्री उमरावसिंह डाबरिया)
२६४६	१७	को	की
२६४९	१७	श्री रामप्रसाद लड्डां	श्री रामप्रसाद लड्ढा
,,	अन्तिम से २	किा।	किया
२६५२	८	काउटंर	काउन्टर
२६५३	१	बनान	बनाने
२६५५	शीर्ष	(श्री राम्प्राद लड ढा)	(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
२६५६ व			
२६५८	शीर्षक	आघ	आघे
२६५७	३	मैंनें	मैंने
२६५९	अन्तिम से ७	मा ।य	माननीय
२६६०	१३	उनका	उनकी
,,	२५	कर`	करने
२६६१	१०	रह`	रहने
२६६२	१	अनसूचित	अनुसूचित
,,	१४	श्री जयनारायण सालेदिय	श्री जयनारायण सालोदिया
२६६५	१९	हू	हूं
,,	अन्तिम	कस	किस
२६६६	२	अच्छो-अच्छ	अच्छे-अच्छे
,,	४	क ्रेस	कांग्रेस
,,	अन्तिम से ४	आ सूचित	अनुसूचित
२६७०	अन्तिम से ३	श्री अमतलाल यादव	श्री अमृतलाल यादव
२६७२	१४	अलगांव	अलग गांव
२६८०	१५	सां	संघ
२६८१	२	एसा	ऐसा
,,	११	सुखाडियाजी	सुखाड़ियाजी
,,	२५	महीदय	महोदय

१	२	३	४
२६८२	अन्तिम	लाखो क	लाखों का
२६८४	अन्तिम से ५	समेय	समय
२६८५	१०	ओर	ओर
२६८७	२०	व्यवघान)	व्यवधान)
,,	२१	श्री चन्द्रांसह बर्फा	श्री चन्द्रसिंह बर्फा
२६८८	१४	मकन	मक्खन
२६८९	१८	सदय	सदस्य
२६९२	१३	करन	करने
,,	१६	चाहिय	चाहिये
२७०२	९	गइ	गई
,,	२१	श्री भरवलाल "कालाबादल"	श्री भैरवलाल "कालाबादल"
२७०७	३	हा	हो
२७११	अन्तिम से ५	लोकतत्रीय	लोकतन्त्रीय
२७१२	२२	तबक	तबके
,,	अन्तिम से ९	ह	हैं
,,	,, ५	जिसस	जिससे
२७१३	,, १०	कामां	कामों
,,	,, ६	लये	लिये
२७१६	,, १२	दिवेबन	निवेदन
२७१७	,, १	ो सका	हो सका
२७१८	,, ८ व ९	समय समय देना	समय देना
२७१९	शीर्ष	(श्री डूंगाराम राजोरिया)	(श्री सभापति)
२७२०	अन्तिम से १४	उपलब्धि	उपलब्ध
२७२३	,, १२	में	मे
२७२४	शीर्षक	शासत्रीय	शासकीय
,,	१७	दो	दी
२७२५	अन्तिम से ११	नाम भी	के नाम भी
२७२७	१४	जाने क्या	जाने
२७२९	१३	श्री माणिकचन्द	श्री मानिकचन्द
२७३०	१९	फेक्टुस	फेक्ट्स
,,	अन्तिम से ३	यह जो जो	यह जो
२७३३	,, १०	आया कि कि	आया कि
२७३५	,, ६	पिछ्ले	पिछले

१	२	३	४
२७३६	६	७-५	४-५
,,	८	दष्टिकोण	दृष्टिकोण
,,	अन्तिम से ४	इन	—
२७३८	,, १६	क बाद	के बाद
२७४२	६	इमीजियटली	इमीजियेटली
,,	१८	जातियां	जातियों
२७४४	१५	कोइ	कोई
२७४६	अन्तिम से १२	हैं	—
२७५०	१	तो	—
२७५३	१	खचं	खर्च
,,	१०	दा	दी
,,	१८	सकता	सकती
२७५४	अन्तिम से ३	हे कि	हैं कि
,,	,, ,, २	क	के
२७५६	१	एसा	ऐसा
२७५८	शीर्षक	अक्टबर	अक्टूबर
२७५८	२४	घुलाये	धुलाये
,,	२७	अदि	आदि
२७६१	२	(रायांसहनगर)	(रायसिंहनगर)
,,	अन्तिम	चाहत	चाहते
२७६२	१६	मत्री	मंत्री
२७६४.	अन्तिम से ४	उदवपुर	उदयपुर
२७६५	१३	स	से
,,	१६	न	ने
,,	२३	जसा	जैसा
,,	२४	ह ।	हैं ।
२७६६	अन्तिम से २	क	के
,,	अन्तिम से २	उसक	उसके
२७६७	४	गंगानगर	गंगानगर
,,	४	बड	बड़े
,,	५	कतनी	कितनी
,,	१७	जितमें	जितने
२७६८	शीर्षक	प्रतवदम	प्रतिवेदन

६

१	२	३	४
२७६८	१	इकोनीमिक्स	इकोनोमिक्स
,,	५	अबदी	आबादी
,,	७	प्र दिन	प्रतिदिन
,,	६	ओर	और
,,	अन्तिम से ४-३	इम्पोटेन्ट	इम्पोर्टेन्ट
२७६९	१४	खड	खड़े
,,	१५	क साथ	के साथ
,,	१८	नंत्री	मंत्री
२७७०	१८	ह	हैं
२७७१	७, १० व १३	क	के
२७७२	१	श्री दया न्द सोन	श्री दयाचन्द सोन
,,	२०	दखते	देखते
,,	२७	थ	थे
,,	अन्तिम से २	दखने	देखने
२७७३	२	मरे	मेरे
,,	१०	दज	दर्ज
,,	१४	दते	देते
,,	२६	साहाब	साहब
२७७४	अन्तिम से ५	धीर	धीरे
२७७५	१०	अ ा ा	आये
,,	अन्तिम से ४	सिफ	सिर्फ
२७७६	७	श्री अमृतलाल	श्री अमृतलाल यादव
,,	२२	ी अमृतलाल यादव	,, ,,
,,	२५	(रूपबास-सु)	(रूपवास-सु.)
२७७७	शीर्षक	जा यों	जातियों
,,	२१	मिलगी	मिलेगी
२७७८	१२	ह	हैं
,,	२०	नहा	नहीं
,,	२३	का	की
२७७९	५	धीरे-	धीरे-धीरे
,,	६	पर धीरे आ	पर आ
,,	अन्तिम से ३	जात	जाते
२७८२	६	क लिये	के लिये
,,	२०	ीलाम	नीलाम

१	२	३	४
२७८३	८	One	One
२७८४	३	जा, ने	जाने,
,,	४	अया	आया
,,	अन्तिम से ११	दूसर	दूसरा
२७८८	१	होस्टरल	होस्टल
,,	१५	निधन	निर्धन
,,	अन्तिम से ११	ब. डि. ओ.	बी. डी. ओ.
२७८९	६	ठकदारों	ठेकेदारों
,,	७	दिय	दिये
,,	१८	का	को
२७९०	११	बार म।	बारे में।
,,	१३	ऑडंर	ऑर्डर
,,	अन्तिम से ५	निवदन	निवेदन
,,	,, ४	विभाग म	विभाग में
२७९१	,, ४	क	के
,,	,, ४	रह थे	रहे थे
,,	अन्तिम	ा-वक	सेवक
,,	,,	य ी	यही
२७९२	अन्तिम से ३	लकिन	लेकिन
२७९३	११	उसस	उससे
,,	१४	जितनी	जितना
,,	१६	सेकड्री	सैकन्डरी
२७९४	अन्तिम से १३	श्री जंठमल	श्री जेठमल
,,	अन्तिम से ६, ४	समानेत्री	सभानेत्री
२७९५	३	,,	,,
,,	६	मट्रिक	मैट्रिक
,,	१०	सरकार	सर्विस
२७९६	७	समानेत्री	सभानेत्री
,,	११	ाे झेठमल	श्री जेठमल
२७९७	२१	प्रात	प्राप्त
,,	२२	अपासे	आपसे
,,	२३	कमियों	कमियां
२७९८	शीर्षक	अक बर	अक्टूबर
,,	८	सबस्य	सदस्य

१	२	३	४
२७९८	१०	सेक्ट्री	सेक्रेटरी
,,	११	चाहिय	चाहिये
२७९९	अन्तिम से ११	न ीं	नहीं
,,	अन्तिम	म्प्रूवमेन्ट	इम्प्रूवमेन्ट
२८००	६	मंने	मैंने
२८०२	अन्तिम से ४	बोलंगा ?	बोलूंगा ?
२८०३	१	श्री जेठमल :	श्री जेठमल बरवड़ :
,,	अन्तिम से ६	श्री भानुप्रसाद कुराडिया	श्री भानुप्रसाद कराड़िया
२८०५	शीर्षक	अक्टबर	अक्टूबर
,,	शीर्ष	(श्री भानुप्रसद कर डिया)	(श्री भानुप्रसाद कराड़िया)
२८०६	२०	वर्ष	वर्ग
२८०७ व २८०८	शीर्ष	कराडिया)	कराड़िया)
२८०९	७	मंने	मैंने
,,	१३	ह।	हैं ।
२८१०	शीर्षक	प्रतिवदन	प्रतिवेदन
,,	६ व २०	चाहिय	चाहिये
२८११	६	बासी	वासी
२८१२	शीर्षक	विषचेयक	विषयक
,,	१	श्री विरदाराम फूलवा ि या	श्री विरदाराम फुलवारिया
,,	७	आ जतो	आज तो
,,	अन्तिम से ७	मंने	मैंने
,,	अन्तिम	सदन	सदन में
२८१५	५	श्री डूंगाराम राजोरिया	श्री डूंगाराम राजोरिया
२८१८	१९	लेगें	लेंगे
,,	२७	ह तो	हैं तो
२८२१	८	हरिजनों	हरिजनों
,,	२०	नाम	के नाम
,,	२९	खात	खाते
,,	३६	सांटिया	सठियां
२८२६	१८	पर ह ।	पर हैं ।
२८२७	१	श्री मानिकचन्द सुराना	श्री मानिकचन्द सुराणा
,,	१८	कहत	कहते

१	२	३	४
२८२७	२३	क्षत्र	क्षेत्र
२८२८	अन्तिम से २	करगें	करेंगे
२८२६	,, ७	में	मं
२८३०	१०	अ ा ग	आगे
,,	११	सामर्थय	सामर्थ्य
,,	१६	क	के
,,	अन्तिम	खद	खुद
२८३१ व २८३३	शीर्ष	(श्री विजयलाल कटारा)	(श्री विजयपाल कटारा)
२८३१	१५	दीखत	दीखते
,,	१६	है। उस	हैं उस
२८३२	१६	गवनमेन्ट	गवर्नमेन्ट।
,,	अन्तिम से ५	स्वख	रख
,,	अन्तिम	खच	खर्च
२८३३	अन्तिम से ११	भी इ	भी इस
२८३८	७	समया	समस्या
२८४३	१६ व ३०	अथिक	आर्थिक
,,	२६	पूरी	में पूरी
२८४४	३	प्रोसीडिग्स	प्रोसिडिंग्ज्
,,	अन्तिम से ७	पर्सेन्ट	पर्सेन्ट
२८४५	१	मेंनें	मैंने
,,	२४	चााहये	चाहिये
२८५०	१५	श्री मोहनलाल सारवस्त	श्री मोहनलाल सारस्वत
२८५२	अन्तिम से ३	कई	कई
,,	,, २	कये	कयी
२८५४	१५	कोइ	कोई
२८५७	१	श्री मोहनलाल सास्वत	श्री मोहनलाल सारस्वत
,,	११ व १३	स	सूं
२८५८	१०	केबोला	के बोला
,,	१८	स्वणां	स्वर्णा
,,	अन्तिम	हरिजन	हरिजनों
२८६०	अन्तिम से ३	करगे	करेंगे
२८६१	२०	पढा	पढ़ा

१	२	३	४
२८६१	२४	रसातल में चलयो जावेगा । वास्तव में या स्थिति	....
,,	अन्तिम से २	सू	सूं
,,	,, २	सुर्णेवों	सुणावां
२८६२	२१	शिड्युल्ड	शिड्यूल्ड
,,	२३	हे।	हैं।
२८६३	१४	उनक	उनके
२८६४	२	प्रशाशन	प्रशासन
२८६५	६	हए	हुए
२८६६	२	एसी	ऐसी
,,	२	कु	के
,,	अन्तिम से ३	एन्को–	एन्फ्रो–
२८६७	१	ह	हैं
२८६८	अन्तिम से ६	जायगी	जायंगी
२८७०	१२	रहे;	रहें;
,,	२४	इसलिय	सलिये
२८७२	८	देगें	देंगे
२८७३	शीर्ष	(श्री उवरावसिंह ढाबरिया)	(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
,,	८	बार	बारे
२८७५	१०	बीच	–
,,	१६, २५ व २६	परसेंन्ट	परसेन्ट
२८७७	शीर्षक	अक्टबर	अक्टूबर
,,	७	हैं, कोरा	हैं कोरा
२८७८	६	चाह	चाहे
,,	अन्तिम से ४	मानन	मानने
२८७९	,, ६	को	की
२८८२	,, ८	नें	में
,,	,, ३	आलोजमा	आलोचना
२८८४	,, २	मकन	मकान
२८९०	८	कांग्रेस थी	कांग्रेस की
,,	२०	नता	नेता
,,	२४	छिपान	छिपाने
२८९२	४	ह	हैं

१	२	३	४
२८९२	१९	लकिन	लेकिन
२८९३	७	हं । कि	हैं कि
,,	१९ व २०	माग्दिर	मन्दिर
,,	२३	क	के
,,	२५	रहं	हैं
,,	अन्तिम से २	करूगा	करूंगा
२८९४	,, ११	सेबरजट	सेबरजंट
,,	,, ३	करन	करने
,,	अन्तिम	हू,	हूं,
२८९५	३	बढाया	बैठाया
,,	४	इसका	इसको
२८९६	६	मै	में
२८९७	शीर्ष	(श्री अमुतलाल यादव)	(श्री अमृतलाल यादव)
,,	१	कुछ	एक
,,	११	हं	हूं
,,	१३	दष्टिकोण	दृष्टिकोण
२८९९	अन्तिम से ७	ट्रेनिग-कम-प्रोडेक्शने	ट्रेनिंग-कम-प्रोडक्शन
२९००	,, ५	मे	में
२९०१	,, ३	नें	ने
२९०२	१	में	मैं
,,	१७	श्री भंरूंसिह	श्री भैरोंसिंह
,,	२१	श्री अमृतलाल यादवं	श्री अमृतलाल यादव
,,	२६	इसक	इसके
,,	२७	सार	सारे
२९०३	६	Promosion	—Promotion
,,	१०	lover grade	on the lower grade ?,
२९०४	५	श्री मोहनलाल सारस्बत	श्री मोहनलाल सारस्वत
,,	१३	गईं	गईं
,,	२२	श्री अमृतलाल यादर	श्री अमृतलाल यादव
,,	२४	श्री भंरूंसिह	श्री भैरोंसिंह
२९०६	१७	बरबड	बरवड
,,	अन्तिम से ४	श्री भरोंसिह	श्री भैरोंसिह
२९०७	,, ११	नहीं	नहीं

१	२	३	४
२६०७	अन्तिम से ७	श्री अमृतलाल यादब	श्री अमृतलाल यादव
२६०६	शीर्ष	(श्री अमृतलाल ादव)	(श्री अमृतलाल यादव)
२६१२	६	विद्मार्थी	विद्यार्थी को
२६१३	अन्तिम	कह्।	कहे।
२६१६	२	ाक	कि
,,	८	छा ावास	छात्रावास
,,	२३	भू ाहीनों	भूमिहीनों
२६१६	अन्तिम से २	लकर	लेकर
२६२३	,, ६	श्री अमृवलाल यादव	श्री अमृतलाल यादव
,,	,, ३	म नहीं बना	में नहीं बनी
२६२८	अन्तिम	जान	जाने
२६२६	२	देखिय)	देखिये)